दशम माला, खंड 14, अंक 18

शुक्रवार, 31 जुलाई, 1992
9 श्रावण, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

64
Date 26/11/93

(खंड 14 में अंक 11 से 20 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।]

विषय-सूची

दशम माला, खण्ड 14, चौथा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 18, शुक्रवार, 31 जुलाई, 1992/9 श्रावण, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रति भूति घोटाले की जांच कर रहे केन्द्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक श्री माधवन द्वारा समयपूर्व सेवानिवृत्ति लिए जाने के बारे में	1—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	18—166
तारांकित प्रश्न संख्या : 347, 348, 350 से 366 और 251	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3589 से 3603, 3605 से 3620, 3622 से 3676, 3679 से 3699 और 3701 से 3775	
राज्य सभा के सन्देश	179—180
महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारी सरकारी आवास समितियों को भूमि के आवंटन में अनियमितताओं के सम्बन्ध में मुम्बई उच्च न्यायालय के दिनांक 9.7.1992 के निर्णय के बारे में	182—19
मंत्री द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	193—19
मुख्य मंत्री पद के कार्यकाल के दौरान महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारी सहकारी आवास समितियों को भूमि के आवंटन में अनियमितताओं के सम्बन्ध में मुम्बई उच्च न्यायालय के दिनांक 9.7.1992 के निर्णय के बारे में श्री राम कापसे, संसद सदस्य द्वारा उठाए गए मामले के प्रत्युत्तर में	
श्री शरद पवार	193—194
सभा पटल पर रखे गए पत्र	194—195
सभापति-तालिका	199
मंत्री द्वारा वक्तव्य	199—201
(एक) अहमदाबाद (गुजरात) में भारी मात्रा में हथियारों और गोला बारूद की बरामदगी	
श्री एम० एम० जैकब	199—201

विषय	पृष्ठ

(दो) दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा बार्सिलोना, स्पेन में हो रहे 25वें ओलम्पिक खेलों का प्रसारण (कवरेज)	
श्री अजित पांजा	205—206
सभा का कार्य	204
कार्य मंत्रणा समिति	205
अठारहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)—1988-89	205
प्रस्तुत	
नियम 193 के अधीन चर्चा	206—213
सरकारी प्रतिभूतियों में घोटाला	
श्री शंकर सिंह वघेला	207—209
श्री के० पी० रेड्डय्या यादव	211—213
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	214
बारहवां और तेरहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	
अपनियोजन नीति की समीक्षा के बारे में संकल्प	214—242
श्री रूपचन्द पाल	214—215
श्रीमती गीता मुखर्जी	215—217
श्री चित्त बसु	217—220
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	220—223
श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल	223—225
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य	225—230
श्री गोपीनाथ गजपति	230—231
श्री संतोष कुमार गंगवार	231—232
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी	232—235
श्री सुधीर गिरि	235—237
प्रो० रासा सिंह रावत	237—239
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	239—241

लोक सभा

शुक्रवार, 31 जुलाई, 1992/9 श्रावण, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रतिभूति घोटाले की जांच कर रहे केन्द्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक श्री माधवन द्वारा समयपूर्व सेवानिवृत्ति मांग जाने के बारे में।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री शेयर घोटाले में शामिल हैं जिसके बारे में माधवन जी ने लिखा है उनको इन्ट्रोड्यूस कराइये···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : श्री माधवन ने इस्तीफा क्यों दिया ? प्रधान मंत्री जी को सदन में आकर बताना चाहिए। प्रधान मंत्री जी कहां हैं ?···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ भी नहीं सुन पा रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : हमने नियम 388 के अन्तर्गत प्रश्नकाल स्थगित करने का नोटिस दिया हुआ है।···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मान लीजिए मुझे कोई निर्णय लेना है और मुझे यह कहना है कि यह काम किया जाएगा अथवा यह काम नहीं किया जाएगा तो इसके लिए पहली बात यह है कि मैं कुछ सुन सकूं। यदि मैं कुछ सुन नहीं सकता हूं तो मैं निर्णय भी नहीं दे सकता हूं। अब यदि आप में से कोई एक खड़ा होकर बोले तो मैं सुन सकता हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय, इस घटना ने पिछले तीन महीनों में पूरे देश को हिला कर रख दिया है और मैं समझता हूं कि शायद यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बुरा घोटाला है। दूसरे घोटाले भी हुए हैं। परन्तु यह प्रतिभूति घोटाला अन्य घोटालों की तुलना में बहुत बुरा है क्योंकि अन्य सभी मामलों में कुछ लोगों ने पैसा कमाया हो, कुछ संस्थानों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो, अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई हो, परन्तु यह पहला घोटाला है जिसमें न केवल यह तीनों बातें हुई हैं बल्कि लाखों मध्यवर्गीय परिवार, गरीब परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। अतः जब प्रधान मंत्री जी ने सदन में कहा कि वह चाहते हैं कि सभी दोषी लोगों के नाम निर्धारित किये जाएं या सभी दोषी लोगों के नाम बताये जायें तो देश ने उनकी यह बात मानी, संसद ने उनकी इस बात को स्वीकार किया। अतः दो या तीन सप्ताह बीत जाने के बाद भी और हमें यह सूचना मिलने के बाद भी कि गुपचुप कुछ काम हो रहा है इस विशेष मुद्दे पर सदन में कोई शोरगुल

नहीं हुआ। आज सुबह के समाचार पत्रों में, उदाहरण के लिए द स्टेट्समैन में एक समाचार प्रकाशित हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से और सदन से अनुरोध करता हूं कि आप प्रश्नकाल चलने दें। प्रश्नकाल के तुरन्त बाद हम इस पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : मंत्रियों के नाम पता चल गये हैं। उन्हें काम करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है।...(व्यवधान)...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आप इस बात से सहमत होंगे कि मेरा भी यह विचार था कि जहां तक संभव हो प्रश्न-काल स्थगित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसका संबंध सदस्यों से है। अत: सदस्यों को इसकी अनुमति मिलनी चाहिए। परन्तु साथ ही इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिये कि विगत समय में कई अवसर ऐसे भी आए हैं जब प्रश्नकाल का उपयोग असाधारण मामले पर सदस्यों की चिन्ता या आपत्ति प्रकट करने के लिए किया गया। मुझे इस मामले से अधिक असाधारण मामला याद नहीं आ रहा है। परन्तु जैसा कि मैंने कहा है कि जो मुद्दे हैं मैं उन्हें प्रस्तुत करना चाहूंगा और मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए था। सदन की बैठक से भी पहले सरकार को यह अनुमान लगा लेना चाहिए था कि सदन पूरे राष्ट्र की चिन्ता व्यक्त करेगा और प्रश्नकाल को स्थगित करना चाहेगा जैसा कि मेरे अनेक साथियों ने औपचारिक रूप से किया है।

ऐसा लगता है कि सरकार यह मानकर चल रही है कि जो वे चाहेंगे वही होगा। सरकार को हम से यह कहना चाहिए था कि "यह स्थिति है और ये तथ्य हैं, हमें वक्तव्य देने की अनुमति दीजिए हम वक्तव्य देना चाहते हैं।"

मेरे विचार से घोटाले के बारे में होने वाली आम चर्चा में श्री माधवन के विशेष मामले पर चर्चा नहीं हो पाएगी। श्री माधवन केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो के संयुक्त निदेशक हैं। वह जांच-पड़ताल कर रहे थे और उन पर बहुत अधिक दबाव डाला गया था। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। परन्तु जिस समय वह आए मुझे बहुत हैरानी हुई कि पिछले तीन महीनों के दौरान कुछ बैंक अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया, कुछ दलालों को कारावास भेज दिया गया परन्तु एक भी राजनीतिज्ञ, एक भी अधिकारी को हाथ नहीं लगया गया। एक भी नहीं। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कैसे संभव हो सकता है? अब श्री माधवन का यह विशेष प्रकरण सामने आया है।

पता नहीं कि यहां पर मेरे साथियों को श्री माधवन की पृष्ठभूमि के बारे में कितनी जानकारी है। वह बोफोर्स मामले से संबंधित थे इसलिए वह लोगों के ध्यान में आए। उनका रिकार्ड पूरी तरह से बेदाग है। वह एक ईमानदार अधिकारी हैं और उनका रिकार्ड असाधारण रहा है और उन्हें राष्ट्रपति ने इस वर्ष 26 जनवरी को स्वर्ण पदक प्रदान किया था।...(व्यवधान)...

मेरी जानकारी के मुताबिक जाँच पड़ताल के दौरान उन्हें इस सरकार के तीन मंत्रियों के विरुद्ध बहुत ठोस और प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं।...(व्यवधान)...

श्री मदनलाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : वे कौन हैं?...(व्यवधान)...

श्री लालकृष्ण आडवाणी : उन्हें ये नाम अपनी रिपोर्ट में शामिल न करने के लिए कहा गया। मैंने श्री माधवन की समय से पूर्व सेवानिवृति के अनुरोध के लिए दिये गए सरकारी स्पष्टीकरण को देख

लिया है। ऐसा कहा गया है कि उनकी पदोन्नति नहीं की जा रही थी इसलिए उन्होंने समय से पूर्व सेवानिवृत्ति मांगी है। मैं संसद में हूं इसलिए मैं जो कुछ कह सकता हूं वह यह है कि यह बिलकुल असत्य है क्योंकि यदि मैं बाहर होता तो मैं कहता कि यह* है। यहाँ पर मैं यह कहूंगा कि यह असत्य है।···(**व्यवधान**)···यह केवल असत्य ही नहीं है बल्कि यह उनके विरुद्ध इस प्रकार के आरोप लगाकर जले पर नमक छिड़कने वाली बात है। उन्होंने बहुत से लोगों के विरुद्ध मामलों की जाँच-पड़ताल की है।

एक माननीय सदस्य : यह शब्द असंसदीय है।···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आडवाणी जी, यह मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता है···।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : आप उन शब्दों को छोड़ दो। ·· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : केवल इतना ही नहीं।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मैं उन शब्दों को वापस लेता हूं। मैं "असत्य" शब्द का प्रयोग करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल शब्दों की बात नहीं कर रहा हूं।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मेरा यह कहना है कि घोटाले पर चर्चा करने से पहले सरकार को श्री माधवन के संबंध में जो कुछ हुआ उस बारे में एक आधिकारिक वक्तव्य देना चाहिए। उन्होंने समय से पहले सेवानिवृत्ति क्यों माँगी? क्यों? सरकारी स्पष्टीकरण बिलकुल अविश्वसनीय है। यह हमें स्वीकार्य नहीं है और यह हमें जंचता नही है। अतः सरकार को पूरे तथ्य सामने रखने चाहिए। बहुत-सी जांच पड़तालों के बारे में क्या हुआ? अब मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं। मेरे पास उनके नाम हैं। मैं नामोल्लेख कर सकता हूं परन्तु मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले सरकार यह बताए कि ऐसा किस कारण हुआ, एक वरिष्ठ अधिकारी, एक बेदाग अधिकारी को किसने विवश किया जिनके सम्बन्ध में कर्मचारी भी कहते हैं कि हम उन्हें अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए राजी कर रहे हैं। उन्हें राजी किया जा रहा है और यदि वह मेरी सलाह लें तो मैं उनसे कहूंगा कि वह पद न छोड़ने की बात स्वीकार कर लें और अपने पद पर बने रहें। यदि वह मुझसे सलाह लें तो मैं उन्हें यह सलाह दूंगा, हम चाहेंगे कि ऐसे अधिकारी अपने पदों पर कार्य करते रहें। मैं इंडियन एक्सप्रैस का भी उल्लेख किया है। उन्होंने बोफोर्स के अलावा इस प्रकार के अनेक मामलों की जांच की है, उन्होंने इंडियन एक्सप्रैस के विरुद्ध भी एक मामले की जांच की थी। उन्होंने यूनियन कार्बाइड के विरुद्ध भी मामले की जांच की और बहुत सफलतापूर्वक उस बहुराष्ट्रीय कम्पनी की बहुत सी असफलताओं को उजागर किया। अतः यह पूरे देश के लिए सदमा लगने वाली बात है कि इस स्तर के अधिकारी को; इस महत्व के अधिकारी को इस सरकार द्वारा इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया जाए क्योंकि वह भारतीय इतिहास के इस सबसे बड़े घोटाले के पीछे जिन राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों का हाथ हैं उनको छिपाना चाहते हैं।

[**हिन्दी**]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, आज जो सूचना हम लोगों को अखबारों के जरिये मिली मेरा ख्याल है कि जब से हम लोगों को यह सूचना प्राप्त हुई सबका मन

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उद्वेलित है, चिन्तित है और सही मायने में आज एक सफाई हम लोग सरकार से चाहते हैं। यह सही है बैंकों का जो घोटाला हुआ उसने हमारी अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया, लोगों को तबाह किया और बाहर हमारी छवि पर इससे कोई न कोई असर जरूर पड़ेगा। लेकिन माधवन का नाम और उसके तहत और उसके ब्रैकेट जुड़ा जरूर है। लेकिन उससे अलग भी है। उसके अन्दर जो तहकीकात हो रही है उस अफसर पर दबाव डालने की बात है। यह पूरी सरकार के कंडक्ट पर, व्यवहार पर आज एक प्रश्न-चिन्ह है जिसको सरकार को आज साफ करना चाहिये। सरकार यह बात यहां स्पष्ट करे कि क्या पी० एम० ओ० में एक उच्चाधिकारी हैं, उनके द्वारा श्री माधवन को बुलाकर कहा गया कि अगर कोई राजनैतिक नाम हो तो जब तक स्वीकृति न हो, तब तक न लिखियेगा ? क्या यह बात नहीं है कि कुछ अधिकारियों के नाम या उच्चाधिकारी के नाम आने के लिए कहा गया है। उनको न रखने की बात कही गयी जिससे कि वह त्रस्त होकर माधवन ने इस्तीफा दे दिया और आप प्रोमोशन की बात के लिए कह रहे हैं, इतनी छोटी बात नहीं होनी चाहिये। मैं उस अफसर को जानता हूं क्योंकि उसने बोफोर्स के मामले में स्विस बैंक के अन्दर खातों को जब्त कराने का काम, ए०ई० सर्विसेज के कागजात को लाने का काम करके जो क्षमता दिखाई है क्योंकि मैं तो पहले खुश था कि सरकार ने उनको ही सौंपा है यह स्कैम का मामला लेकिन सौंपा नहीं है। उनको बोफोर्स से आपने हटाया और एकनॉमिक इन्वेस्टीगेशन का विभाग दे दिया कि चलो अब इसको देखो और उसमें भी घोटाला हो गया।

मान्यवर, यह केवल घोटाले की बात नहीं है। अगर ईमानदार लोग त्रस्त होंगे तो यह एक उदाहरण बनेगा। इससे न केवल माधवन बल्कि जितने भी इस तरह के अफसर हैं, उन सब पर प्रभाव पड़ेगा। तो यह पूरी बात व्यवस्था चरमराने की बात है जिसको संभालने की बात है। इसलिए यह जरूरी है कि सरकार आये, स्पष्टीकरण करे और प्रधानमंत्री यहां आकर स्पष्टीकरण करें। पी०एम०ओ० से दबाव पड़ा, मैं नहीं कहता कि प्रधानमंत्री को जानकारी होगी, इसकी आज मैं शर्त नहीं लगा रहा हूं। हो सकता है कि उनको जानकारी न हो। लेकिन अगर उनकी जानकारी में उन्हीं के दफ्तर में प्रभाव डालने की बात होती है तो प्रधानमंत्री का कर्त्तव्य है कि उसको देखें या यहां आकर सफाई दें। अब यह प्रश्न सबसे बड़ा प्रश्न हो गया है। आज भ्रष्टाचार की रूपरेखा हमें खोखला कर रही है। इस प्रश्न को लेकर इस प्रश्नकाल को स्थगित कर इसी पर चर्चा कराने की कृपा करें। **(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, आज हमारा प्रश्न तीसरे नम्बर पर है। हम नहीं चाहते हैं कि प्रश्नकाल चले।…**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, कोई भी इस विषय के महत्व को नकार नहीं सकता। वित्त मंत्री महोदय ने 8 जुलाई के अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है कि बड़ी मात्रा में धोखा-धड़ी हुई है—वह उससे असहमत नहीं हैं और इसमें शामिल लोगों का पता लगने में संभवतः सरकार भी गभीर है। एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। हो सकता है वह घोटाले में शामिल भी न हो, लेकिन, उन्हें पहले ही त्यागपत्र देना था। योजना आयोग के एक सदस्य को भी जाना था। केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को जाँच-पड़ताल का यह काम सौंपा गया है। एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया है। इसमें संलिप्त लोगों की संपत्ति की कुर्की के लिए एक अध्यादेश पारित किया गया है। स्थिति इतनी गंभीर है। 3,500 करोड़ रु० से भी ज्यादा सरकारी धन का नुकसान हुआ है। हम नहीं जानते कि यह सारी 5,000 करोड़ रु० 6,000 करोड़ रु० अथवा 7,000 करोड़ रुपये भी हो सकती है। लेकिन, हम देख रहे हैं कि केन्द्रीय जाँच-ब्यूरो पूर्ण कोशिश कर रहा है। बहुत से लोग गिरफ्तार किये गये हैं। और

बहुत से स्थानों की तलाशी ली गई है तथा इस मामले में काफी प्रगति हुई है और जब हमें पता चला कि महत्वपूर्ण नाम सामने आ रहे हैं, मंत्रियों के नाम और विद्युत-वित्त निगम भी इसमें शामिल हैं—मुझे इसकी जानकारी नहीं है, इसलिये, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह सकता, , ये तथ्य सामने आ रहे हैं—समाचार पत्र में यह आ रहा है कि जिस व्यक्ति को इस गंभीरतम मामले की जाँच-पड़ताल की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वह अचानक ही स्वैच्छिक-सेवा-निवृत्ति पर चला गया है जबकि, उसके कार्यकाल के तीन वर्ष अभी शेष है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यह सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है। उनकी कार्यशैली किस प्रकार की है ? जब इतने बड़े पैमाने पर धोखा-धड़ी हुई हो, तो क्या यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि इससे सारे देश में उत्तेजना फैलेगी ? लेकिन, वे तो रहस्य की मूर्ति बनकर बैठे हुए हैं। उन्हें कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। उन्हें इस पर स्वत: वक्तव्य देना चाहिये। गृह मंत्री महोदय कहां हैं ? वे आकर सभा के सम्मुख स्थिति को स्पष्ट क्यों नहीं करते ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, प्रश्न काल में नहीं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, प्रश्न-काल के दौरान क्यों नहीं ? (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, क्या उन्होंने स्वयं दोपहर 12 बजे वक्तव्य देने की सूचना आपको दी है। उन्होंने हमें तो नहीं बताया है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : प्रश्न काल को स्थगित करने का हमने नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने इस मामले की चर्चा अन्य लोगों के साथ नहीं की है। किसी को भी अवसर नहीं दिया गया है। उन्होंने वैसा कभी नहीं किया। वह उनकी आदत नहीं है। वे इसे नहीं जानते। अत: हमें विश्वास है कि सरकार इस सदन का अथवा इस देश को सच्चाई बताने की इच्छुक नहीं है। इसीलिये, वे चुप्पी साधे हुए हैं। यह बहुत ही चिन्ता का विषय है (व्यवधान) संचार माध्यमों ने एक अलग ही कहानी दी है कि वह बहुत जल्दी पदोन्नति चाहते थे, जो उन्हें नहीं दी गई और इसीलिये उन्होंने सेवानिवृत्ति के कागजात पेश कर दिये, जो स्पष्टत: सरकारी वृतान्त का ही रूप है।

इस सभा के अत्यन्त वरिष्ठ और जिम्मेदार सदस्यों ने कहा है कि उनकी जानकारी के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता और मुझे श्री आडवाणी अथवा श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के वक्तव्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं दिखता। अत: इस मामले को किसी रोजमर्रा के विषय की भाँति नहीं लिया जा सकता। अत: मैं सरकार से माँग करता हूं कि अगर वे इस घोटाले, जो इस देश में नहीं अपितु, विश्व का सबसे बड़ा स्कैंडल है, कि समुचित जाँच कराये जाने के बारे में वास्तव में गम्भीर है तो वे सच्चाई को बतायें। केन्द्रीय-जाँच-ब्यूरो के सलाहकार ने न्यायालय में कहा है कि यह सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला है जिसमें वित्त मन्त्रालय से लेकर निचले स्तर तक के व्यक्ति और विभिन्न सरकारी एजेंसियाँ शामिल हैं। यह सरकार के कार्य करने का तरीका है। हमें इस देश में बहुत अनुभव हुआ है।

महोदय, श्री माधवन को बोफोर्स जाँच से हटा दिया गया। यह सभा उत्तेजित थी, देश उत्तेजित था। अब फिर वही तरीका अपनाया जा रहा है। जब उन्हें सफलता मिलने ही वाली थी, अथवा असुविधाजनक नाम सामने आने ही वाले थे, उस वक्त उन पर दवाब डाला जा रहा था। उन्हें निकलने

के लिए मजबूर किया गया और निराशा तथा विरोध प्रकट करने के लिए उन्होंने अपने सेवानिवृत्ति के पत्र रख दिये। यह बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है। देश को विश्वास में लिया जाना चाहिये। और सरकार को यह आश्वासन देना चाहिए कि वह यह पदभार संभाले रहेंगे और सरकार की ओर से किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, जैसा कि वह अब कर रहे हैं। अन्यथा, वह ऐसा नहीं करते। यह बहुत गम्भीर मामला है। सरकार को जवाब देना चाहिए।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, प्रतिभूति घोटाला इस सरकार की गरिमा, विश्वसनीयता और अखण्डता तथा स्वयं सरकार के लिए बहुत धक्का साबित हुआ है। आज जो कुछ समाचार पत्रों में आया है, मेरे विचार में वह स्थिति की चरम सीमा है। मैं श्री माधवन को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूँ। मैं उन्हें जानता हूँ तो एक ऐसे अफसर के नाते, जो अपना काम सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और निपुणता के साथ करता है। उनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पर कोई शक नहीं कर सकता। अगर ऐसे अधिकारी पद सेवानिवृत्ति के लिए जबकि उनके सेवा के तीन वर्ष बाकी रहते हों, दबाव डाला जाता है और ऊपरी तौर पर सरकार द्वारा उसे पदत्याग न करने के लिए कहा जाता है, तो यह तो यह तो बड़ी विकट स्थिति है। मैं नहीं जानता कि यह सरकार किस प्रकार की है। यह नहीं है कि वे उस अधिकारी को पद त्याग न करने के लिए उसे आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे हों लेकिन वे सार्वजनिक वक्तव्य में कह रहे हैं कि वे उन्हें उनके मित्रों के माध्यम से मना रहे हैं। मैं नहीं मानता कि अधिकारियों को उनके मित्रों के माध्यम से मनाया जाये। अगर उनकी शिकायतें उचित हैं, तो सरकार द्वारा उन्हें दूर किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार के लिए इतना आसान विषय नहीं है कि इस पर इन्तजार···

श्री लालकृष्ण आडवाणी : क्या मैं इस सन्दर्भ में एक बात कह सकता हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार श्री माधवन को बताया गया कि उनकी स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति की अवधि नहीं हुई है इसीलिए सरकार इसे स्वीकार नहीं कर सकती और अगर वह चाहें तो त्यागपत्र दे सकते हैं अतः उन्हें सेवा-निवृत्ति से प्राप्त होने वाले फायदे भी नहीं मिल सकते। मैं नहीं जानता कि यह सही है अथवा नहीं।

(व्यवधान)

श्री विजय एन. पाटिल (इरनदोल) : महोदय, यह ठीक नहीं है। **(व्यवधान)**

[**हिन्दी**]

श्री शरद यादव : सिक्यूरिटीज स्कैम में आपका नाम भी है क्या ? हमें लगता है कि इनका नाम तो जरूर है।···**(व्यवधान)**···

[**अनुवाद**]

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, मैं आर्थिक मन्त्रालय अथवा प्रधानमन्त्री महोदय के कार्यालय और सम्बन्धित अफिकारियों के बीच हुई व्यक्तिगत बातचीत अथवा समझौता वार्ता का हिस्सा नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ आपको और इस सभा को सरकार द्वारा देश के प्रशासन को चलाने के ढंग के बारे में बता रहा हूँ यदि इस अधिकारी की शिकायत उचित है, तो सरकार उसे दूर क्यों नहीं करती ? उनके मुताबिक अगर यह सब केवल पदोन्नति के लिए ही था, तो उन्होंने अधिकारी को निलम्बित क्यों नहीं किया ? उन्हें दोनों ही अधिकार हैं। लेकिन, दुर्भाग्य की बात तो यह है उन्हें कुछ नग्न सत्य छिपाने हैं। देश में उसका यही प्रभाव होगा। मैं नहीं जानता कि स्थिति क्या है।

अध्यक्ष महोदय यह सब उस समय और भी गम्भीर हो गया जब आप संयुक्त संसदीय समिति

का गठन कर रहे हैं, इस समिति के सभापति की नियुक्ति करने जा रहे हैं। दुर्भाग्य से आज ही यह समाचारपत्र में आया है कि सत्तारूढ़ दल संयुक्त संसदीय समिति के सभापति के पद पर विपक्ष से कोई व्यक्ति नहीं लेना चाहता। मैं नहीं जानता कि सत्तारूढ़ दल और विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं के बीच क्या चल रहा है, लेकिन ये सभी बातें यदि एकही समय पर आयें तो मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह न केवल सरकार की विश्वसनीयता पर बल्कि संयुक्त संसदीय समिति के कार्यकरण पर भी प्रश्न चिह्न लगायेंगी।

अध्यक्ष महोदय, यह सरकार और विशेषतौर पर प्रधानमन्त्री का कर्तव्य है कि वह इस मामले पर स्पष्टीकरण दें। जब खुले तौर पर यह कहा गया है कि प्रधानमन्त्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कुछ निर्देश दिये थे, तब क्या यह प्रधानमन्त्री का कर्त्तव्य नहीं है कि वह इसका खंडन करें? यह काम करने का अनोखा तरीका है। समय-समय पर प्रत्येक मामले पर सरकार के इरादे की, और प्रधानमन्त्री के आश्वासन और वायदों की तीन-चार तरह से व्याख्या की जाती है, और प्रधान-मन्त्री इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते और वह यह समझते हैं कि लोग इसे भूल जायेंगे। शायद वह इसमें सफल भी हो रहे हैं, लेकिन, क्या उनकी यह सफलता इस संस्था, जिसमें हम आज बैठे हैं, के लिए लाभदायक है, क्या संसद इस प्रकार कार्य कर सकती है, जहाँ की सदन का नेता या तो चुप रहता हो, या सदन की उन सभी कार्यवाहियों जो या तो गंभीर प्रकृति की हैं या विवादास्पद हैं, से अनुपस्थित रहता हो। अध्यक्ष महोदय, मुझे संसदीय कार्यवाही का कुछ अनुभव है लेकिन संसदीय कार्यकरण के इतिहास में यह पहली बार है कि इन नाजुक स्थितियों में सदन का नेता अनुपस्थित हो। ऐसा किसी भी अन्य प्रधानमन्त्री के कार्यकाल में नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय : आज के प्रश्नों में उनका कोई प्रश्न नहीं है।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ। आजकल हो जायेगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि फिर इस सदन में कुछ नहीं होगा और प्रधानमन्त्री को इस बात की प्रसन्नता होगी कि सरकार मजे में चल रही है और सदन में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं उस प्रणाली को जानता हूँ, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि सदन को निरर्थक किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही खतरनाक तरीका है। मैं सम्पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ यह कहूँगा कि यह संसद को पूर्णतया निरर्थक करने के लिए किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, जिससे जनता की नजरों में इस महान सदन की प्रतिष्ठा और सम्मान को गिराया जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूँ कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग सरकार को कम से कम यह आभास दिलाने के लिए करेंगे कि वह आती जाती रहती है लेकिन, इस संस्था को यहीं रहना है यदि राष्ट्र को फलना फूलना है, तो इस सम्बन्ध में मैं यह समझता हूं कि नौकरशाही के साथ छेड़खानी नहीं की जानी चाहिए और यदि किसी नौकरशाह की कोई सही शिकायत है, तो उसकी बेइज्जती नहीं की जानी चाहिए। सरकार द्वारा चलाये जा रहे अपमानजनक अभियान बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको आशस्वस्त करता हूं कि मैंने श्री माधवन को कभी नहीं देखा है या यदि मैंने उन्हें कभी देखा भी होगा, तो भी मुझे नहीं पता। वह मुझसे कभी नहीं मिले लेकिन उनके कार्य से मैं उनको जानता हूं—हालांकि मेरा अनुभव वैसा नहीं है, जैसा कि और मित्र श्री विद्याचरण शुक्ल और श्री शरद पवार और अन्य का रहा है लेकिन, मैं भी कुछ महीने सरकार में रहा हूं,—और सम्पूर्ण दायित्व के साथ मैं यह कह सकता हूं कि यह सरकार के कुछ चुनींदा अफसरों में से एक

हैं और यदि उनकी यह हालत होती है तो मैं नहीं जानता कि इस नौकरशाही का क्या होगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, मुझे इस पर दो बातें कहनी हैं (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सरकार का पक्ष सुनना चाहेंगे।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरी बात सुन लीजिये पहले, सरकार द्वारा अपनी बात रखने से पहले, आप मुझे दो बात कहने की इजाजत दीजिये। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सरकार को अपनी बात कहने से पहले मुझे अपनी बात कहने का समय दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरा पहला कार्य यह है कि सदन में कार्यसूची के अनुसार कार्य हो। यदि सभी सदस्यों की यह इच्छा हो कि कुछ और किया जाये और यदि ऐसा प्रत्येक दिन हो, तब यह मुश्किल हो जाता है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सभी सदस्य इससे सम्बधित हैं। मैं इसकी अनुमति देता हूँ। लेकिन, यदि यह कभी खत्म न होने वाली क्रिया हो जाती है, जहां एक के बाद एक हाथ उठते रहे, तब मैं नहीं जानता, कि किसको अनुमति दूं और किसको नहीं।

यदि यह कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला बन जाता है तब सदन का संचालन बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन मैं इसकी अनुमति दे रहा हूँ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैं आपकी परेशानी को समझता हूँ, लेकिन मामला इतना गम्भीर है कि इस पर सरकार को कहने से पहले हमारे लिए दो बातें कहना बहुत जरूरी है।

अध्यक्ष जी माधवन का इस्तीफा सरकार के पास 20 तारीख से पड़ा है और 20 तारीख से लेकर आज तक, अखबारों में यह खबर आकर, यहां पर हम लोगों द्वारा उठाने तक, सरकार ने क्या कदम उठाया है, हम सबसे पहले इसको जानना चाहेंगे ?

उनका इस्तीफा कहिए, या उन्होंने अपना पेपर दिया है, हमें नहीं मालूम। हम उतना ही जानते हैं जितना कि अखबारों में है। लेकिन मैं कुछ बातें सरकार के सामने स्पष्टरूप से रखना चाहूंगा, क्योंकि क्या पक रहा है, इसकी जानकारी अनेक लोगों को पिछले कई दिनों से रही है। माधवन जी के ऊपर नम्बर वन तो आपने कोई जिम्मेदारी विशेषतौर पर नहीं डाली। मैंने भी एक बेवकूफी की कि इस सरकार ने अपने सारे कार्यालय में एक भला काम किया, वह यह कि माधवन को इस काण्ड की जाँच करने के लिए नियुक्त किया। वह मेरी समझ गलत रही। चूंकि उनके ऊपर इन्होंने जिम्मेदारी नहीं डाली, उन्हें अपनी जिम्मेदारी से हटाकर एक ऐसे काले पानी भेजने का काम किया था, लेकिन वहां भी चूंकि एक घोटाला हो गया, तो उनके ऊपर वह जिम्मेदारी आ गई और अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिएं जैसे हीं वे गए, वैसे ही कैसे उनको रोका जाए, इस पर हरकतें शुरू हो गईं।

अध्यक्ष जी, जितना हर्षद मेहता, स्टॉक मार्केट और सिक्योरिटीज का काण्ड बड़ा है उसके साथ जुड़े हुए कई छोटे-बड़े काण्ड हैं। अपने-अपने ढंग से वे वैसे अलग-अलग स्कैम्प हैं जिसमें फेयर ग्रोथ एक अलग काण्ड है और फेयर ग्रोथ में जितने सरकारी लोग और अफसर फंसे हुए हैं, उतने और किसी में नहीं फंसे हुए हैं। इसलिए दो निर्णय सरकार ने लिए। अब किस स्तर पर लिए, सरकार बताए ?

अगर प्रधानमन्त्री जी कहते हैं कि हम सच्चाई को किसी भी हालात में देश के सामने रखना चाहते हैं, तो फिर मैं प्रधानमन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आपके दो मन्त्रालय, जो सी०बी०आई० के ऊपर निगरानी रखने वाला है, मिनिस्ट्री ऑफ प्रसोनिल, और हर प्रकार से रोकने का काम हुआ है पिछले दो महीनों में ? इससे वे इन्कार करें। यू०को० बैंक के मामले को आपने उनके हाथ में जाने से रोक दिया और आपने उस आदमी को भेजा जिसके हाथ में बोफोर्स को देकर इसके ऊपर परदा डालने के लिए कहा था। यू०को० के मामले को लेकर, मार्ग, बन्धु को लेकर,...

अध्यक्ष महोदय : ये सब चीजें रेज करने के लिए मैं आपको परमीशन दूंगा, लेकिन आप नोटिस तो दीजिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैने आपको नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या नोटिस दिया है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने एक नोटिस तो दिया है कि हमारा एडजर्नमेंट मोशन स्वीकार करें।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। ऐसा नहीं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, दूसरा नोटिस मैंने नियम 388 के अन्तर्गत दिया है। चूंकि आज प्रश्न-काल नहीं चलेगा,...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। देखिए अगर कोई एलीगेशन गवर्नमेंट के खिलाफ आप कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि वह उसका जवाब दे सके।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैं एलीगेशन नहीं लगा रह हूं। मैं तो तथ्य दे रहा हूं। मैं केवल सच्चाई बता रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको ऐसा करने से कोई नहीं रोक रहा लेकिन, इसे तरीके से कीजिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं केवल सच्चाई बता रहा हूं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसका नोटिस दिया जाना चाहिए। फिर भी मैं इसकी अनुमति देता हूं लेकिन एक सीमा के बाद उन्हें मुझसे पूछने का अधिकार है कि "आप इसकी अनुमति किसी प्रकार दे रहे हैं।"

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, फेयर-ग्रोथ का मामला आ गया वहाँ भी वही बात हो गई। कल एक तरफ आप उनके इस्तीफे को स्वीकार करने की जानकारी देते हैं, कल आपके प्रेस इनफार्मेशन आफिसर पत्रकारों के एक झुण्ड को अपने साथ लेकर, विशेष लोगों को अपने साथ लेकर कहते हैं कि यह नहीं लिखना कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया है, यह नहीं लिखना कि उन्होंने किसी प्रकार की हरकतों को सामने रखा है, यह बताना कि उनकी प्रमोशन के मामले को लेकर उनका झगड़ा था, इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। यह नहीं कहना;।

जानकार सूत्रों का कहना है कि ऐसा केवल केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के सूत्रों या अफसरों के साथ ही होता है। यह लिखना इनफारम्ड सांर्सेज से। यहाँ तक आपकी ब्रीफिंग होती है। वहाँ क्या करते हैं। कल फेयर ग्रोथ के ऊपर तथाकथित रेड्स डालते हैं। घोटाले को दो महीने हो गए। फेयर ग्रोथ पर कल वक्त मिला है। इसलिए कि यहाँ उनके इस्तीफे को स्वीकार करके उनको बाहर भेजने का काम करते-करते फेयर ग्रोथ पर हमने काम शुरू किया है, यह बताने के लिए। सारी जानकारी को छिपाने का काम हो गया। दस्तावेजों को जलाने का काम हो रहा है, पूरे सबूत को मिटाने का काम हो रहा है, आए हुए सबूत को न दिखाने की बात हो रही है और फिर उसके बाद उनके इस्तीफे को यहाँ लेना और फेयर ग्रोथ की बात चलाना। सरकार की नीयत का सवाल है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी परेशानी समझता हूं लेकिन आप हमारी परेशानी भी समझिए। सरकार की नीयत का सवाल है, यहाँ आरोप की बात नहीं है। मन्त्री जी के कहने की बात नहीं है हम प्रधानमन्त्री जी को सुनाना चाहते हैं। प्रधानमन्त्री आएँ, वे हमें बताएँ कि श्री माधवन इस मामले को चलाएँगे। श्री माधवन के ऊपर किसी प्रकार की पाबन्दी नहीं लगाई जाएगी। किसका नाम आने पर रोकना, किसका नाम आने पर सीधे पी०एम० आफिस को देना, किसको रखना, किसको नहीं रखना। कृष्णामूर्ति जा सकते हैं और उनको जाना चाहिए। इतना ही नहीं, अभी जो सामने आया है वह कुछ नहीं है। कृष्णामूर्ति अनेक लोगों को फंसाकर साथ जाएँगे। लेकिन कृष्णामूर्ति जाएंगे और फाईनैन्स मिनिस्ट्री के लोग, जिन्होंने कैनरा म्युचुअल फण्ड के मामले के घोटाले को बनाने में अपना योगदान दिया था, वे बने रहेंगे।

मैं अन्तिम बात कहकर समाप्त करता हूं। हमें बहुत चिन्ता है। आप जे०पी०सी बनाने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हाउस बनाने जा रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : पावर फाईनैन्स कारपोरेशन के ऊपर सी०बी०आई० ने केस दाखिल किया है। पावर फाईनैन्स कारपोरेशन के ऊपर, जिस पर सी०बी०आई० का केस फाइल हुआ है, वह केस जिस मामले को लेकर फाइल किया है, उस फाइल के ऊपर जिसके दस्तखत हैं, जिसने वह लोन सैंक्सन करने के लिग आदेश दिया है, उसको आपने कैबिनेट सैक्रेटरी बना दिया तो ज्वाइन्ट पार्लियामैंट्री कमेटी क्या करेगी। पावर फाईनेंस कार्पोरेशन के जो पावर सैक्रेटरी, जब वे कैबिनेट सैक्रेटरी थे हो जाते हैं तो जे०पी०सी० क्या कर सकेगी। मैं उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं केवल इतना ही बता रहा हूं जो तथ्य हैं क्योंकि कुछ तो मर्यादाएँ होती हैं सारे काम के बारे में। हमें आप बता दीजिए क्योंकि आप सदन की कमेटी बनाने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, हाउस बनाने जा रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप तो हाउस के प्रतीक हैं। जब आप हाउस के प्रतीक हैं और ये तथ्य आज हम आपके सामने नहीं रखें तो जिस प्रकार से काण्ड हो रहा है, हम नीयत के ऊपर कैसे विश्वास करें। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप प्रधानमन्त्री जी को बुलाइए, उनसे हमें सीधा, स्पष्ट आश्वासन मिले और उसके बाद एजेंडा पर काम को आगे ले जाने की बात करेंगे।

श्री रबिराय (केन्द्रपारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी तकलीफ समझता हूं। प्रश्नकाल को स्थगित करने की जो मांग की गई है, उसको हम इसलिये कह रहे हैं··· (**व्यवधान**)··· मैं अभी कार्रवाई की बात आपके सामने उठाना चाहता हूं। मैं इस सदन में आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अविश्वास

प्रस्ताव पर जिस दिन बहस हो रही थी तो जब प्रधानमन्त्री जी जवाब दे रहे थे तो जार्ज फर्नान्डीज ने अन्तिम सवाल पूछा था कि सी०बी०आई० की इनवेस्टिगेशन में जो त्रुटियाँ हैं और जो कसर बाकी है, क्या आप उसे दूर करेंगे, उस ससय प्रधानमन्त्री जी ने फौरन उठकर कहा था कि जार्ज फर्नांडीज की जो शिकायत है, मैंने उसको नोट कर लिया है और मैं फौरन जाकर इस बारे में डायरेक्शन दूंगा। 8-10 दिन के बाद हाउस में फिर यह बात उठायी जा रही है। यह सवाल माधवन प्रसंग से जुड़ा हुआ है। हाउस में प्रधानमन्त्री जी ने बकायदा वचन जार्ज फर्नान्डीज जी के सवाल के जवाब में दिया था कि मैं देखूंगा कि सी०बी०आई की जो त्रुटियाँ हैं, जिसके बारे में कोर्ट ने जिक्र किया है, वे न हों। आज हम और आप क्या देख रहे हैं ? सारे अखबार लिख रहे हैं कि माधवन को बकायदा कहा गया कि जब तक कोई हाइस्ट आफिसर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरियट का आपको इजाजत नहीं देता आप गिरफ्तारी किसी की न करे। फेयरग्रोथ के बारे में कहा है कि अगर मिनिस्टर के बारे में कोई चीज आयेगी तो उसको एविडेंस में नहीं लाना। ये सब पाबन्दियाँ सामने आ रही हैं। आपकी अध्यक्षता में प्रधानमन्त्री जी का सदन को जो वचन था, उस वचन को अब आप पूरा करवायें। ऐसे में संसदीय प्रजातन्त्र कैसे चलेगा। मुझे बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि इस सदन में प्रधानमन्त्री जी जार्ज फर्नान्डीज के प्रश्न के जवाब में बकायदा वचन देकर गये हैं कि सी०बी०आई की त्रुटियाँ नहीं रहेंगी। अभी सवाल उठता है कि माधवन को सारी जिम्मेदारी नहीं दी गई। त्रुटियाँ माधवन जी की नहीं थी। वह बहुत पश्चाताप कर रहे हैं। जिस तरीके से कोर्ट के सामने प्रॉसिक्यूटर के सामने, एविडेंस आना चाहिए था नहीं आ रहा। यह साफ हो गया है। अवसर हाथ से निकल गया है। यह अनप्रीसिडेंटड सिचुवेशन है। इसलिए आप से विनती करता हूं कि क्वश्चन ऑवर को सस्पेंड किया जाये। प्रधानमन्त्री जी सी०बी० आई० डिपार्टमेंट के मन्त्री हैं। उनको यहाँ बुलाया जाये ताकि उनके साथ हम यहाँ बात कर सकें। इतना ही मुझे कहना है। **(व्यवधान)**।

[**अनुवाद**]

श्री बसुदेव आचार्य : उन्हें पहले हमारे विचार सुनने दें और फिर उत्तर दें··· **(व्यवधान)**। महोदय, यह एक अति गम्भीर तरह का मामला है। अत:, हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि माधवन जैसे एक सत्यनिष्ठ अधिकारी को इस्तीफा देने के लिये मजबूर किया गया। वह हमारे देश के, वास्तव में विश्व के, सबसे बड़े घोटाले की जांच कर रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया कम-से-कम इतना तो पूछिये कि क्या उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : यह संसार का सबसे बड़ा घोटाला है। इसमें करोड़ों रुपयों का घोटाला है। लेकिन उन्हें इस प्रतिभूति घोटाले की जांच करने के लिये कहा गया था। कुछ मंत्रियों के नाम भी सामने आये हैं। बताया गया है कि कुछ मंत्री उन पर जांच न करने और स्वतंत्र रूप से कार्य न करने पर दबाव डाल रहे हैं ताकि सच्चाई प्रकट न हो सके। उन्हें घोटाले की जांच करने से रोका जा रहा था। अत: यह एक गम्भीर किस्म का मामला है। इसके अतिरिक्त हम दो महीनों से मांग कर रहे हैं कि सच्चाई सामने आनी चाहिये। इस काण्ड के लिए कौन जिम्मेदार है? इस प्रतिभूति घोटाले के लिए कौन जिम्मेदार है? इस राष्ट्र की गरिमा, हमारे देश की गरिमा को कुछ लोगों के कारण आघात पहुंचा है। सरकार में जो लोग हैं, इसके लिए जिम्मेदार हैं। अधिकारी वर्ग में कुछ लोग इसके लिए दोषी हैं। केवल एक हर्षद मेहता ही नहीं, बल्कि अनेक अधिकारी, अनेक लोग जो सरकार में हैं,

मन्त्रालयों में हैं, इस घोटाले में अन्तर्ग्रस्त हैं। केवल एक मंत्री ने इस्तीफा दिया है। केवल श्री कृष्णामूर्ति ने ही इस्तीफा दिया है। इस बड़े घोटाले में कृष्णामूर्ति जैसे अनेकों लोग अन्तर्ग्रस्त हैं। इस घोटाले की जांच करने वाले श्री माधवन को जांच करने से रोका गया है। प्रधान मंत्री को, क्योंकि वह केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रभारी हैं, सभा में आकर बताना चाहिये कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए क्यों मजबूर किया गया तथा क्या सरकार श्री माधवन को सौंपे गये कार्य को उन्हें जारी रखने देगी। प्रधान मंत्री को आना चाहिए और इस सभा को बताना चाहिए। इतना ही नहीं, इससे पूरा राष्ट्र आंदोलित है। प्रधान मंत्री को आना चाहिए और इसके बारे में सभा को बताना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपने यह बात चार अथवा पाँच बार दोहराई है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : एक सप्ताह पहले जब यह समाचार प्रकाशित हुआ था, हमने मांग की थी प्रधान मंत्री को आना चाहिए और इस सभा को जानकारी देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हमें कैसे पता लगेगा कि आप इस मुद्दे को अब उठाने जा रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप स्पष्ट करें कि प्रश्न काल क्यों स्थगित किया जाये।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : सभी समाचार-पत्रों में यह समाचार छपा है। प्रधान मंत्री को चाहिए··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह नियम नहीं है।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : हम जिस बात पर जोर देना चाहते हैं वह यह है···

अध्यक्ष महोदय : मेरी कठिनाई यह है कि, मैंने निरन्तर चार दिनों से इस मुद्दे पर चर्चा करने का अवसर दिया है। आपने इस पर चर्चा नहीं की है। जब भी यह मुद्दा कार्यसूची में होता था, आपने पूरा-समय किसी और विषय पर चर्चा में निकाल दिया। आज भी हमने इस पर चर्चा के लिए दिन निर्धारित किया है आप कार्यसूची के अनुसार चर्चा नहीं कर रहे हैं, कार्यसूची के मुद्दे की उपेक्षा कर रहे हैं। आप आज इस पर चर्चा कर सकते हैं, फिर भी आज प्रश्न काल चलने नहीं दे रहे हैं। केवल आज से ही नहीं, पिछले चार दिनों से लगातार हम ऐसा कर रहे हैं। इतना ही नहीं। मैंने एक बार चेतावनी भी दी है, "यदि आप इस पर चर्चा नहीं करते हैं, तो मैं इसके लिए समय नियत नहीं करूंगा।" जब कभी भी इस मामले पर चर्चा नियत की जाती है, आप चर्चा नहीं करते और जब कभी यह मुद्दा कार्यसूची में नहीं होता, आप चर्चा करते हैं, जिसका मैं विरोध करता हूं।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम चर्चा करना चर्चा के उद्देश्य से नहीं चाहते। हम जांच, केवल जाँच के प्रयोजन से नहीं करवाना चाहते···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब चर्चा का वक्त आये तो आप यही चीज कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : परन्तु कृपा करके यह कहने दें कि हम केवल सत्य की तलाश में ही नहीं हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी चीजें भविष्य में न हो, और इस वजह से हम सच की तलाश में हैं। अब आप हमें बता रहे हैं, कि अगर जांच-पड़ताल करते समय, श्री हर्षद मेहता जैसे लोगों या जो लोग मंत्रालय में हैं उन्हें एहसास दिलाया जाएगा, कि भविष्य में ऐसी चीजों को स्वीकार किया जाएगा या हम कर्नाटक की सरकार को सी०बी०आई० द्वारा जांच करवाने के लिए मना नहीं करेंगे या हम ईमानदार अधिकारियों को भविष्य में इस मामले में कार्यवाही नहीं करने देंगे फिर उनको क्या महसूस होगा, या कैसे संकेत मिलेंगे ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब समय आए तो आप यह सब चीजें कह सकते हैं। मैंने समय निर्धारित कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम जांच-पड़ताल क्यों करते हैं ?…(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : अगर चर्चा हुई तो वह पूरे मुद्दे की उपेक्षा करने की चेष्टा करेंगे। (व्यवधान)…

अध्यक्ष महोदय : आज भी आप पंद्रह मिनट के बाद इस पर चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री निर्मला कान्ति चटर्जी : इसके साथ साथ ऐसी स्थिति बनानी चाहिए कि ऐसी चीजें न हों। ऐसे संकेत दिए जाने चाहिए ताकि ऐसी चीजें दोबारा न हों। वरना ऐसी चर्चा की कोई तर्क-संगतता नहीं रह जाएगी।

हम इस बात से चिन्तित हैं, और वित्त मन्त्रालय के अधिकारी भी, कि जो हो रहा है, उसके बावजूद, सभी अपवादों के बावजूद, देश में कुछ ऐसे संकेत ही मिल रहे हैं, कि अगर एक घोटाला पकड़ा जाता है, तो चिन्ता की कोई बात नहीं है, उनको दूसरे घोटाले करने की अनुमति है। ऐसी चर्चा का क्या उद्देश्य है ? ऐसी जाँच का क्या उद्देश्य है ? उस वजह से, हम प्रधानमन्त्री से आश्वासन चाहते हैं, कि सी० बी० आई० का कार्यभार किसके पास है।

आप जानते हैं कि सब प्रकार के संकेत किए जाते हैं। बोफोर्स के केस में भी, क्या आप हमें वास्तव में विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पहचान नहीं की जा सकती। क्या आप हमें और इस देश को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं, कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में, यह व्यक्ति अपने इस्तीफे देने की चेष्टा कर रहा है, क्योंकि उसे पद वृद्धि नहीं मिली ? कृपा कर इस देश के निवासियों और हमारे साथ ऐसा वर्ताव न करे…*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। और हम प्रधानमन्त्री से जो संकेत चाहते हैं वह यह है कि पूर्ण रूप से जाँच-पड़ताल होगी, वरना, संयुक्त संसदीय समिति भी व्यर्थ है, सच्चाई तक पहुंचने तक जाँच जारी रहेगी। इस वजह से हम प्रधानमन्त्री से इस समय यह आश्वासन चाहते हैं कि उन संकेतों का ऐसा मतलब नहीं है।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : अध्यक्ष जी, कल शाम को जब लोकसभा समाप्त हुई, तो हम लोग इस भूमिका में गए कि आपने एजेण्डा में अयोध्या के बारे में नियम 193 के अधीन चर्चा रखी थी, वह पूरी हो गई, अकाल के बारे में रखी थी वह भी पूरी हो गई और आज स्कैम के बारे में एजेंडा में है, उसकी चर्चा प्रारम्भ होगी। इसके लिए हम तैयारी करके आए हैं, लेकिन उसके बीच में जब रात को कल बात हुई, आज सारे देश को मालूम हुआ। आपने कहा सही है कि प्रधानमन्त्री को कैसे मालूम पड़ेगा, सरकार को कैसे मालूम पड़ेगा। अध्यक्ष जी, सरकार को तो मालूम ही है। सरकार ने इस सैंसिटिव सवाल···

अध्यक्ष महोदय : मेरे सवाल का जवाब नहीं, आप अपने तरीके से बोलिए।

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, जब तक जे०पी०सी० बनेगी और उसमें स्कैम की चर्चा होगी। हम लोग इस मूड में थे, बीच में नई बात आई है, जो इन्वैस्टीगेशन इन्चार्ज है, उनके रिटायर होने की नौबत आना, इससे मैं समझता हूं कि यह बात ठीक ढंग से नहीं चलेगी। इसीलिए बीच में जो बदल गया है, उसके बारे में सरकार से, प्राइम मिनिस्टर से स्टेटमेंट पहले यहाँ आना आवश्यक है। वह जब आएगा, तब आगे की चर्चा स्कैम के बारे में हो, तब वह सार्थक हो सकती है, जे०पी०सी० सार्थक हो सकती है। यह काम भी हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो। आज तीन सप्ताह हो गए हैं, फिर भी जे०पी०सी० के सदस्य···

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरी चीजों में व्यस्त थे।

श्री राम नाईक : यह सब एजेंडा में था, लेकिन यह करना जरूरी है, इसलिए पहले सरकार की ओर से स्टेटमेंट आ जाए और उसके बाद यहां चर्चा हो, ऐसा हमारा आग्रह है।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : अध्यक्ष महोदय, जब मैं विद्युत वित्त निगम के बारे में चर्चा करना चाहता था, आप ने कहा था कि यह आज की चर्चा का भाग हो सकता है। परन्तु आज हमें पता चला कि विद्युत वित्त-निगम में जाँच तथा यू०को० और फैयरग्रोथ के मामलों में की जा रही जाँच रोक दी गई है। यह षडयन्त्र पूरी जाँच को समाप्त करने के लिए किया गया है। इस चर्चा का क्या फायदा है, अगर इस बीच में वह इसे समाप्त कर देंगे। मैं इसे कल भी उठाना चाहता था, परन्तु आप ने कहा है कि यह आज की चर्चा का अंश है।

अध्यक्ष महोदय : मैं पन्द्रह मिनट के बाद आपको इसे उठाये जाने की अनुमति देता हूं।

श्री रूपचन्द पाल : यह उस जाँच पड़ताल का अंश था। अब इस सम्बन्ध में जाँच पड़ताल नहीं की जा रही है। यह जाँच को समाप्त करने के षड्यन्त्र का हिस्सा है।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) अगर वित्त मन्त्री पदासीन हैं तो, इस जाँच का कोई लाभ नहीं है।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : अध्यक्ष महोदय, आज मैं श्री माधवन का आभारी हूं, जिनकी कार्यवाही के कारण, कम से कम आज, सम्पूर्ण विपक्ष इस घोटाले की चर्चा करने के लिए, इकट्ठा हुआ है। जब हमारे हजारों देशवासी इस घोटाले की वजह से तबाह हो गए, तब विपक्ष ने इस मुद्दे पर चर्चा करने की चेष्टा कभी नहीं करी। किसी ने भी परवाह नहीं करी, मैं इस बात

का साक्षी हूं । हमें सत्तापक्ष और विपक्ष, दोनों के चरित्र को समझना चाहिए । अगर आप मुझे इस मुद्दे की यहाँ पर चर्चा करने की अनुमति नहीं देंगे, मैं संसद के बाहर एक बैठक बुलाऊँगा और वहाँ पर एक अनौपचारिक संसद सत्र आयोजित करूँगा । यह मत सोचो कि लोग हमें नहीं देख रहे हैं ।

प्रधान मन्त्री उस दिन सदन में इस मामले की गम्भीरता से चर्चा करने के लिए आए थे । इसको विपक्ष ने कितने प्रभावशाली रूप से खत्म किया गया, वह तो मैं सभा में पहले से ही कह चुका हूं । हमें ऐसे छल को खत्म कर देना चाहिए । अगर सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों कुछ नहीं करेंगे तो लोग चुप नहीं रहेंगे । यही वह वजह है जहाँ देश का संविधान कार्य करने में असमर्थ हो गया न कि अयोध्या में या कहीं और । जनता ने हमें अनेक धन का संरक्षक बनाया है । परन्तु दोनों ही पक्षों, सत्ता पक्ष विपक्ष ने अपना कार्य ठीक से नहीं किया । इस वजह से, अगर हम कार्य नहीं कर रहे हैं, और हम इसका समाधान पाने में असमर्थ रहे हैं, तो सम्भव है जनता सेना से प्रशासन संभालने को कहे । वह उस हद तक भी जा सकते हैं । इस वजह से, यही अवसर है, कि जब सेना राज्य के कार्य में दखल दे सकती है । अगर विपक्ष जिम्मेदारी से कार्य नहीं करता, तो मुझे यकीन है कि लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे । वह जानते हैं कि इन विपक्ष के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए । अतः आप दलगत भावना से ऊपर उठकर चर्चा की अनुमति दें ताकि सच्चाई सामने आ सके । घोटाला आज नहीं शुरू हुआ । यह चार या पाँच साल पहले शुरू हुआ था । आप पिछले तीन या चार सालों से ऐसा होने दे रहे हैं । मेरे पास यह सूचना है कि केवल सत्ता दल के सदस्य ही नहीं, परन्तु विपक्ष के लोग भी इस घोटाले में शामिल हैं, जिनकी दलालों के साथ दोस्ती या जान पहचान है ।(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मेरे 388 का क्या हुआ ? (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन यह है कि हमको 388 का नोटिस इसलिए देना पड़ा, वैसे तो आमतौर से यह नहीं होना चाहिए कि प्रश्न-काल स्थगित किया जाए । लेकिन यह कितना महत्वपूर्ण मामला है और माधवन के बारे में लोग जानते हैं, जो उसका पुराना रिकार्ड है मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता । उसके कारण आज सारा देश चिन्तित हो गया है इसलिए अगर आपके पास सुओ मोटू स्टेटमेंट देने के लिए मिनिस्टर या प्रधानमन्त्री का नोटिस आ जाता कि हम इस महत्वपूर्ण मामले में स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि आज जो सदन के अन्दर आपने गुस्सा देखा है या सदस्यों की भावनाएँ देखी हैं उसको सही रास्ते पर लाया जा सकता था ।

दूसरा मेरा कहना यह है कि माधवन के इस्तीफे के कारण, पालिटिकल प्रेशर के कारण सरकार उन अफसरों का भी एक रोंग सिगनल देना चाहती है जो इसके अन्दर जांच कर रहे हैं कि अगर आपने हमारा कहना नहीं माना तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो माधवन का हो रहा है । इसलिए मेरा कहना यह है कि हम माधवन के काण्ड के बाद अगर माधवन को वापस नहीं लाया गया, अगर माधवन पर जांच का काम जारी नहीं रखा गया तो मेरा यह निश्चित मानना है कि यह जो आफिसर जांच के अन्दर लगे हुए हैं उनको यह सरकार एक तरफ से डराना, धमकाना चाहती है इसलिए भी यह जरूरी है कि इसके ऊपर पहले प्राइम मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आना चाहिए और उसके बाद फिर बहस यूसफूल होगी, मेरा यह निवेदन है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न-काल समाप्त होने वाला है । (व्यवधान) आपने प्रश्न-काल स्थगित करने का प्रस्ताव नहीं माना, लेकिन प्रश्न-काल स्थगित हो गया ।

मेरा यह निवेदन है कि क्या यह प्रक्रिया ठीक है, क्या सदन इस तरह से चलेगा ? आज विषय सूची में बैंकिंग स्केम पर चर्चा है।

12.00 **मध्याह्न**

प्रश्नकाल के तुरन्त बाद इस चर्चा को लिया जा सकता था। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं, मैं पहले भी इस बात पर बल दे चुका हूं कि प्रश्नकाल होने देना चाहिए। (**व्यवधान**)

आप समर्थन मत करिए, क्योंकि आपके समर्थन से मेरा केस बिगड़ जाता है। (**व्यवधान**)

मुझे मालूम है कि विरोधी दल के नेता ने कहा, क्योंकि इस सदन में क्षमा करिए, देश में भी, मैं सदन के किसी विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं करना चाहता, एक प्रतियोगिता चल रही है कि कौन पहले अपनी बात कहता है। क्या इसके लिए प्रश्नकाल करना जरूरी है ?

मेरे मित्र जार्ज फर्नान्डीज कोई मामला उठाना चाहते हैं और किसी मामले पर बड़ी तीव्रता से अनुभव करते हैं, हम भी करते हैं, मगर इस सदन में वह तीव्रता किस तरह से प्रकट होनी चाहिए, अध्यक्ष महोदय, इस पर गम्भीरता से विचार करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अगर प्रतियोगिता चलेगी तो आप अगर प्रश्नकाल स्थगित करने की मांग करेंगे तो हम भी मांग करेंगे। क्या 11 बजे जो चर्चा हुई और 1 बजे से लेकर अब तक जो चर्चा चली, वह चर्चा 12 बजे के बाद नहीं हो सकती थी ? क्या वह चर्चा अब नहीं ली जा सकती थी ?

[**अनुवाद**]

श्री निर्मल कांत चटर्जी : आप श्री आडवाणी जी को यह सब बताएँ।

[**हिन्दी**]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप मेरा मुंह बन्द करने की कोशिश मत करिए। कई बार ऐसे अवसर आए हैं कि हमने प्रश्नकाल स्थगित करने की मांग नहीं की, लेकिन हमने दूसरे दिन देखा कि इस तरह से प्रचार की एक हवा पैदा की जाती है मानो किसी एक दल को और उसमें भी किसी एक व्यक्ति को बैंकिंग स्कैम की ज्यादा चिन्ता है, हमें नहीं है। हमें भी चिन्ता है, मगर उसके साथ-साथ हमें सदन की मर्यादाओं की भी चिंता है। आखिर प्रश्नकाल क्यों नहीं होना चाए ? (**व्यवधान**)

आप फिर तालियां बजा रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी, इसमें तालियां बजाने दीजिए उनको, आप बहुत अच्छी बात बोल रहे है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं अच्छी बात बोल रहा हूं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, यहां जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, वे जब विधान सभाओं में विरोधी दल में होते हैं तो यही कर्म करते हैं। यह प्रतियोगिता की राजनीति यहीं तक सीमित नहीं है। मैंने एक बार अनुग्रह किया था, अनुरोध किया था कि सदन किस तरह से चले, केवल यह सदन नहीं, देश की संसद, विधानमण्डल किस तरह से चलें, इस पर आज एक मतैक्य करने की जरूरत है। एक आचरण मानदण्ड स्थापित करने की जरूरत है। आज अगर कांग्रेस यहां सत्ता में है तो कई प्रदेशों में कांग्रेस विपक्ष में है, हम यहां विपक्ष में हैं तो कई प्रदेशों में सत्ता में हैं और सभी दलों पर यह बात लागू होती है, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि इस सदन में एक मानदण्ड हो और पश्चिमी बंगाल में दूसरा मानदण्ड हो।

श्री वासुदेव आचार्य : राजस्थान में ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कहीं भी, मैं आप से सहमत हूं, यह चीज मुझे पीड़ा पहुंचाती है, 11 बजे खड़े होकर किसी मामले पर बहस की मांग करना, माफ करिए, कोई इसके लिए बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता या वीरता की जरूरत नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : माधवन जैसे मामले होते हैं, तब जरूरत होती है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : माधवन आखिर सी०बी०आई० के एक अफसर हैं, सी०बी०आई० के अफसर के बारे में समाचार अखबारों में छपा है, गम्भीर है, चर्चा का विषय होना चाहिए, मगर सी० बी० आई० का एक आफिसर इस सारे सदन में खलबली पैदा कर दे, प्रश्नकाल स्थगित, अनियमित बहस जारी, माधवन-माधवन। (व्यवधान)

माधवन के बारे में जो खबर छपी है, मैं भी उस पर प्रश्न पूछना चाहता हूं, मगर प्रश्न पूछने का तरीका क्या हो, तरीका क्या होना चाहिए। (व्यवधान)

इस मामले पर बहस हो रही है, बारह बजे बहस ली जाने वाली है, तो इसका क्या औचित्य है। मैं चाहता हूं कि इन्द्रजीत गुप्त, चन्द्रजीत यादव बताएँ कि इस सदन में मामले किस तरह से उठाए जाएँ। और अगर यही होगा, 11 बजे मामले उठाने हैं तो हम लोग भी पीछे रहने वाले नहीं हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी बोल रहे हैं, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन कर रहा हूं आप इस सम्बन्ध में अभी फैसला न करिए, कल करिए, कभी भी करिए मगर यह सिलसिला बन्द होना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। मैं वाजपेयी जी की भावना के साथ 100 प्रतिशत अपनी भावना जोड़ता हूं। अगर हाउस में मैं किसी के प्रति अपराधी महसूस कर रहा हूं तो वाजपेयी साहब के विचारों के प्रति मैं खुद को अपराधी महसूस कर रहा हूं। क्योंकि हमने कहा था कि आपको इसके ऊपर बोलने का टाईम दिया जाएगा, 12 बजे टाईम दिया जायेगा। मैं यह बात भी साफ करूंगा कि आडवाणी जी ने मुझे कहा था कि मैं प्रश्नकाल कैंसिल करने के पक्ष में नहीं हूं, मगर सब लोग बोल रहे हैं, हमारी बात पीछे रह जाएगी, यह भी अच्छी बात नहीं है। यह उन्होंने कहा था। उनके प्रति भी मुझे यह कहना बहुत जरूरी है कि उन्होंने कहा मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं, मगर सब लोग कहेंगे और हम बड़ी से बड़ी पार्टी होकर न बोलें, नेता होकर भी न बोलें तो ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : हमारी पार्टी के लोगों ने 388 के तहत् नोटिस दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले बैठ जाइये।...

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या हमने कोई मामूली मसला उठाया है ? (व्यवधान)

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारत व्यापार संवर्धन संगठन

[हिन्दी]

*347. श्री केशरी लाल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण (जिसका नया नाम भारत व्यापार संवर्धन संगठन है) को वर्ष 1991-92 के दौरान कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की थी ;

(ख) भारत व्यापार संवर्धन संगठन को चालू वर्ष के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है या दी जानी है ;

(ग) क्या सरकार का इस सहायता में कटौती करने का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या भारत व्यापार संवर्धन संगठन ने अपने सेवा-शुल्क दर में वृद्धि की है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) भूतपूर्व ट्रेड फेअर अथारिटी आफ इंडिया (अब इंडिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन का भाग) को सरकार ने 1991-92 में जो वित्तीय सहायता दी और 1992-93 के लिए जो बजट प्रावधान किया गया है उसके आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

	(लाख रुपयों में)
1991-92	1610
1992-93	1500

(ग) से (च) सरकार ने हाल ही में राजकीय आर्थिक सहायता कम करने की जो नीति अपनाई है उसके अनुसार इंडिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन को भी वित्तीय सहायता कम कर दी गई है। फलस्वरूप, इंडिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन ने भी विदेशी मेलों में भाग लेने की लागत पर अपनी आर्थिक सहायता का प्रतिशत घटा दिया है और उसके कारण मेलों में भाग लेने वालों को भागीदारी शुल्क अधिक देना होगा। भागीदारी शुल्क में वृद्धि 20 प्रतिशत से लेकर 220 प्रतिशत रहेगी और यह कई बातों पर निर्भर करेगी—जैसे मेले की लोकप्रियता, उसकी स्थिति/स्थान और भागीदारों की उसके प्रति प्रतिक्रिया। घरेलू मेलो के मामलों में किराए को 25 से लेकर 80 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है जो कि कई बातों पर निर्भर है, जैसे निवेश सामग्री की लागत, मेला कब कब होता है और मेला तथा मेले से जुड़ी बातें कितने खरीदार—विक्रेता आकर्षित करती है, आदि।

औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड

[अनुवाद]

*348. प्रो० रीता वर्मा :

श्री बलराज पासी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 में संशोधन करने के सम्बन्ध में औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा दिये गये सुझाव पर क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ; और

(ख) इस बोर्ड के गठन से लेकर अब तक की इसकी उपलब्धियां क्या हैं और उक्त अधिनियम के अंतर्गत इसको दी गई भूमिका का इसने किस हद तक निर्वाह किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 में विस्तृत संशोधनों सहित एक विधेयक राज्य सभा में दिनांक 14 मई, 1992 को प्रस्तुत किया गया है।

(ख) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के तहत स्थापित औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड बड़े तथा मझोले क्षेत्र की रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के लिए उनकी अर्थ-क्षमता को बहाल करने के वास्ते पुनर्वास पैकेज तैयार करने के प्रयास करता है। तथापि, जहां औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड इस निर्णय पर पहुंचता है कि कम्पनियां स्पष्ट रूप से अर्थक्षम नहीं हैं, वह उनके परिसमापन की सिफारिश करती है।

बी० आई० एफ० आर० ने सूचित किया है कि दिनांक 15 जुलाई, 1992 तक स्थिति के अनुसार, उसके पास दर्ज किये गये 1219 मामलों में से 202 मामलों को न चलाये जाने योग्य समझ कर खारिज कर दिया गया था और 1017 मामले बाकी रह गये थे। इनमें से पुनरुज्जीवन सम्बन्धी 253 योजनाएं उक्त अधिनियम की धारा 18(4) के अन्तर्गत मंजूर कर दी गयी हैं और अन्य 133 योजनाओं को इस अधिनियम की धारा 17(2) के तहत अनुमोदित कर दिया गया है ताकि कंपनियां अपनी योजनाओं को कार्यान्वित कर सकें। 176 मामलों में परिसमापन की सिफारिश की गयी है, उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय से प्राप्त 3 संदर्भ निपटा दिये गये हैं और एक मामले में उक्त अधिनियम की धारा 20(4) के अतर्गत कंपनी को परिसंपत्तियों की बिक्री करने के आदेश दिये गये हैं।

सामान्य भविष्य निधि में जमाराशियों पर ब्याज

*350. **श्री शशि प्रकाश :**

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991 तक सामान्य भविष्य निधि को जमाराशियों पर मिलने वाली ब्याज दर बैंकों में दीर्घावधि के लिए जमा की जाने वाली जमाराशियों पर मिलने वाली ब्याज दर से अधिक थी ;

(ख) क्या इस समय बैंकों में दीर्घावधि जमाराशियों पर ब्याज दर सामान्य भविष्य निधि की जमाराशियों की ब्याज दर से अधिक है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सामान्य भविष्य निधि के मामले में ब्याज दर को भूतलक्षी प्रभाव से बढ़ाने का विचार है ताकि इस बचत को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकें ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोटदुखे) : (क) और (ख) 13.4.1991 से पूर्व बैंकों में सावधि जमाराशियों पर अधिकतम ब्याज-दर 11 प्रतिशत थी। 13.4.1991 से यह बढ़ाकर

12 प्रतिशत और 4.7.1991 से 13 प्रतिशत कर दी गई थी, जबकि सामान्य भविष्य निधि संचयन पर देय ब्याज 12 प्रतिशत था।

(ग) और (घ) जी, नहीं। बैंक जमाराशियों और भविष्य निधियों पर ब्याज दरें पूर्णतया तुलनीय नहीं हैं क्योंकि भविष्य निधियों के सम्बन्ध में बहुत से अन्य लाभ प्राप्त हैं।

महाराष्ट्र में सहकारी कताई मिलों को ऋण

*351. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से इस आशय का कोई अनुरोध मिला है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र में 40 कताई मिलों की स्थापना हेतु सहकारी कताई मिलों को केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं से दीर्घावधि ऋण दिलाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलौत) (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त पत्र में यह सुझाव दिया गया है कि वित्तीय संस्थानों को प्रस्तावित 40 सहकारी कताई मिलों में से 30 मिलों की 50 प्रतिशत तक की लागत को कवर करने के लिए दीर्घावधिक ऋण प्रदान करने के लिए सहमत होना चाहिए।

इस मामले की वित्तीय संस्थानों के साथ उठाया गया है।

अवैध रूप से लाई गयी चांदी

[हिन्दी]

*352. श्री फूलचन्द वर्मा :

श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चालू वर्ष के दौरान प्रतिमाह कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की अवैध रूप से लाई गयी चांदी जब्त की गयी और उन स्थानों का ब्यौरा क्या है, जहां यह जब्त की गयी;

(ख) प्रत्येक मामले में पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या क्या है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में तस्करों के कुछ गिरोहों के शामिल होने का भी पता चला है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन तस्करों का तस्करी करने का ढंग क्या है; और

(ङ) इस प्रकार की तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) उपलब्ध रिपोर्टों से पता चलता है कि सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा दर्ज किये गये 51* मामलों में, चालू वर्ष

के दौरान देश में चांदी की तस्करी के सिलसिले में पकड़ी गयी अवैध चांदी की मात्रा और उसका मूल्य तथा इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या का महीनेवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

*1992	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	मात्रा (मीट्रिक टनों में)	मूल्य करोड़ रुपयों में)
जनवरी	21	12.07	10.24
फरवरी	45	14.82	11.58
मार्च	37	29.51	23.72
अप्रैल	24	1.28	0.79
मई	21	4.83	3.90
जून	44	9.56	7.06

* ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

ये अभिग्रहण अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों, समुद्री पत्तनों और भू-सीमाशुल्क चौकियों तथा देश के विभिन्न स्थानों पर किये गये हैं।

देश में तस्करी के जरिये लाई जा रही चांदी अधिकांशतः दुबई और सिंगापुर मूल की होती है। इस प्रकार की जाने वाली तस्करी में जिस मुख्य कार्य-प्रणाली को अपनाया जाता है उसका पता लगा लिया गया है और इसमें भू-सीमाओं को चोरी-छिपे पार करना तथा समुद्री तट पर अवतरण करना; वायुयान/जलयान से लाये जाने वाले कार्गो/कंटेनरों और भारतीय समुद्री पत्तनों पर पहुंचने वाले जलयानों में चांदी छुपाकर रखना, आदि शामिल हैं।

(ङ) सीमाशुल्क अधिकारी चांदी की तस्करी सहित सभी प्रकार की तस्करी की गतिविधियों की रोकथाम के लिए सतर्क रहते है। तस्करी की गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों पर निगरानी रखने के लिए आसूचना तंत्र को सुदृढ़ कर दिया जाता है और तस्करी का पता लगाने और उसकी रोकथाम में लगी सभी संबंधित एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ तालमेल रखा जाता है।

[अनुवाद]

कपड़ा और पटसन मिलों का आधुनिकीकरण

*353. श्री जायनल अबेदिन :

श्री जी० पाडे गौडा :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'वस्त्र आधुनिकीकरण योजना' और 'पटसन आधुनिकीकरण कोष' के अन्तर्गत 1991 के दौरान और 1992 में अब तक मिल-वार और वर्ष-वार कपड़ा और पटसन मिलों के आधुनिकीकरण के लिए कितनी धनराशि दी गई है ;

(ख) क्या ये मिलें आधुनिकीकरण के बाद मुनाफे में चल रही हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) इन मिलों का आधुनिकीकरण होने के फलस्वरूप मिल-वार और वर्ष-वार कितने कामगारों की छंटनी की गई ;

(ङ) वर्ष 1992-93 के दौरान राज्य-वार कितने कपड़ा। पटसन मिलों का आधुनिकीकरण किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) चालू वर्ष के दौरान मिल-वार दी जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना और पटसन आधुनिकीकरण निधि योजना के अन्तर्गत 1991 और 1992 के दौरान वस्त्र और पटसन मिलों के आधुनिकीकरण के लिये प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना के अन्तर्गत (करोड़ रु० में)

क्र० सं०	वर्ष	स्वीकृत सहायता	संवितरित सहायता	सहायता प्राप्त एकक
1.	1990-91 (अप्रैल-मार्च)	273	1 1	28
2.	1991-92 (अप्रैल-मार्च)	45	119	92

पटसन आधुनिकीकरण निधि योजना के अन्तर्गत (करोड़ रु० में)

क्र० सं०	वर्ष	स्वीकृत धन राशि	संवितरित धनराशि	सहायता प्राप्त एकक
1.	1990-91	12.25	5.27	4
2.	1991-92	4.52	5.64	1

(ख) और (ग) मिलों के आधुनिकीकरण के फलस्वरूप सामान्यतः समग्र मशीनी कार्य कुशलता और श्रम उत्पादकता में सुधार, उत्पादन क्वालिटी में सुधार, अपव्यय में कमी, बेहतर मूल्य वसूली और लाभप्रदता सुनिश्चित होती हैं। अलग-अलग एककों की आवश्यकता और उनके आधुनिकीकरण के लाभ भिन्न-भिन्न होते हैं। इन परिस्थितियों आधुनिकीकरण के लाभों की मात्रा का अनुमान लगा पाना कठिन है। अनेक सहायता प्राप्त मिलों ने अपने निष्पादन में विभिन्न स्तरों में सुधार किया है।

(घ) योजनाओं के अन्तर्गत आधुनिकीकरण से अनेक मिलें लाभप्रद बनी रही हैं और उसके फलस्वरूप इन एककों के कामगारों के रोजगार सुरक्षित हैं। वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त 357 एककों में से 23 एककों के लिये आधुनिकीकरण योजना तैयार की गई है। जिसमें 16.135 कामगारों को सुव्यवस्थित करने की परिकल्पना की गई हैं। तथापि, पटसन आधुनिकीकरण निधि योजना में कामगारों की किसी प्रकार की छंटनी की परिकल्पनानहीं की गई है।

(ङ) और (च) वस्त्र मिलों का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है और वस्त्र मिलों सहित औद्योगिक एकक को प्रदान की जाने वाली आधुनिकीकरण सहायता की मात्रा उसकी आवश्यकता तथा संस्थानों के अर्थक्षमता वित्तीय मानकों को पूरा करने की योग्यता पर निर्भर करती है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निर्धारित की गई राशि

*354. **श्री अन्ना जोशी** :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास

और रख-रखाव तथा नये राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रख-रखाव एक सतत कार्य है और ये कार्य वार्षिक योजनाओं/पंचवर्षीय योजना के आधार पर किए जा रहे हैं जो प्रत्येक परियोजना की पारस्परिक प्राथमिकता, यातायात साघनता तथा वर्ष दर वर्ष निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। आठवीं योजना में राष्ट्रीय राजमार्गों सहित केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत 7.836 करोड़ रु० की आवश्यकता परियोजित की गई है किन्तु योजना आयोग 2.600 करोड़ रु० के परिव्यय के लिए सहमत हुआ है। इसमें से 2460.00 करोड़ रु० का परिव्यय मौजूदा एवम् आठवीं योजना में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए उपलब्ध है। इस परिव्यय का एक बड़ा हिस्सा मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर चल रही स्कीमों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। निधियों की कमी तथा विभिन्न राज्यों में शुरू किए जाने वाले आवश्यक विकास कार्यों की बड़ी संख्या के कारण आठवी योजना में किए जाने वाले विकास कार्यों मे सम्बन्धित कार्यक्रम को अभी योजना आयोग के साथ परामर्श करके तैयार किया जाना है। चालू वर्ष 1992-93 के दौरान मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 438.87 करोड़ रु० का प्रावधान उपलब्ध है।

जहां तक नए राष्ट्रीय राजमार्गों का संबन्ध है आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने 135 प्रस्ताव भेजे हैं जिनमें लगभग 37,565 कि० मी० लम्बी सड़कें शामिल हैं। सभी प्रस्तावों की विस्तृत जांच करने के प्रयोजन से राज्य सरकारों से निर्धारित प्रपत्र में पूरे ब्यौरे/औचित्य इत्यादि का उल्लेख करते हुए प्रत्येक प्रस्ताव के बारे में सूचना देने का अनुरोध किया गया है। यह सूचना अभी भी अनेक राज्यों से आनी शेष हैं। इसके अतिरिक्त निधियां भी सीमित हैं। इसलिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अभी से योजना तैयार करना समय पूर्व होगा।

रख-रखाव के लिए जो कि एक गैर-योजनागत कार्य है, आवंटन वर्ष दर वर्ष किए जाते हैं। चालू वर्ष 1992-93 के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव हेतु 169.67 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है।

मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986

*355. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय मुस्लिम स्वीय विधि बोर्ड से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें प्रस्ताव किया गया है कि मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986 में संशोधन किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) इस अधिनियम की वैधानिकता तथा इसके निर्वचन के मुद्दों से सम्बन्धित उच्चतम न्यायालय में निर्णयाधीन ऐसे लम्बित मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है जिनमें सरकार भी एक वादी है ; और

(घ) सरकार द्वारा इन मामलों की सुनवाई शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाए जाने हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) और (ख) जी हां। अखिल भारतीय मुस्लिम स्वीय विधि बोर्ड ने, सरकार से अन्य बातों के साथ-साथ (i) उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986 की सांविधानिकता का प्रतिवाद करने के लिए स्पष्ट अनुदेश जारी करने, और (ii) अधिनियम में बोर्ड द्वारा सुझाए गए विभिन्न संशोधन कराने का अनुरोध किया है। सरकार ने अधिनियम की सांविधानिकता का प्रतिवाद करने के लिए अपने काउंसेल को आवश्यक अनुदेश जारी किए हैं। इस समय, जैसा कि बोर्ड द्वारा सुझाव दिया गया है, अधिनियम का संशोधन करना समुचित नहीं समझा गया है।

(ग) और (घ) मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986 की सांविधानिकता को रिट अर्जी (सिविल) सं० 996/86-फक्रुन्निसा नागोरी-बनाम-भारत संघ और अन्य में चुनौती दी गयी है जो भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है। भारत संघ ने अपना प्रति शपथ पत्र फाइल किया है। इस मामले को, संविधान पीठ को सुनवाई और अंतिम निपटारे के लिए भेज दिया गया है। कुछ अन्य रिट अर्जियां भी जो इससे सम्बन्धित थीं एक साथ जोड़ दी गयी हैं और संविधान पीठ को भेज दी गयी हैं। जब ये मामले सुनवाई के लिए सामने आएंगे तब उसमें प्रतिवाद किया जाएगा।

पुरानी पूंजीगत वस्तुएं

*356. श्री बी० देवराजन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में बड़ी मात्रा में पुरानी पूंजीगत वस्तुएं लाई जा रही हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में तथ्यों की जांच करने के लिए कोई उच्चाधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की गयी है ;

(ग) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) बड़ी मात्रा में पुरानी पूंजीगत वस्तुओं को लाए जाने का कोई मामला सामने नहीं आया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

लौह अयस्क का निर्यात

[हिन्दी]

*357. श्री मृत्युंजय नायक :

श्री आनन्द अहिरवार :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लौह अयस्क के निर्यात को बन्द करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान लौह अयस्क के निर्यात के लिए कोई नए करार करने का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार का विचार लौह अयस्क पर आधारित उद्योगों के विकास-संबंधी कोई योजना तैयार करने का भी है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) घरेलू जरूरतों से अधिक बेशी लौह अयस्क का निर्यात करने की अनुमति देने का विचार है और इसीलिए एम० एम० टी० सी० और अन्य निर्यातकर्ता वर्तमान निर्यात और आयात नीति के अनुसार नए संविदा कर सकते हैं।

(ङ) और (च) यद्यपि इस समय लौह अयस्क पर आधारित उद्योगों के विकास के लिए कोई योजना तैयार करने का प्रस्ताव नहीं है, फिर भी सरकार लौह अयस्क पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देती है।

अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के न्यायाधीशों की नियुक्ति

*358. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :**

श्री कृष्णा दत्त सुल्तानपुरी :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजावियों की ओर से कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें अनुरोध किया गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार का विचार इन न्यायालयों में रिक्त पदों को भरते समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) और (ख) संसद सदस्यों, विधिज्ञ संगमों, विधिज्ञ परिषदों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदि के कल्याण के लिए संगठनों और संगमों से, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की बाबत अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत

के संविधान के क्रमशः अनुच्छेद 127 और 217 के निबंधनों के अनुसार की जाती है जिसमें किसी जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण का कोई उपबंध नहीं है।

राज्यों के मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध किया गया है कि वे विधिज्ञ समुदाय में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, महिला आदि के ऐसे व्यक्तियों का पता लगाएं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हों।

बैंकों के लिए परिसम्पत्ति-जोखिम अनुपात पद्धति

[अनुवाद]

*359. **श्री ताराचन्द खंडेलवाल :**

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने पूंजी पर्याप्तता उपाय के रूप में बैंकों के लिए परिसम्पत्ति जोखिम अनुपात पद्धति शुरू करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित पद्धति का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) विभिन्न बैंकों में अनियमितताओं को रोकने में प्रस्तावित पद्धति किस हद तक सहायक होगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क से ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने पर्याप्तता के एक उपाय के रूप में भारत में बैंकों (विदेशी बैंको सहित) के लिए परिसम्पत्ति जोखिम अनुपात प्रणाली शुरू करने के वास्ते अप्रैल, 1992 में अनुदेश जारी किए थे। इस प्रणाली के अन्तर्गत, बैंकों की तुलन पत्र आस्तियों, गैर-निधि मदों और तुलन-पत्र से भिन्न अन्य एक्सपोजरों को निर्धारित जोखिम की मात्रा के अनुसार महत्त्व दिया जाएगा। बैंकों को निरन्तर आधार पर जोखिम भारित परिसम्पत्तियों और अन्य एक्सपोजरों के योग के आधार पर निर्धारित अनुपात के बराबर न्यूनतम पूंजी निधि बनाए रखना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार, विदेशों में शाखाओं वाले भारतीय बैंकों को अधिक से अधिक 31 मार्च, 1994 तक 8% का मानदण्ड प्राप्त करना है। भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों को 8% का मानदण्ड 31 मार्च, 1993 तक प्राप्त करना है। अन्य बैंकों को 4% पूंजी पर्याप्तता का मानदण्ड 31 मार्च, 1993 तक और 8% का मानदण्ड 31 मार्च, 1996 तक प्राप्त करना है।

परिसम्पत्ति जोखिम अनुपात प्रणाली पूंजी पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रथाओं के अनुसार शुरू की जा रही है। इस प्रणाली से वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने में मदद मिलती है और इसका उद्देश्य अनियमितताओं को नियन्त्रित करना नहीं है।

सड़कों को एक्सप्रेस मार्गों में बदलना

[हिन्दी]

*360. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**

क्या **जल, भूतल परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1992-93 के दौरान कुछ और सड़कों को राष्ट्रीय एक्सप्रेस मार्ग प्रणाली में सम्मिलित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) आठवीं योजना में केन्द्रीय क्षेत्र सड़क कार्य क्रमों के लिए 7,830 करोड़ रु० की राशि परियोजित की गई किन्तु योजना आयोग ने इसके लिए 2600 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की है। इस परिव्यय के एक बड़े हिस्से का उपयोग मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर चल रहे विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए किया जायेगा। एक्सप्रैसवेज के विकास पर होने वाले भारी खर्च और धनराशि की सामान्य कमी को देखते हुए अभी से इस बात का संकेत नहीं दिया जा सकता कि 1992-93 के दौरान किसी नए राष्ट्रीय एक्सप्रैसवे बनाने सम्बन्धी कार्य को हाथ में लिया जा सकेगा अथवा नहीं।

शेयरों तथा ऋण पत्रों का गुम होना

[अनुवाद]

*361. **श्री शरद यादव** :

श्री चन्द्रजीत यादव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० के "वाल्ट" से 2.60 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर तथा ऋणपत्र गुम पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई है ;

(घ) यदि हां, तो जांच का क्या निष्कर्ष निकला है ; और

(ङ) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ङ) स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० ने सूचित किया है कि उनकी तिजोरी से शेयरों और ऋण-पत्रों के पावती पत्र स्क्रिप्स गुम नहीं हुए हैं। तथापि एस० एच० सी० आई० एल० को यह ज्ञात हुआ है कि एक पत्रवाहक एजेंसी के माध्यम से भेजे गए 2.79 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर और ऋण-पत्र प्रमाण-पत्रों का कुछ प्रेषण (कन्साइनमेंट) संबंधित कंपनियों को नहीं दिया गया था। उक्त एजेंसी ने इन कंपनियों को स्क्रिप्स के अर्पण के जाली पावती पत्र एस० एच० सी० आई० एल० को पेश किये थे।

कंपनी कार्य विभाग ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209-क के अधीन एस० एच० सी० आई० एल० के बहीं खाते का निरीक्षण किया है। जांच से पता चला है कि पत्रवाहक एजेंसी ने सम्बन्धित कंपनियों के शेयरों और ऋण-पत्र स्क्रिप्स की सुपुर्दगी की जाली प्राप्ति रसीदें कपटपूर्ण ढग से एस० एच० सी० आई० एल० को भेजी थीं।

एस० एच० सी० आई० एल० ने कंपनियों से शेयरों और ऋण-पत्रों के 2.14 करोड़ रुपए के प्रतिरूप प्रमाण-पत्र और एक कम्पनी से 67,300/- रुपए मूल्य के मूल प्रमाण-पत्र प्राप्त किये हैं। प्रति-

रूप प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए शेष कंपनियों के साथ पत्र-व्यवहार चल रहा है। एस० एच० सी० आई० एल० ने बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता में भी पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है।

दिल्ली परिवहन निगम को घाटा

[हिन्दी]

*362. **श्री मदनलाल खुराना :**

श्री गया प्रसाद कोरी :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम की बसों के किराये में हुई शत-प्रतिशत वृद्धि के बावजूद वित्त वर्ष 1992-93 के दौरान निगम के शुद्ध घाटे में वृद्धि होने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितना शुद्ध घाटा होने का अनुमान है ;

(ग) इस घाटे में लगातार वृद्धि होने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने अपनी बसों की संख्या में कमी करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान दिल्ली परिवहन निगम का कुल अनुमानित निवल घाटा 217 करोड़ रु० है। इसमें ब्याज और मूल्य ह्रास की राशि भी शामिल है।

(ग) घाटे के कारणों में (क) दिल्ली परिवहन निगम का अलाभ कर भाड़ा ढांचा (ख) श्रम तथा निवेश की बढ़ती हुई लागत (ग) रियायती पासों द्वारा छात्रों और समाज के कमजोर वर्गों को दी गई रियायतें सरकार द्वारा दिए गये ऋणों पर ब्याज का भारी बोझ शामिल है।

(घ) और (ङ) दिल्ली परिवहन निगम के बस बेड़े को कम करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात

*363. **श्री सत्यदेव सिंह :**

श्री एन०जे० राठवा :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रति वर्ष उचित सुविधाओं के अभाव में करोड़ों रुपये मूल्य के फल, सब्जी और अन्य खाद्य वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कौन से उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार का प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने हेतु एक व्यापक नीति तैयार करने का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में एसोसियेटिड चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री से भी सुझाव मिले हैं ; और

(च) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री प्रो० पी०जे० कुरियन) : (क) और (ख) फलों और सब्जियों की बरबादी के बारे में कोई अधिकृत सूचना तो उपलब्ध नहीं है लेकिन यह अनुमान है कि हर साल 300 करोड़ रुपये के फल और सब्जियां नष्ट हो जाते हैं और इसका कारण यह है कि फसल के समय इनका ठीक से रखरखाव नहीं होता और साथ ही उपज-कर्ताओं और संसाधकों अर्थात् प्रोसेसरों का तथा ताजे फलों और सब्जी बाजारों का आपस में ठीक संयोजन नहीं होता। नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड ऐसी अनेक योजनाएँ लागू कर रहा है जिनके आधार पर फसल-बाद की बुनियादी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं और फसल-बाद का नुकसान बचाया जा सकेगा।

(ग) से (च) "संसाधित खाद्य पदार्थों को निर्यात के लिए विशेष बल क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया गया है। सरकार ने इस क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार की है और इस सम्बन्ध में संसाधित खाद्य पदार्थ उद्योग से परामर्श किया गया है तथा एसोसिएटिड चेम्बर्स ऑफ कामर्स ऐण्ड इण्डस्ट्री से प्राप्त सुझावों को भी भलीभांति ध्यान में रखा गया है। इस संबंध में अपनाई गई रणनीति में बुनियादी तौर पर यह यह बातें शामिल हैं : हमारे संसाधित खाद्य पदार्थों को कीमत की दृष्टि से अधिक प्रतियोगी बनाना और उसके लिए विभिन्न उत्पादन निवेशों को उचित कीमत पर उपलब्ध कराना तथा बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना।

बादाम का आयात

*364. **श्री दाऊ दयाल जोशी** :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष किन-किन देशों में कितनी-कितनी मात्रा में किस-किस मूल्य पर बादाम आयात किया गया तथा इस पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान बादाम का आयात करने तथा इसका उत्पादन बढाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (प्रो०पी०जे० कुरियन) : (क) एक विवरण-पत्र संलग्न है जिसमें बादाम के आयात की मात्रा और मूल्य तथा जिन देशों से आयात किए गए हों उनके नाम दिए गए हैं। यह सूचना 1987-88, 1988-89 तथा 1990-91 अर्थात् उन वर्षों के लिए है जिनके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं।

(ख) बादाम का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से बादाम उत्पादक राज्य बादाम उत्पादकों को अनेक सुविधाएँ दे रहे हैं, जैसे राजकीय आर्थिक सहायता के आधार पर उत्पादन निवेश सामग्री, अच्छी किस्म की पौध रोपण सामग्री तथा समुन्नत कृषि-तकनालॉजी। बादाम के आयात पर तट कर और शुल्क की दरें बढ़ा दी गई हैं और इस आयात के लिए विदेशी मुद्रा केवल बाजार दर पर ही उपलब्ध है। इस प्रकार आयात की लागत बढ़ गई है। अतः उत्पादन को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों से और आयात की लागत अधिक हो जाने से इस बात की संभावना है कि बादाम के आयात में कमी आएगी।

विवरण

मात्रा टनों में

मूल्य रुपयों में

आयातित सामग्री का विवरण	1987-88 मात्रा	1987-88 मूल्य	1988-89 मात्रा	1988-89 मूल्य	1990-91 मात्रा	1990-91 मूल्य	उन देशों क नाम जिनसे आयात किया गया
छिल्का सहित ताजे या सूखे बादाम	5591	987·01	8364	2039·60	13514	4561·47	अफगानिस्तान, ईराक, ईरान पाकिस्तान, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमरीका, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, आस्ट्रेलिया और हांगकांग
छिलका रहित ताजे या सूखे बादाम	535	94·98	370	101·69	1037	408·77	अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमरीका, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, आस्ट्रेलिया तथा ईराक

स्रोत : डी० जी० सी०आई० एण्ड एस०, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित "भारत के विदेश व्यापार के मासिक आंकड़े"

सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व सम्बन्धी मामलों के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण

[अनुवाद]

*365. श्री अनन्तराव देशमुख :

श्री सी० श्रीनिवासन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सम्बन्धी मामलों का निर्णय करने के लिए सरकार का विचार एक अपीलीय न्यायाधिकरण बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस न्यायाधिकरण की स्थापना कब तक की जायेगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कामेश्वर ठाकुर) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क राजस्व अपील अधिकरण अधिनियम, 1986 (1986 का सं० 62) के अनुसरण से अधिकरण का गठन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिनियम की शक्तिमत्ता को चुनौती देते हुए बम्बई तथा दिल्ली उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएँ दाखिल की गई थीं ।

अधिनियम में संशोधन का ब्यौरा बम्बई उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश में दिए गए निर्देशों के आधार पर तैयार किया जा रहा है । अधिकरण के गठन के सम्बन्ध में अभी कोई समय-सीमा नहीं बतायी जा सकती ।

उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में चाय की खेती

*366. श्री देवी बक्स सिंह :

श्री प्रभुदयाल कठेरिया :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास के अंग के रूप में चाय की खेती के विस्तार हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले

(ग) यदि नही, तो क्या सरकार का विचार इन राज्यों में ऐसे सर्वेक्षण कराने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

उद्योग मन्त्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (घ) चाय की खेती की संभाव्यताओं पर उत्तर प्रदेश में एक सर्वेक्षण किया गया है । इससे पता चलता है कि लगभग 56950 हेक्टेयर भूमि चाय की खेती के लिए उपयुक्त रहेगी । अभिज्ञात क्षेत्र राज्य के 14 जिलों में फैला हुआ है ।

यहां तक मध्य प्रदेश का सम्बन्ध है पिछले वर्षों में बस्तर और सरगुजा जिलों में परीक्षण के

तौर पर पौध रोपण किया गया था। ये प्रयास कृषि-जलवायु की प्रतिकूल दशाओं की वजह से निष्फल हो गए। चाय उगाने के लिए साहडोल जिले के कुछ क्षेत्रों की उपयुक्तता का मूल्यांकन भी किया गया था लेकिन उन्हें उपयुक्त नहीं पाया गया।

बैंकों की कुछ शखाओं को बन्द करना

@*251 **श्री सत्य गोपाल मिश्र :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुछ शाखाओं को बन्द करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न पैदा ही नहीं होता। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अनुमति दी है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों की शाखाओं को छोड़कर अन्य शाखाओं को बन्द कर सकते हैं और साथ ही अलाभकारी शाखाओं या दुर्गम स्थानों पर स्थित शाखाओं की अन्य बैंकों की शाखाओं के साथ अदला-बदली (स्वैप) कर सकते हैं/उनको पुनः अवस्थित कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को अभी तक किसी बैंक की किसी शाखा के अलाभकारी होने के कारण बन्द किए जाने या शाखाओं की अदला बदली की कोई सूचना नहीं है।

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजे गये सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मामले

3589. **श्री मोहन रावले :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित कुछ मामले हाल हाल ही में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) महाराष्ट्र में स्थित उन सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों की संख्या कितनी है जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजे गये हैं ;

(घ) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने अपने यहां भेजे गये सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मामलों में अपनी सिफारिशें दे दी हैं और यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है ;

(ङ) क्या सरकार ने औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की सिफारिशों के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है ;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

@*24 जुलाई 1992 से आस्थगित।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। अलबत्ता, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) ने सूचित किया है कि 20.7.92 की स्थिति के अनुसार रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 की धारा 15 (1) के तहत उसे सरकारी कम्पनियों से 54 संदर्भ प्राप्त हुए थे। इनमें से 37 को दर्ज किया गया एक को अस्वीकृत कर दिया गया और 16 संवीक्षाधीन हैं।

(ग) बी०आई०एफ०आर ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित सरकारी क्षेत्र के दो उपक्रमों के सन्दर्भ उसे भेजे गए हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

आर०ई०पी० लाइसेंस और "एक्जिम स्क्रिप्स"

[हिन्दी]

3590. **श्री भगवान शंकर रावत** :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान आर०ई०पी० लाईसेंसों और "एक्जिम स्क्रिपों" की चोरी तथा जाली "एक्जिम स्क्रिप" जारी करने के कितने मामले सरकार की जानकारी में आये ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान चौरी किए गए कितने लाइसेंसों, जाली "एक्जिम स्क्रिपों तथा चोरी किये गये स्क्रिपों का उपयोग किया गया ;

(ग) उससे सम्बद्ध कितने लोगों का पता लगा है ; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) कुछ पत्तन लाइसेंसिंग प्राधिकारियों ने आर०इ०पी०/एग्जिम स्क्रिप लाइसेंसों के खो जाने तथा ऐसे दस्तावेजों के आधार पर एग्जिम स्क्रिप लाइसेंस जारी किए जाने की सूचना दी है जिन्हें बाद में जाली पाया गया ;

(ख) आर०ई०पी०/एग्जिम स्क्रिप लाइसेंस मुक्तरूप से हस्तान्तरणीय है। ऐसे लाइसेंसों के उपयोग के सम्बन्ध में कोई सांख्यिकीय आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, जब कभी लाइसेंसों के खो जाने के सम्बन्ध में अथवा ऐसे दस्तावेजों के आधार पर लाइसेंसों के जारी किए जाने की सूचना मिलती है, जिन्हें बाद में जाली पाया जाता है, तब ऐसे लाइसेंसों का संचालन निलम्बित/रद्द कर दिया जाता है।

(ग) और (घ) समुचित कार्यवाही के लिए इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई गई है।

सूती धागे/रुई का निर्यात

[अनुवाद]

3591. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़ी मात्रा में सूती धागे और रुई के निर्यात की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इसके फलस्वरूप धागे के मूल्यों में वृद्धि हुई है, जिसके कारण अनेक बुनकरों को काम नहीं मिल पा रहा है ;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं ; और

(ङ) वर्ष 1991-92 के दौरान रुई का कितनी मात्रा में निर्यात् किया गया और चालू वर्ष के दौरान धागे के मूल्य में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) और (ख) जी नहीं, सूती यार्न के निर्यात अलग-अलग वर्ष के आधार पर निर्धारित मात्रा सम्बन्धी उच्चतम सीमा द्वारा नियन्त्रित होते हैं। केलेण्डर वर्ष 1992 के लिए निर्धारित सूती यार्न के निर्यात की .30 मिलियन किलो ग्राम की उच्चतम सीमा वही है जो कि वर्ष 1991 के लिए निर्धारित उच्चतम सीमा थी। सरकार ने वर्ष 199 -92 (सितम्बर, 91-अगस्त, 98) के कपास मौसम के दौरान निर्यात के लिए बंगाल देशी कपास की 1 लाख गांठें रिलीज की हैं। इसमें से 17.7.1992 तक वास्तविक निर्यात 0.40 लाख गांठों का किया गया है। हाल ही में सरकार ने द्विपक्षीय व्यापार करारों के परिप्रेक्ष्य में नेपाल, बंगला देश और श्रीलंका जैसे कुछ पड़ौसी देशों की 30 हजार गांठों तक की कपास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारतीय कपास निगम को स्वीकृति दे दी है।

(ग) से (ङ) जबकि कपास की कीमतों में मामूली सी वृद्धि होने का कारण देश के कुछ भागों में बारिश का न होना माना जा सकता है फिर भी सूती यार्न की कीमतों में वृद्धि, कपास की कीमतों में वृद्धि होने तथा सामान्य कीमत वृद्धि के कारण हुई है। वर्ष 1991-92 के मौसम के दौरान कपास के निर्यात के सम्बन्ध में सरकार की जागरूक नीति से कपास और सूती यार्न की कीमतों पर प्रतिबन्ध-कारी प्रभाव पड़ा है।

पटसन उद्योग को अर्थक्षम बनाने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति

3592. **श्री शरत् चन्द्र पटनायक** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रुग्ण पटसन उद्योग को अर्थक्षम बनाने की संभावनाओं की जांच के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के विचारार्थ विषय तथा इसकी संरचना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इन पर सरकार ने आज तक क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त समिति कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) समिति से 30 सितम्बर, 1992 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

विवरण

समिति की संरचना निम्नानुसार है :

1.	सचिव, वस्त्र मन्त्रालय	—अध्यक्ष
2.	अपर सचिव और वित्तीय सलाहाकार वस्त्र मन्त्रालय	—सदस्य
3.	मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार अथवा उनका प्रतिनिधि	—सदस्य
4.	योजना आयोग का प्रतिनिधि	—सदस्य
5.	पटसन आयुक्त कलकत्ता	—सदस्य
6.	वाणिज्य मन्त्रालय का एक प्रतिनिधि	—सदस्य
7.	कृषि मन्त्रालय का प्रतिनिधि	—सदस्य
8.	वित्त मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) का एक प्रतिनिधि	—सदस्य
9.	लघु उद्योग विभाग, उद्योग मन्त्रालय का एक प्रतितिधि	—सदस्य
10.	भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई का एक प्रतिनिधित	—सदस्य
11.	कार्यकारी निदेशक आई०एफ०सी०आई०	—सदस्य
12.	राष्ट्रीय परामर्शक (पटसन) यू०एन०डी०पी० नई दिल्ली	—सदस्य
13.	श्री डी०जे० बधवा, कम्पनी जूट इण्डस्ट्रीज लि०, कलकत्ता	—सदस्य
14.	श्री ही गुप्ता, प्रबन्धक निदेशक, न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स, कलकत्ता	—सदस्य
15.	भारतीय पटसन मिल्स एसोसिएशन, कलकत्ता का एक प्रतिनिधि	—सदस्य
16.	डा० ए०आर० गारडे. अतीरा, अहमदाबाद	—सदस्य
17.	संयुक्त सचिव (पटसन) वस्त्र मन्त्रालय	—सदस्य-सचिव

समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

1. वर्ष 1986-87 से लागू विशेष पटसन विकास निधियोजना (एस०जे०डी०एम०) और पटसन आधुनिकीकरण निधि योजना (जी० एम०एफ० एस०) के कार्यान्वियन की पृष्ठ भूमि में पटसन परिदृश्य का गहराई से अध्ययन करना।

2. पटसन क्षेत्र के लिए बनी मल्टी फाइबर नीति के विस्तार सहित पटसन विविधीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न नीति परक उपायों और प्रोत्साहन योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

3. पिछले कुछ वर्षों के दौरान निर्यात के क्षेत्र में पटसन उद्योग के कार्य-निष्पादन का अध्ययन एवं विश्लेषण करना।

4. विविधीकरण के साथ जुड़े पटसन क्षेत्र के द्रुतगामी आधुनिकीकरण और एक तरफ मूल्य-वर्धित मदों के उत्पादन और दूसरी तरफ नए उच्च मूल्य के अन्त प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय संस्थानों और संवर्धनकारी संगठनों के ढाचे के भीतर नये नीति सम्बन्धी उपायों और प्रोत्साहनों की सिफारिश करना।

5. आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 1000 करोड़ रु० के परिकल्पित निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पटसन क्षेत्र की प्रचालन नीति और उपायों के पैकेज की शिफारिश करना।

6. उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कारगर संस्थागत प्रबन्ध और समन्वय पेकैनिज्म का सुझाव देना।

7. उपरोक्त विचारार्थ विषयों के सन्दर्भ में किसी अन्य सिफारिश पर विचार करना।

रुग्ण कम्पनियों को ऋण देना स्थगित करना

3593. **श्री सनत कुमार मण्डल :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने सरकारी क्षेत्र की रुग्ण कम्पनियों को सुविधाएँ देना बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बांग्लादेश से जूट की बोरियों का आयात

3594. **श्री ०के० प्रधानी :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांग्लादेश से जूट की बोरियों का आयात करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में बांग्लादेश को दिए गए क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है ; और

(ग) विदेशी मुद्रा बचाने की दृष्टि से देश में ही जूट की पर्याप्त बोरियों का निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उद्यमियों द्वारा कर अपवंचन

3595. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ समय से दूरदराज अथवा अल्पविकसित क्षेत्रों में फैक्टरियाँ स्थापित करने वाले उद्यमियों से उत्पादन शुल्क सहित किसी भी प्रकार का कर वसूल नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ये उद्यमों करों का भुगतान करने से बचने

के लिए अपनी अनवरत व्यापारिक गतिविधियों को अवरुद्ध किए बिना कुछ समय पश्चात् तथाकथित रूप से अपनी फर्मों के नाम बदल देते हैं ;

(घ) यदि हां, तो गत 12 महीनों के दौरान ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) इन मामलों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और आयकर अधिनियम, 1961 में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसके तहत दूर दराज अथवा कम विकसित क्षेत्रों में फैक्टरी स्थापित करने वाले उद्यमियों से कुछ समय के लिये उत्पाद शुल्क सहित कोई कर वसूल न करने की व्यवस्था हो। तथापि, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत, दूर दराज अथवा कम विकसित क्षेत्रों में फैक्टरियां स्थापित करने वाले उद्यमियों को ऐसी फैक्टरी से प्राप्त आय के संबंध में कटौती पाने का अधिकार दिया गया है।

(ख) से (ङ) ऊपर (क) में दिये गये उत्तर को देखते हुए, ये प्रश्न नहीं उठते।

सिले सिलाए वस्त्र निर्यातकों द्वारा परिधान निर्यात संवर्धन परिषद को दी गई वचनबद्धता

3596. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र :**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिले सिलाए वस्त्र निर्यातकों को बैंक की गारंटी अथवा जमानत राशि जमा कराने के स्थान पर अब उदार बनाई गई प्रक्रिया के अन्तर्गत परिधान निर्यात संवर्धन परिषद से विधिक वचनबद्धता करने के लिए कहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उदारीकरण के अन्तर्गत सिले सिलाए वस्त्रों के सभी निर्यातक शामिल किये गये हैं ;

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सिले सिलाए वस्त्रों के ऐसे सभी निर्यातकों के लिए उक्त प्रक्रिया कब तक अपनाई जायेगी ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) परिधान निर्यात हकदारियों की पुन: वैधता/विस्तार प्राप्त करने के लिये सत्यकार राशि जमा बैंक गारंटी के स्थान पर कानूनी वचनबंध प्रस्तुत करने के संबंध में हाल ही में एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत उन निर्यातकों को, जिनका वार्षिक विगत निष्पादन आबंटन 25,000 नग से कम न हो, पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के अन्तर्गत आबंटित हकदारियों को छोड़कर अन्य सभी प्रणालियों के अन्तर्गत हकदारियों के लिये विस्तार और पुन: वैधता के लिये कानूनी वचनबंध प्रस्तुत करने की छूट होगी। इस सुविधा का लाभ वार्षिक विगत निष्पादन आबंटन 25,000 नग से कम वाले निर्यातकों को देने के मामले पर फिलहाल सरकार विचार नहीं कर रही है।

वित्तीय संस्थाओं में निवेश लागत

3597. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम द्वारा वर्ष 1991-92 के दौरान किये गये निवेशों की कुल लागत कितनी है ; और

(ख) 31 मार्च, 1992 और 15 जून, 1992 की स्थितिनुसार इन निवेशों का मूल्य कितना था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) 31.3.92 की स्थिति के अनुसार वित्तीय संस्थानों, नामतः भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०), भारतीय, औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०), भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम (आई० सी० आई० सी० आई०), यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया (यू० टी० आई०), जीवन बीमा निगम (एल० आई० सी०) तथा साधारण बीमा निगम (जी० आई० सी०) द्वारा किए गए निवेश की कुल लागत (बही मूल्य) और 31 मार्च, 1992 तथा 15 जून, 1992 की स्थिति के अनुसार ऐसे निवेशों के बाजार मूल्य नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रुपये)

संस्थानों के नाम	31.3.92 की स्थिति के अनुसार निवेश की लागत	31.3.92 की स्थिति के अनुसार बाजार मूल्य	15.6.92 की स्थिति के अनुसार बाजार मूल्य
आई० डी० बी० आई०	404.28	1852.65	1162.84
आई०सी०आई०सी०आई०	578.29	1377.82	1194.12
आई० एफ० सी० आई०	169.55	682.18	525.09
एल० आई० सी०	30464.20	40956.05	37285.10
जी० आई० सी०	6112.00	16946.00	13423.00
यू० टी० आई०	24755.38	39130.03	*

*31.3.92 की स्थिति के अनुसार धारिताओं के 15.6.92 के बाजार मूल्य की सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

धन-वापसी आर्डरों में धोखाधड़ी

3598. **श्री गुरुदास कामत :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंक और डाक विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से निवेशकों के धन वापसी आर्डरों को भुनाने में कथित धोखाधड़ी के कुछ मामले सरकार की जानकारी में आए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मसालों का निर्यात

[हिन्दी]

3599. **श्री एन० जे० राठवा** :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान काली मिर्च से बनाए गये मसालों का कितनी मात्रा में देश-वार तथा वर्ष-वार निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ;

(ख) क्या अमेरिका के सुपर 301 व्यापार कानून के प्रावधानों से भारतीय मसालों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार क्या प्रभावी कदम उठा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) काली मिर्च से तैयार की जाने वाली प्रमुख मदें हैं : काली मिर्च का तेल, काली मिर्च तेलीय राल तथा काली मिर्च का चूर्ण । इन मदों के निर्यात की पिछले तीन वर्षों की देशवार मात्रा और मूल्य नीचे दिये गये हैं :—

(I) काली मिर्च तेल मात्रा : एम० टी० : मूल्य : लाख रु०

देश	1989-90		1990-91		1991-92	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
सं० रा० अ०	4.9	23.06	8.7	43.08	13.6	89.47
जर्मनी	9.6	43.88	7.4	34.40	8.0	53.67
ब्रिटेन	1.4	6.89	6.8	26.92	4.2	16.47
फ्रांस	1.8	9.92	1.7	8.99	2.4	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
कनाडा	1.2	6.34	1.2	5.90	1.7	10.55
जापान	0.7	5.45	0.6	4.79	0.5	6.05
अन्य	1.9	11.42	4.5	24.55	3.9	25.39
योग	21.5	106.96	30.9	148.63	34.3	217.46

(II) काली मिर्च तेलीय राल मात्रा : एम० टी० : मूल्य लाख रु०

देश	1989-90		1990-91		1991-92	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
सं० रा० अ०	127.0	406.26	133.3	414.74	199.0	777.53
ब्रिटेन	54.7	176.91	18.3	58.44	65.7	234.49
जर्मनी	45.5	148.72	54.3	164.14	55.6	224.42
फ्रांस	20.5	70.79	25.8	78.39	25.3	94.13
कनाडा	16.0	58.52	13.9	46.46	21.2	83.18
नीदरलैंड्स	7.8	27.79	8.6	26.68	11.3	44.27
सिंगापुर	नगण्य	0.05	3.9	9.46	10.3	45.10
आस्ट्रेलिया	5.8	21.91	8.0	27.95	7.3	30.15
जापान	24.1	78.31	7.8	27.24	6.4	31.27
बेल्जियम	5.1	16.36	4.3	12.48	1.5	5.07
अन्य	11.6	53.26	14.7	48.52	22.0	90.48
योग	318.6	1058.88	292.9	914.41	425.6	1660.09

(III) काली मिर्च चूर्ण मात्रा : एम० टी० : मूल्य : लाख रुपए

देश	1989-90		1990-91		1991-92	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
ब्रिटेन	31.0	5.21	—	—	0.8	0.56
सिंगापुर	20.0	0.26	0.3	0.15	—	—
बेल्जियम	15.0	5.90	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
फ्रांस	12.0	0.73	12.0	3.89	—	—
कुवैत	6.0	2.24	1.3	0.64	—	—
बहरीन	6.0	0.95	—	—	—	—
सं० अ० अमीरात	2.0	0.54	7.0	2.10	1.0	0.37
सऊदी अरेबिया	0.6	0.50	0.7	0.48	3.0	0.96
सं० रा० अमरीका	—	—	—	—	1.0	0.42
अन्य	23.4	11.61	13.7	3.98	1.2	1.00
योग	116.0	28.14	35.0	11.24	7.0	3.31

स्रोत: मसाला बोर्ड/डी० जी० सी० आई० एण्ड एस०, कलकत्ता।

(ख) और (ग) जी० एस० पी० के तहत 60 मिलियन डालर मूल्य के भारतीय निर्यातों के सम्बन्ध में शुल्क मुक्त व्यवहार समाप्त करने के अमरीकी सरकार के निर्णय से मसाला तेलीय रालों के निर्यात प्रभावित होंगे। इसके फलस्वरुप भारत से आयातित मसाला तेलीय राल पर 6% शुल्क लगेगा। हालांकि अमरीकी निर्णय के परिणामस्वरूप निर्यात के घाटे की मात्रा का अनुमान लगाना अभी संभव नहीं है तथापि भारतीय उत्पाद श्रीलंका तथा इंडोनेशिया जैसे अन्य मसाला उत्पादक देशों की तुलना में अप्रतियोगी हो जाएंगे।

(घ) भारत सरकार की यह राय अमरीकी प्राधिकारियों को भेज दी गई थी कि यह कार्यवाही अनौचित्य पूर्ण, असामयिक तथा अवांछित है। अमरीका की इस पर यह प्रतिक्रिया थी कि यह निर्णय बदला जा सकता है यदि भारत पैटेन्ट संरक्षण पर अमरीका की चिन्ता को महसूस करता है। किन्तु भारतीय उत्पादों को प्रतियोगी बनाने के उद्देश्य से 1 जुलाई, 1992 से एक वर्ष की अवधि के लिए मसाला तेलों तथा तेलीय रालों के निर्यात पर उपकर हटाने का निर्णय लिया गया है।

आत्मनिर्भरता हेतु योजना

3600. श्री यशवन्तराव पाटिल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991 के बाद विकासशील देशों को दी गई विदेशी सहायता में से भारत को सबसे अधिक सहायता प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विकास दर धीमी रही है ;

(ग) यदि हा, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार आत्म-निर्भरता प्राप्त करने तथा विकास की गति में तेजी लाने हेतु कोई योजना बना रही है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जहां तक विश्व बैंक का संबंध है, जून, 1991 के अन्त तक संचयी उधार क्रियाकलाप (वचनबद्धताओं) के 13.9 प्रतिशत पर भारत का हिस्सा अधिकतम था। द्विपक्षीय सहायता के मामले में, सकल संवितरणों में भारत का हिस्सा 1970-71 में 11.5 प्रतिशत से कम होकर 1980-81 में 3.9 प्रतिशत और इसके बाद 1989-90 में 2.4 प्रतिशत रह गया तथा भारत का स्थान जो 1970-71 में पहला था वह 1980-81 में गिरकर दूसरा और इसके बाद 1989-90 में पांचवां हो गया। यह उल्लेखनीय है कि जबकि भारत निरपेक्ष रूप से सबसे अधिक विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले देशों में से एक है, लेकिन प्रति व्यक्ति और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भी भारत द्वारा प्राप्त की गई सहायता निम्नतम स्तर पर ही रही है।

(ख) और (ग) वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर योजनाओं के प्रथम तीन दशकों के दौरान 3.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के औसत से बढ़कर 1980 के दशक के दौरान लगभग 5.8 प्रतिशत प्रतिवर्ष हुई है।

(घ) से (च) मई, 1992 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992—97) का उद्देश्य 4.1 के अनुभूत वृद्धिकारक पूंजी-उत्पादन अनुपात के आधार पर 5.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अर्जित करना है जिसमें निवेश की पूर्वानुमानित दर सकल घरेलू उत्पाद की 23.2 प्रतिशत है। निवेश की दर को बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के घरेलू बचतों के 21.6 प्रतिशत की औसत दर और 1.6 प्रतिशत की विदेशी बचतों द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा। आठवीं योजना से पूर्व के सात वर्षों के दौरान विदेशी बचतें सकल घरेलू उत्पाद का 2.4 प्रतिशत थीं। विदेशी बचतों का योजनाबद्ध तरीके से सकल घरेलू उत्पाद के 2.4 प्रतिशत से घटकर 1.6 प्रतिशत हो जाना विकास के लिए संसाधन जुटाने के रूप में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम है।

चीन के साथ सीमा व्यापार

3601. **श्री के० पी० रेड्डय्यूक यादव** :

श्री अर्जुन चरण सेठी :

श्री सनत कुमार मंडल :

श्री प्रकाश वी० पाटील :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस महीने के दौरान भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार के लिए कोई समझौता हुआ है ;

(ख) यह सीमा व्यापार किन-किन मार्गों के माध्यम से करने का विचार है ;

(ग) इसकी शर्तों का ब्यौरा क्या है और मुख्यतः किन-किन वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाएगा ; और

(घ) दोनों देशों के बीच व्यापार में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां।

(ख) लिपुलेख (कांगला) दर्रा ही ऐसा सीमावर्ती दर्रा होगा जिसके माध्यम से सीमावर्ती व्यापार के लिए व्यक्तियों, वस्तुओं और इस व्यापार में प्रयुक्त परिवहन साधनों का आना-जाना होगा।

(ग) उस संलेख में प्रवेश और वापसी की क्रियाविधि संबंधी जो शर्तें हैं, उनमें अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान है कि—

(1) दोनों में से किसी भी पक्षकार के व्यक्तियों, वस्तुओं और परिवहन साधनों के पास प्रवेश और वापसी के वैध यात्रा-दस्तावेज होने चाहिएं।

(2) यात्रा-दस्तावेजों का धारक निश्चित रूप से परिभाषित क्षेत्रों के भीतर और निर्धारित समयावधि के लिए ठहरने तथा व्यापार करने का पात्र होगा।

(3) उत्तर प्रदेश में गुंजी और चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में पुलान में सीमावर्ती व्यापार के वास्ते बाजार प्रतिवर्ष पहली जून से लेकर 30 सितम्बर तक की अवधि के लिए खुले रहेंगे।

(4) दोनों ही देशों के व्यक्ति जिस देश के सीमा क्षेत्र में होंगे वे वहां प्रवृत्त विधियों और विनियमनों का पालन करेंगे।

(5) सीमावर्ती व्यापार का भुगतान मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं अथवा वस्तु-विनिमय के माध्यम से होगा।

उक्त करार में निर्यात एवं आयात की किसी भी मद का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(घ) दोनों देशों के बीच व्यापार की संभाव्य वृद्धि का मूल्यांकन नहीं किया गया है।

सशस्त्र सेना के कार्मिकों को आवास

[अनुवाद]

3602. **श्री के० राममूर्ति टिंडिवनाम** :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेना की अधिकांश इकाइयों में विवाहित सैनिकों हेतु आवास की भारी कमी है ;

(ख) क्या सरकार का विचार सशस्त्र सेना के कार्मिकों हेतु आवासीय भवनों के निर्माण हेतु अधिक धनराशि देने का अथवा पर्याप्त संख्या में मकानों का निर्माण होने तक कार्मिकों को आबंटित करने हेतु मकान किराए पर लेने का है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) सशस्त्र सेनाओं की अधिकांश विरचनाओं में विवाहितों के लिए आवास की कमी है।

साधनों की अत्यधिक कमी के कारण सरकार विवाहितों के आवास के निर्माण के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था कराने की स्थिति में नहीं है। फिर भी नियमों में सशस्त्र सेना कार्मिकों के लिए विभिन्न स्टेशनों पर निर्धारित किराया सीमा के अंतर्गत आवास किराए पर लेने की व्यवस्था है।

पंजाब को विश्व बैंक की सहायता

[हिन्दी]

3603. **श्री मोहन सिंह** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब की विभिन्न योजनाओं के लिए विश्व बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल कितनी सहायता राशि उपलब्ध कराई गई ;

(ख) इन योजनाओं पर अब तक कुल कितना धन खर्च किया गया ;

(ग) क्या ऐसी कुछ योजनाएं अभी भी अपूर्ण पड़ी हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : क) और (ख) वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के वर्षों में विश्व बैंक तथा अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों द्वारा पंजाब राज्य के लिए अनुमोदित परियोजनाओं की सूची तथा 30.6.1992 तक के संचित ऋणों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) से (ङ) सहायता के उपयोग की गति, परियोजना की क्रियान्वयन संबंधी रूपरेखा, जो सामान्यत: 5 से 7 वर्ष तक की अवधि की होती है, पर निर्भर करती है।

विवरण

(मिलियन अमेरिकी डालर)

	परियोजना	ऋण की राशि	30.6.92 तक संवितरित
1	2	3	4
	राज्य-विशिष्ट परियोजनाएं		
1.	पंजाब सिंचाई-II	145.3	21.3
	राष्ट्रीय/बहु-राज्यीय परियोजनाएं (पंजाब के लिए व्यवस्था सहित)	(ये आंकड़े परियोजना के लिए समग्र रूप में हैं)	
2.	उत्तरी क्षेत्र पारेषण	485.0	29.1
3.	एकीकृत जल विभाजक विकास (पहाड़ी)	75.0	5.5

1	2	3	4
4.	जनसंख्या-VII	82.0	11.6
5.	तकनीशियन शिक्षा-II	307.1	17.1
6.	राष्ट्रीय राजमार्ग-III	306.0	0.0
7.	बाल उत्तरजीविता एवं सुरक्षित मातृत्व	214 5	29.4
8	एड्स नियंत्रण परियोजना	84 0	0.0
9.	व्यावसायिक प्रशिक्षण	210.0	44.4
10.	तकनीशियन शिक्षा-II	307.1	17.1

बिहार में बुनकरों को सूती धागे की गांठों की सप्लाई

3605. **श्री लाल बाबू राय :**

श्री राम लखन सिंह यादव :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार बिहार को प्रति माह सूती धागे की गाठें सप्लाई करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार के बुनकरों को आजकल सूती धागे की निर्धारित मात्रा उपलब्ध कराई जाती है ;

(ग) क्या सूती धागे, रंगों और रसायनों की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है जिसके कारण बुनकर इन वस्तुओं को खुले बाजार में केन्द्रीय सहायता के बिना खरीदने में असमर्थ हैं ;

(घ) क्या सरकार ने हस्तशिल्प बुनकरों की दशा सुधारने के लिये उनकी सहायता करने हेतु कोई कदम उठाये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बिहार में बुनकरों को दी गयी धनराशि/सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (**श्री अशोक गहलौत**) : (क) प्राइवेट साधनों के अतिरिक्त बिहार के बुनकरों को केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से राज्य सरकार के कई अभिकरण सूती धागे की सप्लाई का कार्य कर रहे हैं। राज्य हथकरघा अभिकरणों के सूत सप्लाई के कार्यकलापों में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम भी योगदान दे रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) यद्यपि हथकरघा क्षेत्र में प्रयोग होने वाले कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि हुई है लेकिन समस्या यह है कि हथकरघा वस्त्र/हथकरघा तैयार उत्पादों की कीमतें उसी अनुपात में नहीं बढ़ पाई हैं।

(घ) आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नत करने के माध्यम से हथकरघा बुनकरों की आर्थिक

स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार की वर्तमान चालू योजनाओं के अतिरिक्त चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित नई योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं :—

(1) निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी की योजना जिसमें निस्सहाय बुनकरों द्वारा बनाई गई सहकारी समितियों को वित्त सहयोग देने पर बल दिया गया है।

(2) एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना जिसमें चुनिंदा ग्रामों के हथकरघा बुनकरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और उन्हें उत्पादन तथा कार्य-कौशलता आदि बढ़ाने के संदर्भ में पर्याप्त सुविधाएं दी जायेंगी।

(3) प्रोजेक्ट पैकेज योजना जिसके अंतर्गत आवश्यकता के अनुरूप लक्षित समूह अथवा क्षेत्र विशेष अथवा किसी विशेष उत्पाद के उत्पादन के लिए सुविधाएं दी जाऐंगी।

(4) समूह बीमा योजना।

(5) हथकरघा बुनकरों को मिल-गेट मूल्यों पर सूत की आपूर्ति योजना।

(6) बिहार में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाले सिल्क यार्न बैंक योजना।

(ङ) हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए कई चालू योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य को ठोस सहायता दी गई है जिसका विवरण इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	दी गई सहायता की राशि
1989-90	902.20
1990-91	542.45
1991-92	475.93

बड़े औद्योगिक घराने

[अनुवाद]

3606. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) उपलब्ध नवीनतम जानकारी के आधार पर प्रथम बीस बड़े औद्योगिक गृहों की परिसम्पत्ति, कुल बिक्री लाभ और हानि का विवरण क्या है ; और

(ख) हाल ही में घोषित औद्योगिकरण नीति के उदारीकरण और पूंजी निर्गम नियंत्रण को समाप्त करने के परिणामस्वरूप उनकी परिसम्पत्तियों की अभिवृद्धि पर अन्यथा क्या समग्र प्रभाव पड़ा है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) एम० आर० टी० पी० अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पूर्व पंजीकृत और 1989-90 में उनकी परिसम्पत्तियों के अनुसार श्रेणी-बद्ध प्रमुख 20 बड़े औद्योगिक घरानों से संबंधित कम्पनियों की

1989-90 में परिसम्पत्तियों, कुल आय (व्यापारावर्त सहित) तथा कर पूर्व लाभ से संबंधित नवीनतम उपलब्ध आंकड़े संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) सरकार द्वारा औद्योगिक नीति के उदारीकरण की घोषणा 24.7.91 को की गई थी। इसके अतिरिक्त, पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 को पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) निरसन अध्यादेश द्वारा दिनांक 29.5.1992 को निरसित किया गया था। चूंकि 1991-92 के लिए परिसम्पत्तियों के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं, इसलिए परिसम्पत्तियों की अभिवृद्धि पर या अन्यथा उदारीकरण के समग्र प्रभाव का मूल्यांकन करना इस समय संभव नहीं है।

विवरण

एम० आर० टी० पी० अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पूर्व पंजीकृत और 1989-90 में उनकी परिसम्पत्तियों के अनुसार श्रेणीबद्ध प्रमुख 20 बड़े औद्योगिक घरानों से संबंधित कम्पनियों की 1989-90 (अप्रैल, 1989 मार्च, 1990 में समाप्त लेखा वर्ष) परसम्पत्तियां, कुल आय (व्यापारावर्त सहित) तथा कर पूर्व लाभ दर्शाने वाला विवरण-पत्र।

(करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	औद्योगिक घराना	परिसम्पत्तियां	कुल आय (व्यापारावर्त सहित)	कर पूर्व लाभ
1	2	3	4	5
1.	टाटा	8530.93	8079.80	594.42
2.	बिड़ला	8473.35	8417.41	439.55
3.	रिलायन्स	3600.27	1901.11	87.36
4.	थापर	2177.15	2280.59	109.78
5.	जे० के० सिंघानिया	2139.00	1786.93	35.74
6.	लार्सन एंड टुबरो	1681.52	1128.26	62.47
7.	मोदी	1399.37	2009.35	23.09
8.	बजाज	1391.06	1907.87	133.88
9.	मफतलाल	1343.55	1765.84	85.58
10.	एम० ए० चिदम्बरम	1273.35	1161.47	38.78
11.	हिन्दुस्तान लीवर	1209.46	2396.60	203.73
12.	युनाईटेड ब्रेवरीज*	1189.24	1227.50	36.63
13.	टी० वी० एस० आयंगर	1177.10	1388.41	59.80

1	2	3	4	5
14.	आई० टी० सी०	965.13	2749.70	122.88
15.	श्री राम	933.93	1445.40	20.99
16.	ए० सी० सी०	902.72	1223.38	2.07
17.	ओसवाल एग्रो	870.34	417.33	35.75
18.	महिन्द्रा एंड महिन्द्रा	773.55	1022.45	20.07
19.	ईस्सर	756.49	244.35	34.82
20.	किर्लोस्कर	735.51	985.46	45.36

नोट :—*क्रम संख्या 12 पर यूनाईटेड ब्रेवरीज औद्योगिक घराने के आंकड़ों में उससे पहले की "बैस्ट एंड क्राम्पटन" औद्योगिक घराने के 1988-89 के आंकड़े भी शामिल हैं।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम को वित्तीय सहायता

3607. श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने सरकार से वित्तीय संकट को तत्काल दूर करने हेतु निवेदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) आज तक कितने रुग्ण एककों को सहायता दी गई है ; और

(घ) इस सहायता से अभी तक वंचित एककों के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) एन० टी० सी० ने अपने नकदी घाटों की प्रतिपूर्ति करने के लिए बजट सहायता देने का अनुरोध किया है ताकि वह कार्यशील पूंजी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

(ग) और (घ) वर्ष 1992-93 के दौरान एन० टी० सी० को अपने नकदी घाटों की प्रतिपूर्ति करने के लिए रिलीज किए जाने के वास्ते 54.80 करोड़ रु० की बजट व्यवस्था की गई है।

राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना

[हिन्दी]

3608. श्री राम लखन सिंह यादव :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान राज्य-वार किन-किन राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करके चार लेन में बदलने का विचार है ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल: राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग सं०—1,2,3,5,8,8-सी और 47 के चुनिन्दा खंडों पर चार लेन बनाने के कार्यों को संस्वीकृति के लिए वार्षिक कार्यक्रम 1992-93 में शामिल किया गया है जिनका कुल बजट प्रावधान 8.17 करोड़ रु० है।

निष्क्रिय कम्पनियां

[अनुवाद]

3609. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अनेक कम्पनियां निष्क्रिय पड़ी हैं ;

(ख) क्या औद्योगिक पुनर्निर्माण के संबंध में सिफारिश करने के लिए गठित अन्तर मंत्रालयी कार्य दल ने इस समस्या से निपटने के लिए कम्पनी अधिनियम में संशोधन करने का सुझाव दिया था;

(ग) यदि हां, तो कार्य दल द्वारा की गयीं सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है/की जायेगी ?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, निष्क्रिय पड़ी उन कम्पनियों के नाम जिनकी संख्या नीचे दी गई है, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अधीन काट दिए गए थे—

1988-89	—	69
1989-90	—	165
1990-91	—	125

(ख) से (घ) योजना आयोग द्वारा गठित अंतर मंत्रालयीय कार्य दल ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की है कि कम्पनियों के अनुरोध पर कम्पनियों के नाम काट दिए जाएं, यदि कम्पनी ने :—

(I) व्यवसाय शुरू नहीं किया है ;

(II) शेयर जारी नहीं किए हैं ;

(III) पिछले एक वर्ष के दौरान कोई व्यवसाय नहीं कर रही है ;

(IV) उसके पास कोई परिसम्पत्तियां या दायित्व नहीं है;

दल की सिफारिशों की जांच की गई है। उपर्युक्त (I) सिफारिश के संबंध में, कोई कम्पनी जो इसके निगमन के एक वर्ष के अन्दर अपना व्यवसाय शुरू नहीं करती है, उसे अधिनियम की धारा 433 (ग) के अन्तर्गत बंद किया जा सकता है। उपर्युक्त (II) के संबंध में भी यही स्थिति लागू होगी। उपर्युक्त (III) व (IV) पर दी गई सिफारिशों के सम्बन्ध में प्रक्रिया को पहले ही सरल बना दिया गया है और कम्पनी रजिस्ट्रारों को उपयुक्त अनुदेश दिए गए हैं कि ऐसी कम्पनियों के नाम बिना अनावश्यक विलम्ब के काट दिए जाएं।

बिहार के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के लिए विपणन समस्याएं

3610. **श्री विजय कुमार यादव :**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में निर्मित हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को विपणन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बुनकरों के लाभार्थ इन उत्पादों का निर्यात करने के लिए कोई योजना बनाई है ; और

(ग) यदि, हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) हथकरघा व हस्तशिल्प क्षेत्रों में स्टॉक का संचय एक सामयिक बात है । किसी विशेष अवधि में उत्पादन और बिक्री के बीच तालमेल नहीं हो पाता है । तथापि सरकार के पास बिहार में हथकरघा और हस्तशिल्प मदों के स्टॉक के संचय होने की कोई विशेष जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग) इन उत्पादों के निर्यात में संवर्धन के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिसमें बिक्री-सह-अध्ययन दल का प्रायोजन, प्रमुख बाजारों में आयोजित प्रदर्शनियों में भाग लेना, विदेशी व्यापार पत्रिकाओं में विज्ञापन जारी करना, शुल्क वापसी अनुदान, उपयुक्त कोटा नीति उपाय गलीचों की ऊन पर रियायती शुल्क और, गैरलोहमय धातुओं और गलीचों की कच्ची ऊन का आयात शामिल हैं ।

भूतपूर्व सैनिकों की जनगणना

3611. **श्री राम नाईक :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिक पुनर्वास महानिदेशक का विचार पहली बार भूतपूर्व सैनिकों की जनगणना कराने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों की संख्या मालूम करने के लिए उनकी जनगणना करने का निर्णय लिया है ताकि उनके सम्बन्ध में विश्वसनीय आंकड़े रखे जा सकें । इस सम्बन्ध में पात्र व्यक्तियों को पहचान-पत्र जारी किए जा रहे हैं ।

आंध्र प्रदेश में कॉफी बागान

3612. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में पश्चिम गोदावरी तथा विशाखापत्तनम के एजेंसी क्षेत्रों में कॉफी बागान के विस्तार की काफी गुंजाइश हैं;

(ख) यदि हां, तो स्थानीय आदिवासी लोगों द्वारा तथा आगे आने वाले उद्यमियों द्वारा इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कॉफी के पेड़ लगाने को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या इन उपायों के कोई महत्त्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए हैं ;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इन क्षेत्रों में कॉफी के पेड़ लगाने को और प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी और विशाखापत्तनम जिलों के एजेन्सी क्षेत्रों के पहाड़ी भू-भाग में विस्तार के लिए काफी गुंजाइश है। कॉफी बोर्ड इन दोनों जिलों में कॉफी की खेती के लिए सन् 1976 से ही प्रोत्साहन दे रहा है। अपने योजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत, कॉफी बोर्ड ने राज्य सरकार को अपने आंध्र प्रदेश वन विकास निगम/वन विभाग/गिरिजन सहकारी कॉफी विकास निगम जैसे एजेन्सी सेटअप के अन्तर्गत कॉफी का विस्तार करने को प्रोत्साहन दिया है। बोर्ड ने अपनी ओर से परियोजना प्रतिपादन में आवश्यक प्राविधिक विशेषज्ञता प्रदान की है, विस्तार परियोजनाओं का तकनीकी मूल्य निर्धारण किया है और उच्च उपज देने वाली किस्म की कॉफी के बीज की आपूर्ति करके मिनिमुलुरू, चिन्तापल्लई और अराकू में विस्तार केन्द्र खोलकर, आंध्र क्षेत्र से संबंधित अनुसन्धान समस्याओं को हल करने के लिए एक क्षेत्रीय कॉफी अनुसन्धान केन्द्र खोलकर तथा पाडेरू और नरसीपटनम में कॉफी संग्रह केन्द्र स्थापित करके कार्यक्रमों का समर्थन किया है। कॉफी की खेती की आधुनिक पद्धतियों के प्रदर्शन के लिए बोर्ड ने मिनीमुलुरू में एक कॉफी प्रदर्शन फार्म भी स्थापित किया है। कॉफी की खेती के तरीकों के बारे में आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए बोर्ड के आर० बी० नगर चिन्तापल्लई स्थित क्षेत्रीय कॉफी अनुसन्धान केन्द्र पर अपेक्षित प्रशिक्षण सुविधाएं सृजित की गई हैं।

(ग) और (घ) कॉफी बोर्ड ने जो प्रयास किए हैं उनके काफी अच्छे परिणाम रहे हैं जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :—

वर्ष	क्षेत्र	उत्पादित फसल
1989-90	8878 है०	765 मी० टन
1990-91	9123 है०	705 मी० टन
1991-92	9761 है०	1080 मी० टन

(ङ) वर्तमान नीति कॉफी रोपण के और विस्तार को प्रोत्साहित न करने की है। इस समय अधिक बल कॉफी रोपण के अन्तर्गत विद्यमान क्षेत्र को बेहतर बनाने पर दिया जा रहा है।

स्वापक औषधों की तस्करी में शामिल विदेशी नागरिक

3613. श्री जीवन शर्मा :

क्या वित्त मंत्री 10 अप्रैल, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6953 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और अपेक्षित जानकारी के कब तक मिल जाने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) वर्ष 1989—1991 के दौरान स्वापक औषध द्रव्यों की तस्करी के 219 मामलों में 294 विदेशी राष्ट्रिकों को गिरफ्तार किया गया था। इसी अवधि के दौरान 18 मामलों में कुछेक ऐसे व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया था, जिन पर तस्करी का आरोप था। इसी अवधि के दौरान, स्वापक औषध द्रव्य तथा मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत दर्ज किये गये 20 मामलों तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दर्ज किये गये 4 आपराधिक मामलों में सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नार्कोटिक्स विभागों को अदालत में हार का सामना करना पड़ा।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के लिए किया गया बजट प्रावधान

[हिन्दी]

3614. **श्री रामदेव राम** :

क्या जल भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के वित्तीय वर्षों में अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्राधिकरण द्वारा वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गई ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) बजट गत प्रावधान तथा व्यय के ब्यौरे इस प्रकार हैं—

(करोड़ रु०)

	1990-91			1991-92		
	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	व्यय	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	व्यय
योजनागत	17.60	6.00	2.82	12.18	5.00	4.45
गैर-योजनागत	1.29	1.29	1.29	1.35	1.30	1.19
योग :	18.89	7.29	4.11	13.53	6.30	5.64

सिले सिलाये वस्त्रों की निर्यातक फर्में

[अनुवाद]

3615. **श्री गोपीनाथ गजपति** :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में सिले सिलाये वस्त्रों की निर्यात फर्मों की तेजी से हो रही वृद्धि के बारे में जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे सिले सिलाये वस्त्रों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) पिछले कुछ वर्षों से परिधान निर्यात की फर्मों में पर्याप्त वृद्धि हुई है । ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण सिद्ध नहीं होता है जिससे यह पता चले कि इसका परिधान निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

बैंक आफ अमरीका

3616. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय बैंक आफ अमरीका की कितनी शाखायें हैं ;

(ख) क्या बैंक आफ अमरीका का देश में अपनी गतिविधियों का विस्तार करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस समय बैंक आफ अमेरिका की 4 शाखाएं भारत में कार्यरत हैं ।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार बैंक आफ अमेरिका ने तीन और शाखाएं खोलने के लिए आवेदन किया है परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

जीवन बीमा निगम द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

3617. **डा० सी० सिलवेरा** :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने वर्ष 1990-91 के दौरान मद व्यय तथा लाभ और शेयरों के माध्यम से कुछ विदेशी मुद्रा अर्जित की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदम उठाने का है कि जीवन बीमा निगम वर्ष 1992-93 के दौरान अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) ब्यौरा आगे पृष्ठ पर दिया गया है :

शाखा का नाम	मुख्य कार्यालय व्यय	5% मूल्यांकन अधिशेष
फिजी	फिजीयन डालर	फिजीयन डालर
फिजीयन डालर=	85,000/-	76,710/-
17.10 भारतीय रुपए	(1453835 भारतीय रुपए)	(1312043 भारतीय रुपए)
लन्दन	पाऊंड	पाऊंड
यू० के० पाऊंड=	130851	74069
34.05 भारतीय रुपए	(4455477 भारतीय रुपए)	(2522050 भारतीय रुपए)
मारीशस	मारीशस रुपए	मारीशस रुपए
मारीशस रुपया=	2826729	1348437
1.29 भारतीय रुपए	(3646480 भारतीय रुपए)	(1739484 भारतीय रुपए)
जोड़ : भारतीय रुपए	95,55,792	55,73,577

(ग) और (घ) जी, हां। 5% मूल्यांकन अधिशेष तथा मुख्य कार्यालय के व्यय, जो विदेशी मुद्रा में भारत में लौटाए जाएंगे, के ब्यौरे की जानकारी वित्तीय वर्ष 1992-93 का लेखा बन्द किए जाने के बाद ही प्राप्त होगी।

केरल में चाय बागान

3618. **श्री रमेश चेन्निथला :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में पुनः चाय बागान लगाने हेतु कोई प्रस्ताव मिला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) चाय बोर्ड को केरल के विभिन्न चाय बागानों से 101.30 हेक्टेयर के क्षेत्र में पुनर्रोपण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने पुनर्रोपण इम्दाद योजना के अन्तर्गत 0.82 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। अब तक 8.93 लाख रुपये की राशि वितरित कर दी गई है।

राष्ट्रीय राजमार्गों को नहर व्यवस्था के माध्यम से जोड़ने की योजना

[हिन्दी]

3619. **श्री बापू हरि चौरे :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्गों को नहर व्यवस्था के माध्यम से जोड़ने की कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कीनिया में पैनाफ्रीकन पेपर मिल्स को ऋण

[अनुवाद]

3620. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने विदेशों में भारत के सबसे बड़े संयुक्त उद्यम पैनाफ्रीकन पेपर मिल्स. कीनिया को ऋण देना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के भारतीय भागीदारी का क्या ब्यौरा है और अखबारी कागज, लेखन कागज/मुद्रण कागज के निर्माण हेतु खोई आधारित परियोजना को इस परियोजना से किस हद तक सहायता मिलने की सम्भावना है ;

(ग) क्या इस परियोजना से देश के विदेशी मुद्रा भण्डार बढ़ने की सम्भावना है ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) ऐसा पता चला है कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने पैनाफ्रीकन पेपर मिल्स, केन्या के लिए ऋण मंजूर किया है।

(ख) परियोजना का भारतीय भागीदार मैसर्स ओरिएन्ट पेपर एंड इंडस्ट्रीज लि० है, जिनका पैनाफ्रीकन पेपर मिल्स, (ई० ए०) लि० की इक्विटी में 29.3 प्रतिशत भाग है। परियोजना का उद्देश्य खोई और लकड़ी से लेखन मुद्रण/कागज और गत्ते बनाने की क्षमता को 96,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 150,000 टन प्रति वर्ष करना है।

(ग) और (घ) अधिक लाभांश भेजने के अलावा भारत से कुल 80 करोड़ रुपए (लगभग) की मशीनरी, उपस्कर और सेवाओं का निर्यात किए जाने की संभावना है।

रॉक फास्फेट का आयात

3622. **श्री जसवन्त सिंह :**

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान अब तक कितनी मात्रा में रॉक फास्फेट का आयात किया गया ;

(ख) यह आयात किन-किन देशों तथा एजेंसियों से किया गया था ; और

(ग) इन आयातों पर कितनी धनराशि व्यय हुई ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) वर्ष 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93* (30-6-92 तक) के दौरान आयात किए रॉक फास्फेट की मात्रा क्रमश: 34.05, 27.07 तथा 2.29 लाख एम टी थी।

(ख) आयात जोर्डन, मोरक्को, टोगो, संयुक्त राज्य अमेरिका, सेनेगल, मिस्र, अल्जीरिया और सीरिया से किया गया। जिन एजेंसियों से रॉक फास्फेट का आयात किया गया, उनका ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) वर्ष 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93* के दौरान आयात किए गए रॉक फास्फेट का मूल्य क्रमश: 421.01 करोड़ रु०, 489.72 करोड़ रु० तथा 42.32 करोड़ रु० था।

वर्ष 1992-93 के आंकड़े अनन्तिम हैं और इनमें निजी व्यापारियों द्वारा किए गए आयात शामिल नहीं हैं क्योंकि 29-2-92 से रॉक फास्फेट के आयात का गैर सरणीयन कर दिया गया है।

विवरण

उन एजेंसियों के नाम जिनसे एम०एम०टी०सी० ने 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान रॉक फास्फेट का आयात किया।

1. मैसर्स जे०पी०एम०सी०, जार्डन।
2. मैसर्स ओ०सी०पी०, मोरक्को।
3. मैसर्स सी०एस०पी०टी०, सेनेगल।
4. मैसर्स ओ०टी०पी०, टोंगो।
5. मैसर्स आई०एम०सी०, यू०एस०ए०।
6. मैसर्स पी०आर०ई०ए०, यू०एस०ए०।
7. मैसर्स इण्टरप्राइज नेशनल अन्नाबा, अल्जीरिया।
8. मैसर्स एंग्लो रिसोंसेज, सीरिया।
9. मैसर्स लुना कंसलटैन्ट्स, मिस्र
10. मैसर्स ट्रान्सकोंटीनेन्टल फर्ट, यू०एस०ए०।

दिल्ली में वाहनों से होने वाला प्रदूषण

3623. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

श्री संदीपान भगवान थोरात :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 जून, 1992 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "पोल्यूशनटेस्ट सेंटर्स टैकेन मोटरिस्ट फार ए राइड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की, उसमें की गई टिप्पणियों पर क्या प्रतिक्रिया है और मामले के तथ्य क्या हैं ; और

(ग) दिल्ली में वाहन प्रदूषण को प्रभावशाली ढंग से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई/किये जाने के विचार हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) मोटर यान अधिनियम और इसके अन्तर्गत बने नियमों के उपबंधों के अनुसार प्रदूषण जांच केन्द्रों को प्राधिकृत करने की शक्ति राज्य सरकारों में निहित है। प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्रों से यह उम्मीद की जाती है कि वे प्रदूषण जांच उपकरणों को अच्छा कार्य करने की स्थिति में बनाये रखें।

समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली प्रशासन ने इन पांच प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्रों का निरीक्षण किया और दो केन्द्रों में प्रदूषण जांच उपकरणों को खराब पाया तथा उनके प्राधिकार को निलम्बित कर दिया गया है।

(ग) दिल्ली प्रशासन दिल्ली में वाहनों द्वारा किए जाने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठा रहा है :—

(1) उन वाहनों के विरुद्ध सड़कों पर नियमित प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है जो प्रदूषण की निर्धारित सीमाओं के अनुरूप नहीं हैं। मार्च, 1990 से मई, 1992 तक की अवधि के दौरान 7416 वाहनों का चालान किया गया और 5698 परिवहन वाहनों के उपयुक्तता प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए हैं।

(2) परिवहन वाहनों की सड़क पर चलने की उपयुक्तता का निरीक्षण करते समय निर्धारित प्रदूषण मानदंडों के अनुरूप वाहनों को ही परिवहन विभाग द्वारा उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं।

(3) परिवहन विभाग हर 6 महीने के बाद वाहनों के प्रदूषण स्तर के प्रमाणीकरण की एक योजना कार्यान्वित कर रहा है। लगभग 117 निजी पेट्रोल पम्पों और वर्कशापों को प्रदूषण जांच ट्यूनिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इन केन्द्रों पर जुलाई, 1990 से जनवरी, 1992 तक के बीच लगभग 2.23 लाख वाहनों की ट्यूनिंग की गई है और उनके प्रदूषण स्तर को निर्धारित मानक तक लाया गया है। इसके अतिरिक्त परिवहन विभाग नें मार्च, 1990 से मई, 1992 तक 6.6 लाख वाहनों की जांच की है।

(4) लोगों में वाहन प्रदूषण से संबंधित सावंधिक उपबंधों और स्वास्थ्य संबंधी खतरों के प्रति सचेत करने के लिए जनसम्पर्क माध्यम द्वारा और वर्कशाप नुक्कड़ प्रदर्शनी आयोजित करके जन चेतना अभियान चलाया जा रहा है।

चुनाव याचिकाएं

[हिन्दी]

3624. श्री रतिलाल वर्मा :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं लोक सभा के चुनावों के दौरान विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में कितनी चुनाव याचिकाएं दर्ज की गईं ;

(ख) इनमें से न्यायालय-वार कितनी याचिकाओं पर फैसला सुनाया जा चुका है ; और

(ग) सम्बन्धित न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण में चुनाव याचिकाएं दर्ज करने की तिथि से लेकर छः महीने के अन्दर इन याचिकाओं को शीघ्रता से निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं उठाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

(ग) निर्वाचन अर्जियों का निपटारा, न्यायालयों में बकाया मामलों के निपटारे के साथ जुड़ा है। लम्बित मामलों को निपटाने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। न्यायाधीशों की संख्या समय-समय पर बढ़ाई गई है। न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या से निपटने के लिए बकाया मामला समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों को, जिनमें प्रक्रियात्मक सुधार और उपांतरण भी सम्मिलित हैं, सभी सम्बद्ध केंद्रीय मन्त्रालयों, राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। न्यायालय, विधि के समान प्रश्न वाले मामलों को एक समूह में रखने, विशेषज्ञ न्यायपीठों का गठन करने, शीघ्र निपटारे के लिए अपेक्षित मामलों को पूर्विकता देने, आदि जैसे विभिन्न उपाय कर रही हैं।

विवरण

1991-92 में हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचन

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में फाइल की गई, निपटाई गई और लम्बित निर्वाचन अर्जियों और अपीलों की संख्या (24-7-1992 को)

क्र०सं०	राज्य संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उच्च न्यायालय में निर्वाचन अर्जियां			उच्चतम न्यायालय में अपीलें		
		फाइल की गई	निपटाई गई	लम्बित	फाइल की गई	निपटाई गई	लंबित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1	—	1	—	—	—
2.	बिहार	11	—	11	—	—	—
3	गुजरात	4	—	4	—	—	—
4.	हरियाणा	1	1	—	1	1	—
5.	हिमाचल प्रदेश	1	—	1	—	—	—
6.	कर्नाटक	8	—	8	—	—	—
7.	मध्य प्रदेश	12	2	10	—	—	—
8.	महाराष्ट्र	12	5	7	—	—	—
9.	पंजाब (फरवरी, 1992)	8	—	8	—	—	—
10.	राजस्थान	4	—	4	—	—	—
11.	तमिलनाडु	1	—	1	—	—	—
12.	उत्तर प्रदेश	23	—	23	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	पश्चिम बंगाल	4	—	4	—	—	—
14.	दमण और दीव	1	1	—	—	—	—
15.	दिल्ली	1	—	1	—	—	—
	योग	86	9	77	1	1	—

यूरेनियम की तस्करी

[अनुवाद]

3625. डा० रमेश चन्द तोमर :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जदुगुडा खानों से चीन और पाकिस्तान को यूरेनियम की तस्करी की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पिछले एक वर्ष के दौरान कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ; और

(ग) इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्टों से यह पता नहीं चलता है कि जदुगुडा खानों से चीन और पाकिस्तान को यूरेनियम की तस्करी की जा रही है। तथापि, एक मामले में गलगलिया सीमा शुल्क, बिहार द्वारा 29-1-92 को 490 ग्राम वजन की एक ऐसी सामग्री पकड़ी गयी थी, जिसके बारे में यूरेनियम होने का सन्देह था। इस सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। तथापि, रासायनिक जांच से यह सिद्ध नहीं हो पाया कि यह सामग्री यूरेनियम ही थी।

(ग) सीमाशुल्क अधिकारी तस्करी की रोकथाम के लिए सतर्क रहते हैं। तस्करी की रोकथाम करने के लिए आसूचना तंत्र को सुदृढ़ कर दिया जाता है और तस्करी की रोकथाम और उसका पता लगाने के कार्य में लगी सभी एजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल रखा जाता है

कपास बोर्ड

3626. श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कपास के उत्पादन को नियमित करने तथा कपास उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देने के लिए कपास बोर्ड स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड का गठन कब तक कर लिये जाने की संभावना है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ट्रान्सपोर्टरों की हड़ताल

[हिन्दी]

3627. श्री सत्यनारायण जटिया :

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

श्री वी० धनंजय कुमार :

प्रो० रासा सिंह रावत :

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

श्री लोक नाथ चौधरी :

श्री सत्य गोपाल मिश्र :

श्री साईमन मरान्डी :

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

श्री हरि केवल प्रसाद :

श्री गोविन्दराव निकाम :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल की ट्रक आप्रेटरों की हड़ताल के फलस्वरूप अनुमानतः कितनी हानि हुई; और

(ख) सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं, जिससे कि दुबारा ऐसी हड़तालें न हों ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) ट्रक प्रचालकों की हड़ताल के कारण हुए घाटे का अनुमान लगा पाना सम्भव नहीं हुआ है।

(ख) सरकार ने, ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के बाद लिए गए निर्णयों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस तथा जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक निगरानी समिति गठित की है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर भूमिगत पारपथ

[अनुवाद]

3628. श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर पूना और सतारा के बीच खम्भात की घाट सेक्शन पर एक भूमिगत पारपथ का निर्माण करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है ;

(ग) क्या सरकार का विचार परियोजना के लिए विश्व बैंक की सहायता लेने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है वे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 पर खम्भात की घाट में 190 मीटर लम्बी सुरंग बनाने पर विचार कर रहे हैं। तथापि राज्य सरकार को अभी प्रस्ताव तैयार करना है और इसे भारत सरकार को प्रस्तुत करना है।

पशु बीमा संबंधी मामलों की अदावाकृत धनराशि

[हिन्दी]

3629. **श्रीमती शीला गौतम** :

श्री राजेश कुमार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा कम्पनियों द्वारा बीमाकृत पशु के मर जाने पर बीमा की जो राशि दी जाती है वह नए पशु खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप बीमा की बहुत बड़ी राशि बिना उपयोग के पड़ी हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) पशु बीमा योजना के अन्तर्गत एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत खरीदे गए पशु और साथ ही सहकारी समितियों या व्यक्तियों के पशुओं का बीमा साधारण बीमा निगम की सहायक कम्पनियों से निर्धारित प्रीमियम दर पर कराया जा सकता है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत खरीदे गए पशुओं के मामले में, परियोजना प्राधिकारी द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार पशु के परियोजना-मूल्य (बैंक ऋण + आर्थिक सहायता) की सीमा तक बीमा कवच प्रदान किया जाता है। चूंकि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम पालिसी सहमत मूल्य पालिसी होती है, इसलिए पशु की मृत्यु होने पर सम्पूर्ण बीमित राशि देय हो जाती है। गैर-एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम पशुओं के मामले में कम्पनी द्वारा देय बीमे के दावे की राशि पशु की मृत्यु के तत्काल पहले उसके बाजार मूल्य तक जो पशु चिकित्सक द्वारा प्रमाणित की गई राशि जितनी या बीमित राशि जितनी, इनमें जो भी कम हो, होती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक

3630. **श्री काशी राम राणा** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (आई० आर० बी० आई०) का वाणिज्यिक बैंकिंग गतिविधियों में व्यापक स्तर पर भाग लेने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में निर्णय कब तक लिया जायेगा ;

(घ) क्या यह बैंक रुग्ण औद्योगिक एककों को पुनः चालू करने के लिये उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करता है ; और

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न पैदा ही नहीं होते ।

(घ) और (ङ) जी हां । भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान रुग्ण औद्योगिक एककों को उनके पुनरुज्जीवन के लिए मंजूर और संवितरित राशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

1989—92 के दौरान रुग्ण औद्योगिक एककों को पुनरुज्जीवित करने के लिए भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक द्वारा राज्यवार स्वीकृत तथा संवितरित सावधि ऋण राहत ।

(करोड़ रुपए)

	1989-90		1990-91		1991-92	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मजूर	संवितरित	मजूर	संवितरित	मजूर	संवितरित
1	2	3	4	5	6	7
अंडमान व निकोबार	—	—	—	—	—	—
आंध्र प्रदेश	1.27	1.22	2.39	1.32	2.63	4.53
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
असम	—	—	—	—	—	—
बिहार	2.11	0.10	1.19	3.79	2.39	3.54
दादरा व नागर हवेली	—	—	—	—	—	—
दिल्ली	—	0.80	—	—	—	0.16
गोवा	—	—	0.25	—	—	—
गुजरात	2.77	2.00	3.08	2.22	7.13	1.69
हरियाणा	—	0.24	0.67	0.34	1.25	1.11
हिमाचल प्रदेश	—	—	0.50	—	0.53	0.32
कर्नाटक	0.95	0.10	1.87	1.70	1.61	0.77

1	2	3	4	5	6	7
केरल	3.21	2.77	—	1.43	1.89	0.26
मध्य प्रदेश	0.07	0.12	2.50	2.39	0.10	0.09
महाराष्ट्र	3.12	3.67	6.30	2.29	0.48	2.99
नागालैण्ड	—	—	—	—	—	—
उड़ीसा	—	—	—	—	—	—
पाण्डीचेरी	0.50	—	—	0.38	0.12	0.23
पंजाब	1.00	3.00	—	0.89	—	0.77
राजस्थान	1.82	0.29	—	0.79	2.45	0.90
तामिलनाडू	3.52	1.67	0.64	2.28	3.76	3.02
उत्तर प्रदेश	3.59	3.87	11.14	8.04	3.88	5.62
पश्चिम बंगाल	10.19	14.76	29.72	13.78	11.30	13.93
योग	34.12	34.69	60.25	41.64	39.52	39.43

टिप्पणी : 1. *अप्रैल से मार्च

2. इनमें नवीन मामलों सहित पहले से सहायता प्राप्त मामलों को स्वीकृत अवधि ऋण शामिल हैं।

कोंकण क्षेत्र के फल/समुद्री उत्पादों की निर्यात क्षमता

[अनुवाद]

3631. श्री सुधीर सावन्त :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा महाराष्ट्र में विशेष रूप से कोंकण क्षेत्र में गत वर्ष शुरू की गई विकास परियोजनाओं तथा चालू वर्ष के दौरान शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार फल उत्पादकों को कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और समुद्री उत्पात निर्यात विकास प्राधिकरण के साथ सम्बद्ध करने का है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या कोंकण क्षेत्र में फल और समुद्री उत्पादों की निर्यात क्षमता का अनुमान लगाया गया है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) निर्यातकों, किसानों और उनके संगठनों को कृषि तथा संसाधित खाद्य उत्पादों के निर्यात का विकास करने के लिए सहायता दे रहा है। पिछले वर्ष सरकार ने महाराष्ट्र में निम्नलिखित पार्टियों को सहायता दी थी :—

(I) महा ग्रेप्स को बुनियादी सुविधाओं के विकास, पैकेजिंग के विकास तथा निर्यात वृद्धि की योजनाओं के अन्तर्गत।

(II) "माफको"—सैम्पुलों के प्रेषण के लिए।

(III) "ओरिएंटल फ्लोरटेक" को रेफ्रिजरेटिड परिवहन सुविधाओं की खरीद के लिये

ए०पी०डा० ने ब्रूसेल्स से एक विशेषज्ञ को भी इस काम के लिए बुलाया था कि वह रेफ्रीजरेटिड कंटेनरों के जरिए अंगूरों के प्रेषण की देखभाल करे और इस संबन्ध में आमों के बारे में अध्ययन करें। चालू वर्ष के दौरान ए० पी० डा० ने एक गैर सरकारी निर्यातकर्ता की सहायता की है और उसे रेफ्रिजरेटिड कंटेनरों में आम के परिवहन के लिए तकनॉलाजी उपलब्ध कराई है।

इसी प्रकार, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) ने भी कोंकण क्षेत्र में विकास और वृद्धि के कार्यक्रम बनाए हैं जो जलजीव-पालन के जरिए श्रिम्प के निर्यात उत्पादन के बारे में है।

फलों के उत्पादकों को और समुद्री उत्पादों के उत्पादकों को क्रमश: ए०पी०डा० और एम्पीडा के बोर्डों में प्रतिनिधित्व दिया गया है।

(घ) से (च) ए०पी०डा० ने निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई क्षेत्रवार सर्वेक्षण नहीं किया है। परन्तु राज्य सरकारें यदि चाहें तो निश्चित क्षेत्रों के सर्वेक्षण के लिए ए०पीडा० की सहायता ले सकती है।

एम्पीडा ने महाराष्ट्र में समुद्री उत्पादों की निर्यात संभावनाओं के लिए एक सर्वेक्षण किया है। इस सर्वेक्षण के फलस्वरूप पता लगा है कि महाराष्ट्र के समुद्री तट के पास 4.61,000 टन समुद्री उत्पादों के उत्पादन की पूरी संभावना है।

अन्य देशों से "पी० वी० सी० रेजिन"

3632. **श्री कमला मिश्र मधुकर** :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका, ब्राजील, मैक्सिको, अर्जेन्टीना और दक्षिण कोरिया जैसे अनेक देश हमारे देश को कौड़ियों के भाव "पी० वी० सी० रेजिन" देते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और घरेलू बाजार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं या उठाये जाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) पी० वी० सी रेजिन मैन्यूफैक्चरर्स एसोसियेशन, बम्बई ने आरोप लगाया है कि अर्जेन्टाइना ब्राजील, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से उत्पन्न पी० वी० सी० रेजिन को भारत में ऐसी कीमत पर झोंका जा रहा है जो कि मूल देश के घरेलू बाजार में बिक्री कीमत से भी कम है एसोसियेशन के अनुसार विदेशी

आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा पी० वी० सी० रेजिन के जमाव से घरेलू मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा नई क्षमता की स्थापना पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और इससे क्षमता उपयोग के स्तर में कमी आएगी ;

2. सीमा शुल्क टेरिफ (झोंके गए माल पर शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क को पहचान, निर्धारण एवं वसूली और नुकसान का निर्धारण (नियम 1985 के अनुसार, विनिर्दिष्ट प्राधिकरण ने पी० वी०सी० रेजिन के तथाकथित जमाव की वर्तमान स्थिति उसकी मात्रा तथा प्रभाव के बारे में पाटन-रोधी जांच शुरू कर दी है।

प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण

3633. श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उड़ीसा में चांदीपुर में लम्बी दूरी के प्रक्षेपास्त्रों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन परीक्षणों के कारण कुल कितने व्यक्ति विस्थापित हुए और कुल कितना क्षेत्र प्रभावित हुआ ;

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजे के तौर पर कितनी सहायता दी गई है अथवा दी जायेगी और इन परीक्षणों के दौरान उनके लिए कुल कितने राहत शिविरों की स्थापना की गई ; और

(ङ) इन पर सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि व्यय की गई ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) पुनः प्रवेश प्रौद्योगिकी प्रदर्शक "अग्नि" का दूसरा उड़ान परीक्षण अंतरिम परीक्षण रेंज, चांदीपुर, उड़ीसा में किया गया था। उड़ान के दौरान अत्यधिक उड़ान भार से उत्पन्न "कन्ट्रोल स्ट्रक्चर इंटरऐक्शन" के कारण यह उड़ान परीक्षण पूर्णतः सफल नहीं रहा।

(ग) 'अग्नि" प्रक्षेपास्त्र के प्रक्षेपण स्थल के आस-पास 3.5 कि० मी० के प्रभावित सुरक्षा क्षेत्र से लगभग 11000 व्यक्तियों को हटाया गया।

(घ) बालासोर के जिला कलेक्टर के माध्यम से 12 वर्ष से अधिक आयु के विस्थापित व्यक्तियों को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 100/-रु० की दर से 12 वर्ष से कम आयु के विस्थापित व्यक्तियों को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 50/-रु० की दर से नकद भुगतान किया गया है। विस्थापित्त व्यक्तियों को मुआवजे के नकद भुगतान के अलावा भोजन और आवास, मनोरंजन, चिकित्सा सहायता तथा वाहनों की सुविधाएं भी मुहैया कराई गईं। विस्थापित व्यक्तियों को बालासोर के जिला कलेक्टर की देख-रेख में उड़ीसा सरकार द्वारा स्थापित 05 राहत शिविरों में पहुंचाया गया।

(ङ) इस कार्य पर 24.40 लाख रु० खर्च किए गए हैं।

चन्दन की लकड़ी के लट्ठों का निर्यात

3634. श्रीमती चन्द्र प्रभा आर्य :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चन्दन की लकड़ी का लट्ठे के रूप में निर्यात करने पर प्रतिबन्ध लगा है ;

(ख) क्या कर्नाटक में चन्दन की लकड़ी के लट्ठों का एक बड़ा भण्डार जमा हो गया है और इस पर प्रतिबन्ध लगा होने के कारण क्रेता इसे उठा नहीं रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार चन्दन की लकड़ी के कुछ प्रतिशत लट्ठों को निर्यात की अनुमति देने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हाँ ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(घ) प्रश्न नही उठता ।

विवरण

कर्नाटक के सरकारी चन्दन डिपोज में लगभग 4000 टन चन्दन की लकड़ी एकत्र हो गई है । दिनांक 19 फरवरी, 1992 को आयोजित एक सरकारी निलाम में 453 टन की बिक्री हुई थी । परन्तु खरीदार चन्दन की लकड़ी उठा नहीं रहे हैं और यह मांग कर रहे हैं कि यदि चन्दन की लकड़ी का निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जाती तो उनकी जमानती धनराशि वापस कर दी जाये । आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक ने 19 मई, 1991 को एक विशेष मामले के रूप में बिलेट ओर रूट के रूप में 2000 टन चन्दन की लकड़ी के लिए अनुमति दे दी थी । किन्तु यह निर्यात नहीं हो सका क्योंकि साऊथ इंडिया सेंडलवुड प्रोडक्ट्स डीलर्स ऐंड एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन नें तमिलनाडु उच्च न्यायालय में एक प्रादेश याचिका दायर कर दी थी । अतः यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

औसत सम्पत्ति

3635. **श्री राम सिंह काश्वा :**

श्री बलराज पासी :

श्री मती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति परिवार की औसत चल और अचल सम्पत्ति के बारे में कोई अध्ययन कराया है ;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में यदि कोई विषमता है तो उसे दूर करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के सहयोग से "अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण 1981-82" आयोजित किया था । इस सर्वेक्षण में दिनाक 30 जून, 1981 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में

प्रति परिवार (पर हाऊस होल्ड) अचल और चल सम्पत्ति के औसत मूल्य के बारे में सूचना इकट्ठी की गयी थी, जोकि संलग्न विवरण में दी गई है। सरकार की नीति सदैव कृषि में उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा देने की है। इसके लिए अपनाई जाने वाली नीति में भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, सिंचाई तथा जल निकास में अधिकतम निवेश, जल प्रबन्धन पद्धति में सुधार, भूमि की किस्म में गिरावट पर नियंत्रण, ऋण पद्धति को मजबूत बनाना और कृषि विस्तार एवं अनुसंधान में सुधार शामिल हैं। सरकार समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०) और जवाहर रोजगार योजना जैसे विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के निधिकरण को जारी रखने और उनमें सुधार करने के लिए वचनबद्ध है।

विवरण

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औसत चल और अचल सम्पत्ति
(प्रति परिवार औसत मूल्य रुपए में)

राज्य	ग्रामीण क्षेत्र			शहरी क्षेत्र		
	*अचल संपत्ति	चल संपत्ति	कुल	*अचल संपत्ति	चल संपत्ति	कुल
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	21015	5232	26247	22171	9531	31702
असम	15506	4997	20503	19900	12379	32279
बिहार	28079	4268	32347	24340	11154	35494
गुजरात	27865	9011	36876	26378	16503	42881
हरियाणा	75789	15161	90950	41634	17708	59342
हिमाचल प्रदेश	52042	10516	62558	39442	14027	53469
जम्मू व कश्मीर	49990	9011	59001	71260	12379	83639
कर्नाटक	26446	6606	33052	28453	13798	42251
केरल	67820	8659	76479	92586	18962	111548
मध्य प्रदेश	23566	6159	29725	15969	11425	27394
महाराष्ट्र	29031	6046	35077	25535	16943	42478
उड़ीसा	14773	2857	17630	12752	8596	21348
पंजाब	82568	14063	96631	41861	12961	54822
राजस्थान	30423	10465	40888	26390	13416	39806
तमिलनाडु	14588	4932	19520	20393	13201	33594

1	2	3	4	5	6	7
उत्तर प्रदेश	38364	6296	44660	28291	9535	37826
पश्चिम बंगाल	17118	3592	20710	18603	9601	28204
अखिल भारत	29894	6196	36090	27592	12981	40573

*अचल संपत्ति में भूमि और भवन शामिल हैं।

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कॉफी की बिक्री

3636. **श्री बी० धनंजय कुमार :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991-92 के दौरान और उसके बाद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कॉफी की बिक्री तथा इसके मूल्य में भारी गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) वर्ष 1990-91 की तुलना में 1991-92 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कॉफी की बिक्री में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं आई। तथापि, विश्व की वेशी की स्थिति को देखते हुए कॉफी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, अप्रैल— जून, 1992 में हुए निर्यातों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में गिरावट रही है। इसका मुख्य कारण यह था कि पिछले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में कॉफी के कुल 19,117 मी० टन के निर्यात में से 11,750 मी० टन कॉफी का कॉफी बोर्ड द्वारा भूतपूर्व यू० एस० एस० आर० को प्रत्यक्ष बिक्री द्वारा निर्यात किया गया था जबकि चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में रूस को कोई प्रत्यक्ष बिक्रियां नहीं की गई क्योंकि संविदा को जुलाई, 1992 में ही अन्तिम रूप दिया गया था। इसके अलावा वर्ष 1991 की तुलना में 1992 में विश्व की कीमतों में पर्याप्त कमी होने से निर्यातों में गिरावट आ गई थी। अगस्त के बाद से रूस के साथ की जाने वाली प्रत्यक्ष निर्यात संविदा के अंतर्गत लदानों से स्थिति में सुधार आने की सम्भावना है। भारत अंतर्राष्ट्रीय कॉफी करार के लिए वाली समझौता-वार्ताओं में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कीमत स्थिति के बेहतर होने में सहायता मिलने की आशा है।

इंजीनियरी सामान का निर्यात

3637. **श्री शरत चन्द्र पटनायक :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1992-93 के दौरान इंजीनियरी सामान के निर्यात में वृद्धि करने की दृष्टि से नए क्षेत्रों की पहचान की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् ने दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों की वर्ष 1992-93 के लिए थ्रस्ट बाजार के रूप में पहचान की है ।

सरकार ने इंजीनियरी क्षेत्र की निम्नलिखित आठ निर्यात मदों की भी पहचान की है, जो तीन वर्ष की अवधि में डालर में या मात्रा में 30 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त कर सकती हैं :

(1) इलैक्ट्रिक पावर जेनेरेशन एवं वितरण उपस्कर ;

(2) दुपहिए वाहनों सहित सभी प्रकार के पूर्ण वाहन ;

(3) आटो कम्पोनेंट्स ;

(4) साइकिल एवं पुर्जे ;

(5) ढलाई एवं गढ़ाई ;

(6) आई० सी० इंजन एवं पुर्जे ;

(7) हाथ के औजार ; और

(8) चीनी मशीनरी ।

निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान योजना

3638. **श्री आर्च फर्नान्डीज :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान योजना के अन्तर्गत विशेष निर्यात बाध्यता सहित शुल्क की रियायती दरों पर पूंजीगत सामान का आयात करने की व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वदेशी लीजिंग कंपनियों के माध्यम से आयात के लिए वित्त प्रदान करने हेतु निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान लाइसेंस की अनुमति देने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) कोई ई० पी० सी० जी० लाइसेंस धारक दोनों पक्षकारों के बीच पक्की संविदा के आधार पर किसी घरेलू पट्टादाता कम्पनी से पूंजी माल जुटा सकता है । ऐसे मामले में घरेलू पट्टादाता कम्पनी का नाम ई० पी० सी० जी० लाइसेन्स पर पृष्ठांकित कर दिया जाएगा ताकि वह रियायती शुल्क दर पर पूंजीगत माल का आयात कर सके और उसे ई० पी० सी० जी० लाइसेन्स धारक को ऐसी शर्तों पर सप्लाई कर सके जो कि दोनों पक्षकारों के बीच परस्पर सहमति से निर्धारित की गई हों । किन्तु उसका निर्यात दायित्व ई० पी० सी० जी० लाइसेन्स धारक के जिम्मे होगा । यदि ई० पी० सी० जी० लाइसेंस धारक संविदा का उल्लंघन करता है और उसके परिणामस्वरूप पट्टादाता कम्पनी पूंजीगत माल को पुनः प्राप्त कर लेता है तो ऐसी स्थिति में लाइसेंसिग प्राधिकारी द्वारा ई० पी० सी० जी० लाइसेन्स धारक पर हर्जाना एवं प्रतिभूति इकरारनामा प्रवर्तित किया जाएगा ।

बन्द तथा रुग्ण वस्त्र मिलें

[हिन्दी]

3639. प्रो० रासा सिंह रावत :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि को देश में कितनी वस्त्र मिलें बंद तथा रुग्ण पड़ी हैं और राज्यवार और मिलवार कितने मजदूर बेरोजगार हो गये हैं ;

(ख) इन मिलों को बंद करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन मिलों में कार्यरत छंटनी किये गये मजदूरों को देय कुल राशि का भुगतान कर दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) 31-5-92 की स्थिति अनुसार 134 सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें बंद पड़ी हैं तथा 31-12-91 की स्थिति अनुसार बी० आई० एफ० आर० के पास पंजीकृत रुग्ण मिलों की संख्या 199 है। बन्द पड़ी मिलों की संख्या तथा बेरोजगार हुए कामगारों की संख्या तथा मिलों के बन्द होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) अधिकांश वस्त्र मिलें निजी क्षेत्र में हैं तथा निजी मिलों के मामले में सांविधिक लाभ का भुगतान मिल मालिकों द्वारा किया जाता है। तथापि, सरकार ने वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना के अंतर्गत 24 पात्र मिलों के 24,097 कामगारों को 44.82 करोड़ रु० की राशि का भुगतान किया है।

विवरण

क्रम सं०	मिल का नाम	कामगारों की संख्या	बन्द होने के कारण
1	2	3	4
	आन्ध्र प्रदेश		
1.	दि आन्ध्र कोआप० स्पि० मिल्स लि०	1240	वित्तीय संकट
2.	करीम नगर कोआप० स्पि० मिल्स लि०	339	ब्यौरों की प्रतीक्षा है
3.	श्री रामचन्द्र स्पि० मिल्स	93	वित्तीय संकट
4.	आन्ध्र काटन मिल्स लि०	883	,,
5.	श्री निवास स्पि० मिल्स (प्रा०) लि०	45	,,
6.	श्री श्रीनिवास स्पि० मिल्स प्रा० लि०	68	,,
7.	श्री कल्याण श्रीनिवास टैक्स० लि०	25	योग्य व्यक्तियों की कमी

1	2	3	4
8.	फैनो फाइबर्स लि०	234	अग्नि दुर्घटना के कारण
9.	दिवान बहादुर रामगोपाल मिल्स लि०	641	श्रमिक समस्या
बिहार			
10.	पंडाल कोआप० स्पि० मिल्स लि०	1	जानकारी नहीं
11.	मैसर्स सिवान कोआप० स्पि० मिल्स लि०	83	वित्तीय संकट
12.	बिहार काटन मिल्स लि०	500	वित्तीय समस्याएं
अहमदाबाद			
13.	फाइन निटिंग कं० लि०	191	प्रबंधन द्वारा छंटनी
14.	अहमदाबाद जुबली मिल्स लि० (अहमदाबाद मैन्यु० कालिको कं० लि० 2)	3598	विद्युत आपूर्ति विच्छेदन
15.	ओमेक्स इन्वैस्टर्स लि० (न्यू गुजरात सिंथेटिक्स	2758	वित्तीय संकट
16	अहमदाबाद श्री रामकृष्णन मिल्स कं० लि०	1754	,,
17.	अजीत मिल्स लि०	1412	वित्तीय संकट
18.	अरुण मिल्स लि०	3210	वित्तीय संकट
19	अरोदया गिनिंग एण्ड मैन्यु० कं० लि०	2858	वित्तीय संकट
20.	अरोदया स्पि० एण्ड वी० कं० लि०	1500	विद्युत आपूर्ति विच्छेदन
21.	प्रसाद मिल्स लि०	1384	वित्तीय संकट
22.	भारत सूर्योदय मिल्स कं० लि०	3758	वित्तीय संकट
23.	कर्माशियल अहमदाबाद मिल्स कं० लि०	2184	वित्तीय संकट
24.	न्यू गुजरात सिंथेटिक्स लि० नं० 1	2686	,,
25.	न्यू गुजरात सिंथेटिक्स लि० नं० 2	2099	,,
26.	श्री बंशीधर स्पि० एण्ड वी० मिल्स प्रा० लि०	1501	,,
27.	कन्टीनेन्टल टैक्सटाइल मिल्स लि०	2019	विद्युत आपूर्ति विच्छेदन
28.	दि नूतन मिल्स लि०	2161	विद्युत आपूर्ति विच्छेदन
29	श्री अम्बिका मिल्स लि० नं० 1	4875	वित्तीय संकट
30.	श्री विवेकानन्द मिल्स लि०	1297	वित्तीय समस्याएं
31.	विजय मिल्स कं० लि०	1920	वित्तीय समस्याएं
32.	श्री अमरुता मिल्स लि०	1744	वित्तीय संकट
33.	अहमदाबाद काटन एण्ड मैन्यु० कं० लि०नं०1	1408	वित्तीय समस्याएं

1	2	3	4
34.	मलाकिया मिल्स कं० लि०	1726	वित्तीय समस्याएं
35.	तरुण कर्मशियल मिल्स लि०	2033	वित्तीय समस्याएं
36.	मानकचौक एण्ड अहमदाबाद मैन्यु० कं० लि०	1345	वित्तीय समस्याएं
37.	मार्सडन स्पि० एण्ड मैन्यु० कं० लि०	2296	वित्तीय समस्याएं
38.	अभय मिल्स लि० (न्यू असरवा मिल्स)	1423	वित्तीय समस्याएं
	गुजरात		
39.	श्री महुवा स्पि० मिल्स कं० प्रा० लि०	260	वित्तीय संकट
40.	गांधीधाम स्पि० एण्ड मैन्यु० कं० लि०	611	विद्युत आपूर्ति विच्छेदन
41.	श्री माण्डवी स्पि० मिल्स लि०	310	वित्तीय संकट
42.	श्री यमुना मिल्स कं० लि०	948	वित्तीय संकट
43.	गायकवाड़ मिल्स लि०	2031	विद्युत आपूर्ति विच्छेदन
44.	नवज्योति टैक्सटाइल मिल लि०	887	वित्तीय संकट
45.	कलोल मिल्स लि०	1626	विद्युत आपूर्ति विच्छेदन
46.	नवजीवन मिल्स लि०	2818	"
47.	महाराणा मिल्स लि०		वित्तीय संकट
	हरियाणा		
48.	हिसार टैक्सटाइल मिल्स	3779	कामगारों द्वारा हड़ताल
49.	उषा स्पि० एण्ड वी० मिल्स लि०	1513	वित्तीय संकट
50.	मोहन स्पि० मिल्स	1276	श्रमिक अशान्ति
51.	एल्सन काटन मिल्स (प्रा०) लि०	1038	श्रमिक समस्याएं
52.	भिवानी टैक्सटाइल मिल्स	2968	कामगार समस्याएं
	कर्नाटक		
53.	बागलकोट कोआप० स्पि० मिल्स लि०	930	विद्युत आपूर्ति समस्या
54.	दि कोआप० स्पि० मिल्स लि०	735	विद्युत आपूर्ति समस्या
55.	चन्द्रा स्पि० एण्ड वी० मिल्स (प्रा०) लि०	150	कपास की गैर-आपूर्ति
56.	चिगातेरी मिल्स	320	कामगारों की हिस्सेदारी की समस्या

1	2	3	4
57.	बेलारी स्पि० एण्ड वी० कं० लि०	298	वित्तीय समस्या
58.	श्री शंकरा टैक्सटाइल मिल लि०	624	श्रमिक समस्या
59.	श्री कृष्णराजेन्द्र मिल्स लि०	3304	श्रमिकों द्वारा हड़ताल
60.	टी० आर० मिल्स (प्रा०) लि०	79	,,
	केरल		
61.	अल्लाप्पा टैक्सटाईल्स कोचीन मिल्स	1108	बंद होने के ब्यौरों की प्रतीक्षा
	मध्य प्रदेश		
62.	बिलासपुर स्पि० मिल्स एण्ड इंडस्ट्रीज लि०	1226	वित्तीय संकट
63.	होप टैक्सटाईल्स (यूनिट सं०)	268	,,
64.	विनोद मिल्स कं० लि०	3249	,,
65.	दि हुकमचन्द मिल्स लि०	5659	,,
66.	होप टैक्स० लि० (नंदलाल भण्डारी मिल्स यूनिट-1	2368	,,
	बम्बई		
67.	ब्रेडबरी मिल्स लि०	3093	,,
68.	मुकेश टैक्सटाईल मिल्स	1658	श्रमिक हड़ताल
69.	कमला मिल्स लि०	3050	वित्तीय संकट
70.	माडर्न मिल्स लि० नं० 2	2426	,,
71.	न्यू ग्रेट ईस्टर्न स्पि० एण्ड वी० कं० लि०	1275	,,
72.	दि रघुवंशी मिल्स लि०	1451	,,
73.	श्रीनिवास काटन मिल्स लि०	5322	विद्युत आपूर्ति विच्छेदन
	महाराष्ट्र		
74.	यवसमल जिला साह सूत व कपड़ गिरनी लि०	1588	वित्तीय संकट
75.	औरंगाबाद जिला साह सूत गिरनी लि०	385	,,
76.	लोकमान्य मिल्स बर्शी लि०	547	,,
77.	किरण स्पि० मिल्स	1197	तालाबन्दी

1	2	3	4
78.	न्यू रवि स्पि० एण्ड वी० कं लि०	34	उपलब्ध नहीं
79.	राजन टैक्सटाइल मिल्स (प्रा०) लि०	227	,,
80.	खण्डेश स्पि० एण्ड मैन्यु० कं० लि०	2754	वित्तीय संकट
	उड़ीसा		
81.	गंगापुर वीवर्स कोआप० स्पि० मिल्स लि०	1540	विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा
82.	लिंगराज टैक्सटाईल्स (प्रा०) लि०	1	कामगारों द्वारा भत्तों की मांग
83.	उड़ीसा टैक्सटाइल मिल्स लि०	4812	विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा
	राजस्थान		
84.	जयपुर स्पि० एण्ड वी० मिल्स लि०	821	वित्तीय संकट
85.	पोद्दार स्पि० मिल्स	947	विद्युत आपूर्ति विच्छेदन
86	सुदर्शन टैक्सटाईल्स	1675	वित्तीय संकट
87.	सराफ सिंथेटिक्स (राज०) लि०	1196	,,
88.	कृष्णा मिल्स लि०	1398	,,
	कोयम्बूटर		
89.	जयलक्ष्मी मिल्स (प्रा०) लि०	973	,,
90.	मधु स्पि० एण्ड वी० मिल्स (प्रा०) लि०	454	कामगारों द्वारा हड़ताल
91.	श्री अरुणाचलेश्वर मिल्स	152	छंटनी
92.	के० पी० वी० टैक्सटाईल्स	219	कामगारों की मांग
93.	के० सी० एस० स्पिनर्स	168	हड़ताल
94.	सुबैया टैक्सटाईल्स	45	,,
95.	सूर्य स्पि० मिल्स (प्रा०) लि०	200	,,
96.	दि कुमारन मिल्स लि० यूनिट-2	403	कामगारों द्वारा हड़ताल
97.	राधाकृष्ण मिल्स लि०	1,87	,,
98.	वसन्त मिल्स लि०	1283	वित्तीय संकट
	तमिलनाडु		
99.	कोठाडूम स्पि० मिल्स	260	,,
100.	कावेरी स्पि० एण्ड वी० मिल्स लि०	672	,,

1	2	3	4
101.	रुकमणि मिल्स लि०	413	जानकारी की प्रतीक्षा
102.	शिवकुमार स्पि० मिल्स (प्रा०) लि०	160	श्रमिक मांग
103.	एम० कमलम डाइंग काटन मिल्स	16	सामान संबंधी समस्या
104	शिवमणि स्पि० मिल्स लि०	275	वित्तीय संकट
105.	प्रभु स्पिनिंग मिल्स	40	जानकारी की प्रतीक्षा
106.	श्री अम्मन टैक्सटाईल्स	48	वित्तीय संकट
107.	गोल्डन स्पि० मिल्स (प्रा०) लि०	160	हड़ताल
108.	श्री बालाकृष्ण स्पिनर्स (प्रा०) लि०	34	बोनस सम्बन्धी विवाद
109.	श्री योगलक्ष्मी मिल्स (प्रा०) लि०	130	सामान संबंधी समस्या
110.	आइडियल मिल्स लि०	271	तालाबन्दी
111.	मुदालियानन्दन स्पि० मिल्स (प्रा०) लि०	100	वित्तीय संकट
112	पुनकोडी टैक्सटाईल्स	60	प्रतिकूल मार्किट हालात
113.	मेट्टूर टैक्सटाईल इण्डस्ट्रीज लि०	2514	हड़ताल
	कानपुर		
114.	जे० के० मैन्युफैक्चर्स लि०	2276	वित्तीय संकट
115.	जे० के० काटन स्पि० एण्ड वी० मिल्स कं० लि०	4880	तालाबन्दी
	उत्तर प्रदेश		
116.	मयूर सिंथेटिक्स लि०	1736	हड़ताल
117.	सन्त कबीर साह मिल्स लि०	1255	वित्तीय कमी
118.	यू० पी० सहकारी कताई मिल्स	1377	कार्यशील पूंजी की कमी
119.	मदन इण्डस्ट्रीज लि०	1017	वित्तीय नियंत्रण
120.	माडर्न स्पिनर्स लि० (मोदी यार्न मिल्स की (यूनिट)	2148	घाटे तथा श्रमिक समस्याएं
121.	विशाल सिंथेटिक्स लि० (मोदी सिंथेटिक्स लि०)	1059	वित्तीय समस्याएं
122.	यू० पी० स्टेट स्पि० मिल्स कं० लि०	2909	तालाबन्दी
123.	लार्ड कृष्णा टैक्सटाइल मिल्स	2424	,,

1	2	3	4
124.	मोदी स्पि० एण्ड वी० मिल्स कं० लि०	1404	बिजली आपूर्ति
125.	राजा टैक्सटाईल्स लि०	2344	कामगारों का विवाद
	प० बंगाल		
126.	इण्डिया लिनोलियम लि०	1136	जानकारी उपलब्ध नहीं
127.	पोद्दार प्रोजेक्ट्स लि०	1277	तालाबन्दी
128.	मोहिनी मिल्स नं० 2	2226	वित्तीय संकट
129.	स्वान मिल्स	1688	"
130.	डनाबार मिल्स लि० नं० 1 से 5	6000	हड़ताल
131.	इण्डिया जूट एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०	1484	कामगारों की प्रबंधन में अनुशासनहीनता तथा गैर-कानूनी गतिविधियां
132.	श्री दुर्गा काटन स्पि० एण्ड वी० मिल्स लि०	1484	वित्तीय संकट
133.	दि बंगोदिया काटन मिल्स लि०	837	"
	दिल्ली		
134.	दिल्ली क्लाथ मिल्स नं० 1,2 व 3	5161	दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश सं० एफ 26 (19)। एल ए बी दिनांक 30-3-89 द्वारा मिल को बन्द किये जाने की अनुमति।

उड़ीसा की सड़क परियोजनाएं

[अनुवाद]

3640. **श्री शिवाजी पटनायक :**

श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से शुरू की जाने वाली सड़क परियोजनाओं के कोई प्रस्ताव मंजूरी हेतु केन्द्रीय सरकार को भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) उड़ीसा में राज्यीय सड़कों पर बाढ़ से क्षतिग्रस्त 6 पुलों के पुनर्निर्माण के लिए उड़ीसा सरकार के प्रस्ताव का द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के एक भाग के रूप में विश्व बैंक द्वारा दी जाने वाली सहायता के लिए अनुमोदन कर दिया गया है जिसमें उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग पांच के भुवनेश्वर-जगतपुर खंड में चार लेन बनाना भी शामिल है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने विश्व बैंक की ऋण सहायता के लिए निम्नलिखित पांच प्रस्ताव परियोजित किए थे :—

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु०)
1.	बेरहामपुर-फूलबनी सड़क का सुधार	40.00
2.	पिपली-कोनार्क सड़क को 0.0 कि० मी० से 44.00 कि० मी० तक चौड़ा करके चार लेन बनाना	22.72
3.	भुवनेश्वर-पुरी सड़क को 0.0 कि०मी० से 159.00 कि० मी० तक चौड़ा कर के चार लेन बनाना	55.00
4.	गोपालपुर (गंजम जिले में) से चन्दनेश्वर तथा पश्चिम बंगाल में डीसा तक बरास्ता पुरी कोणार्क-पारादीप-धामरा पत्तन से पत्तन तक सड़क परियोजना	528.02
5.	कटक-चंदाबाली सड़क का सुधार 594	30.64

तथापि, विश्व बैंक इस समय राज्यीय सड़क परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।

आयुध फैक्टरियों द्वारा राकेटों का निर्माण

3641. श्री संदीपान भगवान थोरात :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपनी वर्ष 1992 की रिपोर्ट संख्या 8 में सेना के लिए एक विशेष प्रकार के राकेट के निर्माण में हुई देरी के कारण हुए घाटे के बारे में बताया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में की गई टिप्पणियों का क्या ब्यौरा है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) सरकार द्वारा राकेटों के निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) टिप्पणियों का ब्यौरा लोक सभा में 12 मई, 1992 को प्रस्तुत की गई नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की रिपोर्ट सं० 8/1992 के पृष्ठ 77 पर दिया गया है। मुख्य टिप्पणियां, समय/लागत अधिक लगने, सुविधाओं का उपयोग न किए जाने तथा मदें अपेक्षित स्तर की न होने से संबंधित हैं। जटिल एवं परिष्कृत किस्म के आयुध सामान का देश में विकास तथा निर्माण किए जाने में पहले से अज्ञात कारणों की वजह से समय/लागत अधिक लग जाती है। इन मदों का देश में उत्पादन किए जाने के प्रारंभिक चरणों में अपेक्षित स्तर प्राप्त किए जाने में भी कठिनाइयां आती हैं। तथापि, ये कठिनाइयाँ यथा समय दूर कर दी जाती हैं।

(ग) इस सम्बन्ध में ब्यौरे प्रकट करना जनहित में नहीं है।

बासमती चावल का निर्यात

3642. डा० परशुराम गंगवार :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भण्डारण सीमा लागू करने के पश्चात् बासमती चावल के निर्यात में पिछले तीन महीनों की तुलना में अप्रैल, 1992 में काफी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार को बासमती चावल का केवल निर्यात के लिए ही भंडारण करने के सम्बन्ध में भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जनवरी—अप्रैल, 1992 के दौरान बासमती चावल का निर्यात निम्नानुसार रहा :—

महीना	मात्रा (मी० टन)	मूल्य (करोड़ रु० में)
जनवरी, 92	24,980	51.72
फरवरी, 92	21,051	56.15
मार्च, 92	33,355	81.84
अप्रैल, 92	18,728	51.53

(ख) से (घ) सरकार को बासमती चावल को स्टॉक करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। चूंकि खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के संबंध में विनियामक उपाय करने की शक्तियां राज्य सरकारों के पास हैं इसलिए यह मामला बासमती चावल का उत्पादन करने वाले राज्यों तथा संघ शासित प्रदेश दिल्ली को सौंप दिया गया है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का कार्य निष्पादन

3643. श्री निर्मल कान्ति चटर्जी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लाभ कमाने वाली संस्था है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस की लाभ/हानि का वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के वर्तमान निगम के स्वरूप को बदलकर कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत उसे कम्पनी का स्वरूप देने का है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में किए गए सरकारी शेयरों के पूंजी-निवेश को कम करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, कर लगाने से पूर्व भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) द्वारा अर्जित लाभ नीचे दिए गए हैं :—

1989-90	1991-91	1991-92
290.9	398.1	573.9
करोड़ रुपए	करोड़ रुपए	करोड़ रुपए

टिप्पणी :— (I) लाभ में पूंजीगत लाभ शामिल हैं।

(II) 1989-90 तथा 1990-91 के लाभ सामान्य निधि एवं विकास सहायता निधि के तहत संयुक्त लाभ हैं।

कोई हानि नहीं हुई है।

(ग) और (ङ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत या तो एक कम्पनी में बदलने अथवा उस की शेयर धारिता विनिवेश करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (च) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

नौवहन कम्पनियों द्वारा पुराने जहाजों की खरीद

3644. **श्री विजय एन० पाटील** :

क्या जल-भूतल-परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या नौवहन कम्पनियां विदेशों से पुराने जहाजों की खरीद करती हैं :

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान कितने जहाज खरीदे गए ;

(ग) क्या नौवहन कम्पनियों को मालभाड़े की दरों में गिरावट की प्रवृत्ति तथा विदेशी नौवहन कम्पनियों से प्रतियोगिता के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो विदेशी नौवहन कम्पनियों की चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) नौवहन कम्पनियों में पिछले दो वर्षों के दौरान 14 पुराने जहाज खरीदे हैं।

(ग) पिछले कुछ महीनों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भाड़ा दरों में गिरावट रही है। इसके परिणाम स्वरूप, नौवहन कम्पनियों जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय भाड़ा दरों को मानना होता है तथा विदेशी नौवहन कम्पनियों के साथ प्रतियोगिता करनी होती है, की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(घ) सरकार द्वारा अभी हाल ही में किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :—

(I) जहाज खरीद प्रक्रिया का सरलीकरण।

(II) नौवहन कम्पनी के पास यदि खरीद के लिए वैध अनुमोदन है तो वह "बेयर बोट चार्टर-कम-डिमाइज" विधि के तहत जहाज खरीद सकती है।

(III) नौवहन कम्पनी सरकार का अनुमोदन प्राप्त किए बगैर 30,000 डी० डब्ल्यू० टी० तक के बल्क कैरियर्स खरीद सकती हैं।

(IV) जहाजों को भाड़े पर लेने के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त करना।

(V) जहाजों की बिक्री के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना।

महाराष्ट्र को शेयर धनराशि की वापसी

3645. श्री दत्ता मेघे :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र सरकार से उस शेयर धनराशि को वापसी करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है जो राज्य सरकार ने बम्बई के कपड़ा मिलों को दी थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इस धनराशि का कब तक भुगतान कर दिया जाएगा ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र सरकार को 6,17,48,189 रु० की राशि की देनदार है जो कि एन० टी० सी० (एम० एन०)' बम्बई के अधीन इंडिया यूनाइटिड मिल को कार्यशील पूंजी की स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई गारंटी के कारण पंजाब नेशनल बैंक को आज्ञापित राशि का भुगतान करने से संबंधित है। केन्द्रीय सरकार ने यह राशि राष्ट्रीय वस्त्र निगम को रिलीज की है जो कि इस संबंध में परिरक्षक है। अतः इस मामले में आगे कार्रवाई एन० टी० सी० द्वारा महाराष्ट्र राज्य सरकार से वास्तविक दावे प्राप्त होने पर ही की जा सकती है।

नशीले पदार्थों को जब्त करना

3646. श्री चेतन पी० एस० चौहान :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छ: महीनों के दौरान जब्त किए गए नशीले पदार्थों की मात्रा और मूल्य का ब्यौरा क्या है ;

(ख) जब्त किए गए पदार्थों का मुख्य स्रोत क्या है ;

(ग) जब्त किए गए नशीले पदार्थों का निपटान कैसे किया गया है ; और

(घ) कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) पिछले छ: महीनों के दौरान देश में जब्त किए गए स्वापक औषध एवं मन: प्रभावी पदार्थों की मात्रा निम्नानुसार सूचित की गई है :—

जब्त किए गए नशीले पदार्थ का नाम	वर्ष 1992 (जून तक) में जब्त की गई मात्रा। (कि० ग्रा० में)
हेरोइन	764
अफीम	535
मारफीन	7
गांजा	19,942
हशीश	1,699
मैथाक्वालोन	2 564
कोकीन	0.350

नशीले पदार्थों का मूल्य समय-समय पर तथा स्थान-स्थान पर रासायनिक मिश्रण के अनुसार बदलता रहता है और जो गुप्त बाजार से संबद्ध है। उसी तरह से, न तो उसका सही मूल्य निर्धारण करना सम्भव है और न ही आवश्यक, चूंकि उनमें से अधिकांश का निपटान उनको नष्ट करके किया जाना होता है।

(ख) जब्त किए गए नशीले पदार्थों के स्रोत का ठीक-ठीक पता लगाना सदैव सम्भव नहीं है। तथापि, जब्त की गई अधिकांश हेरोइन दक्षिण-पश्चिम एशिया से है तथा हशीश और गांजा पर्याप्त मात्रा में उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ-साथ देश की उत्तरी सीमा पार से जब्त किये जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(ग) जब्त किए गए नशीले पदार्थों का निपटान या तो स्वापक औषध एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 52 ए के अन्तर्गत मुकदमें से पूर्व अथवा मुकदमें के पश्चात् न्यायालय के आदेशों से नष्ट किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 10 कि० ग्रा० हेरोइन, 42 कि० ग्रा० हशीश तथा 5,411 कि० ग्रा० गांजा जून, 1992 तक नष्ट किया गया। इन आंकड़ों में 1992 से पहले की जब्तियां भी शामिल हैं।

(घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 4,029 व्यक्ति जून, 1992 तक गिरफ्तार किए गए। इसी अवधि के दौरान 1,777, 200, 663 व्यक्ति क्रमशः अभियोजित, दोषसिद्ध तथा मुक्त किए गए। अभियोजित, दोषसिद्ध तथा मुक्त व्यक्तियों के आँकड़ों में 6 महीनों से पहले के दर्ज किए गए मामले भी शामिल हैं।

रूस को निर्यात

3647. **श्री मनोरंजन भक्त :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान रूस को किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया गया ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान उसमे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान रूस को निर्यात की गई प्रमुख मदों में शामिल हैं : कृषि उत्पाद, खनिज तथा अयस्क रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद, चमड़ा तथा चमड़े से बने सामान, टेक्सटाइल तथा इंजीनियरी सामान।

(ख) भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 (दिसम्बर, 1991 तक) में व्यापार अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में हो रहा था। बाद की अवधि में रूस को दिए गए निर्यात से दुलर्भ मुद्रा अर्जन संबंधी आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के लिए विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की सहायता

3648. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम की रुग्ण मिलों को अर्थक्षम बनाने के लिए विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से ऋण लेने की योजना को अन्तिम रूप दिया है ;

(ख) यदि हां, तो बनाई गयी योजना का ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय वस्त्र निगम की किन शर्तों पर ऋण लेने का विचार है ;

(ग) सरकार को विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से कब तक ऋण मिल जाने की संभावना है ; और

(घ) कपड़ा मिलों के पुनर्गठन, आधुनिकीकरण और एकीकरण पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पुराना मंडोवी पुल

3649. श्री हरीश नारायण प्रभु झांटेय :

क्या जल-भूतल-परिवहन मंत्री 23 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4129 के दिये गये उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर पुराने मंडोवी पुल का पुनर्निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) परिनिर्धारित क्षति के रूप में कितना जुर्माना किया गया ; और

(ङ) पुल पर निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु बढ़ाया गया निर्धारित समय कितना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पुराने मंडोवी पुल को पुनः चालू करने में विलम्ब मुख्यतः पुराने ढांचे को गिराने के कठिन कार्य और जांच पड़ताल की वजह से कार्यक्षेत्र वृद्धि तथा मौजदा नींवों को मजबूत करने तथा अधिक कार्यकाल के लिए पूरक उपाय करने के कारण हुआ है।

(घ) 11.54 लाख रु०।

(ङ) दिसम्बर, 1992

चेलेय्या समिति की रिपोर्ट

3650. श्री प्रताप राव बी० भोंसले :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चैलेय्या समिति की अन्तिम रिपोर्ट मिल गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी नहीं ;

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों को सड़क निर्माण के लिए दी गई धनराशि

[हिन्दी]

3651. श्री रामटहल चौधरी :

डा० महादीपक सिंह शाक्य :

श्री नीतीश कुमार :

श्री राम लखन सिंह यादव :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने सड़क निर्माण हेतु राज्यों को पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी धन-रशि दी है ;

(ख) इन परियोजनाओं को पूरा करने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान कितनी धनराशि दिए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) संवैधानिक रूप से भारत सरकार मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों के लिए ही जिम्मेदार है। राज्यों के राष्ट्रीय राजमार्ग को छोड़कर अन्य सभी सड़कों के विकास के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारें ही अनिवार्य रूप से जिम्मेदार होती हैं। जहां तक राष्ट्रीय राजमार्ग का सम्बन्ध है, विभिन्न राज्यों में उनका विकास एक सतत् कार्य है जो राष्टीय राजमार्गों की वर्तमान स्थिति, यातायात सघनता, अखिल भारतीय आधार पर पारस्परिक प्राथमिकता तथा इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कुल निधियों को ध्यान में रख कर किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों मे सम्बन्धित अनुमोदित कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जारी की गई निधियां तथा चालू वर्ष के दौरान किए गए आवंटन को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

(लाख रु०)

क्रम सं०	राज्य का नाम	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	2000.00	2200.00	2455.00	2700.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	20.00	25.00	48.00	50.00
3.	असम	1100.00	1150.00	1225.00	1225.00
4.	बिहार	700.00	800.00	1142.00	1250.00
5.	चण्डीगढ़	30.00	50.00	28.00	50.00
6.	दिल्ली	575.00	350.00	550.00	650.00
7.	गोवा	950.00	700.00	930.00	850.00
8.	गुजरात	3200.00	3250.00	4700.00	4200.00
9.	हरियाणा	477.00	1250.00	1060.00	1620.00
10.	हिमाचल प्रदेश	1145.00	1125.00	1140.00	1150.00
11.	जम्मू और काश्मीर	395.00	300.00	50.00	50.00
12.	कर्नाटक	1800.00	1800.00	1175.00	1850.00
13.	केरल	1500.00	1300.00	1120.00	1800.00

1	2	3	4	6	5
14.	मध्य प्रदेश	1850.00	1850.00	1850.00	1850.00
15.	महाराष्ट्र	2006.00	2750.00	3358.00	3100-00
16.	मणिपुर	300.00	300.00	250.00	250.00
17.	मेघालय	400.00	300 00	450 00	350.00
18.	नागालैण्ड	100.00	50.00	48.00	50.00
19.	उड़ीसा	1295.00	1050-00	1384.00	1275.00
20.	पांडिचेरि	50.00	150.00	120.00	100.00
21.	पंजाब	2545.00	2900.00	2850.00	2150.00
22.	राजस्थान	1817.00	1700.00	1800.00	2430.00
23.	तमिलनाडू	2000.00	1375.00	1422.00	1550.00
24.	उत्तर प्रदेश	5550.00	6500.00	6025.00	5300.00
25.	पश्चिमी बंगाल	928.00	500.00	1634.00	2050.00
	जोड़ :	32558.00	33725.00	37484.00	37900.00

बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पदों का अनारक्षण

[अनुवाद]

3652. **श्री महेश कनोडिया :**

डा० रमेश चन्द्र तोमर :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुछ शाखाओं में लिपिक श्रेणी तथा उप-स्टाफ श्रेणी की प्रत्यक्ष भर्ती में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कुछ रिक्त पदों को अनारक्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) बैंकों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के पदों का अनारक्षण रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1988 से 1990 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण के सम्बन्ध में 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों से उपलब्ध सूचना अगले पृष्ठ पर दी गई है :—

वर्ष	लिपिकीय अनु० जा०	संवर्ग अनु० जनजाति	अधीनस्थ अनु० जाति	संवर्ग अनु० जनजाति
1988	190	140	93	65
1989	6	7	—	—
1990	—	—	—	—

इन पदों के लिए अनु० जाति/अनु०जन जाति के उचित उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने के कारण अनारक्षण करने की आवश्यकता पड़ी थी।

(ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को निम्नलिखित उपाय करने का परामर्श दिया गया है :

1. चयन के लिए सामान्य अभ्यार्थियों की तुलना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के निम्न कट आफ प्वाइंट निर्धारित किया गया है।

2. भर्ती परीक्षा के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को तैयार करने के लिए बैंकों द्वारा भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के हितों की रक्षा के लिए साक्षात्कार बोर्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य रखा गया है।

4 लिपिकीय संवर्ग में श्रेणी सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सेवाओं में उनकी भर्ती को सुविधाजनक बनाने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के लिए शैक्षणिक अर्हताओं को कम किया गया है।

5. साक्षात्कार प्रक्रिया के दौरान सामान्य उम्मीदवारों से उनकी तुलना न की जा सके इसके लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के साक्षात्कार पृथक बैठक/तारीखों में आयोजित किए जाते हैं।

6. बैंकिंग उद्योग में विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

7. साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को नियमानुसार, यात्रा खर्चों की वापसी अदायगी की जाती है।

8. यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पूर्ण अनुज्ञेय पिछले बकाया को मांग-पत्र में शामिल किया गया हैं, बैंकों और बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा एक विस्तृत प्रोफार्मा निर्धारित किया गया है।

9. लिपिकीय और अधीनस्थ संवर्गों के सम्बन्ध में दिनांक 1 4.1989 के बाद आरक्षित रिक्तियों का अनारक्षण बन्द कर दिया गया है।

प्राकृतिक रबड़ का आयात

[हिन्दी]

3653. श्री राजवीर सिंह :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990 और 1991 के दौरान कितनी मात्रा में प्राकृतिक रबड़ का आयात किया गया है और वर्ष 1992-93 में कितनी मात्रा में प्राकृतिक रबड़ का आयात किए जाने का विचार है ; और

(ख) इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है और होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान एस०टी०सी० द्वारा आयात की गई प्राकृतिक रबड़ की मात्रा तथा मूल्य निम्नानुसार है :—

वर्ष	आयात	
	मात्रा (एमटी)	मूल्य (रु०/करोड़)
1990-91	31,699	48.64
1991-92	शून्य	शून्य

वर्ष 1992-93 के दौरान एस०टी०सी० द्वारा प्राकृतिक रबड़ का आयात किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

केरल में केन्द्रीय सड़क निधि से सहायता प्राप्त योजनायें

[अनुवाद]

3654. श्री पी०सी० थामस :

श्री टी० बाइल जॉन जे० अंजलोज :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल की किन-किन योजनाओं के लिए केन्द्रीय सड़क निधि आबंटित की गई है ;

(ख) परियोजनावार उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है, और

(ग) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए वर्ष 1992-93 में केरल को केन्द्रीय सड़क निधि आबंटित किए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) केन्द्रीय सड़क निधि को संचालित करने वाले पुराने संकल्प के आधार पर 31.3.92 तक राज्य सरकार के लिए

उपलब्ध संभूतियों के लिए पिछले तीन वर्षों (अर्थात् 1.4.89 से 31.3.92 तक) के दौरान 319.30 लाख रु० लागत की निम्नलिखित दो स्कीमें अनुमोदित की गईं :—

क्रम सं०	स्कीम का नाम	अनुमोदित धनराशि
1.	कोचीन में एस० जी० रोड को सुधारना	54.30 लाख रु०
2.	केरल में अरुर-अस्कुट्टी पुल का निर्माण	265.00 लाख रु०
	योग	3.9.30 लाख रु०

उपर्युक्त स्कीमों सहित केंद्रीय सड़क निधि कार्यक्रम के तहत चल रही विभिन्न स्कीमों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल को निम्नलिखित निधियां दी गईं :—

वर्ष	दी गई निधियां (लाख रु०)
1989-90	135.016
1990-91	150.00
1991-92	40.00

चूंकि केन्द्रीय सड़क निधि को संचालित करने वाले पुराने संकल्प के अनुसार, राज्य सरकार ने संभूतियों का 31.3.92 तक पहले ही इस्तेमाल कर लिया है इसलिए 1992-93 के दौरान केरल के लिए के०स०नि० के तहत अनुमोदित की जाने वाली संभावित स्कीमों के ब्यौरे देना अभी संभव नहीं है क्योंकि यह अन्य बातों के साथ-साथ 13.5.88 को संसद द्वारा पारित संशोधित संकल्प के अनुसार केन्द्रीय सड़क निधि में वास्तविक वृद्धि केरल के लिए उपलब्ध मुक्त शेष तथा राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों पर निर्भर करेगा।

कम्पनियों द्वारा शेयरों के आवंटन में की गई हेराफेरी

3655. डा वसन्त पवार :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ कम्पनियों द्वारा कम्प्यूटरों के इस्तेमाल के माध्यम से लोगों को शेयरों का आवंटन करने में की गई हेराफेरी के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कम्पनीवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है/करने का प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

हथकरघा उद्योग का विकास

3659. श्री एन० डेनिस :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा हथकरघा क्षेत्र के विकास को, अन्य देशों के द्वारा अतिक्रमण किए जाने से बचाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलौत) : हथकरघा क्षेत्र को पावरलूम और मिल क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा से बचाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने हथकरघा क्षेत्र को कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने, अतिरिक्त रोजगार अर्जित करने, विपणन सहयोग और कल्याणकारी उपायों के लिए स्थायी प्रकार की चालू कई योजनाओं के कार्यान्वियन के अतिरिक्त कई कदम उठाए हैं—

(1) करघों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता।

(2) सुधरी प्रौद्योगिकी पर बुनकरों को विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण देने की योजना।

(3) देश के विभिन्न बुनकर सेवा केंन्द्रों के माध्यम से डिजाइन सहयोग और प्रौद्योगिक निवेश का प्रावधान।

(4) हथकरघा उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से करघों से पूर्व व इसके उपरान्त की प्रोसेसिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए राज्य हथकरघा विकास निगमों और हथकरघा सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता।

(5) हथकरघा क्षेत्र में अनन्य रूप से उत्पादन के लिए कुछ विशेष मदों को आरक्षित करक हथकरघा क्षेत्र को संरक्षण प्रदान करना।

(6) पावरलूम क्षेत्र की तुलना में हथकरघा क्षेत्र में कॉस्ट हैंडीकैप को दूर करने के लिए हथकरघा क्षेत्र को कई वित्तीय सुविधाएं देना।

विदेशी कम्पनियों के साथ सिविल निर्माण ठेके

3657. श्री विलासराव नागनाथ राव गून्डेवार :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने भारत में ठेके लिए थे ये ठेके कितने मूल्य के हैं और उन्हें किन-किन निर्माण कार्यों के लिए ठेके दिए गये हैं ;

(ख) इनमें से कौन-कौन से निर्माण कार्य पूरे होने वाले हैं ;

(ग) क्या भविष्य में इन कम्पनियों को इस प्रकार के और अधिक ठेकें दिये जायेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

कच्चे रेशम के आयात पर रोक

3658. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार को कच्चे रेशम के आयात पर रोक लगाने के लिए कहीं से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है क्योंकि इसका घरेलू मूल्य और इसके उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) जी हां। सरकार को रेशम के आयात पर पूरा प्रतिबन्ध लगाने के लिए कर्नाटक सरकार से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) नई निर्यात व आयात नीति के अन्तर्गत कच्चे रेशम को निसिद्ध सूची में शामिल किया गया है तथा इसका आयात केवल लाइसेंस के आधार पर अथवा इस सम्बन्ध में जारी की गई सार्वजनिक सूचना के अनुसार किया जा सकता है। इस प्रकार सरकार रेशम के आयात के सम्बन्ध में पहले से ही निषिद्ध दृष्टिकोण अपना रही है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि पेबरीन रोग के फूट पड़ने की स्थिति में जो 200 टन रेशम का आयात करने की अनुमति दी गई उसमें से 1?3.74 टन की शेष मात्रा का अब आयात करने की जरूरत नहीं है।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के व्यापार संबंध

3659. श्री हरि किशोर सिंह :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय के एक व्यापार इकाई (सिंगल ट्रेड यूनिट बनने से पूर्व उसके साथ व्यापार संबंध बढ़ाने के उद्देश्य से कोई संधि करने हेतु प्रयास किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) भारत ई० ई० सी० सम्बन्धों को मजबूत बनाने के लिए अर्थोपायों की जांच करने हेतु कदम उठाए गए हैं। एक कार्यदल की स्थापना की जा रही है जो एकीकृत रूप में आर्थिक, वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा पटसन के बोरों की खरीद किया जाना

3660. श्री सुधीर गिरि :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ति और निपटान महानिदेशालय ने पटशन के बोरों की खरीद के लिए पटसन मिलों को क्रयादेश देना बन्द कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली परिवहन निगम की कार्यप्रणाली में सुधार लाना

डा० महादीपक सिंह शाक्य :

श्री नीतीश कुमार :

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के पुनर्गठन और इसकी कार्य प्रणाली में सुधार लाने हेतु कोई उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है;

(ख) हदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा दिये गये सुझावों/की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम की पुनर्स्थापन के लिए परस्पर सम्बन्धित पैकेज तैयार करने हेतु वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 7 जनवरी, 1992 को सरकार द्वारा मन्त्रियों का एक दल गठित किया गया है। दल का गठन निम्न प्रकार है—

1. श्री मन मोहन सिंह (वित्त मंत्री)	:	अध्यक्ष
2. श्री एस० बी० चव्हाण (गृह मंत्री)	:	सदस्य
3. श्री सी० के० जाफर शरीफ (रेल मंत्री)	:	सदस्य
4. श्री पी० चिदम्बरम (राज्य मन्त्री स्वतन्त्र प्रभार) वाणिज्य मन्त्रालय	:	सदस्य
5. श्री जगदीश टाईटलर (राज्य मन्त्री) स्वतंत्र प्रभार) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय	:	सदस्य
6. श्री पी० के० थुंगन (उद्योग मन्त्रालय में राज्यमंत्री)	:	सदस्य

(ग) से (ङ) मंत्रियों के दल ने 1 जून, 1992 को हुई अपनी बैठक में जल-भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई दिल्ली परिवहन निगम के पुनर्स्थापन के लिए कार्य योजना पर विचार किया और कुछ सिफारिशें की। इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा अन्तिम अनुमोदन किए जाने के लिए आगे कार्रवाई की जा रही है।

स्वर्ण भण्डार

3662. **श्री चमेश पटेल :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण आयात नीति लागू करने के बाद देश में स्वर्ण भण्डार में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1990, 1 जनवरी, 1991, 1 जनवरी, 1992 और 30 जून, 1992 को स्वर्ण भण्डार की स्थिति क्या थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण भण्डार, जिसकी स्थिति नीचे दी गई है, के साथ स्वर्ण आयात नीति को लागू करने का कोई संबंध नहीं है।

इन तारीख को	भारतीय रिजर्व बैंक का स्वर्ण भण्डार (किलोग्राम में)
1 जनवरी, 1990	324,989
1 जनवरी, 1991,	332,563
1 जनवरी, 1992	350,921
30 जून, 1992	350,923

कोसी नदी का नेपाल के लिए जलमार्ग के रूप में विकास

[हिन्दी]

3663. **श्री सूर्य नारायण यादव :**

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में कोसी नदी को नेपाल सरकार के सहयोग से नेपाल के लिए जलमार्ग के रूप में विकसित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) केन्द्र सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में रबड़ के पेड़ लगाना

[अनुवाद]

3664. **श्री के० प्रधानी :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अब तक कितने हेक्टेयर भूमि में रबड़ के पेड़ लगाये गये हैं ;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान उड़ीसा में रबड़ की वार्षिक पैदावार कितनी हुई ;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में कितने हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में रबड़ के पेड़ लगाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) राज्य में रबड़ के पेड़ लगाने के लिये उपयुक्त पाये गये नये स्थानों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) उड़ीसा राज्य में अब तक 270 हेक्टेयर क्षेत्र में रबड़ के पेड़ लगाए गए हैं।

(ख) इन पेड़ों से अभी उपज प्राप्त होनी शुरू नहीं हुई है। वर्ष 1965 में प्रायोगिक आधार पर कुछ पौधे लगाए गए थे, इनके टैपिंग की जांच कर ली गई है और इनसे प्राप्त उपज उत्साहजनक पाई गई।

(ग) आठवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा राज्य में रबड़ के पेड़ लगाने के लिए 500 हेक्टेयर क्षेत्र का प्रस्ताव किया गया है।

(घ) रबड़ बोर्ड द्वारा इन क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने पर पता चला है कि उड़ीसा के मयूर भंज, बालासोर, कटक, पुरी, गंजम और ढेकनाल जिले के भीतरी क्षेत्र रबड़ के पेड़ लगाने के लिए उपयुक्त हैं।

असम के राज्य ग्रामीण विकास बैंक को पुनर्वित्त सुविधाएं

3665. **श्री उद्धव बर्मन :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आवास बैंक ने मकानों के निर्माण और मरम्मत के लिए असम के राज्य ग्रामीण विकास बैंक को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान की हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय आवास बैंक, असम सहित विभिन्न राज्यों के कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को उनके द्वारा संवितरित पात्र आवास ऋणों के संबंध में कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा जारी किए गए "विशेष ग्रामीण आवास डिबेंचरों" में (100% तक) अंशदान के रूप में, वित्तीय सहायता प्रदान करता है। असम राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि० ने, उनके द्वारा जारी किए जाने वाले, विशेष ग्रामीण आवास डिबेंचरों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा 50 लाख रुपए की सीमा तक अंशदान के वास्ते आवेदन किया था और उसे अनुमोदन प्रदान किया गया था। उनके द्वारा इसका उपयोग नहीं किया गया है।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

भारतीय पटसन निगम को बंद करना

3666. **प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती :**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन निगम ने अपने कार्य को चरणबद्ध रूप से बंद करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसके कितने कर्मचारियों की छंटनी हो जाने की संभावना है ; और

(ग) छंटनी किये गये श्रमिकों को वैकल्पिक रोजगार देने तथा पटसन उत्पादकों को समर्थन मूल्य देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं/उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कर्मचारियों को कपड़े की खरीद में रियायत

[हिन्दी]

3667. **श्री रामेश्वर पाटीदार** :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम अपने कर्मचारियों को निगम का कपड़ा खरीदने में रियायत देता है ;

(ख) यदि हां, तो निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों को कितनी रियायत दी जाती है ; और

(ग) ऐसी रियायत देने के क्या कारण हैं जबकि राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलें घाटे में चल रहीं हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) रियायत की सीमा 10 से 20% के बीच है तथा उच्चतम सीमा के अध्ययधीन होती है।

(ग) यह रियायत कर्मचारियों के लिए कल्याण उपायों का एक भाग हैं।

उड़ीसा सरकार को ऋण

3668. **श्री श्रीकांत जेना** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान कितनी धनराशि के ऋण की मांग की थी और यह किस प्रयोजनार्थ मांगा गया ;

(ख) राज्य सरकार को कितनी धनराशि का ऋण मंजूर किया गया ;

(ग) क्या दी गयी ऋण-राशि राज्य सरकार द्वारा मांगी गयी राशि से बहुत कम थी ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान उड़ीसा सरकार ने प्रारम्भिक घाटे को कवर करने के लिए 135 करोड़ रुपए तथा वर्ष के दौरान के बजटीय घाटे को पूरा करने के लिए 150 करोड़ रुपए की सहायता देने हेतु अनुरोध किया था। राज्य ने अपनी उसी वर्ष की वार्षिक योजना के वित्त पोषण के लिए 250 करोड़ रुपए के योजनागत ऋण हेतु भी अनुरोध किया था। 1991-92 में राज्य सरकार ने अपनी उस वर्ष की वार्षिक योजना की वित्त व्यवस्था के लिए 150 करोड़ रुपए के योजनागत ऋण हेतु भी अनुरोध किया था।

(ख) से (घ) राज्य सरकार के सभी अनुरोधों पर विचार किया गया था तथा 1990-91 के बजटीय घाटे को कवर करने के लिए राज्य को 100 करोड़ रुपए का योजना-भिन्न ऋण रिलीज किया गया था। 1990-91 में ही किए गए 250 करोड़ रुपए के योजनागत ऋण के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि वह अनुरोध नवें वित्त आयोग की दूसरी रिपोर्ट के पैरा 7.31 के अनुसरण में किया गया था जो कि एक सुझाव की तरह का था न कि सिफारिश थी और उसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया था। 1990-91 में 135 करोड़ रुपए की सहायता तथा 1991-92 में 150 करोड़ रुपए की सहायता के अनुरोधों को केन्द्र की वित्तीय कठिनाइयों को मद्देनजर रखते हुए स्वीकार नहीं किया गया था।

विदेशों से वाणिज्यिक ऋण

3669. **श्री मुमताज अंसारी :**

श्री राकेश कुमार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र की अनेक कम्पनियों तथा एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत संचालित अन्य कम्पनियों द्वारा विदेशों से उच्च ब्याज दर पर वाणिज्यिक ऋण लेने के मामलों में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों तथा एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत संचालिवत कम्पनियों द्वारा लिये गए वाणिज्यिक ऋणों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या प्रत्येक मामले में भारतीय रिजर्व बैंक अथवा सरकार से अनुमति लेना आवश्यक है ;

(घ) गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा वाणिज्यिक ऋण लेने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी कम्पनियों को ऋण लेने की अनुमति प्रदान की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां। मध्यावधि और दीर्घावधि विदेशी मुद्रा उधार लेने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक, दोनों की अनुमति देने की आवश्यकता है। विनिमय नियंत्रण मैनुअल की परिधि के अन्तर्गत लिए गए 6 महीने तक के व्यापार उधारों को छोड़कर एक वर्ष से कम अवधि के उधारों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति की आवश्यकता होती है।

(घ) विकास प्राथमिकताओं के संगत प्राकृतिक प्रयोजनों के लिए निजी क्षेत्र (प्राइवेट सेक्टर) की कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा उधार लने में कोई पाबंदी नहीं है बशर्ते कि उधार की शर्तें वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की गई हों।

(ङ) वर्ष 1989-90 से 1991-92 के दौरान निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों के संस्थानों की संख्या और उन्हें अनुमोदित विदेशी मुद्रा उधारों का मूल्य अगले पृष्ठ पर दिया गया है :—

मिलियन

वर्ष	संस्थानों की संख्या		मूल्य (अमरीकी डालर)	
	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी
1989-90	15	50	2517.29	662.95
1990-91	17	30	1357.25	382.73
1991-92	26	96	1160.48	529.29

दिल्ली-कानपुर सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

[अनुवाद]

3670. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**

श्री भगवान शंकर रावत :

श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

क्या **जल-भूतल-परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली से कानपुर तक की ग्रांण्ड ट्रंक रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए कई बार अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) वित्तीय कमी तथा अन्य प्राथमिकताओं के कारण उत्तर प्रदेश सहित अधिकांश राज्यों के ऐसे अनुरोधों को स्वीकार कर पाना संभव नहीं हुआ। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों ने लगभग 37,566 कि० मी० लम्बी सड़कों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किए जाने के लिए 135 प्रस्ताव भेजे हैं। इन प्रस्तावों को विस्तृत जांच किए जाने के प्रयोजन से राज्य सरकारों से निर्धारित फार्म में पूरे ब्यौरों। औचित्य इत्यादि का उल्लेख करते हुए प्रत्येक प्रस्ताव के बारे में सूचना देने का अनुरोध किया गया है। यह सूचना अनेक राज्यों से अभी भी आनी शेष है। निधियों का भी अभाव है। इसलिए, आठवीं योजना के दौरान, उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में किसी निर्णय के संबंध में अभी नहीं बताया जा सकता।

शाहजहांपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाई पास का निर्माण

[हिन्दी]

3671. **श्री सत्यपाल सिंह यादव :**

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री 30 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न सं० **5175** के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में बाई पास के निर्माण के मामले में, जो बहुत दिनों से लंबित पड़ा है, अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस बाई पास के निर्माण में ऐसी कौन-कौन सी कठिनाइयां आ रहीं हैं जिसके कारण इसका निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है ; और

(ग) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

जल भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि बाई पास के लिए जमीन का पूरी तरह से अधिग्रहण कर लिया गया है । 8.00 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से बाई पास के निर्माण को संस्वीकृति के लिए 1992-93 के वार्षिक कार्यक्रम में शामिल किया गया है । राज्य सरकार से कहा गया है कि वे सड़क तथा पुल अंशों सहित पूरी परियोजना से संबंधित प्राक्कलन भिजवाएं और उसके साथ आर्थिक विश्लेषण एवं पर्यावरण संबंधी प्रभाव की रिपोर्टों को भी संलग्न करें ।

अंडमान द्वीप समूह के निकट चीनी नौसैनिक अड्डा

[अनुवाद]

3672. डा० आर० मल्लू :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने अंडमान द्वीप समूह के निकट नौसैनिक अड्डा स्थापित किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) सरकार के पास इस मामले में कोई सूचना नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

हथकरघा मिलों का आधुनिकीकरण

3673. श्री चन्दूलाल चन्द्राकर :

श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितनी हथकरघा मिलें हैं और उनमें कितनी मिलें पुरानी हो गयी हैं ;

(ख) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में हथकरघा मिलों के आधुनिकीकरण और इनको प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना बनायी है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) 30.4.92 की स्थिति अनुसार 11.60 लाख विद्युत करघे पंजीकृत हैं । अप्रचलित विद्युत करघों के ब्यौरे नहीं रखे जाते ।

(ख) जी हां ।

(ग) 8 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 20 नए विद्युत करघा सेवा केन्द्र खोलने, विद्युत करघा के सहकारीकरण, विद्युत करघा बाहुल्य क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं प्रदान करने, विद्युत करघा कामगारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, सार्वजनिक क्षेत्र के गैर-अर्थक्षम वस्त्र एककों के बंद होने से बेरोजगार होने वाले संभावित कामगारों के लिए पुनर्वासन योजनाएं आदि बनाई गई हैं। 8 वीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत करघा क्षेत्र के लिए प्रस्तावित कुल परिव्यय 98.33 करोड़ रु० है।

चांदीपुर में चांदमारी क्षेत्र का विस्तार

3674. डा० कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चांदीपुर में चांदमारी क्षेत्र का विस्तार करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) कितने व्यक्तियों को विस्थापित किया जायेगा ; और

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को कितनी राशि का मुआवजा दिया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी, नहीं। लेकिन कुल 521 एकड़ भूमि जो सुरक्षा क्षेत्र का भाग है, अर्जित की जा रही है।

(ग) लगभग 600 व्यक्तियों को विस्थापित किया जाएगा।

(घ) अनुमान है कि भूमि के अर्जन पर प्रभावित व्यक्तियों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि सहित 1.45 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

महिला उद्यमियों को ऋण

3675. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों और सरकारी क्षेत्र की अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण/वित्तीय सहायता देने के लिए महिला उद्यमियों को एक पृथक श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या और अधिक महिलाओं को अपने कारोबार शुरू करने के लिए मदद देने हेतु कोई नये प्रस्ताव किये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) बैंक, महिला उद्यमियों को अपने प्राथमिकता क्षेत्र उधार कार्यक्रम के अंग के रूप में ऋण प्रदान करते हैं। बैंक अनुरोध पर तभी विचार करते हैं यदि ऋण के प्रस्ताव सक्षम हों। महिला हिताधिकारियों के हितों की सुरक्षा करने और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक से अधिक महिलाओं को प्राथमिकता क्षेत्र तथा अन्य गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत सहायता प्राप्त हो, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत महिला हिताधिकारियों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और सहायता प्राप्त करने वाले हिताधिकारियों में से 40% महिलाएं होनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी वाणिज्यिक बैंकों को ये अनुदेश जारी किए हैं कि जिन परिवारों की मुखिया महिलाएं हैं, उन्हें कृषि निवेशयों एवं ऋण के आबंटन में वरीयता प्रदान की जानी चाहिए। स्वरोजगार उद्यमों के लिए अनुरोध करने वाले बेरोजगार एवं अर्ध-बेरोजगार शहरी गरीबों को प्रोत्साहित करने के लिए बनायी गई शहरी अति लघु उद्यमियों की योजना के अन्तर्गत 30 प्रतिशत निधियां महिला हिताधिकारियों के लिए निर्धारित की जाती हैं। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत "महिला घर" जहां बिक्री योग्य सामान बनाया जाता है और जिसका वित्तपोषण करने के लिए कोई पर्याप्त और भरोसेमंद साधन नहीं है वे उत्पादक प्रयोजनों के लिए ऋण के पात्र हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक महिला उद्यमियों के लिए एक योजना का परिचालन कर रहा है जिसके अन्तर्गत उन्हें उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता देने के साथ-साथ प्रशिक्षण और विस्तार सेवा समर्थन भी प्रदान किया जाता है ताकि वे लघु क्षेत्र में इकाइयाँ स्थापित कर सकें। इसके अलावा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने "महिला उद्यम निधि" नामक एक योजना तैयार की है जो लघु क्षेत्र में नई औद्योगिक परियोजनायें स्थापित करने में महिला उद्यमियों को इक्विटी किस्म की सहायता प्रदान करती है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक उन स्वयं सेवी एजेंसियों को वित्तीय समर्थन प्रदान करने की एक योजना का भी परिचालन करता है जो महिलाओं के उत्थान में उनके लाभ के लिए काम करती हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम महिला उद्यमियों के लिए ब्याज सब्सिडी की एक योजना का परिचालन करता है। इस योजना के अन्तर्गत वह महिला उद्यमियों की उन परियोजनाओं को, जिनकी ग्रामीण, कुटीर, अति लघु, लघु क्षेत्र में 15 लाख रुपए तक की परियोजना लागत की है, 20,000/- रुपए वार्षिक की अधिकतम सीमा की शर्त पर एक वर्ष की अवधि के लिए राज्य वित्तीय निगमों या राज्य स्तरीय संस्थाओं या बैंकों द्वारा संवितरित ऋणों पर एक कालिक ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था के समायोजन कार्यक्रम की पुनरीक्षा

3676. श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष में 31 मार्च, 1992 तक की अवधि से संबंधित भारतीय अर्थ-व्यवस्था के समायोजन कार्यक्रम की पहली पुनरीक्षा पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ;

(ग) क्या दूसरी पुनरीक्षा इस वर्ष अक्तूबर में की जानी है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मूल बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) समीक्षा करने के बाद, वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत 2 जुलाई, 1992 को हमें 46.2 करोड़ रुपए एस० डी० आर० की किश्त प्राप्त हुई है।

(ग) वैकल्पिक व्यवस्था की दूसरी समीक्षा 30 नवम्बर, 1992 को पूरी करने का प्रस्ताव है।

(घ) ये विशेषताएं 1992-93 की आर्थिक नीतियों के ज्ञापन में बतायी गयी हैं जिसे वित्त मंत्री के दिनांक 2-6-92 के आशय-पत्र के साथ 10 जुलाई, 1992 को सभा पटल पर रखा गया था।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के छंटनी किए गए कामगारों के लिए प्रतिपूर्ति योजना के संबंध में त्रिपक्षीय समिति

3679. **श्री शंकर सिंह वाघेला :**

प्रो० रासा सिंह रावत :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने छंटनी प्रतिपूर्ति योजना तैयार करने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति गठित की है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कपड़ा निगम के प्रबंधकों द्वारा मिल-वार कितने श्रमिकों की छंटनी की गई ;

(ग) उनकी छंटनी के मुख्य कारण क्या हैं और क्या छंटनी किए गए श्रमिकों को सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है ; और

(घ) इस भुगतान के लिए उक्त अवधि के दौरान इन मिलों को सरकार द्वारा वर्ष-वार और मिल-वार राज सहायता के रूप में कुल कितनी धन राशि दी गई ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं।

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने किसी भी कामगार की छंटनी नहीं की है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विश्व बैंक सहायता हेतु उत्तर प्रदेश की योजनाएं

[हिन्दी]

3680. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु परियोजनावार कितनी ऋण राशि दी गई;

(ख) प्रत्येक मामले में उपयोग में न लाई गई धनराशि कितनी है ;

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्व बैंक सहायता हेतु भेजी गई उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जो केन्द्र सरकार के पास लम्बित है ; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के लिए उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक सहायता की वचनबद्ध परियोजनाओं की सूची और 30-6-92 को खर्च न हुई शेष राशि संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) और (घ) इस समय उत्तर प्रदेश राज्य में विश्व बैंक सहायता के लिए सक्रिय रूप से विचाराधीन योजनाएं संलग्न विवरण-II पर दी गई हैं। तथापि, परियोजनाओं का वचनबद्धता संबंधी समय और सीमा जिसे विश्व बैंक सहायता के लिए अन्तिम रूप से वचनबद्ध किया जाएगा, तैयारी की वास्तविक प्रगति, दाता अधिमानताओं और वचनबद्धता की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

विवरण-I

क्रम संख्या	परियोजना	निकासी न की गई अधिशेष राशि (30-6-92 की स्थिति के अनुसार)
		(सं०रा० डालर मिलियन)
1.	तकनीशियन शिक्षा-I	196.6
2.	बाल उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व	198.7
3.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण	84 0
4.	मत्स्य और झींगी मछली पालन	85.0

उपर्युक्त परियोजनाएं राष्ट्रीय/बहु-राज्यीय परियोजनाएं हैं जिनके एक भाग को उत्तर प्रदेश में भी कार्यान्वित किया जा रहा है। ये आंकड़े परियोजनाओं के लिए समग्र रूप में हैं।

विवरण-II

क्रम संख्या	परियोजना	पूर्वानुमानित परिव्यय
		(मिलियन अमेरिकी डालर)
1.	उ० प्र० प्राथमिक शिक्षा	200
2.	उ० प्र० सोडिक भूमि-उद्धार परियोजना	100
3.	उ० प्र० सार्वजनिक नलकूप-III	200

भारतीय वायु सेना में महिलाओं की भर्ती

[अनुवाद]

3681. यु० के० राममूर्ती टिंडिवनाम :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय वायु सेना में महिलाओं की भर्ती करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) किन-किन शाखाओं में ऐसी भर्तियां की जायेंगी तथा प्रत्येक शाखा में कितनी महिलाओं को नियुक्त किया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय वायुसेना में महिलाओं को प्रायोगिक आधार पर भर्ती किए जाने का निर्णय ले लिया गया है। चुनी गई महिला उम्मीदवारों को अस्थाई रूप से अल्पसेवा कमीशन प्रदान किया जाएगा और एक वर्ष उसकी पुष्टि कर दी जाएगी। उनकी नियुक्ति की अवधि 5 से 10 वर्ष तक की होगी जो विभिन्न शाखाओं में अलग-अलग होगी। महिला अफसरों को स्थाई कमीशन तभी दिया जाएगा जब वे इसके लिए उपयुक्त पाई जाएंगी और भारतीय वायुसेना को उनकी आवश्यकता होगी।

(ग) जिन शाखाओं में महिलाओं को भर्ती किए जाने का प्रस्ताव किया है वे हैं :— शिक्षा, प्रशासन, मौसम-विज्ञान, लेखा संभारिकी, उड़ान (पायलट)—परिवहन व्यवस्था, उड़ान (पायलट)—हेलिकाप्टर व्यवस्था, उड़ान (पायलट)—मार्गनिर्देशन, वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक) और वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रानिकी)। कुल 12 महिला उम्मीदवारों का चयन किया गया है और उन्हें प्रशासन और शिक्षा शाखाओं में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनकी भर्ती की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है।

एसोसियेशन आफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन्स (दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ देशों) के साथ व्यापार

[हिन्दी]

3682. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ के देशों के बीच व्यापार की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या इन देशों के साथ कोई संयुक्त उद्यम लगाने के लिए हाल ही में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 1991-92 के दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ हमारा कुल व्यापार 5505.72 करोड़ रु० का हुआ।

(ख) और (ग) जी, हां। जनवरी, 1992 से एशियन देशों से संयुक्त उद्यम के ग्यारह प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। विस्तृत विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

20 जुलाई, 1992 तक स्वीकृत संयुक्त उद्यमों की सूची

क्र० सं०	भारतीय कम्पनी का नाम	देश	क्षेत्र	भारतीय भागीदारी		प्रतिशत
1	2	3	4	5		6
1.	यूरो विस्टा ट्रेडिंग क० लि० बम्बई	सिंगापुर	व्यापार	सिंगापुर डालर	130,000	65%
2.	किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक क० लि० बंगलोर	—वही—	व्यापार	सिंगापुर डालर	93,750	37.5%
3.	कैपिटल ट्रस्ट लि० नई दिल्ली	—वही—	सूती धागे के निर्यात पर विशेष जोर देते हुए सामान्य व्यापार	सिंगापुर डालर	83,000	49%
4.	इंडियन टेलिफोन इण्डस्ट्रीज बंगलोर	—वही—	टेलिकम उपकरणों का विनिर्माण	अमरीकी डालर	1,51,250	55%
5.	अडवाणी ओरलीकोन लि० बम्बई	मलेशिया	वेल्डिंग एलेक्ट्रोड्स का विनिर्माण	मलयेशियाई डालर	5,00,000	25%
6.	टीटेनियम इक्विपमेण्ट एण्ड एनोड मैनुफै० का० लि० मद्रास	—वही—	टीटेनियम तथा टैन्टेलम की तरह की एरोटीक धातुओं से उपकरणों के निर्माण तथा ऊर्जा संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के बारे में परामर्शी सेवा	मलयेशियाई डालर	673,000	70%

1	2	3	4	5	6
7.	ए० टी० वी० प्रोजेक्ट्स इण्डिया लि० बम्बई	—वही—	चीनी मिल	मलयेशियाई डालर 20,000,000	50%
8.	कृष्णा उद्योग लि० कलकत्ता	मलयेशिया	स्टेनलेस स्टील/ रसोई के बर्तन	मलयेशियाई डालर 1,00,000	50%
9.	एस० एण्ड एस० पावर स्विचगियर	—वही—	स्वीचगियर, सर्किट ब्रेक्स	मलयेशियाई डालर 37,500	30%
10.	दी थिरूम्बाडी रबड़ का०लि०, कोयम्बतूर	थाइलैंड	सेन्ट्रीफ्यूज्ड़ लेटेक्स स्कीम ब्लाकों का निर्माण	बृहत 4530,000	60%
11.	इण्डियन एयरलाइन्स नई दिल्ली	—वही—	थाईलैण्ड के एरोनोटिक्स रेडियो में शेयरों की खरीद	बृहत 1,79,3000	—

बिहार को जनता कपड़े का नियतन

[अनुवाद]

3683. श्री छेदी पासवान :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को जनता कपड़े के नियतन का लक्ष्य राज्यों में चल रहीं हथकरघा मिलों और उनकी पूर्व उत्पादन क्षमता के आधार पर निर्धारित किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बिहार में जनता कपड़े का वार्षिक उत्पादन कितना रहा ;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बिहार को इस कपड़े का वार्षिक आबंटन कितना किया गया है और 1992-93 के लिए प्रस्तावित लक्ष्य कितना है ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं कि बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों को जनता कपड़ा आसानी से उपलब्ध हो सके ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) जी हां।

(ख) बिहार में वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान क्रमश: 12 मिलियन वर्ग मीटर और 11.64 मिलियन वर्ग मीटर जनता कपड़े का उत्पादन हुआ।

(ग) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बिहार को आबंटन किये जाने के लिए जनता कपड़े का लक्ष्य इस प्रकार है :—

(मिलियन वर्ग मीटर में)

वर्ष	उत्पादन का लक्ष्य
1990-91	42.16
1991-92	24.00
1992-93	21.50

(घ) लक्षित समूह में जनता कपड़े की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायित्व राज्य सरकारों को भारत सरकार द्वारा निदेश दिये गये है कि गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को जनता कपड़े का वितरण सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायें। जनता कपड़े के वितरण के लिए जारी मार्गदर्शिका में यह प्रावधान है कि कम से कम 75% कपड़ा ग्रामीण क्षेत्रों के लक्षित समूह को बेचा जाये। ग्रामीण पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे अभिकरणों का पता लगाया जाये जिनके अपने वितरण विक्रय केन्द्र हों।

भविष्य निधि का बैंकों में निवेश

3684. श्री अन्नारासु इरा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि को विभिन्न बैंकों में निवेश करने के सम्बन्ध में कोई विशेष नीति अपनाई जाती है ;

(ख) यदि हां, तो ब्याज दर निर्धारित करने हेतु क्या दिशा-निर्देश दिए गए हैं ;

(ग) क्या भविष्य निधि का निवेश करने हेतु दी जाने वाली ब्याज दर भिन्न-भिन्न बैंकों में भिन्न-भिन्न है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सभी बैंकों की भविष्य निधि के निवेश पर ब्याज दर के सम्बन्ध में समरूप नीति अपनाने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : (क) आयकर अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त भविष्य निधि से अपनी निधि को डाकघर बचत बैंक खाते अथवा किसी अनुसूचित बैंक के चालू खाते में जमा कराना अपेक्षित है। इस प्रकार जमा न की गई निधियों का निम्नानुसार निवेश किया जाना है :

(i) किसी राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों अथवा राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी में 15 प्रतिशत से अनधिक; और

(ii) केन्द्र सरकार की विशेष जमा स्कीम में 85 प्रतिशत से अनधिक।

(ख) केन्द्र सरकार डाकघर बचत बैंक खाते में बाकी शेष राशि पर 5.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देती है। बैंक चालू खाते पर ब्याज नहीं देते।

(ग) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

दक्षिण कोरिया से ऋण

3685. **श्री गुरुदास कामत** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में दक्षिण कोरिया से ऋण मांगा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या दक्षिण कोरिया सरकार ने उच्च ऋण हेतु भारतीय स्टेट बैंक की गारंटी को अस्वीकार कर दिया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार दक्षिण कोरिया के निर्देश के अनुसार किसी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से गारंटी लेने में सफल हुई है ;

(ङ) यदि हां, तो उन बैंकों के क्या नाम हैं ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों में तस्करी

[हिन्दी]

3686. श्री छीतूभाई गामीत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992 में अब तक पाक सीमा पर गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र में जब्त की गई तस्करी की वस्तुओं और निषिद्ध वस्तुओं का मूल्य और ब्यौरा क्या है ; और

(ख) पकड़े गये तस्करों की संख्या कितनी है और उनके विरुद्ध क्या कारंवाई की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) कैलेण्डर वर्ष 1992 (जून तक) के दौरान गुजरात में सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गए सोने और चांदी की मात्रा और उसके मूल्य तथा अन्य निषिद्ध माल के मूल्य का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है :—

	मात्रा (किलोग्राम में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
सोना	152	6.74
चांदी	20986.58	17.03
अन्य माल	—	0.90

प्राप्त सूचना के अनुसार भारत-पाकिस्तान सीमा के निकट कच्छ जिले (गुजरात) के तटीय क्षेत्र में दर्ज किये गये एक मामले में, 3.58 करोड़ रुपये (लगभग) के मूल्य का 75.725 कि०ग्रा० सोना पकड़ा गया है। सोने को एक प्लवमान डोंगी (बायो) के साथ बांध कर समुद्र में डाल दिया गया था। चूंकि सोने के बारे में किसी ने भी दावा नहीं किया था, अतः किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया।

नाविक प्रशिक्षण संस्थान

[अनुवाद]

3687. श्री के० मुरली धरन :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी समिति ने देश में नाविक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की सिफारिश की थी ;

(ख) यदि हां, तो ये संस्थान कहां-कहां खोले जाएंगे; और

(ग) इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) नौवहन शिक्षा और प्रशिक्षण समिति ने देश में नाविक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए अगले पृष्ठ पर लिखित प्रस्तावों की सिफारिशें की हैं :—

(I) गोवा में एक नई नाविक प्रशिक्षण अकादमी जिसकी वार्षिक क्षमता 600 समुद्र पूर्व और 300 समुद्रगामी नाविक होगी, स्थापित करने के लिये भारतीय राष्ट्रीय नाविक संघ का प्रस्ताव। समुद्र पूर्व नाविकों के प्रशिक्षण की क्षमता को वर्ष 1995 तक बढ़ाकर 1200 कर दिया जाना चाहिए।

(II) बम्बई में बम्बई पत्तन न्यास की सहायता से पात्रता के मानकों प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा अन्य शर्तों के अध्यधीन 360 समुद्र पूर्व नाविकों के प्रशिक्षण के लिए विदेशी मालिक तथा पोत प्रबंधक एसोसिएशन का प्रस्ताव ;

(III) सरकार के तत्वाधान में पारादीप और केरल में संस्थानों के प्रस्ताव को वर्ष 1993 के प्रारंभ में नाविकों की जनशक्ति की समीक्षा किए जाने तक खुला रहना चाहिए।

(ग) नौवहन शिक्षा तथा प्रशिक्षण समिति की सिफारिशों की जांच करने के लिए एक शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया गया है। शक्ति प्राप्त समिति द्वारा सिफारिशों की जांच करने के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा लाभ केन्द्रों की स्थापना

3689. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने लाभ केन्द्रों को स्थापित करने का कार्य शुरू किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों की स्थापना करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है ;

(ग) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम के पुनर्गठन करने की कोई आवश्यकता है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) एम० एम० टी० सी० द्वारा ऐसे लाभ केन्द्रों की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य एम० एम० टी० सी० के प्रचालन में क्वालिटी प्रबन्ध धारणा को दिन प्रतिदिन का तत्व बनाना है।

(ग) और (घ) नई आयात-निर्यात-नीति के अन्तर्गत अनेक मदों के गैरसरणीकरण से एम० एम० टी० सी० के लिए इस बात की आवश्यकता है कि वह गैर सरकारी व्यापार से प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्वयं को ऐसे विशेष लाभ केन्द्रों के रूप में पुनर्गठित करें। इस संबंध में एम०एम०टी०सी० ने जो कदम उठाए हैं वे हैं क्वालिटी प्रबन्ध में सुधार, नए बाजारों/उत्पादों की पहचान करना और क्वालिटी सुधार तथा प्रशिक्षण की अपेक्षाओं के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ में पंजीकरण।

स्वर्ण नीति बोर्ड

3689. **श्री हरिन पाठक :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का स्वर्ण नीति बोर्ड की स्थापना करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बोर्ड को स्थापित करने से क्या लाभ होंगे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

केरल में वित्तीय संस्थानों द्वारा किया गया निवेश

3690. **श्री थाइल जॉन अंजालोज** :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में भारतीय यूनिट ट्रस्ट, राष्ट्रीयकृत बैंकों और जीवन बीमा निगम की लघु बचत योजना और अन्य जमा योजनाओं में कुल कितनी धनराशि जमा की गई ; और

(ख) राज्य में इस जमाराशि में से कितने धन का विभिन्न विकास परियोजनाओं में निवेश किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह:) (क) और (ख) आंकड़ा सूचना प्रणाली से मांगे गए अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, केरल में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में मार्च, 1990, 1991 तथा 1992 के अंतिम शुक्रवार को कुल जमा-राशियां तथा सकल ऋण एवं उसी अवधि के लिए ऋण-जमा अनुपात निम्नानुसार थे :—

(करोड़ रुपए)

अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार	जमा राशियां	ऋण	ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशतता)
मार्च, 1990	5037	3211	63.7
मार्च, 1991	5934	3483	58.7
मार्च, 1992	7084	3607	50.9

इसके अलावा यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया तथा जीवन बीमा निगम द्वारा गत 3 वर्षों 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 (अद्यतन उपलब्ध) के दौरान केरल में स्वीकृत सहायता तथा संवितरित धनराशि निम्नानुसार थी :—

(करोड़ रुपए)

	1988-89		1989-90		1990-91	
	स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित
यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया	2.8	4.3	1.7	1.8	2.2	1.0
भारतीय जीवन बीमा निगम (प्रत्यक्ष सहायता)	8.1	5.6	4.2	4.3	2.1	5.4

पंजाब में बुनकरों को सूती धागे की सप्लाई

3691. श्री कमल चौधरी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक महीने में बुनकरों को कितनी मात्रा में सूती धागे की सप्लाई की गई अथवा करने का विचार है और कौन सी एजेंसी इसकी सप्लाई करेगी ;

(ख) क्या सप्लाई की गई/सप्लाई की जाने वाली मात्रा राज्य में बुनकरों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ;

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार ने सूती धागों, रंगों और रसायनों की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए पंजाब के हथकरघा बुनकरों की सहायता के लिए क्या कदम उठाये हैं ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में पंजाब के बुनकरों को कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) सरकार देश में बुनकरों को सीधा सूती धागा सप्लाई नहीं करती है। प्राइवेट साधनों के अतिरिक्त राज्य हथकरघा अभिकरण केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से बुनकरों को सूती धागा सप्लाई करने का कार्य कर रही है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम भी राज्य अभिकरणों के प्रयत्नों में योगदान दे रहा है।

(ख) पंजाब में सूती धागे की उपलब्धता की कोई समस्या नहीं है।

(ग) सरकार हथकरघा बुनकरों को उपयुक्त मूल्यों पर सूत की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए कई स्थायी प्रकार की योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। इन योजनाओं में निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं ; (1) हैंक यार्न दायित्व आदेश जिसमें प्रत्येक सूत उत्पादक को अपने विक्रेय सूत का कम से कम 50% हैंक के रूप में पैक करना होता है; (2) नई बुनकर सहकारी कताई मिलों की स्थापना और वर्तमान कताई मिलों का विस्तार तथा उनका आधुनिकीकरण; (3) हथकरघा बुनकरों को मिल गेट मूल्यों पर सूत की आपूर्ति की योजना। इसके अतिरिक्त हथकरघा क्षेत्र में प्रयोग होने वाले निवेश में कई प्रकार की वित्तीय रियायतें दी गई हैं।

(घ) हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए गत 3 वर्षों के दौरान पंजाब सरकार को दी गई वित्तीय सहायता का विवरण इस प्रकार है : --

वर्ष	(लाख रुपयों में) जारी की गई राशि
1989-90	32.21
1990-91	50.62
1991-92	43.86

बिहार में सैनिक स्कूल

[हिन्दी]

3692. श्री साइमन मरांडी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में अब तक कितने स्थानों पर सैनिक स्कूल खोले गए हैं ;

(ख) उनमें कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान इन पर कितना व्यय किया गया ;

(ग) क्या राज्य में और अधिक सैनिक स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मन्त्रालय राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) सैनिक स्कूल सोसाइटी का बिहार में केवल एक ही सैनिक स्कूल है। यह तिलैया में है।

(ख) सैनिक स्कूल, तिलैया में छात्रों की संख्या और लेखा वर्ष वर्ष 1988- 9 से 1990-91 तक की अवधि में इस स्कूल द्वारा किया गया व्यय इस प्रकार हैं :—

वर्ष	छात्रों की संख्या (दिवा छात्रों सहित)	व्यय (लाख रुपये में)
1988-89	925	103.75
1989-90	933	112.15
1990-91	958	116.90

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

3693. **श्री सूरज मण्डल** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी और फ्रान्स सहित कुछ देशों ने देश की कुछ परियोजनाओं के लिए सहायता देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) ये परियोजनाएं किन-किन राज्यों में स्थापित की जाएंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां। जर्मनी और फ्रान्स सहित बहुत से दाता देशों ने भारत को परियोजना संबंधी सहायता देने का प्रस्ताव किया है।

(ख) और (ग) विदेशी सहायता से स्थापित की जाने वाली किसी नई संभावित परियोजना अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों में परियोजना का क्षेत्रवार बंटवारा सहायता संबंधी आवश्यकताओं, विस्तृत परियोजना तैयारी, दाता देशों की प्राथमिकताओं तथा वचनबद्ध सहायता की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

पश्चिम बंगाल को ऋण

[अनुवाद]

3694. श्री बीर सिंह महतो :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कितनी ऋण-राशि की मांग की गई और राज्य सरकार को वर्ष-वार कितनी ऋण-राशि दी गई ;

(ख) क्या मांग की गई ऋण-राशि से कम धन-राशि प्रदान की गई ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : (क) 1989-90 में पश्चिम बंगाल सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था। तथापि, 1990-91 में राज्य सरकार ने अपने योजनागत व्यय को सुनिश्चित करने तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में व्यय करने हेतु 200 करोड़ रुपए का मध्यम अवधि ऋण मांगा था। अगले वर्ष अर्थात् 1991-92 में, राज्य सरकार ने अपने उस वर्ष के योजनागत परिव्यय को सुनिश्चित करने के लिए 200 करोड़ रुपए के मध्यम अवधि ऋण हेतु अनुरोध किया था। उन्होंने 1991-92 की वार्षिक योजना का वित्त पोषण करने हेतु गाडगिल फार्मूले से अलग 135 करोड़ रुपए के योजनागत ऋण हेतु भी जोर दिया।

(ख) और (ग) 1990-91 में 200 करोड़ रुपए के ऋण के अनुरोध को केन्द्र की अपनी अर्थोपायों की कठिनाइयों के कारण स्वीकार नहीं किया गया था। 1991-92 के दौरान ऋण हेतु अनुरोध को भी स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि तब तक केन्द्र ने राजकोषीय संतुलन बहाल करने हेतु उपाय करने शुरू कर दिए थे।

दिल्ली में लघु बचत योजनाओं के अन्तर्गत जमा राशि

[हिन्दी]

3695. श्री एन० जे० राठवा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वित्त वर्ष के दौरान दिल्ली में लघु बचत योजनाओं के अन्तर्गत कितनी राशि जमा हुई ;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान कितनी धनराशि जमा करने का लक्ष्य रखा गया है और यह लक्ष्य पिछले वर्ष के लक्ष्य की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है ; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक यह लक्ष्य कितना प्राप्त हो पाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) वर्ष 1991-92 के दौरान दिल्ली में अल्प बचत स्कीमों के अन्तर्गत निवल संग्रहों के अनन्तिम आंकड़े 1-7.51 करोड़ रुपए बैठते हैं। इनमें बैंकों के माध्यम से लोक भविष्य निधि स्कीम तथा सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों की जमा योजना, जो कुछ समय पश्चात् उपलब्ध हुई है, से होने वाले निवल संग्रह शामिल नहीं हैं।

(ख) केन्द्रीय बजट में दर्शाए गये केन्द्रीय सरकार के अल्प बचत संग्रहों के अनुमानों में राज्य/-संघ राज्य क्षेत्र-वार समुच्चयन नहीं है। तथापि योजना प्रयोजनों के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा कुछ आन्तरिक लक्ष्य स्वीकार किए जाते हैं। दिल्ली प्रशासन ने वर्ष 1992-93 के लिए 489 करोड़ रुपए का आन्तरिक लक्ष्य स्वीकार किया है, जो वर्ष 1991-92 के 425 करोड़ रुपए के संशोधित लक्ष्य की तुलना में 15 प्रतिशत की वृद्धि का द्योतक है।

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान मई, 1992 तक दिल्ली में निवल अल्प बचत संग्रह, जिनमें बैंकों के माध्यम से लोक भविष्य निधि तथा सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों की जमा योजनाएं शामिल नहीं हैं, 32 लाख रुपए राशि के थे।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद द्वारा आयोजित बैठकें

[अनुवाद]

3696. **श्री मदन लाल खुराना :**

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992 के दौरान, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद द्वारा कितनी बैठकें आयोजित की गईं; और

(ख) इनमें क्या सिफारिशें की गईं, और उन पर क्या कारंवाई की गई ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की 1992 में कोई बैठक नहीं हुई है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के एककों की वित्तीय स्थिति

3697. **श्री बी० देवराजन :**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के कितने एकक हैं और उन्हें पिछले वर्षों के दौरान कितना-कितना लाभ अथवा घाटा हुआ ;

(ख) क्या बहुत से एकक घाटे में चल रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उन एककों को अर्थ-क्षम बनाने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वस्त्र मत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के 9 एकक कार्य कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के इन एककों के लाभ और हानि के ब्यौरे अगले पृष्ठ पर दिए गए हैं :

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	(करोड़ रु० में) 1989-90	लाभ (+) हानि (−) 1990-91	1991-92
एन०टी०सी०	−203.53	−191.58	−321.21 (पी)
एन०एच०डी०सी०	+1.2923	+1.3745	+0.0631
डी०आई०सी०	−15.35	−31.36	−21.30
जी०सी०आई०	+23.24	+62.85	+32.07 (ई)
एन०जे०एम०सी	−53.47	−65.18	−60.00 (पी)
जी०सी०आई०	+21.18	+25.23	−उपलब्ध नहीं
सी०सी०आई०सी०	+0.4721	+1.203	+0.6975
एन०एच०एस०डी०सी	−0.1538	−0.4663	−0.1736(
एच०एच०ई०सी०	+0.11	−1.93	+0.13
		पी=अनन्तिम ई=अनुमानित	

(ख) जी हां।

(ग) इनमें हुए घाटों के कारण निम्नोक्त अनुसार हैं—

(1) अप्रचलित मशीनें

(2) कम उत्पादकता

(3) फालतू श्रमिक बल

(4) आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त विधियों का अभाव

(5) अनिवार्य कच्चे माल की अनुपलब्धता

(6) अधिक ब्याज भार आदि

(घ) सरकारी क्षेत्र के एककों में मिलों का पुनरुद्धार करने के लिए एक नीति बनाई है जिसमें आधुनिकीकरण, श्रमिक सुव्यवस्थीकरण वित्तीय पुनः निर्माण आदि निहित हैं।

रेशम का धागा

3698. श्री धर्म भिक्षम :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों के दौरान, पेब्राइन रोग के कारण रेशम के उत्पादन को हुए नुकसान का राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस समय चीनी कच्चे रेशम धागे पर सरकार द्वारा किस दर से आयात शुल्क प्रभारित किया जा रहा है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे प्रमुख रेशम उत्पादक राज्यों में जुलाई, 1991 और उसके बाद पेब्रीन रोग, जिससे रेशम कोसा उत्पादन प्रभावित होता है, फैलने की सूचना मिली थी। केन्द्रीय रेशम बोर्ड और संबद्ध राज्य सरकारों ने तत्काल उपचारी उपाय किये और इन राज्यों में फरवरी, 1992 के माह में इस रोग पर नियन्त्रण पा लिया गया।

पिछले कलैण्डर वर्ष की जनवरी से जून की अवधि और जनवरी, 92 से जून, 1992 की अवधि के दौरान इन राज्यों के सरकारी कोसा बाजारों में किए गए कोसा सौदों के विवरण निम्नानुसार हैं :—

(टन में)

	जनवरी—जून, 91	जनवरी—जून, 92
कर्नाटक	24,914	23,960
आन्ध्र प्रदेश	3,036	3,521
तमिलनाडु	598	869

इन राज्यों ने जनवरी—जून, 1992 की अवधि के लिये कच्चे रेशम के उत्पादन के सम्बन्ध में आंकड़े अभी तक नहीं भेजे हैं।

(ख) कच्चे रेशम यार्न (चीनी यार्न सहित) पर आयात शुल्क की दर यथा मूल्य 30% है।

कलकत्ता पत्तन पर नया कंटेनर टर्मिनल

3699. **श्री सनत कुमार मंडल** :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का विचार एशियाई विकास बैंक की सहायता से एक नया कंटेनर टर्मिनल स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या संबंधित श्रमिक संघों से इस सम्बन्ध में विचार बिमर्श किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, और यह कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट पद्धति के कितना अनुरूप है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां। कलकत्ता पत्तन न्यास एशियाई विकास बैंक की सहायता से कंटेनर हैंडलिंग सुविधाएं स्थापित कर रहा है।

(ख) इस योजना की संस्वीकृत लागत 24.37 करोड़ रु० है और एशियाई विकास बैंक 644

मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण दे रहा है। एशियाई विकास बैंक के ऋण का उपयोग यांत्रिक उपकरण तथा कम्प्यूटर खरीदने के लिए किया जाएगा।

(ग) जी हां।

(घ) मजदूर संघों ने कंटेनर हैंडलिंग सुविधाएं चालू करने का स्वागत किया है। कंटेनर हैंडलिंग सुविधाओं का कार्य कलकत्ता पत्तन न्यास के नमूने पर होगा।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम और ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर की इकाइयों में उत्पादन

3701. **श्री ताराचन्द खंडेलवाल** :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर में स्थित ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड और राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत चलने वाली मिलों में पिछले वर्ष के दौरान हुए उत्पादन इसके मूल्य और मात्रा का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इन दो निगमों के अन्तर्गत कार्य करने वाली इकाइयों को कच्चे माल की सप्लाई और आयात के मामले में नितांत उपेक्षा की जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वर्ष 1991-92 के दौरान कानपुर स्थित राष्ट्रीय वस्त्र निगम तथा ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के अधीन मिलों के उत्पादन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

क्र०सं०	मिलों के नाम	उत्पादन		
		मात्रा		मूल्य
		कपड़ा (लाख मीटर)	यार्न लाख (कि० ग्रा०)	(करोड़ रु० में)
1	2	3	4	5
	राष्ट्रीय वस्त्र निगम			
1.	मयूर मिल्स	39.67	1.40	4.97
2.	न्यू विक्टोरिया मिल्स	32.80	—	4.85
3.	स्वदेशी काटन मिल्स	39.13	1.04	5.29
4.	लक्ष्मी रतन काटन मिल्स	21.38	0 63	3.36
5.	अथर्टन मिल्स	3.14	0.81	0.24

1	2	3	4	5
	ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन			
1.	कानपुर वूलन मिल्स	10.73	—	15.10
2.	एल्गिन मिल्स	162.80	—	23.13
3.	कानपुर टेक्सटाइल	99.48	—	15.99

(ख) से (घ) कानपुर स्थित राष्ट्रीय वस्त्र निगम तथा ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के स्वामित्वाधीन मिलें संसाधन संबंधी कठिनाइयों, आधुनिकीकरण की कमी, कम क्षमता उपयोग तथा फालतू श्रमिकों की समस्याओं का सामना कर रही हैं। कार्यशील पूंजी की अनुपलब्धता के फलस्वरूप कच्चे माल आदि की खरीद में कमी हुई है। एन० टी०सी० और बी० आई० सी० ने इन मिलों का पुनरुद्धार करने के लिए नीतियां तैयार की हैं जिनमें आधुनिकीकरण, श्रमिक सुव्यवस्थीकरण, वित्तीय पुनर्निर्माण आदि निहित हैं।

ओरिएन्टल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

3702. **डा० सी० सिलवेरा :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओरियंटल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड ने युद्ध से ध्वस्त खाड़ी देश, कुवैत में अपना कारोबार शुरू कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कम्पनी को युद्धोत्तर पुनर्निर्माण कार्य से कुछ विदेशी मुद्रा की आय हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। ओरिएन्टल इंश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड ने 20 जुलाई, 1991 से अपना कारोबार फिर से शुरू कर दिया है।

(ग) और (घ) जी, हां, जून, 1992 तक कम्पनी ने 581,636 कुवैत दीनार के सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम का अर्जन किया है जिसमें युद्ध के पश्चात की अवधि के बाद पुनर्निर्माण कार्य के दौरान का प्रीमियम भी सम्मिलित है।

राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 पर माल वाहक जहाजों की आवाजाही

[हिन्दी]

3703. **श्री विजय कुमार यादव :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी के इलाहाबाद—हल्दिया राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 पर माल वाहक जहाजों तथा एल०सी०टी० स्टीमरों की आवाजाही 1 जून, 1992 से बन्द कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस जहाज को आवागमन के पुनः जारी करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर , :(क) और (ख) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम द्वारा कहलगांव तथा कारागोला के बीच एल०सी०टी० फैरी सेवा । जून, 1992 से बन्द कर दी गई थी क्योंकि कंपनी को इस सेवा से भारी घाटा हो रहा था। फैरी सेवा मूलतः राज्य का बिषय है और उनसे तदनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता

नए शेयर पत्रों की निगरानी

[अनुवाद]

3704. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय रिजर्व बैंक और योजना आयोग के साथ मिलकर संयुक्त रूप से शेयर बाजार में आने वाले नए शेयर पत्रों पर पर निगरानी रखने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या प्रस्ताव को कार्य रूप दे दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नेशनल जूट मैनुफेक्चरर्स कारपोरेशन को जूट की सप्लाई रोकना

[हिन्दी]

3705. श्री केशरी लाल :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया ने नेशनल जूट मैनुफैक्चरर्स कारपोरेशन की मिलों को जूट की सप्लाई बन्द कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और राज्यवार उन मिलों का ब्यौरा क्या है जो इस कारण प्रभावित हुए हैं ; और

(ग) सरकार ने इस सबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) भारतीय पटसन निगम

एन० जे० एम० सी० को पारस्परिक रूप से तय की गई शर्तों के अनुसार कच्चे पटसन की सप्लाई करने को तैयार है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

साधारण बीमा निगम द्वारा निपटाये गये बीमा दावे

[अनुवाद]

3706. प्रो० रीता वर्मा :

श्री चेतन पी०एस० चौहान :

श्री महेश कनोडिया :

श्री नरेश कुमार बालियान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 199.-92 के दौरान प्रत्येक राज्य में बीमा सम्बन्धी कितने दावे दर्ज किए गए तथा साधारण बीमा निगम द्वारा निपटाए गए और गत तीन वर्षों के आंकड़ों की तुलना में इन आंकड़ों की स्थिति क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : भारतीय साधारण बीमा निगम एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स के विमानन संबंधी बीमा कारोबार की हामीदारी करता है। इसकी चार सहायक कम्पनियां सारे देश में साधारण बीमा कारोबार करती हैं। कंपनियों द्वारा सूचित किए गए और निपटाए गए दावों से संबंधित आंकड़ों का राज्यवार संकलन नहीं किया जा सकता। भारतीय साधारण बीमा निगम, बम्बई और इसकी चार सहायक कंपनियों द्वारा वर्ष 1991-92 और उससे पहले के तीन वर्षों के दौरान सूचित किए गए और निपटाए गए दावों की संख्या निम्नलिखित है—

वर्ष	सूचित किए गए दावों की संख्या		निपटाए गए दावों की संख्या	
	सा०बी०नि०	चार सहायक कंपनियां	सा०बी०नि०	चार सहायक कंपनियां
1988-89 (15 महीने)	660	22,46,027	639	21,26,717
1989-90	609	19,07,756	526	18,22,810
1990-91	625	19,95,094	511	20,35,067
1991-92	711	20,66,454*	724	20,09,626*

*अनन्तिम आंकड़ें

बैंकों में उच्च पद

[हिन्दी]

3707. श्री जगमीत सिंह बराड़ :

श्री नीतीश कुमार :

श्री संदीपन भगवान थोरात :

श्री सयैद शाहाबुद्दीन :

श्री हरिकिशोर सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जून, 1992 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों में चेयरमैन, चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टरों के कुल कितने पद हैं ;

(ख) उक्त तिथि को इन बैंकों में पदेन डायरेक्टरों को छोड़कर डायरेक्टरों के कितने पद थे ;

(ग) 1 जून, 1992 को उक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित कितने पद रिक्त पड़े थे ;

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान कितने अतिरिक्त पद रिक्त हुए ;

(ङ) इसी वर्ष के दौरान कितने पद भरे गये ; और

(च) यदि कोई पद रिक्त पड़े हैं तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (च) भारतीय स्टेट बैंक और 20 बैंकों के लिए जिनमें केन्द्रीय सरकार एक नियुक्ति प्राधिकार है, अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और राष्ट्रीयकृत प्रबन्ध निदेशक के पदों से सम्बद्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। सरकार ने रिक्तियों को भरने के लिए पहले ही आवश्यक उपाय प्रारम्भ कर दिए हैं।

विवरण

	20 राष्ट्रीयकृत बैंक	भारतीय स्टेट बैंक
1. अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक के पदों की संख्या जिन्हें कानून के अनुसार नियुक्त किया जा सकता है	(I) अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक—प्रत्येक बैंक में एक	(I) अध्यक्ष-1 (II) प्रबन्ध निदेशक-दो से अधिक नहीं
2. गैर सरकारी निदेशकों के पदों की संख्या जिन्हें कानून के अनुसार नियुक्त किया जा सकता है	प्रत्येक बैंक में नौ	दो से कम नहीं और छः से अधिक नहीं
3. 1.6.1991 की स्थिति के अनुसार रिक्त, अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक और गैर सरकारी निदेशकों के पदों की संख्या	(I) अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक-4 (II) गैर सरकारी निदेशक-80	गैर सरकारी निदेशक-4
4. अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक और गैर सरकारी निदेशकों के पदों की संख्या जो 2.6.1991 से 30.6.1992 के दौरान खाली हुए थे	(I) अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक-6 (II) गैर सरकारी निदेशक-5	(I) प्रबन्ध निदेशक-1 (II) गैर सरकारी निदेशक-शून्य
5. अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक और गैर सरकारी निदेशकों के पदों की संख्या जो 2.6.1991 से 30.6-1992 तक की अवधि के दौरान भरी गई थीं	(I) अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक-8 (II) गैर सरकारी निदेशक -शून्य	(I प्रबन्ध निदेशक-1 (II) गैर सरकारी निदेशक-सून्य

महाराष्ट्र के लिए केन्द्रीय सड़क निधि का हिस्सा

[अनुवाद]

3708. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार से केन्द्रीय सड़क निधि में उसके हिस्से के बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) संसद ने केन्द्रीय सड़क निधि में वृद्धि करने के लिए 13.5.88 को एक संशोधित संकल्प पारित किया था लेकिन इस आधार पर इसमें अभी तक वास्तविक वृद्धि नहीं हुई है। तथापि, केन्द्रीय सड़क निधि के पुराने संकल्प के अनुसार 31.3.93 को महाराष्ट्र के लिये 10.58 करोड़ रु० कीं मुक्त शेष राशि उपलब्ध होने पर राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर भेजीं गई 17.70 करोड़ रु० की लागत वालीं 42 स्कीमें अनुमोदित कर दी गई थी जो इस शर्त के अध्यधीन दी थी कि 10.58 करोड़ रु० से अधिक लागत कों राज्य सरकार द्वारा अपने योजनागत संसाधनों से पूरा किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं=०4 को चौड़ा करना।

3709. श्री अन्ना जोशी :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-4 के किलोमीटर-43 से किलोमीटर 67 तक के भाग को चार लेन वाला बनाने का कार्य 1992-93 के दौरान आरम्भ किये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है ;

(ग) परियोजना के लिए कितना धन आवंटित किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

जलभूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों पर विकास कार्य सकल प्राथमिकताओं तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किए जाते हैं। वार्षिक कार्यक्रम 1992-93 में इस कार्य के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

दिल्ली में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों में न्यायाधीशों के पद

[हिन्दी]

3710. श्री मृत्युंजय नायक :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों में न्यायाधीशों के कुछ पद काफी समय से रिक्त पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये रिक्त पद किन-किन न्यायाधिकरणों में हैं और ये कब से रिक्त पड़े हैं ; और

(ग) मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए इन पदों को भरने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां ।

(ख) ब्यौरा निम्न प्रकार है—

(I) 27.5.1991 से मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, तीस हजारी

(II) 30.5.1991 से मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, पटियाला हाउस ।

(III) 4.6.1991 से मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, शाहदरा।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों के पदों को भरने के लिए समाचार पत्रों में 29.4-1992 को विज्ञापन दिए हैं/आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख 15.5.1992 थी । उम्मीदवारों के चयन के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा आगे कार्रवाई की जा रही है ।

कर्नाटक में लेख्य प्रमाणकों नौटरी की नियुक्ति

[अनुवाद]

3711. **श्री जी० माडेगौडा :**

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा आज तक पृथक्-पृथक् रूप से कुल कितने लेख्य प्रमाणक (नौटरी) नियुक्त किए गए हैं ;

(ख) क्या वर्ष 1992-93 के दौरान इनकी संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) 27.7·92 को कर्नाटक राज्य में, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए 28 नौटेरी और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए 65 नौटेरी, नौटरी के रूप में विधि व्यवसाय कर रहे हैं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न हीनहीं उठता ।

उच्चतम न्यायालय में लंबित आपराधिक मामले

3712. **श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी :**

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) उच्चतम न्यायालय में आज तक लंबित आपराधिक मामलों की संख्या कितनी है ; और

(ख) बकाया चले आ रहे मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 30.6.92 को उक्त न्यायालय में 5260 दांडिक मामले लंबित थे। उच्चतम न्यायालय ने कंप्यूटर की सहायता से सूची में रखने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि पुराने मामलों को उपयुक्त पूर्विकता प्राप्त हो जाए। विधि के समान प्रश्न वाले मामलों को एक समूह में रखा जाता है और उन्हें एक ही न्यायपीठ के समक्ष रखा जाता है। न्यायपीठों को भी इस प्रकार से गठित किया जा रहा है कि वे लंबी अवधि तक कार्य करें और कार्य इस प्रकार आबंटित किया जाता है कि एक ही प्रकार के मामले एक ही न्यायपीठ के समक्ष रखे जाएं। इसके अतिरिक्त, लंबित मामलों की स्थिति को निरन्तर मानिटर किया जा रहा है और कारबार की सूची और न्यायपीठों का गठन इस प्रकार से व्यवस्थित किया जा रहा है जिससे कि निर्माण की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव डाले बिना, अधिक से अधिक मामलों का निपटारा किया जा सके।

बैंकों के लिए सुरक्षा बल

3713. **श्री अनन्तराव देशमुख** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बैंकों की सम्पत्ति की रक्षा करने हेतु एक सुरक्षा बल की स्थापना करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

(ग) बैंक सामान्यतया भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय बैंक संघ द्वारा समय-समय पर जारी सुरक्षा व्यवस्था संबंधी निर्देशों/दिशानिर्देशों का क्रियान्वयन करते रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले सुरक्षा उपायों की निरन्तर आधार पर समीक्षा भी की जाती है।

फलों और सब्जियों का निर्यात

[हिन्दी]

3714. **श्री देवी बक्स सिंह** :

श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

श्री बापू हरि चौरे :

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में अभी तक निर्यात किए गये फलों, उनके उत्पादों और सब्जियों के नाम क्या हैं तथा 1992-93 की शेष अवधि में किन मदों का निर्यात करने का विचार है और प्रत्येक पद का कितनी मात्रा में निर्यात किया जायेगा।

(ख) उपर्युक्त अवधि में इनके निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई तथा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने का अनुमान है ; और

(ग) फल और सब्जियों के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु तथा यह सुनिश्चित करने हेतु कि देश में भी उपभोक्ताओं को ये मदें उचित मूल्यों पर आसानी से उपलब्ध हों, क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) निर्यात किए जाने वाले प्रमुख फल हैं आम, अंगूर, अनार और तरबूज, भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख सब्जियां हैं प्याज औरभिण्डी। भारत से निर्यात किए जाने वाले प्रसंस्कृत फल और सब्जियां हैं डिब्बा बंद और बोतलबन्द फल और फल रस जैसे आम का गूदा, अमरूद का गूदा, पपीते का गूदा, अचार और चटनी।

पिछले दो वर्षों के दौरान इन मदों के निर्यात और चालू वर्ष के दौरान सम्भावित निर्यात की मात्रा और मूल्य का विवरण निम्नलिखित है—

मात्रा मी०टन० में मूल्य लाख रु० में

	1990-91*		1991-92*		1992-93 अप्रैल, 92-मई, 92**		1992-93 जून,92-मार्च, 93*** (लक्ष्य)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
फल	46849	5199	68000	7200	3094	486	469948	40055
सब्जियां	267648	10679	426000	21500	76958	3061	(सब्जियों सहित)	
प्रसंस्कृत फल और सब्जियां उत्पाद	36748	4806	47000	7500	670	169	(फल सहित) 49680	11062

स्रोत*डी०जी०सी०आई एण्ड एस** पार्टियों की विवरणियों पर आधारित अन्तिम***लक्ष्य

(ग) फलों, सब्जियों और उनके उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए०पी०डी०) निर्यातकों को विभिन्न विकास योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देता है, अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य प्रदर्शनियों में भाग लेता है औरक्रेता-बिक्रेता बैठकें आयोजित करता है। सार्वजनिक उपयोग की वस्तुओं के मामले में जहां आवश्यक होता वहां कृषि उत्पादों के निर्यात पर मात्रात्मक सीलिंग या पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाता है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

[अनुवाद]

3715. **श्री राम सिंह काव्वां** :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने रेशम उत्पादन में वृद्धि करने हेतु केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्यकरण में सुधार किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) देश में रेशम के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्य-चालन तथा बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा जब कभी भी आवश्यक होता है बोर्ड के सुचारू कार्यचालन/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाते हैं।

रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाये जा रहे कदमों में शामिल हैं : शहतूत की कृषि के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल करना, नई किस्म की शहतूत की कृषि शुरू करना, रेशम कीट क्वालिटी में सुधार लाना नई किस्मों की रेशम कीट प्रजातियों का विकास करना, कारगर रोग नियंत्रण उपाय करना आदि।

लघु पत्तनों का बड़े पत्तनों के रूप में विकास

3716. श्री शरत् चन्द्र पटनायक :

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन-कौन से छोटे/मध्यम/पत्तनों को बड़े पत्तनों में विकसित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार से गोपालपुर पत्तन को वर्षभर खुले रहने वाले पत्तन के रूप में विकसित करने हेतु, कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ख) कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, सितम्बर, 1990 में राज्य सरकार ने इस पत्तन के लिए एशियाई विकास बैंक सहायता का अनुरोध किया है।

(ग) सरकार इस प्रस्ताव को एशियाई विकास बैंक सहायता के लिए व्यवहार्य नहीं मानती।

राष्ट्रीय निर्यात बीमा निधि

3717. श्री जार्ज फर्नान्डीज :

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अधिमूल्य वाली वस्तुओं के निर्यात के लिए एक राष्ट्रीय निर्यात बीमा निधि स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस निधि से क्या लाभ होंगे ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि० (ई० सी० जी० सी०) ने उन अधिमूल्य वाले निर्यात-व्यापार और ऊंचे जोखिम वाले सौदों का बीमा करने के लिए राष्ट्रीय निर्यात बीमा लेखा (एन० ई० आई० ए०) स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है, जिनका वे स्वयं की व्यावसायिक बातों को ध्यान में रखते हुए बीमा नहीं कर सकते हैं, परन्तु जिन्हें दीर्घकालीन राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए सहायता देना आवश्यक है।

सीमा शुल्क की कथित चोरी

3718. **श्री निर्मल कान्ति चटर्जी :**

श्री अनिल बसु :

श्री बसुदेव आचार्य :

क्या वित्त मंत्री 20 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3943 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क की कथित चोरी की इस बीच जांच पड़ताल पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के निष्कर्ष क्या हैं ;

(ग) इस सम्बन्ध में दोषी पाये गये व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) वर्ष 1991 के दौरान जस्त की सिल्लियों के निःशुल्क आयात के सम्बन्ध में शुल्क छूट हकदारी प्रमाणपत्र की शर्तों के अभिकथित उल्लंघन के सम्बन्ध में अभी तक दो फर्मों, नामशः मैसर्स राजेन्द्र ब्रादर्स तथा मैसर्स एन० एस० ओवरसीज को तथा सात अन्य व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। नोटिसों में 175 मीट्रिक टन की जस्त की सिल्लियों को जब्त करने और संबंधित फर्मों/व्यक्तियों पर अर्थदण्ड लगाने के लिए कहा गया है। इसमें 1,04,69,593 रुपये के सीमा शुल्क (ब्याज सहित) की अदायगी करने की भी मांग की गई है, जिसका अभिकथित रूप से अपवंचन किया गया है। कारण बताओ नोटिसों पर न्यायिक-कल्प कार्यवाहियों में निर्णय किया जायेगा।

औद्योगिक गृहों की आयात-निर्यात योजनाएं

3719. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने की दृष्टि से बड़े औद्योगिक गृहों से अपनी चालू वर्ष की निर्यात और आयात योजनाओं को प्रस्तुत करने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बड़े औद्योगिक गृहों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने सरकार को योजनाएं प्रस्तुत कर दी है ;

(ग) क्या सरकार ने इस बीच उनकी योजनाओं की जांच कर ली ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इनके फलस्वरूप निर्यात में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसे 18 बड़े औद्योगिक गृहों की सूची, जिनके साथ अब तक बैठकें की गई हैं, संलग्न विवरण पर दी गई है।

(ग) और (घ) इन बड़े औद्योगिक गृहों के साथ आने वाले वर्षों के लिए निर्यात अनुमानों के बारे में विचार-विमर्श किया गया है और ऐसी आशा है कि उनके निर्यात काफी बढ़ेंगे।

विवरण

1. लार्सेन एण्ड टोब्रो ग्रुप
2. आई० सी० आई० ग्रुप
3. थापर्स ग्रुप
4. रैनबैक्सी ग्रुप
5. बजाज आटो
6. ब्रिटानिया
7. महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा ग्रुप
8. अरविन्द मफतलाल ग्रुप
9. मुकन्द ग्रुप
10. अशोक लीलैन्ड
11. एम० आर० एफ० ग्रुप
12. एच० एस० सिंघानिया ग्रुप
13. किर्लोस्कर ग्रुप
14. आई० टी० सी० ग्रुप
15. उषा मार्टिन ग्रुप
16. अरविन्द लाल भाई ग्रुप
17. बी० के० मोदी ग्रुप
18. हिन्दुस्तान लीवर ग्रुप

गोआ-मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग

3720. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान अब तक बरास्ता-महद-गोवा-बम्बई राजमार्ग की मरम्मत और रख-रखाव पर कितनी धनराशि खर्च की गयी।

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : जैसा कि महाराष्ट्र और गोवा राज्य सरकारों द्वारा सूचित किया गया है, निम्नलिखित अवधियों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग-17 के इस भाग की मरम्मत और रख-रखाव पर निम्नलिखित धनराशियां खर्च की गई हैं :—

1991-92	357.72 लाख रु०
1992-93	15.94 लाख रु०
(जून, 1992 तक)	

बर्मा द्वारा संयन्त्रों और उपकरणों का आयात

3721. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया :**
डा० रमेश चन्द्र तोमर :
श्री रतिलाल वर्मा :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा का विचार भारत से संयन्त्रों और उपकरणों का आयात करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1992-93 के दौरान बर्मा द्वारा आयात किए जाने वाले संयन्त्रों और उपकरणों का ब्यौरा तथा मूल्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) भारत सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

आठवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास

3722. **डा० वसन्त पवार :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) आठवीं योजना के दौरान विकसित किये जाने वाले जलमार्गों का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) राष्ट्रीय जलमार्ग सं०-1 के हल्दिया-बलिया खंड में 1.5 मीटर गहरी और 45 मीटर चौड़ी तथा राष्ट्रीय जलमार्ग सं०-2 के धुबरी-गभारी खंड में 2 मी० गहरी और 45 मी० चौड़ी नौचालन चैनलों की व्यवस्था की गई।

दोनों राष्ट्रीय जलमार्गों में चैनलों को दिन के समय नौचालन सरल बनाने के लिए चिह्नित किया गया और "पाइलटेज" का प्रावधान किया गया। नौचालन की सुरक्षा के लिए पाक्षिक नदी नोटिस जारी किए गए। इसके अतिरिक्त नदी की आकृति के अध्ययन के लिए आंकड़े एकत्र किए गए और उनका विश्लेषण किया गया जो भावी विकास कार्यों की योजना के लिए अनिवार्य है। पटना में 4.90 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से एक कार्गो हैंडलिंग टर्मिनल के निर्माण के लिए एक स्कीम बनाई गई थी जो सितम्बर, 1991 में सरकार द्वारा संस्वीकृत की गई। प्राधिकरण ने कलकत्ता में टर्मिनल सुविधाओं तथा राष्ट्रीय जलमार्ग सं०-1 पर कलकत्ता और फरक्का के बीच तथा राष्ट्रीय जलमार्ग सं०-2 पर गुवाहटी से बंगलादेश सीमा तक हर समय (चौबीस घंटे) नौचालन सुविधाओं के लिए एक स्कीम भी बनाई थी।

पश्चिमी तटीय नहर, ब्राह्मणी, गोदावरी तथा कृष्णा नदी के विभिन्न खंडों में जल सर्वेक्षण और तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन किए गए।

(ख) आठवीं योजना के दौरान पश्चिमी तटीय नहर के कोल्लाम-कोट्टापुरम खंड के साथ-साथ चम्पाकारा और उद्योग मंडल नहरों को नए राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में विकसित किया जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग सं०-1 के इलाहाबाद-हल्दिया खंड तथा राष्ट्रीय जलमार्ग सं०-2 के सैदिया-धुबरी खंड का और विकास जारी रखा जाएगा।

चाय के मूल्य

3723. श्री एन० डेनिस :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उत्पादित कुछ बेहतर किस्म की चाय के मूल्य बहुत अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या देश में उत्पादित बेहतर किस्म की चाय को अधिकांशतः निर्यात किया जाता है ;

(घ) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं जो भारी मात्रा में चाय का आयात करते है; और

(ङ) घरेलू बाजार में चाय के दाम घटाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) भारत में उत्पादित कुछ सर्वोत्तम क्वालिटी की चाय की कीमतें देश में उत्पादित औसतन अच्छी या सामान्य किस्म की चाय की कीमतों से बहुत अधिक हैं।

(ख) इसके मुख्य कारण हैं क्वालिटी और फ्लेवर की श्रेष्ठता और मांग तथा आपूर्ति की स्थिति।

(ग) जी हां।

(घ) जर्मनी और जापान भारत से सर्वोत्तम चाय के आयातक हैं।

(ङ) वर्ष 1992 के दौरान, भारतीय नीलामियों में चाय की औसत कीमत पिछले वर्ष की औसत कीमत से कम रही है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पद

[हिन्दी]

3724. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :**

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम में पिछले तीन वर्षों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के श्रेणी वार तथा वर्ष वार कितने पद खाली पड़े हैं ;

(ख) उनमें से कितने पद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों से भरे गए ;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने पद रिक्त पड़े हैं; और

(घ) इन पदों को शीघ्र भरने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

परिवहन क्षेत्र में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रयोग

3725. **डा० महादीपक सिंह शाक्य :**

श्री नीतीश कुमार :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन क्षेत्र में संपीड़ित (कंप्रेस्ड) प्राकृतिक गैस का प्रयोग करने की संभावनाओ का पता लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने परिवहन क्षेत्र में इस गैस का प्रयोग करने हेतु एक व्यापक योजना बनायी है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) सड़क परिवहन क्षेत्र में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी० एन० जी०) का उपयोग अभी प्रयोगिक स्तर पर है। प्रारंभ में सी० एन० जी० का उपयोग मुख्यतः पैट्रोल से चलने वाले वाहनों में किया जाएगा क्योंकि वित्तीय रूप से सी० एन० जी० उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक होगी। पैट्रोलियम मंत्रालय ने प्रस्ताव का प्रथम

चरण अनुमोदित कर दिया है जिसके अंतर्गत 220 पैट्रोल चालित वाहनों को प्रायोगिक तौर पर सी० एन० जी० से चलाया जाएगा।

मूल्य के कारण तथा तकनीकी आंकड़ों की अपर्याप्तता के कारण डीजल के स्थान पर सी० एन० जी० का प्रयोग करने के प्रश्न पर और तकनीकी आर्थिक जांच करने की आवश्यकता है। इस वर्ष दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम की 5 बसों को प्रयोग के तौर पर सी० एन० जी० डीजल की दुहरी ईंधन विधि से चलाए जाने के लिए परिवर्तित किया जाएगा। मद्रास रिफाइनरीज लि० ने भी प्रयोग के तौर पर 10 बसों को परिवर्तित करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है तथा सी० एन० जी० डीजल दुहरी ईंधन विधि पर पहली बस ने 22-3-92 से प्रचालन शुरू कर दिया छः और बसों को परिवर्तित कर दिया गया है और वे प्रचालन में हैं।

सड़क परिवहन क्षेत्र में सी० एन० जी० बड़े पैमाने पर उपयोग की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, इन प्रयोगों के तकनीकी और आर्थिक परिणामों पर निर्भर करेगो।

कृषि उत्पाद निर्यात नीति

[अनुवाद]

3726. **श्री के० प्रधानी :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान कृषि उत्पाद निर्यात नीति में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वी राज्यों से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने पर कोई बल दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) सरकार ने निर्यात के लिए नीति परिवेश में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। नई आयात-निर्यात नीति द्वारा इन उपायों को और अधिक सुदृढ़ किया गया है। यह नीति 1 अप्रैल, 1992 से पांच वर्षों की अवधि के लिए लागू की गई है।

(ग) और (घ) बड़ी इलायची तथा चपड़ा ऐसे दो कृषि उत्पाद हे जिनका पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन होता है। पूर्वी क्षेत्र से इन मदों के निर्यात को सभी संभव सहायता देने के लिए मसाला बोर्ड ने कलकत्ता तथा सिक्किम में अपने कार्यालय स्थापित किये हैं तथा चपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद ने कलकत्ता में अपना मुख्यालय स्थापित किया है।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत

[हिन्दी]

3727. **श्री रामेश्वर पाटीदार** :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास इस समय राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत हेतु मध्य प्रदेश के लम्बित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) ये प्रस्ताव कब से लम्बित हैं ; और

(ग) सरकार ने इन प्रस्तावों पर अब तक क्या कार्यवाही की है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के उन प्राक्कलनों के ब्यौरे सलग्न विवरण में दिए गए हैं जो मंत्रालय के पास लम्बित हैं।

(ग) इन प्राक्कलनों पर विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई की जा रही है और अन्तिम निर्णय कार्य की आवश्यकता तथा निधियों की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

विवरण

क्रम सं०	प्राक्कलन के ब्यौरे	राशि	प्राप्त की तारीख	टिप्पणी
1.	वर्ष 1992-93 के लिए मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए संक्षिप्त विवरण प्राक्कलन	1964.00 लाख रु०	30-3-92	मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए 1992-93 के दौरान अभी तक 518.32 लाख रुपए की अंतरिम राशि पहले ही जारी की जा चुकी है।
2.	रा०रा०-6 पर 338/8 कि०मी० में पैरी नाला पुल की क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार के पुनर्निर्माण के लिए विशेष मरम्मत प्राक्कलन	2,761 लाख रु०	16-4-92	—
3.	रा०रा०-6 पर 315/8 कि०मी० में चौराहे की पाईप रेलिंग के लिए विशेष मरम्मत प्राक्कलन।	0.804 लाख रु०	24-7-92	—

सीमाशुल्क विभाग द्वारा निर्यातोन्मुख इकाइयों पर छापे मारना

3728. **श्री मुमताज अंसारी :**

श्री राजेश कुमार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क विभाग के अधिकारियों ने हाल ही में कुछ बड़ी निर्यातोन्मुख इकाइयों के परिसरों पर छापे के दौरान कुछ अनियमितताएं पाईं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991 और 1992 में आज तक उन मामलों का राज्यवार क्या ब्यौरा है, जिनमें अनियमितताएं पाई गयीं ;

(ग) सरकार ने इन इकाइयों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है ; और

(घ) ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

निजी नौवहन कम्पनियों द्वारा कच्चे तेल की ढुलाई

[अनुवाद]

3729. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर :**

क्या जल भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी नौवहन कम्पनियों को आयातित कच्चे तेल की ढुलाई की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) किन-किन कम्पनियों को ऐसी अनुमति दी गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) सरकार ने क्रूड की ढुलाई के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में भारतीय जहाजों के विकास के लिए वर्ष 1984 में दिशा-निर्देश तैयार किए थे जिन्हें 1985 में आंशिक रूप से संशोधित कर दिया गया। क्रूड की ढुलाई के लिए जहाज लगाने की प्राथमिकताएं इस प्रकार हैं :—

(I) भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के टैंकर तथा बी०एल०ओ०सी०एस०।

(II) भारतीय निजी क्षेत्र के टैंकर।

(III) भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के ओ० बी० ओ०।

(IV) भारतीय निजी क्षेत्र के ओ० बी० ओ०।

(V) विदेशी टैंकर तथा ओ० बी० ओ०।

(ग) इस समय, खनिज तेल की ढुलाई के लिए भारतीय नौवहन निगम लि० के जहाजों के अतिरिक्त मैसर्स एस० आर० शिपिंग कम्पनी लि०, मैसर्स ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी लि० तथा मैसर्स इंडिया स्टीम शिप्स कम्पनी लि० के जहाज लगाए गए हैं।

वाराणसी की मोती बनाने वाली फर्में

[हिन्दी]

3730. श्री राम नाथ सोनकर शास्त्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी की मोती बनाने वाली कुछ फर्मों ने स्टेट बैंक आफ इण्डिया, वाराणसी की विदेशी शाखा तथा कुछ अन्य बैंकों से अपने कारोबार की तुलना से अधिक राशि के ऋण लिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन फर्मों ने गत कई वर्षों में करोड़ों रुपये के साठ (60) से अधिक निर्यात बिलों की बकाया राशि को विदेशों में छोड़ दिया है और इस देश में विदेशी मुद्रा अभी तक नहीं लाई गई है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इन फर्मों द्वारा की गई धोखाधड़ी पर कोई कार्यवाही करने का विचार है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उसकी ओवरसीज शाखा, वाराणसी द्वारा मोती बनाने वाली किसी भी फर्म का वित्तपोषण नहीं किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी सूचित किया है कि उन्हें भी अन्य वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऐसा वित्त प्रदान किए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) से (च) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान में छात्रों को प्रवेश

[अनुवाद]

3731. डा० कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान में स्नातकोत्तर स्तर पर पिछले दो वर्षों के दौरान, राज्य-वार, कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया और चालू वर्ष के दौरान कितने छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा ; और

(ख) संस्थान में और अधिक छात्रों को प्रवेश देने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) पिछले 2 वर्षों के दौरान दो फाउंडेशनल प्रोग्रामों (अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में दो वर्ष का स्नातकोत्तर कार्यक्रम एस० बी० आई० बी० और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा—पी०जी०डी०पी०) में 171 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। चालू वर्ष (1992) में, 82 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। एम० पी० आई० बी और पी०जी०डी०पी० के लिए 1990, 1991 और 1992 के वर्षों में प्रवेश

दिए गए विद्यार्थियों के राज्यवार ब्यौरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) दो फाउंडेशनल प्रोग्रामों, के अतिरिक्त यह संस्थान इण्टरनेशनल मार्किटिंग एण्ड बिजनेस, एक्सपोर्ट डोक्यूमेंटेशन एण्ड प्रोसीजर्स, इम्पोर्ट पोलिसी आदि अनेक अल्पावधि कार्यक्रम आयोजित करता है । ऐसे कार्यक्रम दिल्ली से बाहर जैसे बम्बई, बंगलोर और कलकत्ता आदि में भी आयोजित किए जाते हैं । पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसे 95 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं ।

विवरण

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में स्नातकोत्तर कार्यक्रम	संख्या	अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम	संख्या
1	2	3	4
1990		1990	
पश्चिम बंगाल	4	दिल्ली	14
तमिलनाडु	2	तमिलनाडु	6
दिल्ली	19	राजस्थान	2
उत्तर प्रदेश	4	कर्नाटक	1
राजस्थान	2	आन्ध्र प्रदेश	2
आन्ध्र प्रदेश	5	उत्तर प्रदेश	9
पंजाब	1	गोआ	1
कर्नाटक	2	हरियाणा	2
महाराष्ट्र	1	केरल	1
बिहार	2	महाराष्ट्र	1
		बिहार	1
		उड़ीसा	1
योग	42	योग	41
1991		1991	
दिल्ली	13	दिल्ली	21
पंजाब	3	बिहार	1
पश्चिम बंगाल	5	तमिलनाडु	6
उत्तर प्रदेश	7	आन्ध्र प्रदेश	3
मध्य प्रदेश	1	उत्तर प्रदेश	3

1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	3	महाराष्ट्र	2
मणीपुर	1	पश्चिम बंगाल	1
महाराष्ट्र	6	पंजाब	
बिहार	3	हिमाचल प्रदेश	1
राजस्थान	1	हरियाणा	1
तमिलनाडु	2	राजस्थान	1
कर्नाटक	1		
गोआ	1		
गुजरात	1		
योग	48	योग	40
1992		**1992**	
महाराष्ट्र	8	दिल्ली	5
गुजरात	3	कर्नाटक	2
मध्य प्रदेश	3	गुजरात	3
पश्चिम बंगाल	6	महाराष्ट्र	9
उत्तर प्रदेश	4	मध्य प्रदेश	1
बिहार	2	पंजाब	1
तमिलनाडु	3	राजस्थान	2
हरियाणा	1	पश्चिम बंगाल	2
उड़ीसा	1	तमिलनाडु	2
दिल्ली	16	बिहार	4
		हरियाणा	2
		आन्ध्र प्रदेश	2
योग	47	योग	35

रसायन का आयात

3732. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फोम सामग्री बनाने के लिए प्रतिवर्ष ऐसे रसायनों का बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है जो आग लगने से एम० आई० सी० जैसी जहरीली गैसें छोड़ती हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी कितनी मात्रा में कौन-कौन से रसायनों का आयात किया गया है ;

(ग) क्या गैसों के घातक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इनके आयात पर प्रतिबन्ध लगाया जाएगा ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) पोलीयुरेथीन फोम के विनिर्माण में मुख्यतया पोलीयोल्स, एम०डी०आई० और टी०डी०आई० का प्रयोग होता है। पोलीयोल्स और एम०डी०आई० नामक मदें भारतीय व्यापार वर्गीकरण के तहत अलग से वर्गीकृत नहीं की गई हैं जिसके आधार पर भारतीय विदेश व्यापार के आंकड़े रखे जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित टी० डी० आई० की मात्रा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस प्रकार हैं—

वर्ष	मात्रा (मी० टन)
1986-87	369
1987-88	699
1988-89	727

(ग) और (घ) निर्यात-आयात नीति 1992—97 के अधीन, आयात की नकारात्मक सूची में दर्शाई गई मदों को छोड़कर सभी मदों के मुक्त रूप से आयात की अनुमति है बशर्ते कि उनका विनियमन नीति के पैरा-8 में उल्लिखित किसी अन्य प्रवृत्त कानून के तहत नहीं होता हो। किन्तु, निर्यात-आयात नीति की निरन्तर समीक्षा की जाती है और जब आवश्यक होता है उसमें संशोधन किए जाते हैं।

पंजाब और हरियाणा के लिए अलग उच्च न्यायालय

3733. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :**

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिए पृथक्-पृथक उच्च न्यायालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) इस समय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं और आज की तारीख तक की स्थिति के अनुसार न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त पड़े हैं ;

(ग) इन रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है ; और

(घ) 31 मार्च, 1992 तक की स्थिति के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कितने मामले लंबित पड़े हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) जी नहीं।

(ख) आज की तारीख तक, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में, 33 स्थायी/अपर

न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों में से, 29 स्थायी/अपर न्यायाधीश पीठासीन हैं। अपर न्यायाधीशों के 4 रिक्त पद भरे जाने बाकी हैं।

(ग) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 217(1) में परिकल्पित परामर्श की प्रक्रिया चल रही है। किन्तु यह बताना संभव नहीं है कि रिक्त पद कब तक भर लिए जाएंगे।

(घ) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 1992 को, उच्च न्यायालय में उनके समक्ष 99,467 मुख्य/प्रकीर्ण मामले लंबित थे।

मध्य प्रदेश की रुग्ण कपड़ा मिलों को वित्तीय सहायता

[हिन्दी]

3734. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों की रुग्ण कपड़ा मिलों को कार्यक्षम बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में ऋण प्रदान करने हेतु केन्द्रीय सरकार ने क्या नीति अपनाई है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से उस राज्य की रुग्ण कपड़ा मिलों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) रुग्ण वस्त्र मिलों को अर्थक्षम बनाने के लिए वित्तीय संस्थान आधुनिकीकरण सहायता प्रदान करते हैं।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश की कुछ मिलों से मिल प्रबन्धकों द्वारा प्रस्तुत की गई पुनर्वासन योजनाओं के अन्तर्गत मिलों का अधिग्रहण करने के लिए ऋण प्रदान करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। मिलें वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना के अन्तर्गत आधुनिकीकरण ऋण प्राप्त करने तथा बैंक के प्रचालनों को दुबारा शुरू करवाने के लिए आई०डी०बी० आई०/बैंकिंग संस्थानों से अनुरोध कर सकती हैं।

बिहार में गंडक और कोशी नदियों का जल राशिकीय सर्वेक्षण

3735. **श्री लाल बाबू राय** :

मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की गंडक और कोशी नदियों का जल राशिकीय सर्वेक्षण इस बीच पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो अब तक कितने प्रतिशत कार्य किया गया है ; और

(घ) इस कार्य को पूरा करने के लिये क्या समय सीमा निर्धारित की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) बिहार में गंडक तथा कोसी नदियों के जलराशिक सर्वेक्षण के लिए 47.07 लाख रु० लागत की बिहार सरकार की केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना अक्टूबर, 1986 में संस्वीकृत की गई थी। इस योजना को राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाना था और इसे अगस्त, 1987 तक पूरा करने का समय निर्धारित किया गया था। गंडक नदी पर अभी तक 561 स्तम्भों में से 99 सर्वेक्षण स्तम्भों अर्थात 17% का निर्माण पूरा किया गया है। कोसी नदी पर अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने हाल में सूचित किया है कि उन्हें नवम्बर 1992 तक कार्य पूरा हो जाने की उम्मीद है।

निर्यात का लक्ष्य

[अनुवाद]

3736. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन देशों के साथ निर्यात में वृद्धि हुई ;

(ख) सरकार ने भविष्य में निर्यात लक्ष्य बढ़ाने के लिए क्या नीति बनाई है ; और

(ग) इससे कितना लाभ होने की संभावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक की अवधि के दौरान भारत से जिन प्रमुख देशों को हुए निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई उनमें शामिल है, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मन संघीय गणराज्य, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, युनाइटेड किंगडम, स्वीडन, स्विटजरलैंड, आस्ट्रेलिया, ईरान, जापान, कोरिया गणराज्य, मलयेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग, नेपाल, मिश्र, मारीशस, नाइजीरिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चैकोस्लोवाकिया, हंगरी, युगोस्लाविया, पौलैंड आदि।

(ख) और (ग) जुलाई, 1991 से व्यापार नीति में अनेक परिवर्तन किए गए हैं जिनका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन को मजबूत करना, आयात लाइसेंसिंग को काफी हद तक समाप्त करना तथा आयात टैरिफ ढांचे को सुव्यवस्थित करना है। विदेशी मुद्रा के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए रुपये को आंशिक तौर पर परिवर्तनीय बना दिया गया है। नई निर्यात आयात नीति में इन उपायों को और समेकित किया गया है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादकता को बढ़ाना, आधुनिकीकरण तथा भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है और इस प्रकार इसकी निर्यात क्षमताओं में वृद्धि करना है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 13.6% की वार्षिक निर्यात वृद्धि निर्धारित की गई है, ये नीतियाँ उसके अनुरूप ही हैं।

भारतीय कम्पनियों की पश्चिम एशियाई देशों पर बकाया धनराशि की वसूली

3737. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को अपनी कम्पनियों के पश्चिम एशियाई देशों पर बकाया भारी धनराशि की वसूली में कठिनाई अनुभव हो रही है जैसा कि 2 मई, 1992 के "दि हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक देश पर भारत की कुल कितनी धनराशि बकाया है ;

(ग) इस धन की वसूली न होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) भारत सरकार इन देशों से धन वसूल करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) ईरान, इराक और लीबिया से भारतीय कम्पनियों के अनुमानित दावे चालू विनिमय दरों पर क्रमश: 130 करोड़ रुपए, 1870 करोड़ रुपए और 350 करोड़ रुपए हैं। इन राशियों की वसूली न होने के मुख्य कारण संबंधित देशों की आर्थिक कठिनाइयाँ, धन के बाह्यकरण से संबधित समस्याएं और इराक के मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिबन्ध हैं। भारत सरकार इस मामले के प्रति जागरूक है और समय-समय पर इस मामले को संबंधित देशों के साथ उठाया गया है।

निर्यात लक्ष्य

[हिन्दी]

3738. **डा० परशुराम गंगवार** :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के लिए रखे गए तथा उपलब्ध किए गए निर्यात लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) चालू वर्ष हेतु निर्धारित किए गए निर्यात लक्ष्य क्या हैं तथा इनमें कितनी वृद्धि की गई है ;

(ग) पिछले वर्ष तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों हेतु निर्धारित किए गए निर्यात लक्ष्य क्या है तथा रुपये तथा डालर में उनका मूल्य कितना है ; और

(घ) सरकार द्वारा निर्यात में वृद्धि करने तथा लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) प्रमुख क्षेत्रों द्वारा वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान निर्यात के लक्ष्य और उपलब्धि तथा वर्ष 1991-92 के दौरान निर्यात निष्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण—1 में दिया गया है। वर्ष 1991-92 के लिए कोई निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे क्योंकि विश्व व्यापार वातावरण में अनिश्चितता थी, पूर्ववर्ती सोवियत संघ का विघटन हो गया था और जुलाई 1991 से शुरू किए गए दूरगामी सुधारों का निर्यात पर वास्तविक प्रभाव पड़ने में अभी समय लगना था।

(ख) 31.5% की वृद्धि की कल्पना करते हुए वर्ष 1992-93 के लिए 57,850 करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) वर्ष 1991-92 के लिए कोई निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। वर्ष 1992-93 के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों और वस्तु बोर्डों द्वारा निर्धारित तथा सरकार द्वारा स्वीकृत तथा रुपए

और डालर के रूप में निर्यात लक्ष्यों का ब्यौरा विवरण—2 में संलग्न हैं।

(घ) निर्यात प्रोत्साहनों को सुदृढ़ करने, आयात लाइसेंसिंग को काफी हद तक समाप्त करने और आयात टैरिफ ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से व्यापार नीति में जुलाई, 1991 से अनेक परिवर्तन किए गए हैं। विदेशी मुद्रा सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए रुपये को आँशिक रूप से परिवर्तनीय बना दिया गया है। इन प्रयासों को नई आयात-निर्यात नीति में पुनः समेकित किया गया है जिनका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय उद्योग की उत्पादकता, आधुनिकीकरण और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना तथा इसके द्वारा निर्यात क्षमताओं में वृद्धि करना है।

विवरण-1

वर्ष 1989-90 से 1991-92 के दौरान भारत के निर्यात लक्ष्य/उपलब्धियां

	1989-90		1990-91		1991-92
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि
क्षेत्र					
1. पौध	1300	1264	1450	1322	1445
2. कृषि और सहबद्ध उत्पाद	2500	2672	3310	2891	4568
3. समुद्री उत्पाद	840	687	850	960	1439
4. खनिज और अयस्क	1600	1716	2350	1740	2287
5. चमड़ा और चमड़े से बनी वस्तुएं	2000	1950	3000	2566	3077
6. रत्न और आभूषण	6300	5296	7000	5247	6750
7. खेलकूद का सामान	60	82	100	86	108
8. रसायन और सहबद्ध उत्पाद	3000	2670	4100	3189	4775
9. इंजीनियरी सामान	3000*	2775	3300	[illegible]443	4861
10. इलेक्ट्रानिक्स और कम्प्यूटर साफ्टवेयर	—	514	1500	433	642
11. टैक्सटाइल्स**	6800	6737	9600	9039	12470
12. पेट्रोलियम उत्पाद	500	697	800	938	1022
योग (अन्य सहित)	28000	27681	36000	32553	43978

* इसमें इलेक्ट्रानिक्स और कम्प्यूटर साफ्टवेअर शामिल है।

** कपास, हस्तशिल्प और गलीचों सहित

विवरण-II

वर्ष 1992-93 के लिए निर्यात लक्ष्य

	1992-93	
	करोड़ रुपए	मिलियन अमरीकी डालर
1. पोध	1600	557
2. कृषि और सहबद्ध उत्पाद	5748	2000
3. समुद्री उत्पाद	1767	615
4. खनिज और अयस्क	2700	940
5. चमड़ा और चमड़े से बनी वस्तुएं	4253	1480
6. रत्न और आभूषण	9300	3236
7. खेलकूद का सामान	86	30
8. रसायन और सहबद्ध उत्पाद	6385	2222
9. इंजीनियरी सामान	5910	2057
10. इलेक्ट्रानिक्स और कम्प्यूटर साफ्टवेयर	1005	350
11. टेक्सटाइल्स*	17796	6193
12. पेट्रोलियम उत्पाद	1300	452
योग (अन्य सहित)	57850	20132

* कपास, हस्तशिल्प और कालीनों सहित

बैंकों में निगरानी तन्त्र

[अनुवाद]

3739. **श्री अन्बारासु इरा :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना औचित्य के भारी राशियों को बट्टे खाते में डालने के अधिकार का दुरुपयोग न होने देने के लिए बैंकिंग प्रणाली में कोई निगरानी तन्त्र उपलब्ध है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या मार्ग निर्देश निर्धारित किये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार बैंकिंग अधिकारियों द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग न करने के लिए एक ऐसा तन्त्र गठित करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को अशोध्य ऋणों/हानियों को बट्टे खाते डालने तथा ऋणकर्ताओं/उधारकर्ताओं के साथ समझौतों के बारे में व्यापक मार्ग-निर्देश जारी किए हैं। इन मार्ग-निर्देशों में बताया गया है कि प्राधिकारियों द्वारा रकमों को बट्टे खाते डालते समय किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अन्य बातों के साथ-साथ इन मार्ग-निर्देशों में कहा गया है कि जो अधिकारी सम्बन्धित अग्रिम की स्वीकृति देता है, उसे उन रकमों को बट्टे-खाते नहीं डालना चाहिए। मार्गनिर्देशों में यह भी कहा गया है कि बट्टे-खाते डालने/समझौता करने का निर्णय लेने से पूर्व बकाया धनराशि की वसूली के लिए सभी सम्भव कार्रवाइयां की जानी चाहिए। अशोध्य ऋणों/हानियों को बट्टे-खाते डालने का एक विवरण भी समय-समय पर निदेशक बोर्ड को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

राज्यों में व्यापक विकास परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक से ऋण

3740. श्री गुरुदास कामत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक ने राज्यों की व्यापक विकास परियोजनाओं के लिए कुल कितना ऋण स्वीकृत किया है ;

(ख) ऐसी परियोजनाओं के क्या नाम हैं और प्रत्येक मामले में कितना धन स्वीकृत किया गया ;

(ग) क्या सरकार का भी विचार इन परियोजनाओं को अंशदान देने का है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में सरकार का अंशदान कितने प्रतिशत रहेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) विश्व बैंक की सहायता से राज्यों में कोई व्यापक परियोजनाएं शुरू नहीं की गई हैं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

मध्य प्रदेश में सड़कों का निर्माण

[हिन्दी]

3741. श्री योगानन्द सरस्वती :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से 1984 में 14 सड़कों तथा 1985 में 61 सड़कों के निर्माण हेतु आकलन प्राप्त हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन आकलनों को स्वीकृति दे दी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन्हें कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की सम्भावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सड़क क्षेत्र के लिए विश्व बैंक की सहायता

[अनुवाद]

3742. **श्री हरिन पाठक :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री 17 जुलाई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1898 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक ने जिन परियोजनाओं के लिए सहायता देना स्वीकार किया है उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) विश्व बैंक द्वारा परियोजनावार कितनी सहायता दिए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) विश्व बैंक ने विभिन्न राज्यों में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और उड़ीसा में एक राज्यीय सड़क परियोजना के लिए 306 मिलियन अमेरिकी डालर के बराबर ऋण/उधार सहायता देने की सहमति दे दी है। ये परियोजनाएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

क्रम सं०	राज्य	कार्य का विवरण	मिलियन रुपयों में प्रारंभिक अनुमानित लागत
1	2	3	4
(क) राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं			
1.	हरियाणा	रा० रा० 1 के 132.68-212.16 कि०मी० में करनाल से हरियाणा/पंजाब सीमा तक चार लेन बनाना	1400.00
2.	पंजाब	रा०रा०-1 के 212.2-252.25 कि०मी० में सरहिन्द तथा पंजाब/हरियाणा सीमा के बीच चार लेन बनाना	730 00
3.	पश्चिम बंगाल	रा०रा०-2 के 438.6-474.0 कि०मी० में रानीगंज तथा पश्चिम बंगाल/बिहार सीमा के बीच चार लेन बनाना	871.80
4.	मध्य प्रदेश	(क) इंदौर बाईपास का निर्माण (रा०रा०-3)	683.60

1	2	3	4
		(ख) रा०रा० 3 के 573.0 कि०मी० से 590.6 कि०मी० में इंदौर तथा देवास के बीच चार लेन बनाना]	264.4)
5.	महाराष्ट्र	रा०रा०-8 के 439 से 497 कि०मी० में बेसिन क्रीक तथा मन्नोर के बांच चार लेन बनाना	1150.00
6.	उड़ीसा	रा०रा० 5 के 0.0 कि०मी० से 27.8 कि०मी० में कटक तथा भुवनेश्वर के बीच चार लेन बनाना	1267.40
		योग :	6367.20
(ख) राज्यीय सड़क परियोजनाएं			
1.	उड़ीसा	राज्यीय सड़कों पर क्षतिग्रस्त पुलों का पुर्ननिर्माण	583.50

वित्तीय संस्थाओं द्वारा चीनी मिलों को ऋण

[हिन्दी]

3743. **श्री छीतू भाई गामीत :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थाओं जैसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक पुर्ननिर्माण बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विरुद्ध बकाया धनराशि का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) सरकारी क्षेत्र की चीनी मिलों और प्राइवेट चीनी मिलों की ओर बकाया ऋणों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मार्च 1990, 1991 और 1992 के अन्त की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पास भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई०एफ०सी०आई०), भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई०), भारतीय ऋण तथा निवेश निगम (आई०सी०आई०सी०आई०) और भारतीय औद्योगिक पुर्ननिर्माण बैंक द्वारा दी गई ऋण सहायता की बकाया राशि निम्नलिखित है—

(करोड़ रुपये)

संस्थान का नाम	31.3.90	31.3.91	31.3.92
आई०एफ०सी०आई०	391.79	470.44	494.70
आई०डी०बी०आई०	1122.74	1321.70	1469.20
आई०सी०आई०सी०आई०	110.53	99.39	117.57
आई०आर०बी०आई०	85.63	97.78	112.09

(ख) मार्च 1990, 1991 और 1992 के अन्त की स्थिति के अनुसार इन संसाधनों द्वारा सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को दी गई ऋण सहायता की बकाया राशि निम्नलिखित है :

(करोड़ रुपये)

सरकारी क्षेत्र

	31.3.90	31.3.91	31.3.92
आई०एफ०सी०आई	31.19	39.49	42.62
आई०डी०बी०आई०	!0 24	33.50	72.10
आई०सी०आई०सी०आई०	50.00	5 '.00	50.00
आई०आर०बी०आई०	6.74	13.19	16.13

गैर-सरकारी क्षेत्र (करोड़ रुपये)

	31.3.90	31.3.91	31.3.92
आई०एफ०सी०आई०	55.59	68.71	93.07
आई०डी०बी०आई०	54.25	99.80	157.54
आई०सी०आई०सी०आई०	29.40	44.61	84.25
आई०आर०बी०आई	23.20	29.55	34.16

इण्डियन इन्जीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल में कर्मचारियों की छंटनी

[अनुवाद]

3744 श्री आनन्द अहिरवार :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इण्डियन इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल के कर्मचारियों की प्रस्तावित छंटनी के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) निर्यात संवर्धन परिषदों को जो सरकारी अनुदान दिया जाता है उसे अनेक वर्षों में धीरे-धीरे समाप्त करने के सरकार के निर्णय के फलस्वरूप इन्जीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद के कर्मचारियों की छंटनी होने की आशंका के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। किन्तु, इन्जीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद की अपने कर्मचारियों की छंटनी की कोई योजना नहीं है।

भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु विशेष कोष

3745. श्री कमल चौधरी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं/उनके आश्रितों के कल्याण के लिए कुछ विशेष कोष बनाए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन कोषों का ब्यौरा क्या है और कौन-कौन से अधिकारी इन कोषों का संचालन कर रहे हैं ;

(ग) क्या इन कोषों की निगरानी नियन्त्रण करने के लिए कोई समिति बनायी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्णकुमार : (क) से (घ) भूतपूर्व सैनिकों/दिबंगत सैनिकों की पत्नियों/आश्रितों के लिए निम्नलिखित चार कल्याण निधियां गठित की गयी हैं जिनका संचालन केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा किया जाता है—

(एक) युद्ध में वीरगति प्राप्त एवं निशक्त तथा अन्य भूतपूर्व सैनिकों/सेवारत कार्मिकों के लिए एकीकृत विशेष निधि ;

(दो) सेंट डन्स्टैन्स (इण्डिया) और केन्द्रीय सैनिक बोर्ड निधि,

(तीन) झंडा दिवस निधि, और

(चार) भारतीय गोरखा भूतपूर्व सैनिक कल्याण निधि ।

ऊपर क्रम संख्या (एक), (दो), और (तीन) पर उल्लिखित निधियों का प्रबन्ध और देख-रेख प्रबन्ध समितियां करती हैं जिनके अध्यक्ष रक्षा मंत्री हैं, क्रम सं० (चार) पर उल्लिखित निधि का प्रबंध और देखरेख एक दूसरी समिति द्वारा किया जाता है जिसके अध्यक्ष रक्षा सचिव हैं ।

इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की भी अपनी-अपनी निधि (निधियां) हैं ।

महाराष्ट्र के लिए केन्द्रीय सड़क निधि

3746. श्री प्रतापराव बी० भौसले :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र को किन-किन योजनाओं के लिए केन्द्रीय सड़क निधि आबंटित की गई है ;

(ख) उपरोक्त वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष परियोजना-वार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई हैं; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान किन-किन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सड़क निधि उपलब्ध कराई जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार, केन्द्रीय सड़क निधि के तहत राज्य सरकारों के लिए निधियों का आवंटन स्कीम-वार नहीं करती, अनुमोदित स्कीमों के लिए एकमुश्त धनराशि राज्यों को दे दी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सरकार को दी गई धनराशि इस प्रकाए है—

वर्ष	आवंटन (लाख रु०)
1989-90	19.91
1990·91	4.50
1991-92	90.00

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के तहत अनुमोदन के लिए विचार किए जाने वाली स्कीमों के बारे में अभी बताना सम्भव नहीं है क्योंकि यह अन्य बातों के साथ-साथ 13.5.88 को संसद द्वारा पारित संशोधित संकल्प के अनुसार निधि में वृद्धि, महाराष्ट्र राज्य के लिए उपलब्ध मुक्त शेष तथा राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित प्रस्तावो पर निर्भर करेगा।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के शाखा कार्यालय

3747. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेशम उद्योग के विकास हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में, विशेषकर राजस्थान में केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कुछ और शाखा कार्यालय स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्रमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) और (ख) विभिन्न प्रकार के एकक जैसे क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, तकनीकी सेवा केन्द्र, अनुसंधान विस्तार केन्द्र, बीज उत्पादन केन्द्र, रीलिंग कताई प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण केन्द्रों आदि की स्थापना करने का प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य देश में रेशम उत्पादन उद्योग के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास, विस्तार, प्रशिक्षण तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर सहायता प्रदान करने के लिए देश भर में स्थापित मौजूदा एककों के नेटवर्क को मजबूत बनाना/विस्तार करना है। राजस्थान राज्य के प्रस्तावों के सम्बन्ध में निम्नलिखित एककों की स्थापना शामिल है :—

(1) 1 टसर अनुसंधान केन्द्र

(2) 1 टसर मूल बीज सह-गुणन केन्द्र

(3) विश्व बैंक/स्विस सहायता प्राप्त राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना (एन०एस०पी०) के अन्तर्गत कोसा बाजार और 22 चाकी पालन केन्द्र

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत पाकिस्तान व्यापार सम्बन्ध

3748. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पाकिस्तान के साथ व्यापार सम्बन्धों में सुधार करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ग) भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय व्यापार संबंध किन-किन क्षेत्रों में स्थापित हो गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) जी हां। सरकार पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय विचार विमर्श के जरिए व्यापार संबंधों को सुधारने का सदैव प्रयास करती रही है।

(ग) भारत, मोटेतौर पर, पाकिस्तान को तेल खाद्य, मसाले, लौह अयस्क, पेन्ट्स तथा वार्निश और इन्जीनियरी सामान का निर्यात करता है जबकि पाकिस्तान से आयात की प्रमुख मदें फल तथा गिरि, काजू गिरि को छोड़कर, वस्त्र यार्न और तैयार परिधान हैं।

वस्त्र/सिले-सिलाए वस्त्रों सम्बन्धी द्विपक्षीय समझौता

3749. **श्री गोपीनाथ गजपति** :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले एक वर्ष के दौरान वस्त्रों/सिले-सिलाए वस्त्रों के क्षेत्र में किसी देश के साथ कोई द्विपक्षीय समझौता किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किन-किन देशों के साथ द्विपक्षीय समझौता किया गया है; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान इन देशों को वस्त्रों/सिले-सिलाए वस्त्रों से निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, कनाडा, नार्वे, आस्ट्रिया और फिनलेंण्ड के साथ दिनांक 31-12-91 को समाप्त हो रहे भारत के द्विपक्षीय वस्त्र करार नवम्बर-दिसम्बर, 1991 की अवधि के दौरान आयोजित द्विपक्षीय वार्ताओं के फलस्वरूप या तो उपयुक्त संशोधनों के साथ एक वर्ष के लिए बढ़ा लिए गए थे वर्ष 1992 के लिए नया करार किया गया या जिसमें अवधि को एक वर्ष और बढ़ाने का प्रावधान रखा गया था।

(ग) सरकार ने निर्यात में वृद्धि के लिए अनेक कदम उठाये हैं जिसमें शामिल हैं परिवर्तनीय मुद्रा की दृष्टि से कोटा मदों का फ्लोर मूल्य निर्धारित करना, उदारीकृत विनिमय दर प्रबन्ध प्रणाली शुरू करना, बिना लाइसेंसिंग के नई वस्त्र और परिधान मशीनरी मदों के आयात को सुकर बनाना, उदारीकृत निर्यात संवर्धन (पूंजीगत सामान) योजना, बिना लाइसेंस के परिधान, होजरी और मेड-अप्स के विनिर्माण के लिए अपेक्षित सैकिंड हैण्ड मशीनरी के आयात को सुकर बनाना अग्रिम लाइसेंस के जरिये

अन्तर्राष्ट्रीय क्वालिटी का कच्चा माल प्राप्त करना सुकर बनाना, उपयुक्त नीति उपायों के जरिये विनिर्माता-निर्यातकों और गैर-कोटा निर्यातकों को प्रोत्साहन देना आदि।

स्विस बैंक के साथ भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि० का समझौता

[हिन्दी]

3750. श्री एन० जे० राठवा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि० ने सैंट्रल बैंक आफ स्विटजरलैंड और स्विस बैंक कारपोरेशन से निर्यात ऋण सुविधाएं प्राप्त करने हेतु किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह समझौता कितने मूल्य की ऋण सुविधाओं के लिए किया गया है और इनमें से कितने प्रतिशत सुविधाएं स्विटजरलैंड से पूंजीगत माल के आयात के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ने यूनियन बैंक ऑफ स्विटजरलैंड के साथ अप्रैल, 1992 में 20 मिलियन स्विस फ्रांक की निर्यात ऋण-सुविधा के लिए एक करार किया है। स्विस बैंक कारपोरेशन से निर्यात ऋण को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम तथा स्विस बैंक कारपोरेशन के बीच करार पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाने की सम्भावना है। यह सुविधा भी 20 मिलियन स्विस फ्रांक के लिए है।

ये दोनों सुविधाएं स्विटजरलैंड से केवल पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए उपलब्ध हैं।

वाहनों से होने वाला प्रदूषण

[अनुवाद]

3751. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जुलाई, 1992 के "इक्नॉमिक टाइम्स" में "ड्राइव टू कन्ट्रोल ऑटो इमीशन सफर्स सेटबैक" से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं ; और

(घ) सरकार ने इन सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (घ) जी, हां। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निम्नलिखित के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी :—

(I) वर्ष 1995 तथा सन् 2000 से लागू किए जाने हेतु 2-3 व 4 पहिए वाले वाहनों के लिए कार्बन मोनोक्साइड, हाइड्रोकार्बन तथा नाइट्रोजन के आक्साइड्स के सम्बन्ध में उत्सर्जन की मात्रा विषयक मानकों के सुझाव देना।

(II) सुझाए गए मानकों को पूरा करने के लिए इंजन के डिजाइन में परिवर्तनों के स्वरूप का पता लगाना तथा स्थापित किए जाने हेतु यंत्रों की किस्म का पता लगाना।

विशेषज्ञ समिति ने उत्सर्जन मानकों और डिजाइन में अपेक्षित प्रोद्योगिकीय परिवर्तनों तथा सुझाए गए मानकों को पूरा करने के लिए लगाए जाने वाले यंत्रों की किस्म के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। इन सिफारिशों पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

जीवन बीमा निगम की अपतटीय म्युचुअल फंड योजना

3752. **डा० सी० सिलवेरा** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने कोई अपतटीय म्युचुअल फंड योजना शुरू की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस योजना के शुरू करने से कोई वांछनीय परिणाम मिले है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

विदेशों में आयोजित प्रदर्शनियों में भागीदारी

[हिन्दी]

3753. **श्री केशरी लाल** :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ने विदेश में आयोजित प्रदर्शन में भाग लेने के लिए भारतीय निर्यातकों को कुछ राहत देने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन राहतों को कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) इंडिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गनाइजेशन (आई०टी०पी०ओ०) इस समय भारतीय निर्यातकों को विदेशों में लगने वाली प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए कुल भागीदारी लागत का 20% से 80% तक राहत दे रहा है। इस भागीदारी लागत में स्थान का किराया, निर्माण तथा सजावट, भाड़ा, हैन्डलिंग, तथा किलयरिंग, बीमा तथा प्रचार आदि शामिल होता है। इसके अलावा मेलों में भाग लेने वाले पंजीकृत लघु उद्योगों को इमदादी दर पर 10% की रियायत दी जा रही है।

हाल में इंडिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गनाइजेशन भारतीय कम्पनियों को बिना किसी राहत के कुल लागत की वसूली के आधार पर विदेशी प्रदर्शनियों में भाग लेने का व्यवस्था भी कर रहा है।

रक्षा अनुसन्धान विकास संगठन

[अनुवाद]

3754. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों के दौरान रक्षा अनुसन्धान विकास संगठन द्वारा कितनी प्रमुख परियोजनाएं शुरू की गईं ;

(ख) उनमें से अब तक ऐसी कितनी परियोजनाएं सफल रही हैं और उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन सफल परियोजनाओं का लागत-लाभ विश्लेषण किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) पिछले 10 वर्षों के दौरान रक्षा अनुसन्धान तथा विकास संगठन ने 13 प्रमुख परियोजनाए शुरू की हैं जिनमें प्रत्येक परियोजना की लागत 20 करोड़ रु० है।

(ख) इनमें से "हैवी एलॉय पेनिट्रेटर प्रोजेक्ट और "अंतरिम परीक्षण रेंज" नामक दो प्रमुख परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई हैं। "हैवी एलॉय पेनिट्रेटर प्रोजक्ट" के अन्तर्गत एफ० एस० ए० पी० डी० एस० नामक अत्यन्त घातक और पूर्णतः अचूक टैंकरोधी गोलाबारूद का देश में ही उत्पादन करने वाली स्वचालित निर्माणी की स्थापना कर उसे महानिदेशक आयुध निर्माणी को सौंप दिया गया है। सभी उपकरणों से सज्जित परीक्षण सुविधाओं से युक्त "अंतरिम परीक्षण रेंज" की स्थापना की गई है और उसका इस्तेमाल राकेटों, प्रक्षेपास्त्रों और अन्य प्रणालियों के प्रक्षेपण परीक्षण के लिए किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) रक्षा अनुसन्धान तथा विकास संबंधी कार्यकलापों में यथोचित लागत लाभ विश्लेषण किया जाता है। तथापि, सामाजिक एवं आर्थिक परियोजनाओं से भिन्न इन परियोजनाओं से प्राप्त किए जाने वाले मुख्य लाभों में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना तथा अत्याधुनिक किस्म के हार्डवेयर से बने सैन्य ऐसे शस्त्रों की निरन्तर आपूर्ति बनाए रखना शामिल है जो अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र नियंत्रण प्रणाली से प्रभावित न हों। "हैवी एलॉय पेनिट्रेटर प्रोजक्ट" सेनाओं को कई करोड़ रुपए के एफ० एस० ए० पी० डी० एस० नामक सामरिक गोलाबारूद सप्लाई कर चुका है। प्रक्षेपास्त्रों, राकेटों और अन्य प्रणालियों के उड़ान परीक्षणों के लिए "अंतरिम परीक्षण रेंज" का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया है।

कनिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए कल्याण योजना

[हिन्दी]

3755. **श्री विजय कुमार यादव :**

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कनिष्ठ अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कोई राष्ट्रव्यापी योजना बनाने का है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) राष्ट्रीय स्तर पर अधिवक्ता कल्याण निधि गठित करने का एक प्रस्ताव पहले किया गया था। इस प्रस्ताव की समीक्षा 1990 में की गई थी और यह विनिश्चय किया गया था कि अधिवक्ता स्वयं ही अपनी कल्याण निधि स्थापित करें। किन्तु, सरकार का इस सम्बन्ध में अपने पूर्वतर विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने का विचार है।

वस्त्र निर्यात सम्बन्धी नई कोटा नीति

[अनुवाद]

3756. **श्री शरत् चन्द्र पटनायक :**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सिले-सिलाए वस्त्रों फैब्रिक और कपड़ा निर्यातकों के लिए नई कोटा नीति तैयार की है ;

(ख) क्या सरकार को इस नीति के विरुद्ध किसी वर्ग से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) इस समय लागू परिधान निर्यात हकदारी वितरण नीति (परिधानों के लिए कोटा नीति) तथा वस्त्र निर्यात हकदारी वितरण नीति (वस्त्रों के लिए कोटा नीति) वर्ष 1991 से 1993 तक की अवधि के लिए दीर्घावधिक नीतियां हैं जिनकी घोषणा अगस्त, 1990 में की गई थी। वर्ष 1991 के दौरान इन नीतियों के कार्यचालन के आधार पर इन दो नीतियों में कुछ संशोधन किए गए थे जिन्हें 1-1-1992 से लागू किया गया था।

(ख) से (घ) सरकार को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें वर्ष 1993 के लिए नीतियों में कुछ परिवर्तन करने के सुझाव दिए गए हैं। नीतियों की समीक्षा करते समय इन सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा।

बुनकरों के लिए बीमा योजना

37:7. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :**

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में हथकरघा बुनकरों के लिए हाल ही में कोई बीमा योजना शुरू की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना को अन्य राज्यों में भी लागू किया जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान पूरे देश में जिसमें जम्मू व कश्मीर भी शामिल है, एक समूह बीमा योजना आरम्भ की है ।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक बुनकर का 10,000/-रुपए का बीमा किया जाएगा जिसके लिए वार्षिक किस्त 120/-रुपए की दर से होगी । यह किस्त लाभ भोगी, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार बराबर-बराबर वहन करेंगी । राज्य सरकारें इस योजना के कार्यान्वयन के लिए अभिकरणों का चयन करेंगी और उपयुक्त राशि की मांग के लिए प्रस्ताव भेजेंगी ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन को घाटा

3758. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन ने औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन को भारी घाटा हुआ है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लि० ने रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को एक पत्र भेजा है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) बी० आई० सी० जटिल कार्यशील पूंजी की कठिनाईयों, अप्रचलित संयंत्र तथा मशीनों, कच्चे माल की गैर-उपलब्धता, अत्यधिक ब्याज भार, उत्पादन की अधिक लागत आदि समस्याओं का सामना कर रही है ।

(ङ) बी० आई० सी० ने मिलों का पुनरुद्धार करने के लिए एक रणनीति बनाई है जिसमें आधुनिकीकरण, श्रमिक सुव्यवस्थीकरण, वित्तीय पुनर्निर्माण आदि शामिल हैं ।

राज्यों को राजस्व अग्रिम जारी किया जाना

3759. **डा० वसन्त पवार :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्व अग्रिम जारी किए जाने पर रोक लगाने का है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) राज्य-वार कितनी राशि रोकी जा रही है ;

(घ) सरकार का विचार इस राशि को कितनी अवधि तक रोके रखने का है ; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है कि राज्य अपने खर्चों को सीमित करें ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) राज्य सरकारें जिन धनराशियों की हकदार हैं, वे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित तारीखों को रिलीज की जा रही हैं। जो राशियां देय ही न हुई हों, उन्हें रोके रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता

(ङ) यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि वे अपने व्यय को अपनी आय के ढांचे के अन्दर तक सीमित रखें।

यूरोपीय समुदाय के बाजारों को समुद्री उत्पादों का निर्यात

3760 **श्री के० प्रधानी :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय समुदाय के बाजारों को किये जाने वाले समुद्री उत्पादों के निर्यात में गत तीन वर्षों के दौरान कमी आई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यूरोपीय समुदाय के बाजारों को किये जाने वाले समुद्री उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अन्य देशों में म्यूचुअल फण्ड जारी करना

3761. **श्री मुमताज अंसारी :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को अन्य देशों में म्यूचुअल फण्ड जारी करने के लिए अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) किन-किन बैंकों ने अन्यदेशो में म्यूचुअल फण्ड जारी किये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) भारतीय पूंजी बाजार में विदेशी संस्यागतनिवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से बैंकों और वित्तीय सस्थाओं को सरकार और भारतीय रिजर्व बैंककी पूर्व-अनुमति से अपतटीय म्यूचुअल फण्ड शुरू करने की अनुमति दी जाती है। इस समय चार अपतटीय फण्ड चल रहे हैं, जिनमें से दो फण्ड भारतीय यूनिट ट्रस्ट और दो फण्ड राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रायोजित हैं।

(ग) जिन बैंकों ने अभी तक अपतटीय फण्ड शुरू किए हैं, वे हैं भारतीय स्टेट बैंक और केनरा बैंक।

वाराणसी में फर्मों द्वारा पोटाशियम कार्बोनेट आदि का आयात

[हिन्दी]

3762. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अग्रिम लाइसेंस योजना के अन्तर्गत केवल उसी कच्चे सामान अथवा सामग्री का आयात किया जाता है जिसका निर्यात उत्पादन हेतु उपयोग किया जाता है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में वाराणसी में कुछ फर्मों को पोटाशियम कार्बोनेट, कैंडिनियन सल्फाईड, आर्निक डाईआक्साइड, एर्न्टीमनी डाइआक्साइड, सेलेनियन मैटल पाऊडर और अवेनचुरिन ब्लाक ग्लास आदि का अग्रिम लाइसेंस योजना के अन्तर्गत 1990-91 के दौरान आयात करने की अनुमति दी थी जबकि इस आयातित सामग्री का उपयोग कृत्रिम मोतियों के उत्पादन में नहीं किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस बारे में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां।

(ख) उन मदों के आयात के लिए अग्रिम लाइसेंस प्रदान किए गए थे जिन्हें तकनीकी प्राधिकारियों के अनुसार ग्लास बीड्स, नेकलस स्ट्रिंग्स आदि के विनिर्माण और निर्यात के लिए अनिवार्य समझा जाता है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कम्पनियों की जांच

[अनुवाद]

3763. डा० कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच के किए औसतन

कितनी कम्पनियों का पता लगाया गया अथवा चयन किया गया, पंजीकृत कम्पनियों की तुलना में उनकी संख्या कितनी है और उनकी किस प्रकार की जांच की गई है ;

(ख) प्रवर्तन निदेशालय की जाँच को प्रभावी बनाने तथा प्रवर्तन निदेशालय की जांच के समय आने वाली बाधाओ को दूर करने के लिए अधिनियम में संशोधन करन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार किया गया है ;

(ग) क्या गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के किन्हीं उपक्रमों/कम्पनियों में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां तो तत्संबधी ब्यौरा और निष्पर्ष क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज): (क) गत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित कम्पनियों की संख्या के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अन्तर्गत लेखा बहियों और अन्य किताबों व कागजातों का निरीक्षण किया गया था :—

समाप्ति वर्ष	निरीक्षण की गई कम्पनियों की संख्या	वर्ष की समाप्ति पर कार्यरत कम्पनियों की संख्या
31.3.1990	129	2,02,128
31 3 1991	119	2,24,452
31.3.1992	160	2,50,397

(ख) यह महसूस किया गया कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के वर्तमान उपबन्ध पर्याप्त हैं ।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान किसी भी सरकारी कम्पनी का निरीक्षण नहीं किया गया है ;

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

सी०ए०टी०ओ० संस्थान की रिपोर्ट का अध्ययन

3764. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहायता प्राप्त कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत पिछले चालीस वर्षों में सर्वाधिक अमेरिकी और बहुराष्ट्रीय सहायता प्राप्त करने के बावजूद भी गरीबी का उन्मूलन और आर्थिक विकास नहीं कर पाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वाशिंगटन स्थित सी०ए०टी०ओ० संस्थान द्वारा प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट की जाँच की है ; और

(ग) विदेशी सहायता से भारत में गरीबी कितनी कम हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) पिछले कुछ वर्षों में भारत को विभिन्न बहुपक्षीय अभिकरणों और अन्य विदेशी स्रोतों से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। यद्यपि यह सहायता प्रति व्यक्ति आधार पर प्राप्त हुई है तथापि अधिकांश अन्य विकासशील देशों की तुलना में निम्नतम में से एक है। विदेशी और घरेलू स्रोतों से भारत सरकार के पास उपलब्ध निधि का इस्तेमाल अन्य बातों के साथ-साथ गरीबी कम करने के कार्यक्रमों पर किया गया है। इसके फलस्वरूप, पिछले वर्षों में अत्यन्त गरीबी के मामलों में काफी कमी आई है। वाशिंगटन स्थित सी० ए० टी० औ० संस्थान द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में प्रसंगवश भारत में विकास-अभिरचना (पैटर्न) तथा प्रक्रिया और भारतीय विकास में विदेशी सहायता की भूमिका के बारे में लेखक के निजी विचार दर्शाए हैं।

केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिक धन निकाला जाना

3765. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडे** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार गत दो वर्षों से भारतीय रिजर्व बैंक से अधिक धनराशि निकाल रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्योरा लेखा शीर्ष सहित क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : (क) और (ख) रिजर्व बैंक केन्द्र सरकार का बैंकर है। यह एक ऐसी स्थायी व्यवस्था है, जिससे अधीन जब भी केन्द्र सरकार का नकद बाकी शेष सरकार के व्यय को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होता है, तो रिजर्व बैंक उसके पक्ष में तदर्थ 91-दिवसीय राजकोष हुंडिया ऋजित करके आवश्यक सीमा तक नकद बाकी शेष की नः पूर्तिः करता है। इनमें रिजर्व बैंक से अल्पावधिक उधार शामिल होते हैं, औनइनका हिसाब भारत के लोक ऋण के अधीन रखा जाता है। इसीलिए तकनीकी रूप से केन्द्र सरकार किसी भी समय रिजर्व बैंक के साथ ओवर ड्राफ्ट की स्थिति में नहीं होती है।

राजकोष हुंडियों द्वारा जुटाई गयी नकद बाकी शेष की समायोजित निवल राशि बजटीय घाटा होता है। यह घाटा समेकित निधि और भारत के लोक लेखे दोनों के अधीन प्राप्तियों औव व्यय द्वारा सभी सरकारी लेन-देनों का निवल प्रभाव है। इसलिए किसी एक मद अथवा मदों को घाटे का कारण बताना संभव नहीं है।

मध्य प्रदेश के लिए केन्द्रीय सड़क कोष

[हिन्दी]

3766. **श्री रामेश्वर पाटीदार** :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सड़क कोष के अन्तर्गत 93 करोड़ रुपये तक की राशि दिए जाने के लिए 3 अक्टूबर, 1989 को प्रस्ताव भेजे थे ;

(ख) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों में से केवल पांच प्रस्तावों को स्वीकृति दी है जबकि बाकी प्रस्तावों को अभी तक स्वीकृति नहीं मिल पाई है ;

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) बाकी प्रसवों के लिए कब तक धनराशि उपलब्ध करा दी जायेगी ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) जी, हां । चूंकि केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे और उक्त निधि में वास्तविक वृद्धि अभी नहीं हुई है, इसलिए शेष प्रस्तावों पर अनुमोदन के लिए कारंवाई नहीं की जा सकी ।

(घ) अतिरिक्त प्रस्तावों पर विचार करने के प्रयोजन से अभी इस बात का संकेत देना संभव नहीं है कि केन्द्रीय सड़क निधि में वृद्धि की लक्षित तारीख क्या होगी ।

जानकीरमन रिपोर्ट पर विदेशी बैंकों की प्रतिक्रिया

[अनुवाद]

3767. **श्री गुरुदास कामत** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकीरमन रिपोर्ट पर विदेशी बैंकों ने नाराजगी जाहिर की है ;

(ख) यदि हां तो इन बैंकों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्हें अभी तक जानकीरमन समिति की अन्तरिम रिपोर्ट पर विदेशी बैंकों से कोई प्रतिकूल या अन्यथा पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

दिल्ली में परिवार अदालतें

3768. **श्री कमल चौधरी** :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित परिवार अदालतों की दिल्ली में अब तक स्थापना कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी अदालतें गठित की गई हैं और इनमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) अभी तक नहीं, महोदय । किन्तु, दिल्ली प्रशासन ने, मेहरौली संस्थान क्षेत्र स्थित अपने भवनों में से एक भवन में प्रथमतः दो कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करने के लिए कारंवाई प्रारम्भ कर दी है । आवश्यक प्रारम्भिक अवसंरचनात्मक कार्य भी प्रारम्भ हो चुका है ।

औषधों और सौन्दर्य प्रसाधनों का निर्यात

3769. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान औषधों और सौन्दर्य प्रसाधनों के निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या थे और इस अवधि के दौरान कितनी उपलब्धि हुई है;

(ख) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार का सौन्दर्य प्रसाधनों और औषधों के निर्यात में वृद्धि करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रयास करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सरकार द्वारा आरम्भ किए गए व्यापार एवं वित्तीय सुधारों से भारत से भेषजों और सौन्दर्य प्रसाधनों का निर्यात बढ़ाने में सहायता मिलेगी । मूल रसायन, भेषज एवं सौन्दर्य प्रसाधन निर्यात संवर्धन परिषद् जिसे इन उत्पादों के निर्यात संवर्धन का कार्य सौंपा गया है ने निर्यात बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं । इनमें व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों का आवागमन, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना, संभावना वाले देशों को बिक्री-सह-अध्ययन दल भेजना आदि शामिल हैं ।

विवरण

सातवी पंचवर्षीय योजना के दौरान भेषजों एवं सौन्दर्य प्रसाधनों के निर्यात के लिए लक्ष्य एवं उपलब्धियां

	1985-86		1986-87		1987-88		1988-89		1989-90	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
औषध एवं भेषज	1960.0	1943.0	2352.0	2230.0	2700.0	2279.0	3400.0	4002.0	7250.0	6647.0
सौन्दर्य प्रसाधन एवं शृंगार सामग्री	996.0	843.0	830.0	858.0	850.0	855.0	900.0	1398.3	2250.0	3596.6

निर्यात में प्रशिक्षण

[हिन्दी]

3770. श्री एन० जे० राठवा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्च प्रतिस्पर्धा वाले अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सफलता पूर्वक प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए निर्यात में प्रशिक्षण देने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक कोई निर्णय किये जाने की संभावना है ;

(ग) यह प्रशिक्षण किन स्थानों पर दिये जाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है और इससे निर्यात में कितना लाभ होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। किन्तु, सरकार द्वारा स्थापित भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आई०आई०एफ०टी०) विदेश व्यापार और विशेष रूप से निर्यात व्यापार के क्षेत्र में प्रमुख प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान है। अपने प्रशिक्षण क्रियाकलापों के भाग के रूप में आई०आई०एफ०टी० निर्यात संगठनों में विभिन्न स्तरों के व्यवसायी कार्यपालकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल अनेक कार्यपालक विकास कार्यक्रमों की आफर करता है ताकि वे अपने ज्ञान और तकनीकी निपुणता में वृद्धि कर बेहतर ढंग से बाजारों में प्रवेश पा सकें और अत्यधिक प्रतियोगी अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में अवसरों का पूरा-पूरा लाभ उठा सकें। इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा समय-समय पर क्रिन्यान्वित विभिन्न परियोजनाओं के तहत निर्यात संवर्धन और उससे संबंधित विषयों पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों में उपस्थित होने के लिए सरकारी अधिकारियों को विदेश भी भेजा जाता है।

चुंगी

[अनुवाद]

3771. श्री शरत चन्द्र पटनायक :

श्री रवि राय :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चुंगी वसूली से संबंधित सभी विवादास्पद मामलो पर पूरी तरह से विचार करने के लिये एक समिति गठित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और समिति को क्या विशिष्ट कार्य सौंपा गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) सरकार ने केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित करने का निर्णय किया है जो चुंगी और पथ कर से संबंधित सभी मामलों की जांच करेगी।

समिति के गठन और विचारार्थ विषयों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

रोमानिया के साथ व्यापार सम्बन्ध

3772. **श्री के० प्रधानी :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोमानिया के साथ व्यापार सम्बन्ध बढ़ाने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिये क्या प्रयास किये गये ;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के लिये इस सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है ; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिये रोमानिया के साथ आयात-निर्यात के लिये कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) सरकार का लगातर प्रयास रहा है कि रोमानिया के साथ व्यापार बढ़ाया जाए। इस सम्बन्ध में उठाए गए कुछ कदमों में वाणिज्यिक तथा व्यापार सूचना/प्रतिनिधिमण्डलों का आदान-प्रदान, वार्षिक व्यापार संलेखों पर हस्ताक्षर करना तथा व्यापार की आवधिक समीक्षा करना शामिल है।

(ग) और (घ) दोनों देशों के बीच के व्यापार और भुगतान समझौते में कैलेण्डर वर्ष के आधार पर वार्षिक व्यापार योजना की व्यवस्था है तथा तदनुसार आयात-निर्यात लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

वर्ष 1992 की भारत-रूमानिया व्यापार योजना में कुल 5100 मिलीयन रु० के व्यापार का प्रावधान है जिसमें रूमानिया को 2400 मिलीयन रु० का निर्यात तथा वहां से 2700 मिलीयन रु० का आयात करने का ध्यान रखा गया है।

जम्मू और कश्मीर में वित्तीय संकट

3773. **श्री गुरुदास कामत :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर सरकार को भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई/किये जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) से (ग) जम्मू और कश्मीर राज्य की आय ओर व्यय के बीच असमानता के कारण काफी वित्तीय असंतुलन का सामना कर रहा है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने वर्ष की शुरूआत ही 491.71 करोड़ रुपए के घाटे से की। उनकी वित्तीय कठिनाइयों का मुख्य कारण ही भारी प्रारम्भिक घाटा है। असम, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब द्वारा जिन वित्तीय असंतुलनों का सामना किया जा रहा है, उनकी जांच करने हेतु अधिकारियों का एक दल

गठित किया गया है जिसमें वित्त और गृह मंत्रालयों तथा योजना आयोग के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1991-92 के दौरान राज्य सरकार द्वारा केन्द्र को देय 143.50 करोड़ रुपए की वसूली को अभी न किया जाए तथा उसे फिलहाल दल की रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने तक लम्बित रखते हुए 1992-93 के लिए आगे ले जाया जाए। इस बीच, जब राज्य सरकारों ने अपने अर्थोपायों की कठिनाइयों के बारे में वित्त मंत्रालय को सूचित किया तो उनकी हकदारियों को मई, जून और जुलाई में समय से पूर्व रिलीज कर दिया गया।

कम्पनियों का अनभिप्रेत लाभ

3774. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करने वाली कम्पनियों से अनभिप्रेत लाभ को सरकारी खाते में जमा करने के आदेश जारी करने का कोई प्रस्ताव है जैसा कि औषध कम्पनियों के मामले में किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रश्न में प्रयुक्त "अनभिप्रेत लाभ" पद का आशय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की वापसी के जरिए कम्पनियों के "अनुचित रूप से धनी" बनने के मामले से है। सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम, 1991 (1991 का 41) का अधिनियमन करके सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में पहले ही उपयुक्त विधिक उपबन्ध बना लिये गये हैं। इन उपबन्धों के अंतर्गत, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में किसी भी तरह से किसी भी माल के क्रेता से किसी व्यक्ति द्वारा वसूल की गई किसी भी राशि को तुरन्त केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा करा दिया जायेगा। शुल्क निर्धारण को अंतिम रूप दे दिये जाने पर इस प्रकार अदा की गई राशि को उक्त व्यक्ति द्वारा देय उत्पाद शुल्क के प्रति समायोजित कर दिया जायेगा। इस प्रकार, समायोजन करने के बाद जो अतिरिक्त राशि बच जाएगी उसे या तो उपभोक्ता कल्याण निधि में जमा कर दिया जायेगा या यथास्थिति के अनुसार उस व्यक्ति को वापस कर दिया जायेगा जिसने इस राशि के भार को वहन किया हो।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरकों का आयात सरकारी एजेंसियों के माध्यम से न करना

3775. श्री प्रकाश वी० पाटील :

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरकों का आयात सरकारी एजेंसियों के माध्यम से न कराने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) इस समय, खाद के आयात को गैरसरणीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी आयात-निर्यात नीति की निरन्तर समीक्षा की जाती है और जब कभी आवश्यक समझा जाता है उसमें परिवर्तन किए जाते हैं।

12.05 म० प०

प्रतिभूति घोटाले की जाँच कर रहे केन्द्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक, श्री माधवन द्वारा समयपूर्व सेवानिवृत्ति लिए जाने के बारे में।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ मैं कह रहा हूं उसे कहने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप तब बोलिए जब मैं अपनी बात पूरी कर लूं।

(व्यवधान)

———

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, इसके बाद भी मैंने आपके नोटिस को मंजूरी देते हुए भी आपको सुनने के लिए मना नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि आज फ्राइडे है और 3.30 बजे प्राईवेट मैम्बर्स बिजनेस शुरू हो जाएगा और आपको बोलने के लिए समय कम मिलेगा। यह बात भी मेरे सामने थी। शायद यह बात आपके भी मन में थी। इसलिए मैंने आपको मना नहीं किया। मेरे सामने दो पर्याय थे। एक, मैं यहां से उठकर चला जाऊं और क्वेश्चयन आवर सस्पैंड कर दूं, दूसरा पर्याय था कि आपको बोलने का समय दूं। मैंने सोचा क्वेश्चयन आवर सस्पैंड करने से अच्छा है कि आपको बोलने देना चाहिए। आपकी भावना मन में ही क्यों रहे। मगर उसके साथ आपकी तीव्र भावना भी एक पद्धति से यहां पर सामने रखी जा सकती है। इसलिए एक दफा नहीं, वाजपेयी साहब जितनी दफा बोले हैं, मैं उनके प्रति आपकी तरफ से भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। बात ऐसी हो जाती है कि इस आवर में जो जबरदस्ती से उठकर बोलेगा वही बोल पायेगा और जो बोलना चाहता है वह पीछे रह जाता है, अन्याय हो जाता है बहुत लोगों के साथ। यह भी ध्यान में रखना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आपके जो नेताओं ने कहा है वह सत्य नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहता। आपकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं। गवर्नमेंट साईड से लोग उसके बारे में बोलने के लिए बार-बार उठ रहे थे, यहां से लोग बोलने के लिए उठ रहे थे, मैंने उनको कहा आप थोड़ा ठहर जाएं। अपनी भावनाओं से कोई दूसरा मत नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं भी इस बात पर आपत्ति कर रहा हूं। मैं आपका कार्य आसान करना चाहता हूं और आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपको खड़े होकर बोलने में ही रुचि नहीं

लेनी चाहिए क्योंकि ऐसे किसी की बात सुनाई नहीं देती है। मेरी बात तो नहीं सुनी जाती लेकिन कम से कम आपकी बात तो सुनी जानी चाहिए। कम से कम आप ऐसा तो कर ही सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कौन करेगा ? मुझे आप सबके सहयोग से यह कार्य करने दीजिए।

कोई भी व्यक्ति यह चर्चा समाप्त करना नहीं चाहता है। हमें यह चर्चा करनी ही होगी। साथ ही मैं इस मुद्दे पर जोर नहीं देना चाहता। हमने इस सभा सभी नेताओं द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार कर लिया है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कि हम सभा की कार्यवाही कैसे चला सकते हैं, 23 और 24 सितम्बर को दिल्ली में बैठक होगी। जो कुछ नेताओं ने कहा है यह उस पर कटाक्ष नहीं है। मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं। मेरा मतलब यह नहीं है, मैं केवल व्यवस्था स्थापित करना चाहता हूं। आपने अपने तरीके से आपना-अपना कार्य किया; उसके लिए आपने नियमों का भी सही तरीके से पालन नहीं किया है। आपने अपना कर्तव्य निभाया है और कोई भी इस पर आपत्ति नहीं कर सकता है। मैं भी इस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जो कुछ आपने किया है वह गलत है लेकिन मेरा कहना है कि यदि आपने प्रक्रिया का पालन किया होता तो अधिक बेहतर होता। इस बात को हम यहीं समाप्त कर दें। मैं श्री नीतिश कुमार को बोलने की अनुमति दे रहा हूं। 12 बज चुके हैं। आपको भी बोलने का अधिकार है। इसके बाद मैं मंत्री महोदय को बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा): हम सब लोगों ने नियम-388 के तहत नोटिस किया था···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपने नोटिस दिया था।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझको एक तरह से पुकार दिया था, हमारे सम्मानित नेता आदरणीय अटल जी···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कुछ भी बोलें, उनके बारे में मैं बदलने वाला नहीं हूं।

श्री नीतीश कुमार : हम इससे सहमत हैं कि प्रश्न-काल सामान्य परिस्थितियों में ही होना चाहिए और आज ही प्रश्न की सूची में तीसरे नम्बर पर मेरा प्रश्न था और एक तरह से हम शहीद हुए, लेकिन सूचना और जानकारी प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल सका।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसलिए बारह बजे के बाद पहले आपको चांस दिया गया है।

श्री नीतीश कुमार : जो विवाद का विषय था, वह प्रश्नकाल में उठा जिसके आधार पर कतिपय माननीय सदस्यों ने रूल-388 के तहत प्रश्न-काल स्थगित करने का प्रस्ताव रखा था, वह माधवन के इस्तीफे का सवाल है, कोई साधारण अधिकारी के इस्तीफे का सवाल नहीं है बल्कि पूरी सरकार की फंक्शनिंग पर प्रश्न-चिह्न लगता है। सरकार की विश्वसनीयता का सवाल है और पूरी जांच में सरकार की नीयत का प्रश्न है। सरकार की नीयत साफ न हो और उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न-चिह्न लगता हो, इस प्रकार से दूसरा बिजनैस सदन में कैसे चले, जिस सरकार की विश्वसनीयता नहीं

[श्री नीतीश कुमार

वह सरकार क्या जवाब देगी। हम अभी भी आपसे अनुरोध करेंगे कि हालांकि 12 से ज्यादा समय हो चुका है, प्रश्न-काल तकनीकी रूप से बीत चुका है लेकिन हम आप से आग्रह करेंगे कि भूतलक्षित प्रभाव से रिस्ट्रास्पेक्टीव इफैक्ट से शून्य-काल स्थगित कर दें।]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं इसका स्वागत करता हूं।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : महोदय, मैं चर्चा का तथा यहां उठाए गए मुद्दों का उत्तर नहीं दे रही हूं। मैं सभा के समक्ष तथ्य रख रही हूं क्योंकि ऐसा कहा गया है।

श्री माधवन 27.3.92 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अपर निदेशक पद के भर्ती नियमों में परिवर्तन के लिए अभ्यावेदन दिया है। यह अभ्यावेदन केन्द्रीय जांच ब्यूरो के मुख्यालय की टिप्पणियों के साथ गृह मंत्रालय को भेज दिया गया था। चूंकि भर्ती नियमों में किसी प्रकार के परिवर्तन से सभी केन्द्रीय पुलिस संगठन प्रभावित होंगे। अतः गृह मंत्रालय की इन जटिलताओं पर विचार करने में समय लगेगा। गृह मंत्रालय अभी भी इस पर विचार कर रहा है।

श्री के० माधवन, संयुक्त सचिव ने भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव को संबोधित एक सूचना दी हैं जिसके अनुसार वह 31.10.93 से स्वैच्छिक अवकाश ले रहे हैं और नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य सेवा निवृत्ति लाभ प्राप्त करेंगे। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक को यह सूचना 20 जुलाई, 1992 की सुबह मिली थी।

मेरे पास त्यागपत्र की मौलिक प्रति है। महोदय, यदि वे जानना चाहते हैं तो मैं इसे पढ़ सकती हूं (व्यवधान)

20 जुलाई, 1992 को श्री माधवन केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक से मिले थे, उस समय श्री एस०के० सेठ, अपर निदेशक भी उपस्थित थे। उन्होंने यह कहा था कि उन्होंने यह निर्णय बहुत सोच-समझ कर लिया है ताकि वह न्यायिक सेवा में शामिल हो सकें। तथापि उन्होंने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक को यह आश्वासन दिया कि वह सात बैंक घोटाले के मामलों की जांच करते रहेंगे जो अभी उनके अधिकाराधीन हैं।

इन सात मामलों में तीन डी०आई०जी० तथा अनेक डी०एस०पी० और आई०ओ० उनकी सहायता कर रहे हैं। श्री माधवन को स्वैच्छिक अवकाश के लिए दी गई सूचना में उल्लिखित परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। अपने उत्तर में उन्होंने कहा कि जब भी कोई अधिकारी स्वैच्छिक अवकाश लेता है तो उसके समक्ष कुछ परिस्थितयां होती हैं। वह अनुभव करते हैं कि स्वैच्छिक अवकाश के लिए परिस्थितियां बताने की आवश्यकता नहीं है। अतः वह अपनी सेवा निवृत्ति की परिस्थितियां नहीं बताना चाहते हैं। बाद में उन्होंने 24.7.92 को बंबई से केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक को फोन किया कि वह व्यक्तिगत कारणों से स्वैच्छिक अवकाश ले रहे हैं।

श्री माधवन शुरू से ही बैंक घोटाले के मामले की जांच कर रहे हैं। यह उनका कार्य क्षेत्र है। उनको कार्य करने की पूर्ण स्वतन्ता दी गई और उनके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता

था। सरकार ने उन्हें जांच करने के लिए अतिरिक्त व्यक्ति भी दिए हैं।

मुझे केवल यही कहना है। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : हमारे पास लिखित स्टेटमेंट होता तो उसका एक-एक जो दोष है उसका उल्लेख करते। मोटेतौर पर जो मंत्री जी ने बताया है उसने इस बात को प्रमाणित किया है कि वह एक प्रमाणिक अधिकारी है जो अपनी सरकार को छोड़ने से पहले उन सब बातों को सार्वजनिक रूप से नहीं कहना चाहता। यही बात प्रमाणित होती है, लेकिन जो आरोप आज सब अखबारों में लगे, जो यहां सदन में कहा गया और जो आरोप यहां लगाये गये कि क्या किसी स्टेज पर श्री माधवन जी को यह कहा गया कि आपकी जानकारी में अगर किसी भी राजनेता का नाम आया है या किसी भी सरकार के अधिकारी का नाम आया है तो रिपोर्ट में मत लिखिये बिना स्वीकृति के। क्या यह बात सही है और यह बात अगर सही है तो बहुत गम्भीर बात हैं। यह ठीक है कि मैंने माधवन जी से सीधे बात नहीं की है, लेकिन जो कुछ जानकारी मिली है वह बहुत गम्भीर है। मैं उसका उल्लेख तब विस्तार से करूंगा जब स्कैम पर चर्चा होगी।

मुझे अभी ऐसा लगता है कि इस सरकार ने बीफोर्स के बारे में एक स्टैंड लिया था। यहां पर उनकी नीयत पर शक किया गया, कहा गया कि बिलकुल गलत है, हम ईमानदारी से उसको परस्यू कर रहे हैं। यद्यपि माधवन को वहां से हटाया गया था। फिर एक माधव सिंह नाम के व्यक्ति आये जिसके कारण सारे देश में इस बात की पुष्टि हो गई कि नीयत साफ नहीं है। लगता है कि यह माधवन शब्द कोई कोप है इस सरकार पर। एक बार माधव सिंह जी के प्रकरण ने सरकार की नीयत पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया आज माधवन के प्रकरण ने जो स्कैम के प्रकरण के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अपने में उसका अलग महत्व हो गया है, उसने फिर सरकार की नीयत पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है इस मामले के लिए उत्तरदायी पांच-छः हजार करोड़ से अधिक की क्षति जो देश को हुई है उसके लिए उत्तरदाई राजनेता या अफसर हैं और उनको सरकार बचाना चाहती है, यह मेरी धारणा है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से यह साफ होता है कि माधवन ने मार्च में जो एप्लीकेशन दी वह अपने लिये नहीं दी। उन्होंने सबके फायदे के लिए दी। उसकी यहाँ उद्धृत करने का क्या फायदा है। क्या माधवन ने स्वयं अपने प्रमोशन के लिए कहा था? उसने अपने लिये नहीं कहा था। जो कैडर रूल है उसके अनुसार किया जो कि एक जनरल चीज है। उसको दूसरी तरफ लेजाकर दूसरे दृष्टिकोण से रखने का प्रयास न करें। क्योंकि यह प्रयास हो भी रहा है जैसा कि हमें अखबारों से या विश्वस्त सूत्रों के जरिये मालूम हुआ है। दूसरी बात बोफोर्स की है। बोफोर्स में भी लगता है कामयाबी हासिल होगी, उसमें भी उन्होंने तीव्र रूप से कामयाबी हासिल की थी। बैंकों के अकाउंट्स सील करने में, ए० ई० सी० सर्विसेज के डाक्यूमेंट्स लाने में और वहां से जो सीक्रेट पेपर्स थे, स्वीडन के आडिट ब्यूरो के वह लाने में उन्हीं को डिस्मेंटल किया, शेखर को किया, पहले वहां से हटाया जो सी० बी० आई० के चीफ थे। उसके बाद माधवन को हटाने का काम हो रहा है जो स्कैम को देख रहे हैं। इसलिए यह परिस्थिति पैदा हुई है और हमें यहां कारण नहीं बताया जा रहा है। कुछ ऐसी बात होगी जिसको वह नहीं कहना चाहते। और सहज कहने लायक है कि एमबैरेसमेंट तो हो। दूसरी बात यह स्पष्ट करें कि सरकार को अधिकार हैं कि एक आफिसर रिटायरमेंट मांग रहा है और उसने जो एप्लीकेशम दी है, उसको रिजेक्ट कर सकने का अधिकार है?

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

यह मनाने की बात नहीं है। आप कहें कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं और हम कहते हैं कि आप मना कर रहे हैं। यह सीधी बात है कि माधवन स्कैम का काम करने को तैयार हैं ? तीसरी बात आप क्यों नहीं बताते हैं कि कोई आफिसर नहीं कहता कागज देकर कि :

[अनुवाद]

"मैं बहिष्कार कर रहा हूं" उसका अधिकार ही नहीं है।

[हिन्दी]

तो आप अपनी जिम्मेदारी बतायें और आज स्पष्ट करें। चौथी बात कि आया यह जो गलत है तो मैं खुश हूं लेकिन जिस तरह से पत्रों में आया उसके अनुसार मैं नहीं कहता कि प्राईम मिनिस्टर को इसकी जानकारी है कि नहीं, हम लोग वह आक्षेप नहीं लगा रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उनको जानकारी है या नहीं परन्तु पी०एम०ओ० के एक बहुत बड़े अधिकारी ने बुलाकर इस विषय में दखल देने का काम किया है। इससे दु:खी होकर माधवन ने इस्तीफा दिया। इसका भी स्पष्टीकरण करें। मैं नाम कह सकता हूं लेकिन अभी नाम कहने की बात नहीं है। अगर आप में कुछ शराफत है तो उसे दिखा दिया जाये कि यह बात हुई थी। इस को रिजेक्ट करिये और उनको जिम्मेदारी दी जाये।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की ओर से कोई सभा को यह बता सकता है कि क्या सरकार श्री माधवन के स्वैच्छिक अवकाश के लिए दिए गए आवेदन को स्वीकार कर रही है अथवा उन्हें ऐसा न करने के लिए आग्रह किया जा रहा है। क्या वे इस महत्वपूर्ण जांच के लिए उनकी सेवाएं बनाए रखने में रुचि रखते हैं ? उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं कहा है कि वे उनकी सेवाओं अथवा दक्षता की प्रशंसा करते हैं। क्या वे यह नहीं समझते हैं कि इस गंभीर समय में उनका अपना कार्य करते रहना देश के हित में है ? क्या वे उन्हें ऐसा न करने के लिए कह रहे हैं अथवा क्या वे उन्हें जाने देंगे ?

श्री सोम नाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अब तक यह पता लगाया है कि श्री माधवन द्वारा किया जा रहा कार्य सच्चाई का पता लगाने के लिए बहुत उपयोगी है अथवा वह अपना कार्य ठीक प्रकार से कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो क्या सरकार ने यह सोचा है कि उनकी सेवाओं को जारी रखना चाहिए ताकि वह मामले की जांच गहराई से कर सकें ? यदि श्री माधवन अपना कार्य ठीक प्रकार से कर रहे हैं और वह कोई सबूत तथा तथ्य प्राप्त कर सकते हैं जिससे सच्चाई का पता लग सके अतः क्या यह सरकार का कर्तव्य नहीं है कि वह ऐसे अधिकारी से आग्रह करे कि वे सेवा से न जाएं और वह इस मामले का वास्तविक कारण जानने तथा इसमें शामिल व्यक्तियों का पता लगाने के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करें ? यह सरकार का कर्तव्य है जिसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। उनके समय पूर्व अवकाश लेने के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया के बारे कुछ नहीं कहा गया और श्री माधवन द्वारा अब तक किए गए कार्य का सरकार द्वारा क्या आकलन किया गया है। यदि सरकार महसूस करती है कि उनका कार्य उपयोगी है और उन्हें कार्य करते रहना चाहिए तो सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए। इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। हम जानना चाहते हैं कि सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : **अध्यक्ष** जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मंत्री महोदया ने जो वक्तव्य दिया है, वह वक्तव्य और सरकारी प्रवक्ता का जो कथन आज समाचार-पत्रों में छपा है, उसमें थोड़ा सा अन्तर्विरोध है।

अध्यक्ष महोदय, माधवन के बारे में यह धारणा पैदा करने की कोशिश की गयी है कि उनकी पदोन्नति नहीं हुई। वह पदोन्नति चाहते थे और इसलिए उन्होंने सेवा से हटने का फैसला किया। मंत्री महोदया ने जो कुछ कहा है, उससे यह बात साफ है कि माधवन् केवल अपनी पदोन्नति की बात नहीं कर रहे थे। जैसा कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने कहा कि उनका कहना यह था कि अगर नॉन आई० पी० एस० और नॉन आई० ए० एस० अधिकारी सी० बी० आई० में हैं तो वह ऐडीशनल सेक्रेटरी क्यों नहीं बन सकते हैं? जॉइंट डायरेक्टर तो वह आज हैं, ऐडीशनल डायरेक्टर क्यों नहीं बन सकते? यह बड़ा मामला है, केवल कैडर तक सीमित मामला नहीं है लेकिन सरकारी प्रवक्ता ने यह धारणा पैदा करने की कोशिश की है कि जैसे वह अपनी पदोन्नति चाहते थे, और उन की पदोन्नति नहीं हुई तो उससे नाराज होकर वे त्यागपत्र देकर जा रहे हैं या सेवा से छूट्टी ले रहे हैं।

दूसरी एक और बात मैं कहना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि सदन के मेरे मित्र इसको जरा सहन करेंगे। बैंकिंग स्कैम में राजनीतिक लिंक्स हैं या नहीं, हम लोग चाहते हैं कि यह प्रकट हो। अब सारा भार श्री माधवन पर डाला जा रहा है। प्रधान मंत्री ने भी सब मंत्रियों को चिट्ठियां लिखी थीं और उनसे पूछा था कि आपके शेयर हैं या नहीं हैं, और हैं तो कितने हैं। आप इसमें फंसे हैं या नहीं, और फंसे हैं तो कहां तक फंसे हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : चिट्ठी नहीं लिखी ! चलिए यह बात तो साफ हो गई। अब मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं। समाचार पत्रों में इसकी चर्चा हुई है।

श्री नीतीश कुमार : केसरी जी चिट्ठी नहीं पढ़ते हैं, यह हमें पता है। हमने उनको चिट्ठी लिखी है, उन्होंने अभी तक पढ़ी नहीं है। इसलिए प्रधान मंत्री जी ने लिखा है या नहीं लिखा है, उनको पता नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं बिहार वालों के बारे में ऐसा नहीं कह सकता।

श्री नीतीश कुमार : हम जानते हैं बिहारी होने के नाते।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात बोल रहा हूं। अगर प्रधान मंत्री ने चिट्ठी नहीं लिखी और चिट्ठी के बारे में समाचार छपे हुए हैं तो सचमुच में वह भ्रम पैदा करने वाले हैं और यह सवाल उठेगा कि प्रधान मंत्री ने आखिर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की या नहीं की। लेकिन मान लीजिए, प्रधान मंत्री ने जानकारी प्राप्त नहीं की, तो कई मंत्रियों के नाम लिए जा रहे हैं। वे मंत्री स्वेच्छा से खड़े होकर सदन में कह सकते हैं और मैं चाहता हूं राजनीतिक नेता स्वेच्छा से सदन के सामने आकर, देश के सामने आकर कहें कि हमने शेयर खरीदे और यह भी कि शेयर खरीदना कोई गलत काम नहीं है, गैर-कानूनी काम नहीं है। किस नेता के कितने शेयर हैं, एक आफिसर पर छोड़ दिया जाए, सी० बी० आई० इसका पता लगाए और फिर उस पर आरोप हो कि आप उसको जांच नहीं करने दे रहे हैं यह ठीक नहीं है राजनीतिक नेताओं के लिए बिल्कुल ठीक नहीं

[**श्री अटल बिहारी वाजपेयी**]

है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आप जो जे०पी०सी० बना रहे हैं, उसमें जो सदस्य जाएं वे भी शेयरों की घोषणा करें जे०पी०सी को सबसे पहले माधवन को ऐक्जामिन करना चाहिए। सबसे पहले आप उनको ऐक्जामिन करिए और लेकिन आप समिति बनाने में भी देर कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : सभी पार्टियों से नाम आने हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसमें विलंब होने से मामला बिगड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय : सही बात है। यह जल्दी-जल्दी करेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : राजनैतिक नेता, विशेषकर मंत्री यह काम हल्का कर सकते हैं। स्वेच्छा से यह एलान करके कि वे इस स्कैम में कहां तक फंसे हैं नहीं फंसे हैं तो साफ-साफ कह दें कि नहीं फंसे हैं। तो भी मामला सुलझ जाएगा।

श्री नीतीश कुमार : केसरी जी को चिट्ठी नहीं मिली, मगर बाकी लोग बैठे रहे, इसका मतलब यह है कि बाकी लोगों को चिट्ठी जरूर मिली।

श्री सीताराम केसरी : हम हर चिट्ठी पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं।...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, उस ओर से कोई खंडन नहीं किया गया है।

श्री राम नाईक (मुंबई (उत्तर) : इस पर कोई प्रतिक्रिया होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता कि किसी को भड़काया जाए। महोदया, यदि आप कुछ कहना चाहती हैं तब आप चर्चा के उत्तर में ऐसा कर सकती हैं।

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : अध्यक्ष महोदय, विभिन्न समाचार पत्रों में जो समाचार छपा है उसमें एक ही बात कही गई है और माननीय मंत्री ने उसका उत्तर नहीं दिया है। मुद्दा केवल यही है कि क्या प्रधान मन्त्री कार्यालय इसमें शामिल है और क्या प्रधान मन्त्री कार्यालय ने श्री माधवन के मामले में हस्तक्षेप किया है।

श्री कोडीकुन्नील सुरेश (अडूर) : नहीं।

श्री श्रीकांत जेना : कौन कहता है नहीं किया।

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (**श्री जगदीश टाईटलर**) : हम सब 'नहीं' कह रहे हैं।

श्री श्रीकांत जेना : प्रधान मन्त्री कहां है ? आप 'नहीं' कहने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हैं। मुद्दा केवल यही है कि क्या श्री माधवन ने इसलिए त्यागपत्र दिया है क्योंकि प्रधान मन्त्री कार्यालय ने हस्तक्षेप किया।

अध्यक्ष महोदय : आप वह दायित्व स्वयं पर ले रहे हैं।

श्री श्रीकांत जेना : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : आपने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है।

श्री श्रीकांत जेना : देश के हित में माननीय मन्त्री महोदया को अपने मंत्रालय के बारे में

जानकारी देने दें न कि प्रधान मन्त्री कार्यालय के बारे में जानकारी देने के लिए कहें क्योंकि शायद उन्हें प्रधान मन्त्री कार्यालय के कार्यों के बारे में जानकारी नहीं है। प्रधान मन्त्री इस सभा में आएं और स्पष्ट करें कि प्रधान मंत्री कार्यालय इसमें शामिल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप प्रश्न पूछते हैं तो यह एक अलग बात है, यदि आप किसी मुद्दे के बारे में बताते हैं तो यह एक अलग बात है। यदि आप किसी बात को जोर देकर कहेंगे तो उसका दायित्व आप पर होगा।

श्री श्रीकांत जेना : यह मुद्दा तब उठाया गया था जब माननीय मंत्री ने प्रधान मंत्री कार्यालय के शामिल होने की बात कही थी। अत: जब तक किसी मंत्री अथवा प्रधान मन्त्री द्वारा इसका खंडन नहीं किया जाता तब तक हम यही मानेगें कि प्रधान मंत्री कार्यालय इसमें शामिल था। अतः प्रधान मन्त्री को यह कहना चाहिए कि वे इसमें शामिल नहीं हैं।

[हिन्दी]

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी ने इसी सदन में एक वक्तव्य दिया, जब यह बात चली कि हमारी सरकार किसी को नहीं बचने देगी, चाहे वह व्यक्ति किसी भी पद पर हो। प्रधान मंत्री जी ने साफ शब्दों में इस सदन में कहा है और अपने वक्तव्य पर हम आज भी कायम हैं, अगर माधवन जी या कोई भी देश का नागरिक ऐसा कह दे कि इस आदमी का नाम इसमें इन्वौल्व है, हमारी सरकार उसको कभी माफ नहीं करेगी, यह हमारी सरकार का कमिटमेंट है। (व्यवधान)

आप पहले एक मिनट के लिए मेरी बात सुनिये। यहां आडवाणी जी ने दो बातें कहीं कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई इशारा हुआ···(व्यवधान) आप सुनिये तो दो मिनट के लिए। आपने सारी बातें कह दीं, मैं यहां उन सब का जवाब देना चाहता हूं।

आडवाणी जी ने यहां कोई सवाल उठाया और एक सवाल माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने भी उठाया, दोनों ने अलग-अलग सवाल उठाये। आडवाणी जी ने कहा कि कहीं ऐसा शक है कि माधवन जी को सरकार की तरफ से इस्तीफा देने के लिए कहा गया, इस आदमी को या उस आदमी को, जो भी इन्होंने कहा, सरकार की तरफ से कभी कोई ऐसी चीज नहीं की गयी, न सरकार का किसी तरह का दबाव है। सरकार उसका जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठने देगी और न उठने दिया है। जो भी इस केस में फंसेगा, प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य में भी यह कहा गया है, उन्होंने पार्लियामेंट में भी कहा, पब्लिक में भी कहा कि जो भी इन्वोल्व होगा, उसके खिलाफ सरकार कदम उठाने के लिये तैयार है।

दूसरी बात विश्वनाथ जी ने माधवन जी के बारे में कही कि उन्हें हटाया गया लेकिन माधवन जी ने अपना इस्तीफा दिया है और मिनिस्टर ऑफ परसोनेल अफेयर्स ने यहां जो कुछ कहा है, उससे यह साफ हो जाता है। माधवन जी को खुली छुट्टी है कि जो कुछ भी देश के भले में सही बात वे बता सकें, हमारी सरकार उस पर रिएक्ट करेगी और उस आदमी को सजा देने के लिए तैयार होगी। माधवन जी खुद आगे आकर कोई बात कहें। खाली ऐसा कह देना कि आप भी इन्वौल्व हैं, हमारी सरकार इतनी कमजोर नहीं है, किसी एक्शन को लेने में कमजोर नहीं है। जब वह एक्शन न ले, तब आप हमारी सरकार को दोष दीजिये लेकिन माधवन जी बोलें तो सही। वे कहें कि मुझको इस आदमी ने कहा या

[श्री राजेश पायलट]

इस मंत्री ने कहा या सरकार का उन पर यह असर आया, हमारी सरकार उस पर रिएक्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार के बारे में कुछ कहना, प्रधानमंत्री के बयान के बाद, जब प्रधान मंत्री जी ने यह कह दिया है कि कोई भी आदमी, कोई भी नागरिक, चाहे वह सरकार में किसी भी पद पर हो, यदि इन्वोल्व पाया जाएगा तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। हमारे वित्त मंत्री, डा० मनमोहन सिंह श्री ने भी स्टेटमैंट दिया है। यदि इस सबके बावजूद आप सरकार पर कोई लांछन लगाओ तो वह प्रजातंत्र में ठीक नहीं है।

जे० पी० सी० बैठेगी। जे० पी० सी० के लिए आपके पास अधिकार है। जे० पी० सी० से पहले यदि कोई इंक्वायरी की जरूरत है या कोई भी इन्फार्मेशन किसी माननीय सदस्य के पास हो तो वह सरकार की मदद ले। यदि उसमें सरकार कहीं पीछे हट जाए, तब तो आप सरकार को जिम्मेदार बता सकते हैं लेकिन बिना कुछ बताये, यदि आप लांछन लगाओ तो प्रजातन्त्र में ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : पायलट जी, मैंने जो कुछ कहा बड़ी स्पेसिफिक बात कही थी, सरकार शब्द मैंने यूज नहीं किया था। मैंने कहा था—पी० एम० ओ० ऑफिस के एक उच्च अधिकारी—सरकार या एक जनरल बात नहीं कही है, मुझे खबर आयी, गलत हो तो अच्छा है, उनका नाम है *

अध्यक्ष महोदय : नो, नो प्लीज।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आपने जानकारी मांगी है, इन्होंने जानकारी मांगी है तभी मैं कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मान्यवर, इन्होंने जानकारी मांगी, तभी मैं खड़ा हुआ हूं। मैं खाली प्रश्न कर रहा हूं, मैं एलीगेशन नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप जटिलताओं को नहीं समझते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ये खण्डन कर दें, मैं संतुष्ट होकर बैठ जाऊंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं नहीं समझता कि यह ठीक बात है। मैं सब समझता हूं। आपने ऐसा नहीं कहा। लेकिन मैं समझता हूं कि नाम इसमें नहीं जाना चाहिए। आपने संकेत दिया है।

(व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय जी, नाम को रिकार्ड में क्यों सम्मिलित नहीं किया गया ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहते है तो मैं नियमों से उदाहरण दे सकता हूं।

श्री चन्द्र शेखर : आप नियमों का उदाहरण दें की इससे पहले मैं एक बात जानना चाहूंगा। ये सब कुछ कैसे हो रहा है जबकि पिछले एक पखवाड़े से लगातार मंत्रियों और अधिकारियों के बारे में कहा जा रहा है प्रधानमंत्री जी अपना बयान नहीं दे रहे हैं ? नियमों का उल्लेख मत कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रशेखर जी, ऐसी बात नहीं है।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय जी, विपक्ष कह रहा है कि "नाम बताया जाए।" श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी अपने आप आगे नहीं आए। आपने इस पक्ष को ये कहने से मना नहीं किया था कि उन्हें नाम नहीं पूछना चाहिए। सरकार में ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जो ये कह सकें कि यदि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को यह आरोप और सुझाव सही है तो उस अधिकारी को दूसरे ही दिन निकाल दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। कृपया...

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं किसी अधिकारी के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। केवल यह सूचना मिली है। मैं चाहता हूं कि सही जानकारी दी जाए। यदि मेरी सूचना गलत है तो आप इसे ठीक कर सकते हैं। मै केवल इतना ही चाहता हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जब तक उन्हें सौ प्रतिशत विश्वास नहीं होता तब तक सभा में जो कुछ उन्होंने कहा है उन्हें नहीं कहना चाहिए। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ये जोर-जबरदस्ती नहीं चलेगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस तरह से नहीं चल सकता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए।

अध्यक्ष महोदय : श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, कृपया आप बैठ जाइए। मैं जनता दल के नेता श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को नाम बताने के लिए, दोष नहीं, दूंगा क्योंकि वे नाम नहीं बता रहे थे। किसी ने कहा "नाम बताइए" तब उन्होंने बता दिया। अब जहां तक नियम का सम्बन्ध है, कृपया सुनिए, उन्होंने पर्याप्त संकेत दे दिया है। नियम यह है कि सरकारी अधिकारियों का नाम नहीं लिया जा सकता है। मैं नियम 352 पढ़ रहा हूं। मैं सभा के अन्य सदस्य के बोले गये शब्दों को भी रिकार्ड में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दूंगा। अब आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कल्पनाथ राय यदि अत्यन्त आवश्यक हो तो आप बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि अत्यन्त आवश्यक हो तो आप बोल सकते हैं। अन्यथा, नहीं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, चर्चा के दौरान आदरणीय जॉर्ज फर्नान्डीज साहब ने कहा कि बैंक स्कैम में पॉवर फायरनेंस कारपोरेशन का भी हाथ है। मैं सदन को बतलाना चाहता हूं कि···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस विषय का अध्ययन करें और सभा में एक वक्तव्य दें। कृपया आप अपने ऊपर मत लीजिए। कृपया बिना जानकारी के कुछ भी मत कहिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, आप अपने ऊपर मत लीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम कठिन परिस्थितियों में उलझना नहीं चाहते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री कल्पनाथ जी को बयान देने की अनुमति तब दूंगा जब वे इस विषय में अध्ययन कर लेंगे, अन्यथा नहीं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने एक संक्षिप्त बयान दिया है। इस ओर से जो अविश्वास आशंका, सन्देह व्यक्त किया गया है, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। पहला भाग, बहुत पहले मार्च, 1992 में श्री माधवन द्वारा लिखे हुए पत्र के संबंध में है, और हमने जो आशंकायें व्यक्त की है, उस परिप्रेक्ष्य में वह असंगत ठहरता है। मैं नहीं जानता कि उस पत्र का जिक्र क्यों किया गया है। जहां तक इसके दूसरे भाग का संबंध है, मैं यह जानना चाहूंगा कि 20 जुलाई को श्री माधवन द्वारा प्रस्तुत किये गये इस पत्र के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, आप यह ध्यान रखें कि इस सभा के अन्दर और बाहर, इस विशेष अधिकारी ने अपने लिए एक साख बना ली है और सरकार ने इस वर्ष 26 जनवरी को उन्हें पुरस्कृत किया है? अतः इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया महत्त्वपूर्ण है। क्या आप इस समय उनकी निराशा का लाभ उठाना चाहते हैं? एक नाम का उल्लेख किया गया है। प्रधान मंत्री के कार्यालय पर दोष लगाया गया है और इस बात को उस तरह सामान्य तौर पर नहीं कहा जा सकता जैसे श्री राजेश पायलट जी ने कहा था कि हम सरकार की ओर से सभी अभियुक्तों का पता लगाना चाहते हैं। इतना पर्याप्त नहीं है। हम यह जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे श्री माधवन समय से पहले सेवा निवृत्ति मांगने के लिए विवश हुए हैं। और इस सन्दर्भ में उन्होंने, जैसा कि इन मामलों में सामान्यतः होता है, सेवा निवृत्ति के लिए अपने कागजात भेजे हैं क्योंकि यह नियमानुसार आवश्यक है। यह सरकार पर निर्भर करता है कि उन्हें सेवानिवृत्त होने की अनुमति दे या न दे। यह उनका अधिकार नहीं है। उन्हें इस्तीफा देने का अधिकार है। लेकिन उन्हें समय से पहले सेवा निवृत्त

होने का अधिकार नहीं है। अतः औचित्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ भी कहने से इन्कार किया और केवल इतना कहा है कि व्यक्तिगत कारणों से मैं वकालत शुरू करना चाहता हूं। लेकिन सच्चाई बहुत लोगों को मालूम है, केवल श्री माधवन को ही नहीं। यह बात कई लोगों को मालूम है जो 20 जुलाई से भी पहले से शुरू से मुझसे यह कह रहें थे कि इस तरह का दबाव उनपर डाला जा रहा है और उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। अतः आपने जो कुछ कहा है वह अपर्याप्त है। इस सभा में तथा देश के सभी समाचार पत्रों में जो संशय व्यक्त किए गए हैं, उन्हें रिकार्ड से हटाना अपर्याप्त है। मैं यह कह सकता हूं कि एक भी समाचार पत्र ने सरकार को इस बात का श्रेय नहीं दिया कि यह एक व्यक्तिगत मामला है, इसका घोटाले विशेष से कोई संबंध नहीं है। आप इतिहास के सबसे बड़े घोटाले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं और देश आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं देगा।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : महोदय जी, मैं केवल एक बात कहना चाहूंगी। हम लोगों में से कोई भी व्यक्ति कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा है। इस बारे में हमारा विचार बहुत स्पष्ट रहा है। **(व्यवधान)**

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगी कि हमें यह पत्र 20 जुलाई को मिला था। उसे स्वीकृति नहीं दी गयी। वास्तव में, श्री माधवन के साथ केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की दो बैठकें हुई हैं जिनमें निदेशक ने श्री माधवन से यह जानने का प्रयास किया कि उनके इस्तीफा देने का वास्तविक कारण क्या है, वे इस्तीफा क्यों दे रहे हैं और क्या वे अपना काम जारी नहीं रख सकते? हमने उनसे बातचीत की। हमने उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया है। सच्चाई तो यह है कि उनको इस्तीफा दिये हुए दस दिन हो गए हैं और हमने अभी तक उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया है। **(व्यवधान)** बात यह है कि उन्होंने तीन महीने का नोटिस दिया है। अभी अक्टूबर के अन्त तक वे अपना विचार बदल सकते हैं। हमने उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया और अभी भी उनका इस्तीफा सरकार के पास विचाराधीन पड़ा हुआ है। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि उन्हें सरकार के जवाब के लिए अक्टूबर तक इन्तजार करना पड़ेगा तो वे उचित रूप से अपना कार्य कैसे कर पायेंगे?

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : कल वह कौन-सी वजह थी जिसको लेकर आपने उस पत्र को सार्वजनिक किया? आपने कल लीक आउट क्यों किया? इसके पीछे आपकी क्या नीयत है?··· **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है। क्या सरकार ने उनका कार्य उचित पाया है? क्या उनकी जांच से सरकार को घोटाले का पता लगाने में कोई सहायता मिली है? मैं यह जानना चाहूंगा कि यदि सरकार का यह विचार है कि कोई सहायता मिली है तो सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपने पद पर बने रहें। इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री मार्गरेट अल्वा : महोदय, मैं संसद में किसी अधिकारी विशेष को अपनी ओर से प्रमाण पत्र नहीं दे सकती। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आपका सर्टिफिकेट कोई नहीं चाहता है, हम आपसे जवाब चाहते हैं। आपने क्यों अखबार वालों को बुलाकर यह बात कही··· (**व्यवधान**) ··

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अखबार वालों को बुलाकर यह लैटर क्यों लीक किया गया है ··(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : सम्माननीय सदस्यों ने इस बात को बड़े जोर से और बड़े अच्छे तरीके से रखने की कोशिश की है। यह जो मैटर है, इसके ऊपर भी हम डिसकशन करेंगे। इसके बाद जो जे० सी० बनेगी तो उसको भी इससे मार्गदर्शन मिलेगा। एक बजने वाला है और साढ़े तीन बजे प्राइवेट मेम्बर्स बिजनस है। ऐसा न हो जाए कि वह अलग रह जाए। आप बिला वजह इसको घसीटें नहीं। अगर गलत हो गया है तो वह सबके सामने आयेगा और यह आपका उद्देश्य भी है। इस दृष्टि से इसके ऊपर चर्चा होगी तो वह बड़ी उद्बोधक और मार्गदर्शक होगी।

श्री राम कापसे (ठाणे) : अध्यक्ष महोदय, माधवन का इस्तीफा और स्कैम पर होने वाली चर्चा ये दोनों अलग-अलग पहलू हैं। प्राइम मिनिस्टर खुद यहां आकर बयान दें। राजेश पायलट जी के बयान से हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। उनका अभी यहां आना जरूरी है।

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : वित्त मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में माननीय मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इसमें किसी मंत्री का हाथ नहीं है। उसके बाद वाणिज्य मंत्री का इस्तीफा हुआ। मंत्री लोग बैठे हैं। प्रधान मंत्री जी ने चिट्ठी लिखी···(**व्यवधान**)···सरकार अगर इतनी ईमानदारी है तो वह क्यों नहीं माधवन से पूछती कि क्या हुआ ?···(**व्यवधान**)···

श्री नीतीश कुमार : केवल माधवन प्रेशर में नहीं है, इस सदन में भी लोग प्रेशर में हैं।··· (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय मैं मंत्री जी के प्रति आभारी हूं कि उन्होंने सभा को परिस्थिति के कुछ तथ्यों से अवगत कराया है। एक बात तो यह है कि सरकार ने श्री माधवन के समय से पहले सेवा निवृत्त होने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है। दूसरे, केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की उनके साथ दो बैठक हुई हैं जिसमें निदेशक ने उनसे यह जानने की कोशिश की कि वास्तव में वे किन कारणों से सेवानिवृत्ति चाहते हैं।

मुझे विश्वास है कि अब सरकार के पास पूरी जानकारी है और उन्होंने जो बात सार्वजनिक रूप से कही है कि वे वकालत करना चाहते हैं, यह गलत है। उन्हें घोटाले और उसकी जांच पर सन्देह है। मैं यह ठीक-ठीक यह बताना नहीं चाहूंगा कि उन्होंने निदेशक से क्या कहा है। मैं जानता हूं कि कुछ बातों को गुप्त रखना पड़ता है। लेकिन इस तरह की परिस्थिति में, सरकार की सूचना के मुताबिक इस सभा को यह संकेत देना उचित रहेगा कि वे पद त्यागना क्यों चाहते हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक जानते हैं। उनकी दो बैठकें हुई हैं—एक नहीं—आपने दो कहा था। उसके बाद भी, सरकार ने अभी तक उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है। इन दोनों बैठकों में कौन-सी बातें सामने आई हैं ? क्या सरकार, इस सभा को इन बैठकों में हुई बात-चीत के सार से अवगत करायेगी ?···(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : उसके बारे में बहुत सारे मालूमात उनको दूसरों से भी लेने पड़ते हैं, उनको सब मालूमात नहीं हैं।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार : महोदय, कृपया महिला मंत्री का बचाव करें। वह दो पुरुष संसदीय कार्य मंत्रियों के दबाव में हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह किसी व्यक्ति के खिलाफ अच्छी टिप्पणी नहीं है।

(**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, यह कहा गया है कि प्रधान मंत्री कार्यालय में कुछ घटा था। प्रधान मंत्री कार्यालय में किसी अधिकारी ने श्री माधवन को कुछ कहना चाहा। अब हम प्रधानमंत्री कार्यालय की घटना कैसे जान सकते हैं? प्रधानमंत्री कार्यालय क्या है—एक असंवैधानिक और गैर-संसदीय संस्था? प्रधान मंत्री द्वारा यहां आकर विवरण दिए बगैर इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं? श्रीमती मार्गरेट अल्वा इस पर कैसे स्पष्टीकरण दे सकती हैं? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप समझते हैं कि इस मुद्दे को समझने के लिए इतना अधिक दोहराया जाए? अनेक अन्य सदस्यों ने यह स्पष्ट किया है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : अगर यह बात है, तो मैं इस मुद्दे पर रुक जाता हूं। (**व्यवधान**)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, इसका उत्तर क्यों नहीं आ रहा? इसके पीछे क्या मंशा है? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कार्यसूची के कार्य लेते हैं। महासचिव राज्य सभा से सन्देश बताएंगे।

———

12.52 म० प०

राज्य सभा से सन्देश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 115 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 29 जुलाई, 1992 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 21 जुलाई, 1992 को हुई अपनी बैठक में भारतीय पत्तन (संशोधन) विधेयक, 1991 में किए गए निम्नलिखित संशोधनों से सहमत हुई :—

अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"बयालिस" के स्थान पर

"तिरतालिस" प्रतिस्थापित किया जाये।

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 4,—

"1991" के स्थान पर "1992" प्रतिस्थापित किया जाये।

—·—

12.53 म०प०

प्रतिभूति घोटाले की जांच कर रहे केन्द्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक, श्री माधवन द्वारा समयपूर्व सेवानिवृत्ति लिए जाने के बारे में (—जारी)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, क्या हो रहा है ? क्या प्रधानमंत्री जी आयेंगे, कुछ बतायेंगे या आज यहाँ पर जिस प्रकार की बात हो गई, यहीं पर यह मामला खत्म हो गया ? चूँकि कल आप शिकायत करेंगे कि बार-बार यह मामला उठाया जाना है···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको एक बात बताऊंगा। मेरे बिचार से यह घोटाले से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है। आप इस पर चर्चा करने जा रहे हैं और सरकार इसका उत्तर देगी। कृपया ऐसा होने तक प्रतीक्षा करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, माफ करिये, इन दो चीजों में बिल्कुल ही जमीन आसमान का फर्क है···

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, आप मेरी बात सुनिए। इसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक स्कैम है···

अध्यक्ष महोदय : आप अगर देखिए तो मुझे कोई···

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : माधवन के इस्तीफे से यह बहस एक अंधी गली की ओर हमको ले जाएगी इसलिए जब तक माधवन के इस्तीफे के बारे में स्पष्टीकरण नहीं होता है, तब तक स्कैम के बारे में कोई फ्रूटफुल चर्चा हो पाएगी, इसका हमको डाउट है····

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, मेरे विचार से वे इस घोटाले के प्रति गंभीर नहीं हैं। वे नहीं चाहते कि घोटाले पर चर्चा हो। इसी कारण वे ऐसी रणनीति अपना रहे हैं।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : मेरे विचार से आप नहीं चाहते कि घोटाले पर चर्चा हो। **(व्यवधान)** यह सही नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री राम कापसे (ठाणे) : महोदय, मैंने नियमों के तहत रक्षा मंत्री के बारे में नोटिस दिया है। इसका क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : हां। रक्षा मंत्री ने मुझे एक विवरण दिया है। वह आपके मुद्दे के बाद उत्तर दे सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, हम आपसे फिर एक बार इसपर सफाई चाहते हैं। मैं आपसे यह सफाई चाहता हूं कि आप बार-बार अभी यहां पर बोले कि एक तो जे॰ पी॰ सी॰ बनी है···

अध्यक्ष महोदय : जीरो ऑवर का मामला है न ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यहां पर बहस होनी है लेकिन यह मामला जे॰ पी॰ सी॰ के सामने जाने वाला नहीं है···

अध्यक्ष महोदय : क्यों नहीं जाएगा ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह जे॰ पी॰ सी॰ स्कैम से सम्बन्धित है, इससे नहीं।

अध्यक्ष महोदय : क्यों नहीं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप चाहे जिस ढग से कानून का या जे॰ पी॰ सी॰ के नियमों का या पार्लियामेण्ट के नियमों का हिसाब लगा लीजिए, वह उसमें नहीं बैठेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगर सरकार वक्तव्य देना चाहती है तो मुझे इसपर कोई आपत्ति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप बताइये, हम यह जानना चाहते हैं, प्रधान मंत्री इसपर कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, अब बस हो गया।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जाए। **(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : महोदय, अन्य विषय को लेने से पूर्व सभा के सम्मुख मुख्य मुद्दे को सुलझाया जाए। मुद्दा यह है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच में इस हस्तक्षेप में प्रधानमंत्री कार्यालय शामिल है या नहीं। यह मुख्य मुद्दा है। प्रधानमंत्री सभा में आएं और इसे स्पष्ट करें। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री राम कापसे, आपका व्यवस्था संबंधी मुद्दा क्या है ?

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : फिर आप इस बात पर कल फिर उठाने के लिए कहेंगे और अटल जी फिर शिकायत करेंगे···

अध्यक्ष महोदय : आपकी जैसी इच्छा है, वैसा कीजिए, मुझे रूल बताइये, मैं डायरेक्शन दे दूं उसके अन्दर, ऐसा कोई रूल है तो। अब देखिये, मैंने तो कह दिया कि आप स्कीम पर डिस्कशन करने जा रहे हैं यह मामला सरकार के पास है और सरकार ने इसपर अपना मत बना लिया है।

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सरकार किसी मामले पर कोई रुख नहीं अपना सकती। सरकार का एकमात्र रवैया यह है कि सारी जांच को दबाया जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा न कहें कि बाहर हमारे बारे में गलत धारणा हो।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या नो-नो कह रहे हो, इस मामले में आपका एक-एक कर्म इन्वेस्टीगेशन को सप्रैस करने का है। (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : सर, क्वश्चन आवर का क्या हुआ ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सोमवार को 11 बजे प्रश्न काल होगा।

(व्यवधान)

10.54 म० प०

महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारी सहकारी आवास समितियों को भूमि के आवंटन में अनियमितताओं के संबंध में मुम्बई उच्च न्यायालय के दिनांक 9-7-1992 के निर्णय के बारे में

अध्यक्ष महोदय : कापसे जी, संक्षेप में बोलिये।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप राम बाबू को बुलाने के पहले मेरा इसी मामले पर, यानि जिस मामले को लेकर आप उन्हें बुला रहे है, मैंने आज सुबह नियम 184 के अन्तर्गत आपको रक्षा मन्त्री पर सैंसर-मोशन दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास नहीं आया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने सुबह 9.30 बजे कार्यालय में दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास नहीं आया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : गलती मेरी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बतायें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह मेरे साथ दूसरी बार हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अपेक्षा करता हूं कि कार्यालय में, और सम्बद्ध मन्त्री, दोनों को नोटिस दिया जाए। क्या आपने सम्बद्ध मन्त्री को नोटिस दिया है?

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने नियम 184 के अन्तर्गत सेंसर मोशन कार्यालय में दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगर आप किसी मन्त्री के खिलाफ कोई मामला उठा रहे हैं, तो आपको उन्हें भी एक नोटिस देना चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं किसी मन्त्री के विरुद्ध मामला नहीं उठा रहा। मैंने नियम 184 के तहत एक नोटिस दिया है। यह भर्त्सना प्रस्ताव है। मुझे महासचिव को नोटिस देना होता है और मैंने नियमों के अनुरूप कार्य किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप नियम उद्धृत करें। मैं आपको विनिर्णय दूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने नियम 184 के तहत एक नोटिस दिया है और नियम 187 में कहा गया है :

> "अध्यक्ष विनिश्चित करेगा कि कोई प्रस्ताव या उसका कोई भाग इन नियमों के तहत ग्राह्य है अथवा नहीं और वह कोई प्रस्ताव या उसका कोई भाग अस्वीकार कर सकेगा···"

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह नोटिस नहीं मिला है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं आपके लिए इसे पढ़ता हूं। इसमें कहा गया है :

"महोदय,

मैं रक्षा मन्त्री श्री शरद पवार की भर्त्सना के लिए नियम 184 के तहत निम्नलिखित प्रस्ताव का नोटिस देता हूं।

"बाल कल्याणी पूर्व-प्राथमिक स्कूल तथा एक न्यास, जो श्रीमती सुशीला आदिवरेकर के मार्फत पंजीकृत है; श्री मधुकरराव चौधरी, अध्यक्ष, बाल कल्याणी न्यास (इस समय महाराष्ट्र विधान सभा के अध्यक्ष), श्री चन्द्रशेखर प्रभु उपाध्यक्ष बालकल्याणी न्यास; श्रीमती सुशीला आदिवरेकर भूतपूर्व सांसद); श्री बी० जे० सुखतांकर मानद महासचिव, बाल कल्याणी न्यास

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

बनाम महाराष्ट्र राज्य की रिट याचिका सख्या 1754, 1989, दिनांक 9 जुलाई, 1992 को बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के० सुकुमारन और डा० बी० पी० सराफ के फैसले पर विचार करने के बाद जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य अधिकारियों की सहकारी समिति को कुछ भूमि आवंटित करने के मामले में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शरद पवार को दोषी ठहराया गया है और उनपर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने कर्तव्य की पूर्ति में गलत इरादे से कार्य किया और संविधान के तहत पद के प्रति शपथ के विरुद्ध कार्य किया और राज्य की सम्पत्ति को बनाए रखने के कर्तव्य से मुकरने और सभी मौलिक सिद्धान्तों का उल्लंघन करके कानूनी उपबन्धों का क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं किया।

यह सभा श्री शरद पवार के मुख्य मन्त्री के रूप में व्यवहार के प्रति अत्यधिक रोष प्रकट करती है और उनके त्यागपत्र की मांग करती है।"

अध्यक्ष महोदय : मेरा विनिर्णय यह है कि ऐसे मामले अध्यक्ष को समय से पहले दिए जाएं ताकि अध्यक्ष उन पर विचार करके निष्कर्ष निकालने की स्थिति में हों। एक बात तो यह है। दूसरे आपने जो उल्लेख किया है वह अपमानजनक मामला माना जा सकता है और इस पर नियम 353 लागू होता है। नियम 353 के अन्तर्गत यह उम्मीद की जाती है कि अध्यक्ष को और सम्बन्धित मंत्री को इस किस्म की सूचना दी जानी चाहिए तथा संबंधित मंत्री को मामले पर गहराई से विचार करने और मामले के बारे में उत्तर देने के लिए तैयार होने हेतु समय दिया जाना चाहिए। चूंकि इसमें ये दोनों बातें पूरी नहीं हो रही हैं, इसलिए मैं इस मामले के लिए अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : नियम 184 के अन्तर्गत आने वाला प्रस्ताव नियम 353 के अन्तर्गत नहीं आता। मैंने कोई बदनाम करने वाली बात नहीं कही है। मैंने एक-एक शब्द उच्च न्यायालय के निर्णय से कहा है। क्या उच्च न्यायालय के निर्णय को बदनाम करने वाली बात कही जा सकती है? उच्च न्यायालय के निर्णय को बदनाम करने वाली बात कैसे कहा जा सकता है; नियम 184 के अन्तर्गत दिए गये इस प्रस्ताव पर नियम 353 लागू नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय : आपको पता है कि जब एक बार मैंने इस पर नियम बता दिया है, तो आप उसे चुनौती नहीं दे सकते। आप सदन में मुझे तसल्ली करा सकते हैं, यहां पर नहीं। अब श्री कापसे जी अपनी बात रखेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : नियम 184 नियम 353 के अन्तर्गत नहीं आता।

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : महोदय इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस मामले का निपटारा करने दीजिए। मैं एक समय में दोनों पक्षों से बात नहीं कर सकता। यहां पर हम सभी साथी हैं और हमें एक-दूसरे के खिलाफ ऐसी बातें करने में काफी सावधान और सचेत रहना चाहिए। मैं यह उम्मीद करता हूं कि हम में से प्रत्येक सदस्य ऐसे शिष्टाचार का ही परिचय देगा।

1.00 म०प०

श्री मृत्युन्जय नायक (फूलबनी) : व्यवस्था की बात को लेकर इसे कार्यवाही वृत्तान्त में से निकाल दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका ध्यान रखूंगा। मैं बहुत से सदस्यों को एक ही बात पर बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। इस बात पर एक सदस्य, जो कुछ भी कहना चाहता है, कह सकता है।

श्री राम कापसे (ठाणे) : मैंने नियम 353 के अन्तर्गत सूचना दे रखी है और मैं रिट-याचिका से उभरने वाली बात कहना चाहता हूं। निर्णय 9 जुलाई, 1992 को सुनाया गया था। वास्तव में जार्जफर्नान्डीज जी ने 1989 की रिट-याचिका 2 संख्या 1754 का हवाला दिया है। वास्तव में, यहां इस संदर्भ में दो रिट.याचिकाएं एक साथ-जुड़ी हैं। दूसरी रिटयाचिका भी 1989 की ही है जिसकी संख्या 2085 है, जो कि श्री किशन मेहता तथा साबे बाम्बे कमेटी, जो कि एक पंजीकृत सार्वजनिक न्यास हैं के द्वारा महाराष्ट्र राज्य तथा अन्यों के खिलाफ दर्ज करायी गई थी।

जहां तक मुम्बई में भूमि के आवंटन का प्रश्न है, तो मैं इस मामले में श्री शरद पवार के बारे में बात करते हुए, न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर ही अडिग रहूंगा। सबसे पहले मैं सुनाये गये निर्णय के पृष्ठ संख्या 69 के एक वाक्य का संदर्भ रखना चाहूंगा :

> "जब मूल्यों के टूटने का संकट राष्ट्र के सामने मंडरा रहा हो, तो जिन लोगों को कानूनी प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और राज्य की संपत्ति की रक्षा करने का पावन कर्तव्य सौंपा गया है, वे ही सभी मौलिक सिद्धान्तों को ताक पर रख रहे हैं।"

वर्ष 1989 में दायर की गई रिट-याचिका संख्या 1754 और संख्या 2085 पर निर्णय सुनाने में सुविज्ञ निर्णायकों माननीय श्री सुकुमारन और माननीय श्री सराफ ने कठोर निन्दात्मक टिप्पणी की है। यह निर्णय 9 जुलाई, 1992 को सुनाया गया था।

न्यायाधीशों ने राजनीतिज्ञों और अधिकारी-वर्ग के बीच गठबन्धन की कठोर आलोचना की है जिसके कारण सरकार के उचित रूप से कामकाज करने और कमजोर वर्गों की रक्षा करने की बात कमजोर होकर रह गई है। श्री तेन्दुलकर, जिन्होंने महात्मा गांधी की जीवन-कथा लिखी है, की स्मृति में एक प्री-प्राईमरी स्कूल चलाया गया था और इस स्कूल को भूमि भी आबंटित की गई थी। यह निर्णय भूमि के आबंटन के बारे में हैं। यह बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए।

आज मैं उन प्रबुद्ध राजनीतिज्ञों के बारे में सुविज्ञ निर्णायकों द्वारा दिए गए एक निर्णय को सभा के समक्ष रख रहा हूं जो कि 30 अगस्त, 1988 को महाराष्ट्र राज्य में सत्ता में थे जिस समय सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया था जिसके तहत आई०ए०एस० अधिकारियों द्वारा बनायी गई अंगारिका सोसाइटी को मालाबार हिल पर श्रेष्ठतम भूमि आबंटित की गई थी। यह आबटन आश्चर्य-चकित करने वाली गति से किया गया जिसमें विभिन्न सरकारी हिदायतों की अवमानना की गई और इसमें समाज के कमजोर वर्गों के लिए बना एक स्कूल भी गिरा दिया गया।

सुविज्ञ निर्णायकों ने श्री शरद पवार को महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों की पालना का दोषी बताया है। उनका यह विशेष उत्तरदायित्व बनता था कि वह राजस्व सचिव के नेतृत्व में जो सोसाइटी गठित की गई थी, उसे राजस्व मंत्री की सिफारिश पर आबंटित करने के मामले को

[श्री राम कापसे]

वारीकी से छानबीन करते और राजस्व मन्त्री का भी यह उत्तरदायित्व बनता था कि राज्य और जनता के हित सुरक्षित बने रहें।

इस मामले में आई०ए०एस० अधिकारियों का स्वार्थ साफ दिखाई दिया और इसलिए इसमें यह मांग की गई थी। इसकी और अधिक बारीकी से जांच कराई जाये लेकिन, मुख्यमंत्री से जब यह उम्मीद की गई कि सरकारी दिशानिर्देशों को महफूज रखें, तो उन्होंने चुप्पी साधे रहने का निर्णय ले लिया—"मौनं सम्मति लक्षणम्"—और उन्होंने राजस्व मंत्री की असंगत टिप्पणी की समीक्षा नहीं की और इसलिए माननीय न्यायाधीशों की राय में उन पर यह दोष है कि उन्होंने वहां अपने विवेक का उपयोग नहीं किया जहां कि विवेक का उपयोग किया जाना अनिवार्य था।

न्यायाधीशों की राय में "राजनैतिक प्रशासन ने गलत दिशा अपना ली और हर असंगत तरीके मे उस दिशा की ओर भटकने लगा।" निर्णय में कहा गया है कि इस तमाम सौदे में हेराफेरी की गई लगती है।

न्यायाधीशों ने यह टिप्पणी की है कि "यह गैर कानूनी तरीके से शुरू हुआ ; गैर कानूनी तरीके से चलता रहा और आखिरकार इसने एक गैर कानूनी आदेश का रूप धारण कर लिया।" इस तमाम अनियमितता, अवैधता और दुर्भावना के लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है? अधिकारी वर्ग कदाचित नहीं, क्योंकि उच्च न्यायालय के निर्णय में बताया गया है कि अधिकारियों के कहने पर ऐसा किया गया लेकिन, ऐसा किसने किया।

ऐसा महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने किया जो कि आज हमारे रक्षा मन्त्री हैं। मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर करने पर ही सौदा पूरा होता है और यदि सौदे में हेराफेरी की गन्ध आती है, तो मुख्यमंत्री पर इस दुर्भावना का आरोप बनता है और ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ आरोप लगाये जाते हैं और न्यायालय द्वारा सिद्ध हो जाते हैं तो वह व्यक्ति अपने पद पर बना नहीं रह सकता। कैसा लगेगा अगर भारत के रक्षा मंत्री के खिलाफ दुर्भावना के आरोप लगाये जाते हैं और उच्च न्यायालय उन आरोपों को मान्य करार दे देता है, तो क्या वह देश की रक्षा का उत्तरदायित्व निभा सकेंगे। सतत् अवैधता के मामले में जिम्मेदारी किस की बनती है, क्या उस व्यक्ति की जो कि, फाइल को प्रस्तुत करता है अथवा उस व्यक्ति की जो फाइल पर हस्ताक्षर करता है? यदि मुख्यमंत्री ने अपने हस्ताक्षर न किए होते, तो क्या तब भूमि आबंटित हो सकती थी? उत्तर मिलेगा—कदाचित नहीं। यदि ऐसी बात है, तब इस अवैधता के लिए किस को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान रक्षा मंत्री को ही। न्यायालय ने यह भी कहा है कि यह मामला वित्त विभाग को भी उनकी राय जानने के लिए भेजा जाना चाहिए था जिनका यह देखने का उत्तरदायित्व बनता था कि इस सौदे में आवश्यक प्रक्रिया अपनायी जा रही है अथवा नहीं अपनायी जा रही। यह मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी। वह इसे पूरा करने में असफल रहे हैं।

उन्होंने केवल चुप्पी साधे रखी। उन्होंने एक भी शब्द नहीं लिखा। उन्होंने चर्चा भी नहीं की और फाइल में कहीं भी टिप्पणी नहीं की गई, केवल चुप्पी साधी गई है। वह यह कह सकते थे कि मामला मंत्री मंडल के समक्ष नहीं रखा गया और इसलिए यह एक अनियमित प्रथा है। मंत्री मंडल के समक्ष मामले मामले को रखना किसकी जिम्मेदारी है? यह मुख्यमंत्री की ही जिम्मेदारी थी कि वह

इस बात को सुनिश्चित करते कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन होना चाहिए।

उन्होंने पूछताछ किए बिना ही 30 अगस्त, 1988 को अपने हस्ताक्षर कर दिए। ऐसा कहना होगा कि अपने विवेक को उपयोग में न लाने से संवैधानिक अवमानना का रास्ता अख्तियार होता है और श्री शरद पवार को अपने विवेक को उपयोग में न लाने का दोषी पाया गया है। इसका यह अभिप्राय है कि उन्हें एक ऐसे कार्य में सहायी होने और उसको उकसाने का दोषी पाया गया है, जो कि संविधान की अवमानना की ओर ले जाता है। इससे भी बढ़कर निर्णय विवेक को उपभोग में लाने के महत्त्व की ओर इंगित करता है।

भूमि के आबंटन के मामले में अधिकारी-वर्ग से यह उम्मीद की जाती है कि ऐसे मामलों को निपटाने में अपने विवेक को उपयोग में लाया जावे और उन मामलों में भी अपने विवेक से कार्य किया जाये जिसमें अन्य लोग भी शामिल हों। यह मामला मुख्यमंत्री को अपने विवेक को उपयोग में न लाने के जुर्म से बचा नहीं सकता। लेकिन, मुख्य मंत्री जानते हैं कि इस विशेष मामले में अधिकारी-वर्ग को विशेष लाभ होना है और इसलिए, इस बात की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि वे लोग फाइलों में नियमानुसार कार्य नहीं करेंगे। इसलिए, इस मामले में और अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता थी, कम से कम कुछ पूछताछ तो की ही जा सकती थी कि क्या कानूनी राय जान ली गयी है अथवा क्या वित्त विभाग के परामर्श की कोई आवश्यकता है। इससे भी बढ़कर, सार्वजनिक निर्माण विभाग के सचिव द्वारा की गई टिप्पणी में इस बात का स्पष्ट संकेत किया गया है कि इसमें प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया और वहां पर एक भी प्लाट नहीं था और कथित भूमि विक्रय के लिए नहीं थी। यद्यपि फाइल में इस तरह की टिप्पणियां मौजूदा थीं, समझ में न आने वाली बात तो यह है कि माननीय श्री शरद पवार ने, जिन्हें पहले भी मुख्य मंत्री जी रहने का अनुभव था, किस प्रकार बिना उचित विचार-विमर्श के मामले पर अपने हस्ताक्षर कर दिए।

उन्होंने जिस बात को ध्यान में रखा, वह अवश्य ही कोई और बात हो सकती है। यह तो इस सभा ने ही निर्णय लेना है।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे (नागपुर) : अध्यक्ष महोदय, कोर्ट का जो डिसीजन ये बता रहे हैं, वह ठीक नहीं है। हाई-कोर्ट का डिसीजन बिल्कुल अलग है। हाई-कोर्ट ने यह बात नहीं कही है, हाई-कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, उसमें तत्कालीन श्री सी०एम० श्री पवार को जिम्मेदार नहीं बताया गया है, इसलिए ये जो ब्यान दे रहे हैं, यह गलत है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री विलास मुत्तेमवार : यह एक अनधिकृत निर्णय है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें व्यंग्य भाषण से बचना चाहिए। नियम यह कहते हैं कि हमें व्यंग्य-भाषण नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री राम कापसे : हम इसमे बच रहे हैं। लेकिन बात यह है क्या मैं उसका उत्तर न दूं? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं। मैंने कहा है न कि नियम यह कहते हैं कि हमें व्यंग्य-भाषण नहीं करने चाहियें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : शरद पवार जी स्टेटमेंट देने वाले हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आप कैसे जानते हैं। (व्यवधान)

श्री राम कापसे : मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या ये सभी व्यवधान कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिये गये हैं। यदि इन्हें निकाला नहीं जाता, तो मैं उनका उत्तर देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपने ही आदर्श पर चलें।

(व्यवधान)

श्री राम कापसे : मैंने जो भी उद्धृत किया है, वह न्यायालय के निर्णय में से किया है। मैंने सवाइसविरार काण्ड के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। मैंने उन सभी 285 षडयन्त्रों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने कुछ भी नहीं कहा है। (व्यवधान) जो मामले आगे आने वाले हैं उसके बारे में मैंने कुछ नहीं कहा है। मैंने इसके बारे में नहीं कहा है। मैंने इस फैसले को पढ़ा है। (व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि उन्होंने हर बात न्यायालय के फैसले में से उद्‌धृत की है। लेकिन इस फैसले में जो भी उल्लेख किया गया है उससे सम्बन्धित हर पैराग्राफ में उन्होंने श्री शरद पवार के नाम का उल्लेख किया है। अतः उन्हें इन दोनों के बीच के अन्तर को समझना चाहिए। इस फैसले की व्याख्या अपने ढंग से करना एक बात है और फैसले से उद्धृत करना बिल्कुल अलग बात है क्योंकि यहां वह अधिकारी की निन्दा नहीं कर रहें हैं। वह माननीय रक्षा मंत्री की निन्दा कर रहे हैं। अतः सिर्फ वही भाग जहां माननीय रक्षा मंत्री जी की निन्दा की गयी है, को उद्‌धृत करना चाहिए। मैं इसकी ही अपेक्षा करता हूं क्योंकि जो भी उन्होंने उद्‌धृत किया है वह माननीय रक्षा मंत्री जी से सम्बन्धित है और इससे भ्रम उत्पन्न होगा। (व्यवधान)

श्री राम कापसे (मुम्बई) : मैं इसका जवाब देना चाहूंगा।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री राम नाईक : श्री चन्द्रशेखर जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। यह फैसला बिल्कुल स्पष्ट है। यह पृष्ठ संख्या 63 में दिया गया है। मैं उद्धृत करता हूं :

"वर्तमान मामले में बाधा उत्पन्न करने वाली बात विचार बदलना नहीं है बल्कि इसे

व्यक्त न करना है। मुख्यमंत्री जी ने कोई विचार प्रकट नहीं किया है। राजस्व मंत्री जी ने उन मुद्दों पर विचार व्यक्त किया था जो महत्त्वपूर्ण,प्रश्न से असंगत था। वे मुद्दे जिन पर सोच समझकर विचार व्यक्त किए जाने थे, जैसा कि पहले ही बताया गया है, बिल्कुल ही नहीं उठाए गए थे। इस मामले की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम इस बात से संतुष्ट हैं कि बिना सोचे समझे आदेश को निराशापूर्ण ढंग से रद्द कर दिया गया है।"

इसमें यही बात कही गयी है। (व्यवधान)

श्री राम कापसे : मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा और उस मुद्दे पर उनकी निन्दा करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर : यदि इस मुद्दे पर मुख्य मंत्रियों की निन्दा की जा सकती है तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी मुख्य मंत्री अथवा प्रधान मंत्री अपने पद पर बने रहेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे बोलने दीजिए। आप कृपया पुनः मेरी बात सुनिए।

श्री राम कापसे : कृपया एक मिनट ठहरें। अपना विनिर्णय देने से पूर्व कृपया मेरी बात सुनिए क्योंकि उन्होंने मुझे परामर्श दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं विनिर्णय नहीं दे रहा हूं। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या यह फैसले में लिखा हुआ है? अथवा क्या यह इस फैसले की व्याख्या है?

श्री राम कापसे : मैंने फैसले का विस्तृत अध्ययन किया है। (व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं।

[हिन्दी]

श्री मदनलाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : मिनिस्टर ने 30 तारीख को जो फाईनल आर्डर साईन किया है वह इन्होंने पढ़ा है। यह मैलाफाइड आर्डर हैं, इसमें माइन्ड एप्लाई नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है; यहां इस सम्माननीय सभा में हमें श्री शरद पवार की निन्दा करने का अधिकार प्राप्त है।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : हम उनके व्यवहार के बारे में प्रश्न कर सकते हैं। हम उच्च न्यायालय के फैसले पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम अधिकारियों के आचरण की चर्चा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पूरे फैसले से ही उद्धृत किया है। इससे यह धारणा बनेगी कि श्री शरद पवार के व्यवहार के बारे में न्यायाधीशों ने ऐसा कहा है। मैंने पूरी तरह से इस फैसले का अध्ययन किया है। उस में केवल यही वाक्य कहा गया है कि श्री शरद पवार ने सोच समझकर अपने विचार व्यक्त नहीं किए। उन्होंने कोई विचार व्यक्त नहीं किया।

इस सन्दर्भ में यह विचार राजस्व सचिव का था, राजस्व मन्त्री महोदय का था तथा मुख्य मंत्री

[श्री चन्द्र शेखर]

जी ने सिर्फ इसकी शुरूआत की थी। उनकी सिर्फ यही गलती थी। इस पर यदि वह उनकी निन्दा करना चाहते हैं तो उन्हें इसका अधिकार प्राप्त है। लेकिन उन्हें इस प्रकार एक गलत विचार प्रकट नहीं करना चाहिए कि पूरा फैसला ही उनके विरुद्ध है। **(व्यवधान)**

श्री राम कापसे : आपने मुझसे एक प्रश्न किया है और उन्होंने मुझे परामर्श दिया है और में इस का उत्तर देना चाहूंगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना प्रश्न दुहराऊंगा ताकि आपका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट हो और मुझे भी सहायता मिले। मैं यह जानना चाहूंगा : अब जो कुछ आप कह रहे हैं यह इस फैसले का भाग है अथवा आपकी व्याख्या।

श्री राम कापसे : मैंने पढ़ा है··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : चर्चा के इस पहलू से मुझे मदद नहीं मिलेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये और उन्हें जवाब देने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्र शेखर जी जो कुछ कह रहे हैं उसमें मुझे कुछ तथ्य नजर आता है। आपकी व्याख्या ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे यह सभा और बाहर के लोग गुमराह हों। यदि यह फैसले में लिखा हुआ है तो आपको इसे उद्धृत करने का अधिकार है। यदि यह उस फैसले में नहीं लिखा हुआ है तो आपको यहां, वहां से वाक्य लेकर उसकी व्याख्या करने का अधिकार नहीं हैं। उनके विरुद्ध जो कुछ भी है, आप उसे उद्धृत कर सकते हैं। लेकिन उनके विरुद्ध उम बातों को मत बोलिए जो लिखी हुई नहीं हैं।

श्री राम कापसे : मैंने शुरू में ही इस फैसले को उद्धृत किया है। मैंने कहा था कि मैं फैसले से उद्धृत कर रहा हूँ। यहां तक कि पृष्ठ संख्या··· **(व्यवधान)**

श्री चन्द्र शेखर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सीमित मुद्दा है हम मुख्य मंत्री के रूप में श्री शरद पवार, जो कि आज रक्षा मंत्री हैं, के आचरण पर चर्चा कर रहे हैं। मुख्य मंत्री के रूप में श्री शरद पवार की भूमिका से सम्बन्धित फैसले को यहां इस सदन में लाया जाना चाहिए और उन्हें अपना भाषण संक्षिप्त करना चाहिए। अन्य जो बातें उन्होंने कही हैं वह सब असंगत है तथा उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : इसमें सैंसर जैसी कोई बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें सैन्सर है ही नहीं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राम कापसे : मैंने पृष्ठ संख्या 69 से फैसले का एक पैराग्राफ तथा पृष्ठ संख्या 63 से अन्य पैराग्राफ उद्धृत किया है। मैं सभा के फायदे के लिए इसे पढ़ूंगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

(व्यवधान)

श्री राम कापसे : इसमें कहा गया है :

"वर्तमान मामले में बाधा उत्पन्न करने वाली बात विचार बदलना नहीं हैं बल्कि इसे व्यक्त न करना है। मुख्य मंत्री जी ने कोई विचार प्रकट नहीं किया है। राजस्व मंत्री जी ने उन मुद्दों पर विचार व्यक्त किया था जो महत्त्वपूर्ण प्रश्न से असंगत थे। वे मुद्दे जिन पर सोच समझकर विचार व्यक्त किए जाने थे जैसा कि पहले ही बताया गया है, बिल्कुल ही नहीं उठाए गए थे।" (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : यह टिप्पणी राजस्व मंत्री जी के बारे में है न कि मुख्य मंत्री जी के बारे में। (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे विचार में यह एक गम्भीर मामला··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

ठीक है, मैं हिन्दी में बोलता हूं। इस संसद के किसी भी सदस्य का सवाल नहीं है चाहे वे ट्रेजरी बैंच के हैं या अपोजिशन में है, लेकिन किसी भी सदस्य को अगर किसी भी फैसले को लेकर के उसके इंटरप्रिटेशन पर आप पूरी इजाजत देंगे कि उसको अपने मन के मुताबिक चलाये, वह रिकार्ड में चला गया है। यह भी कहा गया है कि अब देश के रक्षा मंत्री इस काबिल नहीं हैं कि रक्षा मंत्री के कर्त्तव्य का निर्वहन कर सकें। क्योंकि इनके खिलाफ जजमेंट आई है, ये सब गम्भीर बातें हैं। यह एक सदस्य के मौलिक अधिकार से सम्बद्ध रखता है इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप देख रहे हैं सदन में कि किसी चीज के ऊपर इतना लम्बा चौड़ा भाषण और किसी भी अदालत के निर्णय को अपनी इच्छा से इंटरप्रेट करें, इसलिए मेरी फिर प्रार्थना है कि सब चीजों को रिकार्ड में न जाने दिया जाये वरना ये बातें अखबारों में आ जायेंगी। केवल उतनी बात रिकार्ड पर आनी चाहिए जो जजमेंट की है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस मामले में मेरा विनिर्णय यह है कि मन्त्री महोदय से सम्बन्धित फैसले में माननीय न्यायाधीश ने जो वक्तव्य दिया है वह उचित है तथा अन्य हर बात असंगत है।

श्री राम कापसे : माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्बद्ध फैसले में दो पैराग्राफ हैं जो मुख्य मन्त्री जी के विषय में है। मैं पृष्ठ संख्या 63 से उद्धृत करता हूं, "वर्तमान मामले में······और अन्य सभी बातें।" आपके विनिर्णय के अनुसार यह उचित है। दूसरी बात पृष्ठ संख्या 69 में है जिसमें कहा गया है :

[श्री राम कापसे]

"जब राष्ट्र मूल्यों के संकट के दौर से गुजर रहा है तो वे लोग जिन्हें राष्ट्रीय सम्पत्ति की रक्षा का तथा वैधानिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने का पावन कर्त्तव्य सौंपा गया है वे ही समस्त मौलिक सिद्धान्तों की अवमानना करते हैं। राजस्व सचिव जिन्हें राष्ट्रीय सम्पत्ति की देख भाल का कार्य करना चाहिए वह बहुमूल्य सरकारी भूखंड को एक ऐसे वर्ग को आबंटित करने का निर्णय लेते हैं जिसमें वे स्वयं भी सम्मिलित है। न्यायालय अपने संवैधानिक कर्त्तव्यों के साथ सामंजस्य नहीं रखते हैं तथा इस प्रकार की कार्यवाही को अनदेखा किया जाता है और इसे चलने दिया जाता है। बताये गये विभिन्न कारणों से ्पीन के आबंटन को रद्द करने में हमें कोई झिझक नहीं है।"

इसके बाद विभिन्न कारण बताए गए हैं। (व्यवधान)

श्री दत्ता मेघे : यह राजस्य सचिव से सम्बन्धित है, मुख्य मन्त्री महोदय से सम्बन्धित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कापसे जी, कृपया संक्षेप में बोलिए। यह आवश्यक नहीं है कि आप पूरी बात की व्याख्या करें। आपको पर्याप्त समय मिला।

श्री राम कापसे : जिन मुख्य समस्याओं पर चर्चा की गयी है वे हैं : क्या यह पृथक भूखण्ड था और यह निर्णय किया गया था कि यह पृथक भूखण्ड नहीं था, क्या ऐसा कपट पूर्वक किया गया था और यह निर्णय किया गया था कि ऐसा करना कपट पूर्ण है ; यह प्रश्न किया गया था कि क्या वित्त विभाग की सहमति ली गयी थी और यह फैसला किया गया था कि यह सहमति नहीं ली गयी थी ; फिर माननीय न्यायाधीश ने पूछा था कि क्या छल किया गया था और यह फैसला किया गया था कि छल किया गया था। पुनः यह पूछा गया था कि क्या मुख्य मन्त्री जी ने इस पर सोच समझकर ऐसा किया था और यह फैसला किया गया था कि विना सोचे समझे ऐसा किया गया।

फैसले में कहा गया है कि इन चारों कारणों से यह अनुचित है। अतः न्यायालय के अनुसार जमीन का पूरा आबंटन अनुचित है। वास्तविक समस्या यह है कि ये सारी चीजें नौकरशाही—राजस्व सचिव के संकेत पर की गई। लेकिन ऐसा किसकी शह पर किया गया ? यह उनके राजनीतिक आकाओं के संरक्षण में किया गया जिसके बारे में निर्णय में विस्तार से लिखा गया है। और ये राजनीतिक आका हैं मुख्य मंत्री और राजस्व मन्त्री। तो यह सब राजनीतिक आकाओं और नौकरशाहों के संकेत पर हुआ, यह बात न्यायालय के निर्णय में कही गई है। और इसलिये, मैं रक्षा मंत्री, श्री शरद पवार से इस्तीफा देने की मांग करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : रेवेन्यू सेक्रेटरी का एफीडेविट है जिसमें कहा है कोर्ट के अन्दर कि मेरे पास फाइल नहीं आई, फाइल सीधे रेवेन्यू मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के पास चली गई थी। (व्यवधान)

———————

1.27 म०प०

मंत्री द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

मुख्य मंत्री पद के कार्यकाल के दौरान महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारी सहकारी आवास समितियों को भूमि के आवंटन में अनियमितताओं के सम्बन्ध में मुम्बई उच्च न्यायालय के दिनांक 9.7.1992 के निर्णय के बारे में श्री राम कापसे, संसद सदस्य द्वारा उठाए गए मामले के प्रत्युत्तर में

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : अध्यक्ष महोदय, सरकारी कर्मचारी सहकारी आवास समितियों को भूमि आबंटन के सम्बन्ध में महाराष्ट्र राज्य की वर्तमान नीति के कार्यान्वियन केअन्त गंत अगारिका सहकारी आवास समिति के मुख्य संस्थापक ने 25 जुलाई 1986 को एक भूमि खण्ड के आवंटन हेतु आवेदन किया। मुम्बई की मालाबार हिल में स्थित भूमि खण्ड जिसकी संख्या सी०एस० नं० 211 है के आबंटन हेतु दिया गया वह आवेदन राजस्व विभाग और मुम्बई के समाहर्त्ता के माध्यम से सरकार के सम्मुख पेश किया गया। मुख्य सचिव और राजस्व राज्य मंत्री के द्वारा क्लीयरेंस दे देने के बाद तत्कालीन राजस्व मन्त्री ने न्याय संगत कारण बताते हुए उस भूमि खण्ड को आवंटित करने के लिये विशेष तौर पर अनुशंसा की थी। इससे पहले कि अन्तिम निर्णय लिया जाता वहां सरकार बदल गई और मैंने 25 जून, 1988 को महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री का कार्यभार संभाला।

उस भूमि खण्ड के आवंटन के प्रस्ताव की पूरी जाँच की गई थी और इस पर 1986 से 21.6.1988 तक कार्यवाही हुई थी : उस फाइल को बम्बई के समाहर्त्ता, राजस्व सचिव, मुख्य सचिव, राजस्व राज्य मन्त्री और राजस्व मंत्री के द्वारा किसी प्रकार की असहमति या अलग राय व्यक्त किये गये बगैर आगे कार्यवाही की गयी थी।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : उनमें से सभी को भूमिखण्ड प्राप्त हुआ था। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : इसमें रेवेन्यू सैक्रेटरी, एडीशनल सैक्रेटरी, पुलिस कमिशनर और 14-14 मेम्बर्स हैं जिनको प्लॉट मिले हैं···खुद आई०ए०एस० आफिसर्स को प्लॉट दिये गये हैं···**(व्यवधान)**

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही नहीं है कि महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता सेनानियों को प्लॉट दिया था तो अब इन आफिसर्स को क्यों अलॉट किये गये हैं ?··· **(व्यवधान)**

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, एक-एक आफिसर के नाम प्लॉट दिया गया है···**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

मुझे इसका बहुत ही दुःख है ; कृपया इस देश पर नौकरशाहों को हावी नहीं होने दें। आई० ए० एस० आफिसरों के द्वारा मुम्बई की उस पुरस्कृत जमीन का अपने लिये आवंटन करवा लेना इसका एक उदाहरण है। कृपया इसे समझें।

श्री राम कापसे (ठाणे) : यह तो राजनीतिज्ञों और नौकरशाही के बीच सांठ-गांठ है। **(व्यवधान)**

श्री शरद पवार : मेरे द्वारा 25.6.1988 को कार्य-भार संभालने के बाद, उस फाईल पर एक बार फिर से मेरी सरकार के राजस्व राज्य मंत्री और राजस्व मन्त्री के द्वारा कार्यवाही की गयी। और चूंकि रिकार्ड में पूर्व सरकार और मेरी सरकार के विचारों में कोई विरोध नहीं था इसलिये कथित प्रस्ताव को सामान्य प्रक्रिया के तहत मंजूरी दे दी गई। विद्वान न्यायाधीशों ने दिनांक 9.7.1992 के अपने निर्णयों में मेरे बारे में अप्रत्यक्ष रूप से टिप्पणी करते हुए सिर्फ इतना कहा कि "मुख्य मन्त्री ने अपनी कोई राय व्यक्त नहीं की थी।" इस टिप्पणी से, कल्पना में भी, यह सिद्ध नहीं होता है कि मेरे द्वारा मुख्य मन्त्री के रूप में लिए गए निर्णय की निंदा हुई है। इस निर्णय से किसी भी रूप में जरा सा भी संदेह नहीं उभरता है कि मेरे द्वारा की गई कार्यवाही में कोई भी कुतसित स्वार्थ छिपा था। इस निर्णय में न ही मुझ पर किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करने या दुष्अभिप्राय के भी आरोप नहीं लगे हैं।

कुछ लोग अपने राजनीतिक हित के खातिर जान-बूझकर तथ्य को गलत ढंग से रखने और उच्च न्यायालय के निर्णय को तोड़-मरोड़ कर पेश करके किसी को कलंकित करने का द्वेषपूर्ण अभियान चलाया गया। गलत ढंग से इस तरह की धारणा बनाने की कोशिश की गई कि किसी पूर्वकल्पित आधार पर निर्णय में मुझ पर दोषारोपण किया गया है। जनता को गलत सूचना देना और उन्हें गुमराह करना ही इसका एकमात्र उद्देश्य निखता है।

इन परिस्थितियों में मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि मेरे कुछ माननीय साथियों द्वारा मुझे केन्द्रीय कैबिनेट से हटाने की माँग स्पष्टतया अनन्य एवं राजनीतिक कारणों से प्रेरित है जिससे मेरी छवि को लोगों की नजर में धूमिल किया जा सके। मेरे द्वारा एक महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्य के कारण देश से बाहर रहने के दौरान जिस ढंग से यह माँग की गई उससे मेरे राजनीतिक विरोधियों की मुझे बदनाम करने की चिंता झलकती है। (व्यवधान)

मैं इस गरिमामय सदन को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि उपरोक्त सहकारी समिति को मुम्बई में मेरी सरकार द्वारा भूमि-खण्ड आवंटित करने का निर्णय अच्छी भावना से लिया गया था। मैं किसी प्रकार की कानूनी आड लेकर अपने को बचा नहीं रहा। मैं इस गरिमामय सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मेरी अन्तरात्मा साफ है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, लोक सभा 14.30 म०प० तक के स्थगित की जाती है।

1.32 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2.30 म०प० तक के लिये स्थगित हुई।

2.37 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.37 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 के लिए समझौता ज्ञापन

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : मैं भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन और पूर्ति

विभाग, रक्षा मन्त्रालय के बीच वर्ष 1992-93 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०—2381/92]

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड लखनऊ का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्य करण को समीक्षा

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (एक) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं :—

(1) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) राष्ट्रींय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखारीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०—2382/92]

भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 और मोटर यान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अधिसूचनाएं आदि

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : महोदय मैं, श्री जगदीश टाईटलर की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं :—

(1) भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 36 के अन्तर्गत भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 1992 जो 22 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 551(अ) में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी०—2384/92]

(2) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(एक) का० आ० 451 (अ) जो 19 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसमें अधिसूचना में नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित परिवहन वाहनों और गैर-वाहनों की श्रेणियों को विनिर्दिष्ट किया गया है ।

(दो) मोटर वाहनों की सम्पूर्ण विमा (छूट के लिये शर्तों का निर्धारण) नियम, 1991 जो 12 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 583(अ) में प्रकाशित हुये थे ।

(तीन) मोटर वाहनों की सम्पूर्ण विमा (छूट के लिये शर्तों का निर्धारण) (संशोधन) नियम, 1992 जो 23 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 634(अ) में प्रकाशित हुये थे ।

[श्री अशोक गहलोत]

(3) उपर्युक्त मद (2) के (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०—2384/92]

(4) महा पत्तन अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा०का०नि० 739(अ) जो 16 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा०का०नि० 127(अ) जो 25 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (हल्दिया डाक काम्पलैक्स) (भर्ती वरिष्ठता तथा पदोन्नति) दूसरा संशोधन विनियम 1992 का अनुमोदन किया गया।

(तीन) सा०का०नि० 373(अ) जो 27 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृति के पश्चात नियोजन स्वीकार करना) (पहला संशोधन) विनियम, 1992 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा०का०नि० 399(अ) जो 2 अप्रैल 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा एन०एम०पी०टी०ई० (जी०पी०एफ०) (पहला संशोधन) विनियम 1992 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०—2385/92]

(5) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय पोत परिवहन निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय पोत परिवहन निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०—2386/92]

आयकर अधिनियम, 1961 ओर व्ययकर अधिनियम 1987 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं :

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं :—

(1) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) आय-कर (प्रमाण-पत्र कार्यवाही) (संशोधन) नियम, 1992, जो 9 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 273 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आय-कर (नौवां संशोधन) नियम, 1992, जो 28 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 302 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आय-कर (दसवां संशोधन) नियम, 1992, जो 25 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 357 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 1992, जो 29 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 385 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) आय-कर (चौदहवां संशोधन) नियम, 1992, जो 2 जुलाई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 492 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० —2387/92]

(2) व्यय-कर अधिनियम, 1987 की धारा 31 की उपधारा (4) के अंतर्गत व्यय-कर (संशोधन) नियम, 1992, जो 8 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 271 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी०—2388/92]

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 674(अ), जो 10 जुलाई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 21 जून, 1990 की अधिसूचना संख्या 203/90-सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी०—2389/92]

जीवन बीमा निगम, अधिनियम, 1956 और निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, मुम्बई के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं :—

(1) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 49 की उपधारा (3) के अंतर्गत जीवन बीमा निगम (संशोधन) विनियम, 1991, जो 11 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3/4/35/91 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी०—2390/92]

[श्री बलबीर सिंह]

(2) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, मुम्बई के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० –2391/92]

(3) (एक) भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० –2392/92]

(दो) भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1989 90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी०—2393/92]

(4) (एक) भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी०—2394/92]

आयात और निर्यात अधिनियम, 1947 और निर्यात आयात नीति 1992-93 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) आयात (नियंत्रण) (दूसरा संशोधन) आदेश, 1992, जो 1 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 255 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1992, जो 18 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०मा० 447(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी०—2394/92]

(2) निर्यात और आयात नीति 1992—97 के पैरा 1 और 3 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या 22(एन-3)/92—97, जो 30 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई

थी तथा जिसके द्वारा निर्यात और आयात नीति 1992—97 में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० —2395/92]

2.40 म० प०

सभापति-तालिका

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रक्रिया नियमों के नियम 2 के अन्तर्गत निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के सदस्यों के बतौर मनोनीत किया है।

(1) श्री शरद दिघे

(2) श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य

(3) श्री तारा सिंह

(4) श्री पी० एम० सईद

(5) श्री राम नाईक

(6) श्री पीटर जी मरबनिआंग

अब गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एम० एम० जैकब वक्तव्य देंगे।

4.41 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

अहमदाबाद (गुजरात) में भारी मात्रा में हथियारों और गोलाबारूद की बरामदगी

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : महोदय, मैं, हाल ही में अहमदाबाद में बड़ी मात्रा में जब्त किए गए शस्त्रों और विस्फोटकों के बारे में सदन को सूचित करता हूं।

16 जुलाई को बम्बई में लाल सिंह उर्फ मंजीत सिंह नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी से यह घटनाक्रम शुरू हुआ। पूछताछ के दौरान उसने गुजरात से संबंधित अपनी गतिविधियों के कुछ ब्यौरे बताए। इनमें, उनके द्वारा अर्जित मकान और वाहन शामिल हैं। मकानों का प्रयोग आतंकवादियों को शरण देने और पाकिस्तान से लाए गए शस्त्रों और विस्फोटकों को रखने के लिए किया जाता था। ट्रक सहित वाहनों का प्रयोग विभिन्न स्थानों पर हथियारों को लाने ले जाने के लिए किया जाता था। यह सूचना बताए जाने पर 24 जुलाई, 1992 को अहमदाबाद में इन मकानों और उसके साथियों के मकानों पर छापे

[श्री एम० एम० जैकब]

मारे गए। इन छापों के दौरान निम्नलिखित शस्त्र और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई :—

1. राकेट लांचर	4
2. ए० के०—56 राइफलें	35
3. पिस्तौलें	14
4. ए० के०—56 राइफलों और पिस्तोलों की मैगजीनें	100
5. ड्रम मैगजीन	1
6. 82.2 हथगोले	25
7. एच० जी०—36 हथगोले	12
8. लाइट मशीनगन	1
9. सफेद रंग के विस्फोटक पदार्थों के पैकेट—	20
10. काले रंग के विस्फोटक पदार्थों के पैकेट—	35
11. जिलेटिन के पैकेट	34
12. राकेट	8
13. विस्फोटकों के लिए विद्युत तारें	5
14. इन्स्यूलेटिंग रोल	14
15. बूबी वायर टेप	9
16. डिटोनेटर के बंडल	3
17. प्लग	14
18. ए०के०—56 राइफलों के कारतूस	5413
19. पिस्तोलों के कारतूस	1004
20. 9 एम० एम० के कारतूस	699
21. फ्यूज प्लास्टिक रोल्स	14
22. हथ गोले	10
23. ट्रांसजिस्टर बम	3

लाल सिंह तथा 11 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध टाडा, शस्त्र अधिनियम और भा० दं० सं० के अंतर्गत मामले दर्ज किए गए। चार व्यक्ति नामत: अकरम, निवासी पालमपुर, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद इस्माइल सैयद, निवासी कुरैशी नगर, हैदर हुसैन काबू भाई कुरैशी, निवासी जूनापुरा और मुखाइम अब्दुल समीर शेख निवासी जूनापुरा को अब तक गिरफ्तार किया गया है।

लाल सिंह की आतंकवादी गतिविधियों और उसके सम्पर्कों के बारे में अधिक ब्यौरे प्राप्त करने के लिए जांच-पड़ताल जारी है। देश के भीतर और बाहर फैले विस्तृत जाल को ध्यान में रखते हुए

सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध पर मामले की जांच पड़ताल केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का निर्णय लिया है।

इन बरामदगियों और लाल सिंह द्वारा बताई गई सूचना से आतंकवादियों के नापाक इरादों और पाकिस्तान से उन्हें प्राप्त हो रही सहायता के बारे में हमारी आशकाओं की पुष्टि होती है। मुझे विश्वास है कि मामले के प्रति गम्भीर चिंता व्यक्त करने में सदन मेरा साथ देगा।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : मैं सरकार की ओर से चिन्ता प्रकट करने में मंत्री महोदय की बात का समर्थन करता हूं क्योकि उन्होंने सदन से आग्रह किया हैं और यह कहा है कि इस मामले पर गंभीर चिन्ता व्यक्त करने में सदन उनकी बात का समर्थन करेगा। परन्तु मैं उनकी बात का समर्थन करने तक ही सीमित नहीं रहूंगा। हमारी पश्चिमी और पूर्वी दोनों सीमाओं पर सीमा पार से हो रहे लगातार आगमन और घुसपैंठ रोकने में सरकार की विफलता पर मैं चिन्ता व्यक्त करूंगा। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह हमें इस विशेष मामले पर कुछ समय तक चर्चा करने का अवसर दें। यह चर्चा केवल अहमदाबाद के संबंध में ही नहीं है बल्कि यह तो वहां पर व्यापक रूप से हथियारों की सप्लाई तथा वहां आ रहे धन और लोगों के संदर्भ में है। यह सारी चीजें एक तमाशा बन कर रह गई हैं। हमारा देश एक धर्मशाला बन गया है। इस तरह से कोई भी किसी भी समय यहां आ सकता है और कुछ भी यहां ला सकता है। अक्सर वहां सच्चे लोगों के आने पर प्रतिबन्ध लग जाता है और जो लोग गुप्तकार्य और षडयंत्रकारी भावना से आते हैं उन्हें नहीं रोका जाता है। हम उन्हें रोकने में असमर्थ हैं। जहां तक राकेट लांचर्स, हल्की मशीन गनों इत्यादि की लम्बी सूची का संबंध है, मुझे बताया गया है कि इन सब की कीमत लगभग ढाई करोड़ रुपए से अधिक बैंठती है। यह गोलाबारूद इतने रुपए मूल्य का है। अतः मैं सरकार से इस विशेष मामले पर एक दिन की चर्चा करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शंकरसिंह वाघेला (गोधरा) : उपाध्यक्ष महोदय यह तीसरा ट्रिप है, दो ट्रिप तो पकड़े नहीं गए। लाल सिंह, जिसने कनिष्का एयरक्राफ्ट को उड़ाने की प्लानिंग की थी, एक टैरोरिस्ट है। चीफ मिनिस्टर ने जल्दी में आकर रात को 11 बजे डिक्लेयर कर दिया। यदि एक दिन और ठहर जाते तो ज्यादा इनफार्मेशन मिलती। ये तीसरे ट्रिप में पकड़े गए हैं। दो ट्रिप और दो-दो करोड़ के हैं, इससे ज्यादा के आर्म्स होंगे। कहां गए, कौन ले गया, इसमें इसकी भी इन्क्वारी होनी चाहिए, सिर्फ स्टेटमैंट से नहीं होगा।

होम मिनिस्टर खुद गए थे, मेरे ख्याल से डिफैंस मिनिस्टर भी वहां गए थे। बार्डर खुला पड़ा है, ऊंट से लाओ, ट्रक भर लाओ, कोई नहीं पूछता है। यह इतना सीरियस मामला है।

4.30 म०प०

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 3 अगस्त, 1992 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में अगले पृष्ठ पर लिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

[श्री गुलाम नबी आजाद]

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. विदेशी मुद्रा संरक्षण (यात्रा) कर समाप्ति अध्यादेश, 1992 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा और विदेशी मुद्रा संरक्षण (यात्रा) कर समाप्ति विधेयक 1992 पर विचार और पारित करना।

3. निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान :—

(क) वर्ष 1992-93 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)

(ख) (वर्ष 1988-89 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगें (सामान्य)

4. जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति शासन को आगे जारी रखने से संबंधित संकल्प पर चर्चा और 1992-93 के लिए शेष अनुदानों की मांगों (जम्मू और कश्मीर पर चर्चा और) मतदान।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण (कराड) : मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाए :—

बड़े व्यवसायिक घरानों द्वारा छोटे निजी बैंकों का अधिग्रहण करने के प्रयास।

आपदा राहत निधि के अन्तर्गत सहायता के लिए मौजूदा फार्मूले की समीक्षा करने की आवश्यकता और दसवें वित्त आयोग द्वारा नए मार्गनिर्देश तैयार करने तक आपदा राहत निधि से सहायता के लिए अन्तरिम फार्मूला निर्धारित करना।

[हिन्दी]

श्री रासा सिंह रावत (अजमेर) : अपाध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषयों को सम्मिलित करें :—

1. राजस्थान राज्य में पूर्वी क्षेत्र जयपुर में कार्यरत, परन्तु भारत सरकार के आदेशों से स्थानांतरित पी०एम०जी० (महाडाकपाल) का कार्यालय अजमेर में शीघ्र स्थानांतरित किया जाये।

2. राजस्थान राज्य के अजमेर जिले के सुप्रसिद्ध औद्योगिक नगर एवं व्यापार केन्द्र ब्यावर में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मांग को दृष्टिगत रख कर शीघ्र ही केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की जाये।

[अनुवाद]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाए।

विशेष श्रेणी के राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता।]

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में अगले पृष्ठ पर लिखित विषय को जोड़ा जाये :—

राजस्थान की अनेकों सिंचाई परियोजनाएं अंतर्राज्यीय जल विवाद से घिरी हुई हैं। उनको हल करने के लिए उच्चतम स्तर से प्रयास किया जाये।

[अनुवाद]

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाए :

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा करना।

केन्द्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर को स्थानान्तरित /बं : करना।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाये—

सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की समस्याएं, विशेषरूप से उर्वरक संयंत्र, तालचेर (एफ०सी०आई०)।

उड़ीसा में कलिंग न्यास सहित विभिन्न न्यासों द्वारा आयकर की चोरी।

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाये :—

राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करना।

रेलवे कार्याशाला को जोधपुर से स्थानांतरित करने और 3000 कर्मचारियों की छटंनी करने के प्रस्ताव को छोड़ दिया जाना चाहिए और कार्यशाला का उपयोग बड़ी लाइन के डिब्बों की मरम्मत और विनिर्माण करने के लिए किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषय को सम्मिलित करें :

बिहार के विकास के लिए नयी विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए राशि आवंटित कर उन्हें अविलम्ब स्वीकृति प्रदान की जाय।

2.50 म० प०

कार्य-मंत्रणा समिति

अठारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 30 जुलाई, 1992 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के अठारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 30 जुलाई, 1992 को सभा में प्रस्तुत किए कार्य मंत्रणा समिति के अठारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

(व्यवधान)

---

2 50½ म० प०

सभा का कार्य

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदय मुझे कुछ अनुरोध करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री झा कृपया अपनी बात कहें।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : केवल लिखित कार्यवाही ही कार्यवाही वृतान्त में जाएगी।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाए :—

1. ईराक पर दूसरे आक्रमण के लिए संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति मांगा जाना।

2. बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं पर भारत-नेपाल के बीच चल रही वार्ता। (व्यवधान)

श्री निर्मलकान्ति चटर्जी (दमदम) : इससे पहले मैं चौथी मद पर एक बात कहना चाहता हूं। श्री चौधरी के प्रस्ताव में समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना पर चर्चा बुधवार 19 अगस्त, 1992 को शुरू की जाए। आठवीं पंचवर्षीय योजना का दस्तावेज अभी हमें उपलब्ध कराया जाना है। मैं चाहता हूं कि सरकार यह आश्वासन दे कि इस पर 19 अगस्त को चर्चा की जायेगी। क्योंकि यह एक बड़े आकार का दस्तावेज है इसलिए यदि इसे शीघ्र उपलब्ध नहीं कराया जाता तो इस पर 19 अगस्त को चर्चा करना असंभव होगा। इसलिए मैं वित्त मंत्री या संसदीय कार्य मंत्री से इस पर आश्वासन चाहता हूं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना का दस्तावेज माननीय सदस्यों को कब तक उपलब्ध कराये जाने का विचार है ताकि इस पर चर्चा हो सके।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : बी० ए० सी की बैठक के बाद मैं योजना मंत्री को पहले ही एक पत्र लिख चुका हूं। यह काम उनको ही करना है मैंने योजना मंत्री को ऐसा करने के लिए पत्र भेज दिया है।

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कार्य मंत्रणा समिति

अठारहवां प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 30 जुलाई, 1992 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के अठारहवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

———

2.54 म० प०

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)–1988-89

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : मैं वर्ष 1988-89 के बजट (सामान्य) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० —2407/92]

———

मंत्री द्वारा वक्तव्य

2.55 म० प०

दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा बार्सिलोना, स्पेन में हो रहे 25वें ओलम्पिक खेलों का प्रसारण (कवरेज)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : दूरदर्शन ने बार्सिलोना में आयोजित 25वें ओलम्पिक खेलों को कवर करने के लिए प्रबन्ध किए हैं । दूरदर्शन द्वारा करीब 110 घण्टे की कवरेज की जायेगी, जिसमें खेलों का सीधा प्रसारण और खेलों की रिकार्डिंग शामिल है । दिनांक 25 जुलाई, 1992 को उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण किया गया । इसी प्रकार दिनांक 10 अगस्त 1992 को समापन समारोह का सीधा प्रसारण किया जायेगा । हाकी और फुटबाल के सेमीफाइनल और फाइनल, बालीबाल, बैडमिन्टन और महिला सिंगल्स टैनिस के फाइनल का सीधा प्रसारण किया जायेगा । मुक्केबाजी, जिमनास्टिक्स, एथलेटिक्स, नौकायन, साईकिलिंग, घुड़सवारी, तीरंदाजी और पालनौकायन खेलों का भी भिन्न-भिन्न अवधि के लिए सीधा प्रसारण किया जायेगा । झलकियों के साठ-साठ मिनट के 16 कार्यक्रम भी दिखाए जायेंगे । ऐसा पहला कार्यक्रम 26 जुलाई, 1992 को दिखाया गया था । दूरदर्शन द्वारा भारतीय हाकी टीम के लीग मैचों की रिकार्डिंग भी दिखाई जायेगी । भारत और जर्मनी के बीच पहला मैच 27 जुलाई, 1992 को दिखाया गया था ।

दूरदर्शन ने इन ओलम्पिक खेलों को कवर करने के लिए चार सदस्यों का एक दल भेजा है ।

[श्री अजित पांजा]

इस दल द्वारा खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन के मुख्य अंशों के तीस-तीस मिनट के कार्यक्रम तैयार किये जायेंगे।

आकाशवाणी

आकाशवाणी द्वारा दिनांक 25 जुलाई, 1992 को प्रसारित उद्घाटन समारोह की रनिंग कमेंट्री के अलावा, समापन समारोह, हाकी के सेमी-फाइनलों और फाइनल तथा कांस्य पदक के लिए मैच की रनिंग कमेंट्री प्रसारित की जायेगी। आकाशवाणी प्रतिदिन के मुख्य अंशों पर हर रोज पन्द्रह मिनट का कार्यक्रम भी प्रसारित करेगा।

लोगों की सुविधा और कार्यक्रम सूची में रुचि रखने वालों के लिए बार्सिलोना ओलम्पिक खेलों पर दूरदर्शन के कार्यक्रमों की सूची अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रमुख दैनिकों में प्रकाशित की गई थी।

———

2.57 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

सरकारी प्रतिभूतियों में घोटाला

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम प्रतिभूति घोटाले पर नियम 193 के अधीन चर्चा करेंगे।

डा० देवी प्रसाद पाल — अनुपस्थित

श्री मुरली देवरा — अनुपस्थित

श्री मणि शंकर अय्यर — अनुपस्थित

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण — अनुपस्थित

श्री दिग्विजय सिंह — अनुपस्थित

श्री ए० चार्ल्स — अनुपस्थित

श्री सोमनाथ चटर्जी — अनुपस्थित

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : यदि दोनों तरफ के वक्ता मौजूद नहीं है तो उस स्थिति में 193 के अधीन आधे घण्टे की चर्चा करना ठीक नहीं रहेगा। अच्छा होगा कि इस चर्चा को सोमवार को लिया जाए। इस प्रकार की थोड़ी सी चर्चा तो ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : कांग्रेस की ओर से कोई इसकी शुरूआत कर सकता है। जो कोई भी बोलने के लिए तैयार हो।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : यदि कोई वक्ता नहीं है तब चर्चा क्यों की जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, वक्ता मौजूद हैं।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला (गोधरा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस देश के बदनाम स्कैम घोटाले के बारे में सदन में चर्चा हो रही थी, बीच में चन्द्र शेखर जी ने इन्टरवीन करके इस चर्चा को रुकवाया। मैं कहता हूं, माननीय चन्द्र शेखर जी को कोई माफ नहीं करेगा। जिस समय इसका क्लाइमैक्स लेजा जा रहा था, तब चर्चा अगर और चलती, तो इसका और नजारा होता। तथ्य और सामने आते, लेकिन उस समय इसको आपने और आगे बढ़ने नहीं दिया। इस पर विचार करने में एक हफ्ते का विलम्ब हो गया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह स्कैम घोटला एक अभिमन्यु चक्रव्यूह जसा है, जिसमें और लोग आयेंगे और फंसते जायेंगे। वे कहां से निकलेंगे, रास्ता पता नहीं है। माननीय वित्त मन्त्री आप कहते हैं कि रिजर्व बैंक के कोई अधिकारी जिम्मेवार नहीं है। आप कहते हैं कि कोई मन्त्री जिम्मेदार नहीं है। जैसा आप कहते हैं कि मेरा कोई मन्त्री जिम्मेदार नहीं है, इसके बाद एक दम से कामर्स मिनिस्टर का इस्तीफा आ जाता है। हो सकता है कि और भी लोगों के इस्तीफे आयेंगे। ऐसी स्थिति में आप कैसे कहते हैं कि इसमें कोई जिम्मेवार नहीं है। दो ही रिपोर्ट आई हैं, दो ही रिपोर्टों में आपकी बहुत बड़ी पोल खुल गई है। तीसरी भी आने वालीं है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि तीसरी रिपोर्ट को भी टेबिल पर रख दिया जाए। उसमें और भी घोटाले होंगे, तो देश के सामने आयेंगे। आपने इस कंपनी फेयरग्रोथके ऊपर परसों रेड किया।

3.00 म० प०

(श्री तारासिंह पीठासीन हुए)

जब घोड़े भाग जाते हैं तब अस्तबल को लाक करने का क्या मतलब है, जब घोड़े छूट गए अब इसके ऊपर रेड करने से क्या निकलने वाला है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मन्त्री जी से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं कि इसमें हर्षद मेहता तो एक निमित्त मात्र हैं। हर्षद मेहता को आप इतने दिन तक रिमांड पर रखते है मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके जितने भी अधिकारी हैं इनको किसी को आपने पकड़ने की चिन्ता की। क्या इनको इतने दिन अन्दर रखने की चिंता की क्या रिजर्व बैंक के गवर्नर जिम्मेवार नहीं हैं, रिजर्व बैंक को जो सुपरविजन आथोरिटी है 15 दिन में जितनी भी बार आई या जितने भी इनके सिक्योरिटिज के जमा हुए और नहीं हुए तो 15 दिन के बाद मालूम पड़ता था इतने महीने तक चला रिजर्व बैंक ने क्या किया, रिजर्व बैंक सोती रही। आप भी रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं तो क्या आपको यह मालूम नहीं है कि यह सब चीज की जिम्मेदारी अपनी है और जो चोरी करता है जब पकड़ा जाता है तो फिर उसके ऊपर शाबाशी मिलती है कि चोर पकड़ा गया। तो चोरी आपने करवाई है और आपकी कम्पनी के लोग हैं और फिर आप कहते हैं कि इसको पकड़ो। आप किस को पकड़ रहे हैं, आपको सब मालूम है और मालूम होने के बाद भी आपने रिजर्व बैंक के एक अधिकारी को, जानकीरमणन को ही इसकी इंक्वायरी दी तो कोई डिप्टी गवर्नर किसी गवर्नर के बारे में कैसे लिखेंगे। हो सकता था कि इसमें कहीं कोई दूसरा एक्स गवर्नर रहा हो, इसको अगर इसका चेयरमैन बनाते तो इसमें से और चीजें निकलती। इसलिए सुबोर्डिनेट अधिकारी अपने सीनियर अधिकारी के बारे में न लिख पागेए।

आप अपने नेशनल हाऊसिंग बैंक के बारे से बहुत बचाव करते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर इन बैंकों के घोटाले में कोई एक की है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की है, रिजर्व बैंक की है। इस देश के प्राइम मिनिस्टर की है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, इसका क्या मतलब है। आप कब तक नहीं छोड़ेंगे, कैसे नहीं छोड़ेंगे? आज माधवन की आपने छुट्टी कर दी मैं

[श्री शंकर सिंह वाघेला]

इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा लेकिन छुट्टी करने से पहले इसका तो हिस्ट्री रिकार्ड रहा, कांग्रेस का तो एक कल्चर रहा, कहीं अगर घोटाले नहीं होते हैं तो आप इसमें से कुछ निकाल नहीं पाते हैं इसलिए घोटाले तो होने ही चाहिए। बोफोर्स में था उसको निकाल दिया, स्केम में वहां यह गलती से रहा तो आपने कम्पलसरी रिटायरमेंट के लिए दबाव डाला। माननीय सभापति जी, दाऊद की गेंग, इस माधवन और हर्षद मेहता के बारे में महाराष्ट्र के मुम्बई में जो शब्द प्रयोग लेना है सुपारी लेने-देने की जो बात है तो आप दोनों की सुरक्षा की भी चिन्ता करेंगे। इसमें दाऊद गेंग के लोग इस माधवन को या हर्षद मेहता को जैसे भी मौके मिलेंगे, जैसे नागरवाले का क्या हाल हुआ था यही बैंक के 60 लाख रुपए मारे गए। यही बैंक के घोटाले में हर्षद मेहता और माधवन के बारे में भी सिक्योरिटी की आप चिन्ता करें वरना देश में कई बदमाश लोग हैं, हमारे सामने ये पोलिटिशियन लोग हैं जिनकी इसमें मिलीभगत है और बाम्बें-बेस्ड की यह जो माफिया है, गेंग है उस गेंग में, उस माफिया में यह दाऊद गेंग भी इन्वाल्ड है। हमारे पोलिटिशियन के बाम्बे-बेस्ड के लोगों के रिलेशन हैं तो आप सुरक्षा दीजिए पता नहीं, कैसे—क्या करेंगे ?

सभापति महोदय, इन बैंकों में विदेशों की चार बड़ी बैंक भी इनवाल्वड् हैं—सिटी बैंक, स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बैंक आफ अमरीका, ग्रेंडलेज बैंक, इस बैंक के 70 परसनटेज लोग लेन-देन में इनवाल्वड् हैं। इसमें से 40 परसेंट तो सिर्फ दो बैंक के हैं सिटी बैंक और बैंक आफ अमरीका। तो हमारे देश में विदेशी बैंकों का क्या व्यवहार रहेगा। सिर्फ मुनाफा कमाएगे या इनके ऊपर आपका भी कोई कंट्रोल होगा ?

विदेशी बैंकों के बारे में भी आपको सोचना चाहिए, इन विदेशी बैंकों का व्यवहार हमारे देश में क्या होगा ? इनकी भी इंक्वायरी होनीं चाहिए। 10 हजार करोड़ से ज्यादा रुपए अगर इसमें इनवाल्वड हैं तो इसको आप कैसे शेयर करेंगे, क्या सब बैंक इसके भागीदार बनेंगे ? सब बैंकों के साथ आप बंटवारा करेंगे कि इतना लास है आप कवर करिए। माल दूसरा खाएगा और मार दूसरा तो इसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा और हर्षद मेहता आज का नहीं, इस हर्षद मेहता ने हमारे राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने रुपए दिये, कौन हैं फाउंडेशन के ट्रस्टी, किस लिए उसने 25 लाख रु० डोनेशन में लिया है। रिलायन्स के लोगों ने भी करोड़ों रुपये दिए। आपने क्यों पैसे लिए ? क्या प्रोटेक्शन देने के लिए पैसे लिए ? यदि राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए रुपया भी लेते हैं और रुपया लेने के बाद उनको आप कटघरे में कैसे खड़ा करेंगे ? पैसे का प्रेशर होता है, है, वह प्रेशर कहां चलता है यह आपको पता है।

इतना ही नहीं हर्षद मेहता दिल्ली में आया, बजट रखना था उससे पहले आया था, कृष्णामूर्ति जी ने इस्तीफा दिया है, कृष्णामूर्तिजी के माध्यम से हमारे फाइनेंस सैक्रेटरी की अपाइंटमेंट करायी। बजट में क्या आना है, रुपये की क्या हालत होनी है, रुपया कन्वेटेबिल होता है। सब इनफरमेशन हर्षद मेहता को मिली और शेयर के भाव बढ़ रहे थे। आप खुश होते थे, नार्थ ब्लाक खुश था कि वाह हमारी इण्डस्ट्रियल पालिसी, हमारा बजट इतना अच्छा रहा कि शेयर के दाम बढ़ रहे हैं। वहां जो बिग-कार्तल बुल कार्टल बीयर-कार्टल होते हैं, बुल-कार्टर ने धंधा किया, अगर बीयर-कार्टर वालों ने पर्दाफाश नहीं किया होता तो यह आपके ध्यान में भी नहीं आता। उन लोगों के आपसी कम्पीटीशन में ये सब चीजें आयी।

इसलिए वित्त मन्त्री जी, पूरा वित्त मन्त्रालय इसमें इनवाल्व रहा, फाइनेंस सैक्रेटरी, कामर्स सैक्रेटरी इनवाल्व रहे, हर तरह से हर्षद मेहता ने आपके ऊपर प्रभाव डाला। बजट की इनफरमेशन

सभापति महोदय : अतः आप अगली बार अपना भाषण जारी रख सकते हैं। चर्चा अगली बार जारी रहेगी। अब मैं श्री रामेश्वर ठाकुर से अनुरोध करूंगी कि वे सभापटल पर अपने पत्र रखें।

5.57 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखता हूं :

1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) अधिसूचना संख्या 79/92-के०उ०शु०, जो 31 जुलाई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1988 की अधिसूचना संख्या 31/88-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि रिफेम्पिसिन को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—2397/92]

(दो) अधिसूचना संख्या 80/92-के०उ०शु०, जो 31 जुलाई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो रिफेम्पिसिन के निर्माण में प्रयुक्त तीन विनिर्दिष्ट औषध मध्यांतरिकों को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—2398/92]

2. सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) अधिसूचना संख्या 249/92-सी०शु०, जो 31 जुलाई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 6 मार्च, 1979 की अधिसूचना संख्या 64/79-सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि पारिणामिक परिवर्तनों के रूप में कतिपय प्रविष्टियों का लोप किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—2399/92]

(दो) अधिसूचना संख्या 250/92-सी०शु०, जो 31 जुलाई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो विनिर्दिष्ट औषध मध्यांतरिकों को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—2400/92]

[श्री रामेश्वर ठाकुर]

(तीन) अधिसूचना संख्या 251/92-सी०शु०, जो 31 जुलाई, 1992 के भारत राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय रिफेम्पिसिन के निर्माण लिए विनिर्दिष्ट औषध मध्यांतरिकों पर मूल्यानुसार 10 प्रतिशत का मूल सीमा शुल्क निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—2401/92]

(चार) अधिसूचना संख्या 252/92-सी०शु०, जो 31 जुलाई, 1992 के भारत राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय अन्य बातों के साथ-स कतिपय अधिसूचनाओं में संशोधन करना है ताकि रिफेम्पिसिन पर मूल्यानुसार 35 प्रतिशत का मूल सीमा-शुल्क लगाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—2402/92]

(पांच) अधिसूचना संख्या 253/92-सी०शु०, जो 31 जुलाई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 14 मई, 1992 की अधिसूचना संख्या 190/92-सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि 31 जुलाई, 1992 की अधिसूचना संख्या 250/92 तथा 251/92-सी०शु० में उल्लिखित माल को सम्पूर्ण उपषंगी सीमा-शुल्क से छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—2403/92]

सभापति महोदय : अब सभा सोमवार को 11 म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है ।

5.59 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 3 अगस्त, 1992/12, श्रावण, 1914 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग्स, न्यू सीलमपुर, दिल्ली-110053